Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] चतुर्थ विधान सभा के नवम् सत्र का बीसवां दिवस [संख्या १२

शनिवार,
दिनांक २१ नवम्बर, १९७०

विधान सभा की बैठक म.पू. १०.०५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई।
(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री विट्ठल प्रसाद !

अनुपस्थित।

श्री रामप्रसाद बोहरा !

अनुपस्थित।

श्री जुझारसिंह !

अनुपस्थित।

देवली कैम्प के सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, पुनर्वास) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री देवीदत्त गाड़िया से एक स्थगन प्रस्ताव इस आशय का प्राप्त हुआ था कि, 'देवली कैम्प के विस्थापितों के लिये आवास, भोजन आदि की कोई व्यवस्था नहीं है एवं कुछ विस्थापित बच्चों आदि की मृत्यु भी हो गई है जिससे जनता में भयंकर असंतोष फैल रहा है और राज्य सरकार ने उनके पुनर्वास की भी कोई व्यवस्था नहीं की है।' इस पर राज्य सरकार द्वारा जानकारी आपको कराई गई थी और आपने यह आदेश दिया था कि मैं सदन के समक्ष एक वक्तव्य दूं। अतः मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निम्न विवरण वहां जो व्यवस्था की गई है, उसके बारे में पेश करता हूं :—

केन्द्रीय सरकार ने दूसरे राज्यों के साथ-साथ राजस्थान सरकार को भी पूर्वी बंगाल से आये विस्थापित परिवारों के लिये अस्थाई तौर से ठहराने की व्यवस्था करने को लिखा था। राज्य सरकार ने इस विषय पर काफी सोच-विचार कर केन्द्रीय सरकार को यह बताया था कि हमारे पास इन विस्थापितों के लिए स्थाई पुनर्वास की व्यवस्था में भी काफी दिक्कतें आयेंगी, लेकिन केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर हमने एक हजार विस्थापित परिवारों के लिए अस्थाई तौर पर ठहरने की व्यवस्था करना स्वीकार किया, पर केन्द्रीय सरकार को यह साफ तौर से बता दिया कि हम इनके स्थाई पुनर्वास की व्यवस्था करने में असमर्थ होंगे क्योंकि इनके अनुभव के अनुसार कृषि की जमीन उपलब्ध नहीं है एवं हमारे पास न इन लोगों के लिए कोई उद्योग की व्यवस्था है।

बंगाल से आने वाले विस्थापित परिवारों का पहला बैच राजस्थान में ५ सितम्बर, १९७० को २६५ परिवारों का आया जिनको

Page No 2

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

कोटा स्टेशन के पास उतरने के बाद बसों द्वारा देवली तक लाने की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार दूसरा व तीसरा बैच भी १५-६-१६७० एवं ३१-१०-७० से १० नवम्बर, १६७० तक क्रमशः २३४ एवं ४०४ परिवारों के आये और इस प्रकार इस समय कुल ६३७ परिवारो के ४१६२ व्यक्ति देवली कैम्प के ट्रान्जिट कैम्प में रखे गये हैं। इन विस्थापितों में १२४८ पुरुष, १३०५ स्त्रियां एवं १५७३ बच्चे हैं।

इन विस्थापितों के आवास, पानी, भोजन व नकद सहायता, चिकित्सा, शिक्षा आदि की जो व्यवस्था की गई है, वह निम्न प्रकार है:—

सी. आर. पी. द्वारा इन विस्थापितों को ठहराने के लिए ५०० सिंगल व २५६ डबल तम्बू लगाये गये हैं। बड़े तम्बू में दो दो परिवार एवं छोटे तम्बू में एक-एक परिवार को ठहराया गया है। कैम्प के चारों ओर कांटेदार तार लगाने हेतु ४३,८००) रु. की राशि राज्य सरकार ने स्वीकृत की है। इस शिविर में १५० शौचालय व ७५ स्नानागार की व्यवस्था की गई है जिसके लिए ६५,०००) रु. व २७,०००) रु. की राशि क्रमशः व्यय की गई है। विस्थापितों के भोजन बनाने हेतु अस्थाई रसोईघर बनाये गये हैं जिनके निर्माण पर ८५,०००) रु. की राशि व्यय की जा चुकी है।

इस शिविर में १,००० अर्द्धस्थाई झोंपड़े सेमी पर्मानेन्ट झोंपड़े बनाने हेतु १२,५६,४६६) रु. की राशि स्वीकृत कर दी गई है जिसका काम चालू हो गया है।

पानी की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा ५,४८,०००) रु. को राशि स्वीकृत की जा चुकी है जिसमें से ४,३१,०००) रु० की स्वीकृति अस्थाई व्यवस्था हेतु व १,७७,०००) रु. की राशि अस्थाई व्यवस्था के लिये की गई है, जिसके प्रति अब तक १,६५,०००) रु. व्यय भी किया जा चुका है। कैम्प में ३०,००० गैलन प्रतिदिन पीने के पानी की व्यवस्था है, जिसमें ४ टंकियों में ८ नलों के द्वारा पानी दिया जाता है। रात को रोशनी के लिये पूरे कैम्प के अहाते में ११० बत्तियों का प्रबन्ध है। बिजली की व्यवस्था हेतु ५१,१७१) रु. की राशि व्यय की जा चुकी है।

नकद सहायताः—विस्थापितों को नकद सहायता (कैश डोल्स) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार प्रदान की जाती है:—

१ व्यक्ति के परिवार को ३०) रु., परिवार जिसमें २ व्यक्ति हैं ४०) माहवार, ३ व्यक्तियों को ५०) माहवार, ४ व्यक्तियों को ५७.५०) माहवार, ५ व्यक्तियों को ६५) माहवार, ६ व्यक्तियों को ७०) माहवार और जिसमें ६ से अधिक व्यक्ति हैं ७५) माहवार दिये जाते हैं।

इसके अलावा इन विस्थापितों को भोजन के लिये चावल रियायती दर ५७ पैसा प्रति किलो के हिसाब से देने की व्यवस्था की गई है। विस्थापितों को आवश्यकतानुसार खाना पकाने के लिये बर्तन तथा बाल्टियां, प्लेट, मग्गे आदि वितरित किये जा चुके हैं। हाल ही में उनके खाना बनाने के लिये कोयला भी रियायती दर पर देने की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

Page No 3

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

विस्थापितों के बच्चों के लिये १,२०,००० विटामिन की गोलियां रेड क्रास द्वारा दी गई है। अब रेडक्रास ने २,८०,००० विटामिन की गोलियां और भेज दी हैं। इसके अलावा बच्चों के लिये सूखे दूध की व्यवस्था की गई है। एक वेगन सलिडाइज्ड मिल्क रेडक्रास से प्राप्त हो चुका है जिसमें से बच्चों को आवश्यकतानुसार दूध भी उपलब्ध किया जा रहा है।

कपड़े:—भारत सरकार की स्वीकृत राशि के अनुसार कपड़े हेतु प्रति बालिग पुरुष २०) रु०, बालिग स्त्री ३०) रु० और नाबालिग जो कि १२ साल या उससे कम आयु का हो १४) रु० दिये जाते हैं। इस पर अब तक ४६,०५४) रु० की राशि व्यय की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त विस्थापित परिवारों को सोने के लिये व बिछाने के लिये १३२० गद्दे व १३१६ रजाइयां वितरित की जा चुकी हैं।

१२ साल से कम आयु के बच्चों को १८६४ जर्सी व स्वेटर वितरित कर दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त जिलाधीश कोटा, टौंक, बंगाली एसोसियेशन कोटा, भारतीय रिलीफ कमेटी, दिल्ली द्वारा भेजे गये कपड़ों का भी वितरण विस्थापितों को कर दिया गया है। जिलाधीश, कोटा द्वारा १२,५००) रु० के ५०० कम्बल खरीदकर आज कल में इन विस्थापितों में वितरित करने की व्यवस्था की जा रही है। यह राशि जिलाधीश कोटा ने लोगों से प्राप्त इसी कार्य हेतु की है।

चिकित्सा व्यवस्था:—शिविर में एक एलोपेथिक तथा एक आयुर्वेदिक अस्पताल की व्यवस्था की गई है जिसमें एलोपेथिक अस्पताल में २ बंगाली जानने वाले डॉक्टर, कम्पाउडर २, नर्स १, दाई १, सेनेटरी इन्स्पेक्टर १, तथा आयुर्वेदिक अस्पताल में एक वैद्य व एक नर्स है जहां कि इन विस्थापितों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवायी जाती हैं।

गम्भीर बीमारी से पीड़ित रोगियों को कोटा व टौंक में इलाज हेतु भेजने के लिये निःशुल्क वाहन सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

अब तक देवली कैम्प में बसाये गये विस्थापितों में ६२ की मृत्यु हुई है जिनमें से ६ बड़े व ५६ बच्चे हैं। इनमें अधिकांश की मृत्यु का कारण कमजोरी का होना व डायरियां व डिसेन्टरी तथा विस्थापितों द्वारा औषधियों का सेवन समुचित रूप से न करना है। इनमें बच्चों की ज्यादा मृत्यु होने का कारण यह है कि वे जब यहां आये तब ही उनकी हालत काफी नाजुक थी।

शिक्षा व्यवस्था:—कैम्प में एक प्राईमरी स्कूल खोला गया है जहां कि बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है।

देवली कैम्प एक "ट्रान्जिट" कैम्प है। अतएव स्थाई पुनर्वास का उत्तरदायित्व भारत सरकार का है। फिर भी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को रिवाइज्ड रिक्लेमेशन की योजना ६० लाख रुपये की भेज रखी है जिसकी भारत सरकार से स्वीकृति होने पर पुनर्वास की व्यवस्था हो सकेगी।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

ऊपर के विवरण से स्पष्ट हो जायगा कि राज्य सरकार ने भरसक प्रयत्न इस बात का किया है कि इन विस्थापितों को किसी तरह की कोई तकलीफ न होने पाये। भारत सरकार ने जो मापदण्ड की विभिन्न सुविधायें निर्धारित की हैं वे बहुत कम हैं। इनकी ओर समय-समय पर राज्य सरकार ने भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस सम्बन्ध में ~~आप से निवेदन करूं कि इस कैम्प को~~ मैंने व राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों ने देखा है और मुख्य मंत्री महोदय ने भी इसको देखा है। इस कैम्प की जो भी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है वह बहुत ही संतोषजनक है, और बच्चों की मृत्यु का कारण है वह यह है कि वे वहां से आये तो उस समय बहुत ही कमजोर थे और रास्ते मे उनकी दवाई वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पायी। जिन बच्चों को ज्यादा दिन हो गये आये हुए उनकी हालत अच्छी है। कुछ पाना लगने के कारण भी बीमारियां हो जाती हैं और ये ही बच्चे मरते हैं।

मैं समझता हूं कि सब ही माननीय सदस्यों को संतोष होगा और संतोष करेंगे कि राज्य सरकार ने विस्थापितों के लिये अच्छी व्यवस्था की है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में दो जानकारी करना चाहूंगा। एक तो यह है कि भारत सरकार से कितने महीने तक स्थायी प्रबन्ध करने के लिये राज्य सरकार को कह गया है या राज्य सरकार कितने दिनों तक इन विस्थापितों को रखने की व्यवस्था करके चल रही है? दूसरा प्रश्न यह है, हम यह जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि गद्दे, रजाइयां और कम्बलों का वितरण किया गया तो अब तक कितने गद्दे, रजाइयों और कम्बलों का वितरण किया गया? इसके साथ ही माननीय मंत्रीजी ने यह स्वीकार किया है कि महिला डॉक्टर जो बंगाली जानती है उसकी वहां पर नियुक्ति आवश्यक है तो उस ओर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

अन्त में एक जानकारी यह देना चाहूंगा कि पानी की व्यवस्था के लिये यह कहा गया कि ३० हजार गैलन पानी की व्यवस्था की गई है। आपने स्वयं ने यह बताया कि वहां पर ४॥ हजार आदमी रह रहे हैं। इनको ३० हजार गैलन पानी दिया जा रहा है जब कि आंकड़ों की वास्तविकता यह है कि २० हजार गैलन पानी से अधिक वितरण नहीं होता है। एक व्यक्ति को पांच छः गैलन पानी प्रतिदिन मिल पाता है, वह पानी खाने, पीने, नहाने, धोने आदि के लिये बहुत कम है। यह भी जानकारी करना चाहूंगा कि आपने यह बताया कि इतने आदमी मर गये और इतने बच्चे मर गये। जब से ये आये हैं लगातार सरकार को जानकारी दी जाती रही है कि बच्चों की शारीरिक स्थिति खराब है और पौष्टिक पदार्थ न देने पर दिन ब दिन हालत खराब होगी, उतनी जानकारी देने पर भी तत्काल कार्यवाही राज्य सरकार को करनी चाहिये थी या नहीं? पिछले दिनों ज्यादा मौतें हुई हैं बनिस्बत इसके कि जब इसकी स्थापना हुई

Page No 5

(श्री भैरोंसिंह)

थी । क्या भारत सरकार को लिखा है कि इनको जो केश डोल्स दिये जाते हैं वह कम है और इस विषय में भारत सरकार का रिएक्शन क्या है ? पत्र लिख कर ही संतोष कर रहे हैं या और भी इस विषय में कोई प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिये और बता दूं कि १३२० गद्दे और १३१९ रजाइयां और ५०० कम्बलें उनको वितरित किये जा चुके हैं । पानी का जहां तक सवाल है, ३० हजार गेलन पानी तो उनको मिलता ही है । इसके साथ-साथ कैम्प में दो कुए हैं जो कि बहुत ज्यादा गहरे नहीं हैं, वहां पर आदेश दे दिया है कि चकरियां डाल दें और बाल्टियां उन पर रख दें ताकि उस पानी को कपड़े धोने और अन्य कामों के लिये भी काम में लाया जा सकता है। पानी की वहां पर कोई खास दिक्कत नहीं है। आसपास में तालाब हैं वहां पर वे लोग कपड़े धोने के लिये भी चले जाते हैं। वाटर वर्क्स की स्कीम है। जब तक वह प्रावधान पूरी तरह से होकर स्कीम चालू नहीं हो जाती है पानी की व्यवस्था नहीं की जा सकती है।

पुनर्वास दफ्तर के लिये यह कहना कि केवल भारत सरकार को पत्र लिख कर संतोष कर लेते हैं अथवा और भी प्रयत्न किये जाते हैं। मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि इसी ९ तारीख को भारत सरकार के रिहेबिलिटेशन डाइरेक्टर और दूसरे साथी हमारे यहां आये थे और अधिकारियों से परामर्श किया था। उनको साफ तौर से बता दिया गया था यदि उनका पुनर्वास राजस्थान में करना चाहते हैं तो भू-खण्डों को सुधारने में समय लगेगा जिससे कि वे लोग चावल की खेती कर सकें वरना हम उनको बसाने में असमर्थ हैं। उन्होंने यह कहा है कि भारत सरकार अपने तरीके से इनको देख रही है और कहीं इनको बसाने की व्यवस्था हो पायी तो हम इन लोगों को ले लेंगे वरना आपने जो स्कीम दी है उस पर गौर करेंगे। भारत सरकार ने और उनके अधिकारियों ने कहा है कि और कहीं व्यवस्था न कर लेते हैं तब तक आप इनको यहां रखें। इसलिये निश्चित तारीख हमारी ओर से देने में हम अपने आपको असमर्थ पाते हैं।

तीसरी बात आपने बतायी, डाक्टरनी की नियुक्ति का सवाल है, मैं आपकी जानकारी के लिये कह दूं डाक्टरनी टौंक से वहां जाती रहती है। बंगाली जानने वाले डॉक्टर मौजूद हैं। हमारे सामने थोड़ी सी दिक्कत जरूर पेश आयी, बंगाली जानने वाली डाक्टरनी नहीं है। उसके लिये हमने चिकित्सा विभाग को लिखा है, आशा है बंगाली जानने वाली डाक्टरनी पहुँच जायगी....

श्री रामकिशन (वैर) : डाक्टरनी से आपका मतलब क्या है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : लेडी डाक्टर से है। आदेश जारी कर दिये हैं।

श्री रामकिशन : डाक्टर और डाक्टरनी जिस प्रकार कह रहे हैं, मंत्री की पत्नी को मंत्राणी कहलवाना चाहते हैं ?

एक माननीय सदस्य : इसी से श्रीमती इनकी खुश हो जाती है।

Page No 6

श्री जयकृष्ण शर्मा : जल्दी ही लेडी डाक्टर पहुँच जायगी। लेकिन जानकारी के लिये कह दूं टोंक से लेडी डाक्टर वहां देखने के लिये जाती है।

जहां तक बच्चों की मृत्यु का कारण है मैं निवेदन कर दूं जो बच्चे शुरू से कमजोर आये उनकी हालत यहां पर आने पर भी खराब थी ऐसे बच्चों की मृत्यु हुई है। उनको पौष्टिक पदार्थ बराबर नहीं मिला। जब पहले पहले वे बच्चे बीमार पड़े हमारे यहां आने पर हमने बराबर विटामिन वहां भेजे सूप का दूध मुहैया किया हमने हर प्रकार की व्यवस्था की है। इस बारे में राज्य सरकार की उदासीनता नहीं है। मृत्यु का कारण यह है कि वहां से ही बीमार आये जो यहां आकर ज्यादा बीमार हो गये और ठीक नहीं हो पाये उनकी मृत्यु हुई है। आज भी आप जा कर देखें तो आपको पता चलेगा कि पहला बैच जो यहां आया उनके बच्चे बहुत स्वस्थ हैं। बाद में आये हैं रोग ग्रस्त होकर आये। वहां की और यहां की आबोहवा में भी परिवर्तन हुआ है। यहां की हवा उनको सूट नहीं हो पाई इस वजह से कुछ मृत्युएं हुई हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : दवाइयों के अभाव की वजह से डेथ्स हुई हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह सही नहीं है।

जहां तक कैश डोल का संबन्ध है हमने भारत सरकार से लिखा-पढ़ी की है। ६-१० तारीख को जब रिहेबीलिटेशन के डाइरेक्टर यहां आये थे उनके साथ हमारे अधिकारियों की भी बात चीत हुई थी। हमने कहा कैश डोल से पूरा नहीं पड़ता व इनको कुछ राहत होनी चाहिये। हमने बराबर निवेदन किया है कि हमारी राज्य सरकार अपनी स्थिति के अनुसार बराबर सुविधायें उपलब्ध करा रही हैं। हम अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोताई नहीं बरतते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं अभी अभी वहां हो कर आया था मुझ से कुछ परिवार के सदस्य मिले, उन्होंने कहा कि मृत्यु हो जाने पर जलाने के लिये तो हमें सहायता मिलती है, लेकिन मृत्यु के बाद जो अन्य संस्कार हमें करने पड़ते हैं उसके लिये हमारे पास पैसा नहीं है। राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी कुछ धार्मिक मान्यतायें है, जिनको वे छोड़ नहीं सकते। धन के अभाव के कारण छोड़ना पड़ रहा है। इस प्रश्न पर भी आप सोचें।

इसके अलावा रोटी, चावल पकाने के लिये उनके लिये ईन्धन की व्यवस्था नहीं है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : कोयला देना शुरू कर दिया है, सस्ती रेट पर देना शुरू कर दिया है। आर्डर्स जारी कर दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : आॅर्डस नहीं पहुँचे हैं। जिन अभावों की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया, उसी की ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने जो ६२ व्यक्तियों की मृत्यु बतायी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १६ नवम्बर तक इस कैम्प के अन्दर १५७ बच्चे बच्चियों की मृत्यु हुई। ४ व्यक्ति ३ महिलायें १५० बच्चे-बच्चियां है। इसके अलावा केवल १६ तारीख को पांच बच्चे मरे हैं। मैं स्वयं अपने एक बंगाली मित्र को लेकर वहां गया हूं। वहां जांच की है। जो संख्या मैंने दी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

है वह बिल्कुल सही है। आपको एक भी टेण्ट ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई बच्चा बीमार न हो, आदमी बीमार न हो। बीमारी जो मुख्य रूप से है, वह डायरिया, पेचिश, मलेरिया,। आजकल भयंकर सर्दी पड़ रही है, सर्दी के दो तीन महीने आगे और निकालने हैं। राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार में एक रजाई और एक कम्बल दिया है चाहे वह परिवार दो का हो या दस का हो। महिलाओं को एक साड़ी, पुरुषों को किसी को कमीज दी है, बनियान दी है। आप समझ सकते हैं एक परिवार के एक सदस्य के लिये एक रजाई दी जाय उसमें सारा परिवार कैसे आ सकता है? आज भीषण सर्दी के अन्दर भी उनके पास गरम कपड़े नहीं हैं। चाहिये तो यह था प्रत्येक को एक एक कम्बल दिया जाता।

सारे विस्थापितों की संख्या ४१४१ है जैसा कि मैंने निवेदन किया किसी भी टेण्ट में आप जाकर देख लीजिये कोई न कोई बीमार अवश्य मिलेगा।

इसके अलावा हरेक टेण्ट में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। आपने किसी को लालटेन नहीं दी। रात को बच्चों को दवा पिलाना होता है तो अन्धेरे में वे पिला नहीं सकते। आपने १६ तारीख तक तो डिस्पेन्सरी वहां खोली नहीं। पुरानी जो डिस्पेन्सरी है, वहीं पर लोग जाते हैं। दवाइयां बराबर मिलती नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं वहां से जो विस्थापित आये हैं, उनमें एक डॉक्टर भी है, पचासों ग्रेजुएट्स हैं सैकड़ों की संख्या में मैट्रिकुलेट्स हैं। जो डाक्टर हैं वह एल०एल०एम० हैं क्या आपने उस डॉक्टर की सेवाएं लेने की सोची है? और दूसरे पढ़े लिखे लोग हैं उनको आप किस प्रकार का काम देंगे इस बारे में भी सोचा है? यदि उस डाक्टर को आप सर्विस में लेते तो वह उन लोगों की ज्यादा सेवा कर सकता था।

डोल की जो व्यवस्था है, वह भी ठीक नहीं है। जिस परिवार के सदस्यों की संख्या २ है उसको चालीस रुपया, तीन वाले को पचास रुपया, पांच वाले को ६५ रुपया ६ से अधिक संख्या वाले परिवार को ७५ रुपया माहवार देते हैं।

चावल की जो वितरण की व्यवस्था है, सस्ते रेट पर ५७ पैसा पर किलो ग्राम देते हैं, इससे राहत जरूर मिली है। दो व्यक्तियों के लिये ३० किलो चावल, तीन व्यक्तियों के लिये ४५ किलो, चार व्यक्तियों के लिये ६० किलो, पांच के लिये ७५ किलो, सात वाले को १०५ किलो चावल दिया जाता है। चावल से पेट भर लेते हैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : १०५ किलो महीना नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो जानकारी मैं दे रहा हूं यही व्यवस्था है। लेकिन जो राशन दिया जाता है वह बारह तेरह रोज के अन्दर देते हैं। और इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार आज तक यह मानकर चले कि सिर्फ चावल देने से ही काम नहीं चलेगा, सब्जी और दाल भी उनको देनी होगी। उनको जो नकद पैसे देते हैं किसी परिवार को २२ रु. किसी परिवार को २४ रु. और किसी परिवार को २३ रु० देते हैं। यह जो डोल की व्यवस्था है २० रु० पर हैड यह ठीक नहीं है। जिस परिवार की सदस्य संख्या ७ है उनको आप नकद देते हैं ७५ रु०। २० रु० पर हैड के हिसाब से देते हैं यह

(श्री देवीदत्त गाड़िया-)

ोल की वितरण की व्यवस्था उचित नहीं है। जिसका परिवार ५, ७ या १० का हो, उससे उनकी उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। उनके अन्दर बीमारियां फैलें और डॉक्टर की कोई उचित व्यवस्था न हो, जब तक ओढ़ने और बिछाने की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक बीमारी की रोकथाम नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, आप औसत लगाकर देखें तो मालूम होगा। सितम्बर से लेकर नवम्बर तक इस डेढ़ महीने में ११७ बच्चे, महिलाओं की मृत्यु हुई है जो २:३ का रेशो आता है और यदि आपने इनके लिये आगे रोक नहीं लगाई तो जो इनकी संख्या १४०० है जिनमें से अधिकांश बच्चे हैं, सर्दी में मर जायेंगे। उन बच्चों के लिये न कोई दूध की व्यवस्था है, न कोई उनके लिये पौष्टिक पदार्थ की व्यवस्था की गई है। ऐसी अवस्था में बच्चे कड़ाके की सर्दी में जीवित नहीं रह सकते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का विशेष ध्यान दिलाऊंगा कि उनके ओढ़ने, बिछाने की पर्याप्त व्यवस्था करें।

आज तक, उपाध्यक्ष महोदय, आपने वहां स्कूल नहीं खोला है। बच्चों के भविष्य को अन्धकार में रख रहे हैं। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कोई स्थायी व्यवस्था न कर दें तब तक के लिये उनके वहां पर स्कूल की कोई व्यवस्था भी अवश्य की जाय।

अभी राज्य मंत्री महोदय ने कहा उनके पुर्नवास की समस्या की बात है, वह तो ठीक है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि बंगाली विस्थापितों के लिये कोटा जिले की तहसील किशनगंज है, वहां तीन कॉलोनी बसाई गई है उनमें एक कॉलोनी खाली पड़ी है। आपने जो खड्डा बताया उसमें नहीं बसा सकेंगे। चाहे गंग केनाल का एरिया हो, चाहे चम्बल केनाल का एरिया हो और चाहे किसी केनाल का एरिया हो जो खेती कर सकते हैं इनको बसाना चाहिये।

इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, बंगाली विस्थापितों ने बताया जब हम मछली पकड़ने जाते हैं तो वहां के ऑफिसर हमें मछली नहीं पकड़ते देते हैं और हमारे जाल को जब्त कर लेते हैं। मछली उनको पकड़ने देते नहीं, सब्जी और दाल उनको मिलती नहीं फिर वे अपना पेट किससे भरें, उपाध्यक्ष महोदय, ? मछली उनका मुख्य भोजन है, उनके जाल जब्त कर लिये जाते हैं इसलिये इसकी भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, बंगाली विस्थापितों का कहना है कि जब उनकी मातायें, बहिनें या बच्चे मर जाते हैं तो जलाने के लिये जाते हैं तो लकड़ी मिलती नही और कोई लकड़ी काट कर ले आता है तो उसके साथ मार पिटाई होती है। आपको उनके लिये लकड़ी की व्यवस्था करनी चाहिये। उनके परिवार के सदस्य मर जायं और उनको जलाने के लिये लकड़ी भी नही मिले, यह एक दुर्भाग्य की बात है, उपाध्यक्ष महोदय। आज जो इस प्रकार के उनमें झगड़े हो रहे हैं वे नहीं हों, मछली पकड़ने जायं तो वहां झगड़ा, मुर्दा जलाने जायं तो वहां झगड़ा। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनको मछली पकड़ने की छूट देनी चाहिये और मुर्दों को जलाने के लिये पर्याप्त लकड़ी की व्यवस्था की जानी चाहिये।

एक बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय और निवेदन करूंगा। आज जो उन के शौचालय हैं—

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

आज के करीब ४-५ दिन पहले मंत्री महोदय ने पूर्ण वक्तव्य देने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी लेकिन अब तो उनको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। उनके शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ४-४ फुट के गहरे खड्डे खुदवा दिये गये हैं, और उनमें दो दो ईंटें लगा दी गई हैं जो बिल्कुल अपर्याप्त है। उनमें सफाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, रोशनी की व्यवस्था नहीं है। इधर उनका टेन्ट लग रहा है, तो एक फर्लांग दूर जाकर उनकी रसोई है। उनको अपना भोजन बनाने में काफी दिक्कतें आती हैं। रसोई की ठीक व्यवस्था होनी चाहिये। इस तरह, उपाध्यक्ष महोदय, लकड़ी की, कोयले की, पानी की उनको व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका भाषण समाप्त करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह जो बीमारी फैल रही है उसके लिये कोई डिस्पेन्सरी की व्यवस्था नहीं है। जब तक आप डिस्पेन्सरी नहीं लगायेंगे और वहां का जो डॉक्टर है उसकी सर्विसेज नहीं लेंगे तो यह बीमारी रुकने वाली नहीं है।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्षजी मंत्री महोदय कब जवाब देंगे? माननीय गाड़ियाजी....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कर रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी की जानकारी के लिये यह कहना चाहता हूं कि यह ४१४१ व्यक्ति और २९७ परिवार आये हैं। उनमें किस-किस जाति के हैं शायद आपकी जानकारी में नहीं हो लेकिन मैं कहना चाहता हूं ४१४१ व्यक्तियों में से ४००० व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के हैं जो बंगाल में निवोसूद्र कहलाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को तो आप और भी अधिक सुविधायें दे सकते हैं। चाहे समाज कल्याण से दिलवायें और चाहे किसी भी विभाग से उनको सहायता दिलवायें लेकिन उनको सहायता अनुसूचित जाति होने के नाते भी मिलनी चाहिये। अगर, उपाध्यक्ष महोदय, उनको सर्दी से बचाना चाहते हैं, इस कड़कड़ाती ठण्ड से बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनमें बीमारी न फैलें तो उनको सर्दी से बचने के लिये पर्याप्त गर्म कपड़े दें। उनके पास गर्म कपड़ों की कोई व्यवस्था नहीं है और मेहतरों की सफाई की व्यवस्था नहीं करेंगे तो उनमें अनेक बीमारियां, डायरिया, पेचिश और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियां फैल जायेंगी। अगर उनकी रोक नहीं लगायेंगे तो कई बच्चे मर जायेंगे और बच्चों के साथ बूढ़े भी मरेंगे। इसलिये मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि उनको अनुसूचित जाति के होने के नाते....

श्री उपाध्यक्ष : यह कह चुके हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अधिक से अधिक सहायता मिलनी चाहिये इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो विस्थापितों

Page No 10

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

को सुविधायें दी जा रही हैं वह भारत सरकार के नार्म्स के अनुसार दी जाती है। ओढ़ने, बिछाने के लिये और कपड़े वगैरह के लिये खास तौर से ठंड के मौसम को देखते हुये अगर कुछ कमी होगी तो हम रीलीफ फण्ड से ५० हजार इस बात के लिये सैंक्शन कर देंगे ताकि उनमें ठण्ड से बचने के लिये और चीजें दी जा सके और बच्चों की संख्या के अनुसार, कुछ नियमों के अनुसार रिलिजियस राइट्स के लिये पांच हजार और दे देंगे ताकि उनके रीलिजियस राइट्स में मदद कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव!

श्री देवीदत्त गाड़िया : स्कूल की व्यवस्था के लिये क्या करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : वह उत्तर आ चुका है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बकानी पंचायत के नया गांव के कुछ व्यक्तियों को अकारण परेशान करने बाबत।

श्री विट्ठल भाई!

श्री रामप्रसाद बोहरा!

श्री जुझारसिंह!

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, बकानी पंचायत में वहां के नया गांव के कुछ व्यक्तियों को पुलिस द्वारा अकारण परेशान करने के बाबत मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में पिछले आम चुनावों के बाद से इस तरह का रवैया हो गया है कि कांग्रेस पार्टी बिलकुल चुनावों में हार चुकी है, एक तरह से प्रभावहीन हो गई है वहां पर इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है और राज्य कर्मचारियों को जो विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको समय-समय पर परेशान किया जाता रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक मांग-पत्र दिया है।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय गृह मंत्रीजी को जो ये अनियमिततायें होती जा रही हैं उनके बारे में लिखा है पिछले ५-६ महीने के अन्दर और उनका कोई सन्तोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुवा है। इसी तरह से दूसरे विभाग हैं, दूसरे मंत्री लोग हैं, उनकी ओर से भी समय-समय पर राजनैतिक परेशानियां विरोधी लोगों को दी जारही हैं, मैं भी लिखता रहा हूं लेकिन अभी वह प्रस्ताव इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बन्धित नहीं है इसलिये मैं केवल पुलिस विभाग के बारे में ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा...

उपाध्यक्ष महोदय, वहां के जो बलबद्दलू मंत्री हैं उनका रवैया तो यह रहा है कि आज २०-२१ दिन विधान सभा को चलते हो गये हैं आपने उनको अभी तक नहीं देखा होगा। उनका एक काम यह है कि वह झालावाड़ जिले में बैठे रहते हैं और वहां का जो डाक बंगला है, वह परमानेन्टली उनके लिये रिजर्व है और वहां बैठे-बैठे राज्य कर्मचारियों की मार्फत जो भी विरोधी होता है उसको परेशान करते रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बकानी में जो पंचायत समिति है वहां के प्रधान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। पिछले टाइम में वह विधान सभा

(श्री जुझारसिंह)

के सदस्य भी थे उनकी परिस्थिति इस क्षेत्र में बिगड़ती जा रही है और अपनी पोजीशन को बनाने के लिये पिछले दिनों में जब म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव हुए तो वहां पर बहुत से मंत्री लोग पहुँचे । उस टाइम पर इन मंत्रियों को इस बात के लिये उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरे खिलाफ गूजरों की आबादी ज्यादा है और वहां पर गूजर पापुलेशन है और उनमें से एक-दो जो प्रभावशाली आदमी थे उन्होंने उस टाइम पर जीपें ले ली हैं और वह प्रधान का चुनाव लड़ने के उम्मीदवार थे। इस तरह की जानकारी वहां के जो मौजूदा प्रधान हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री सम्पतराज जैन उनको ऐसा आभास हुआ । उनको पहले जिन व्यक्तियों से डर था उनको उन्होंने बुलाया, डराया और धमकाया और कहा कि मेरे खिलाफ चुनाव लड़ोगे तो इस तरह की परेशानी उठानी पड़ेगी लेकिन उन्हें एश्योरेन्स नहीं मिलने के बाद जब मंत्री पहुँचे तो उनके समक्ष भी यही प्रश्न रखा गया। अब इस बात को उपाध्यक्षजी, ये यह मन्त्री लोग मन्जूर नहीं करेंगे लेकिन मेरे पास उन तारीखों में जब पुलिस द्वारा एक्शन नहीं लिया गया था, उन तारीखों में एक पत्र प्राप्त हुआ उसमें उन्होंने लिखा कि इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है और हम लोगों को चुनाव से वंचित करने के लिये हमारे खिलाफ कोई एक्शन लिया जाने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस टाइम पर तो विश्वास नहीं किया लेकिन मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ कि वास्तव में सुजानसिंह, ओंकारलाल के लड़के, ओंकारलाल, वहां के गूजर सरपंच हैं और अभी पंचायत समिति, बकानी के उप-प्रधान हैं उनके खिलाफ बन्दूकों का झूठा बता कर के कि यह आदमी यहां आतंक फैला रहा है और यहां इस तरह की गड़बड़ियां की हैं और यह डैंजरस आदमी है उसकी बन्दूक का लाइसेन्स जप्त करने को कार्यवाही की गयी । बेरागढ़ के पास दूसरा गांव है उसके पटेल अमीरलाल की भी बन्दूक जबरदस्ती जप्त की गयी और उसके लिये पुलिस के डी० एस० पी० अकलेरा से उनके यहां पहुँचे और २१ तारीख को बैठाकर अकलेरा लाये और कोर्ट में पहुँच गये । उस दिन तो कोई एक्शन नहीं हुआ लेकिन वापस घर पर पहुँचे तो दुबारा पुलिस वाले घर पर पहुँचे और सुजानसिंह और अमरलाल की २५ तारीख को बन्दूक जप्त करली और रोशनसिंह जो कि इनकी बिरादरी का है और रिश्तेदार है और ओंकारलाल उप-प्रधान के भाई का लड़का है इनकी आपसी रंजिश पिछले ७-८ साल से है तो रोशनसिंह जिसके नाम से सम्पतराज जैन ने दरख्वास्त दिलाई और यह सात-आठ साल से बाहर रह रहा है, एक बेरागढ़ का नाई है उसके खिलाफ कई मुकदमें पुलिस में दर्ज हैं और उसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है उसकी मार्फत अर्जी दिलाई गई है। उसकी ओंकारलाल और उसके लड़के और अमरलाल पटेल की वर्षों से रंजिश थी यह कोई नई रंजिश नहीं है और सुजानसिंह जिसकी बन्दूक जप्त की गई है इस आदमी को पिछली साल में १९६९ में ही बन्दूक का लाइसेन्स दिया गया है। उसके करेक्टर को पुलिस ने सर्टीफाई किया है और मजिस्ट्रेट ने ६ महीने पहले ही १२ बोर की बन्दूक का लाइसेन्स इश्यू किया है—इन ६ महीने में ऐसा कोई काण्ड नहीं हुआ कि जिसकी वजह से इसको बैड करेक्टर डिक्लेयर किया जाता । अगर सुजानसिंह में कोई खराबी थी, अगर रोशनसिंह के कहने के ऊपर एक्शन लिया जाने

(श्री जुझारसिंह)

वाला था तो रोशनसिंह से इनका झगड़ा वर्षों से है लेकिन आज से ६ महीने पहले इनको पता नहीं था कि पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं या इतनी जल्दी चुनाव होने वाले हैं और सुजानसिंह ने जीप ली, और उनको भय था कि अगर मेरे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा हो गया—इसलिये उस समय तक पुलिस को सुजानसिंह के करेक्टर के बारे में, उसकी एक्टीविटीज के बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया बल्कि उसको सर्टिफिकेट दिया और पुलिस की रिकमन्डेशन के ऊपर उसको ६ महीने पहले १२ बोर बन्दूक का लाइसेन्स इश्यू हुआ और ६ महीने के बाद जब कि उम्मीदवार की हैसियत से कांग्रेस अध्यक्ष के मुकाबले में खड़ा होने वाला है ऐसा उनको महसूस हुआ तो उनकी बन्दूक ड्रामेटिक वे में और जनता में फीलिंग्स क्रियेट करवाने के लिये, कोई आदमी हमारा विरोध करने के लिये खड़ा होता है तो उसके साथ यह व्यवहार कर सकते हैं, एक एटमास्फीयर क्रियेट करने के लिए पुलिस का बारबार में जाना और उनका बुलाना और बन्दूक को जप्त कराना और ६ महीने तक लाइसेन्स जप्त कर देना—यह वहां की एक्टिविटीज हैं। इसलिये मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि और मंत्री महोदय को मालूम है कि इस तरह की एक्टिविटीज कोई स्ट्रे इन्सटान्स नहीं हैं, ऐसी हरकतें झालावाड़ जिले में बराबर हो रही हैं। यहां के जो उप मंत्री हैं वह भी पोलिटिकल आधार पर लोगों को परेशान करते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री जुझारसिंह : इसी से पोलिटिकल विक्टोमाईजेशन की बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी नहीं है।

श्री जुझारसिंह : मैं दूसरे में दे चुका हूं। मंत्री महोदय को मालूम है क्योंकि मैंने उनको लिखा है एक आदमी को जमीन पर खेती करते हुए जबरदस्ती पुलिस को वहां भेजना और उसके खेत पर हल चलवा देना सिर्फ इसलिये कि उसको हरेस करना था इस तरह की हरकतें हो रही हैं। अभी भी मैंने मंत्री महोदय को पत्र लिखा था उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। बानोर एक जगह है उसमें पोलिटिकल मर्डर हुआ है। ३० तारीख को एक आदमी मारा गया। यहां के कन्हैयालाल पटेल है....

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दो का ही नाम लिया था बकानी और बेरागढ़ और नया गांव।

श्री जुझारसिंह : मैं बताना चाहता हूं कि पोलिटिकल कन्सीड्रेशन से मर्डर किये जाते हैं ३० तारीख को एक आदमी मारा गया....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस प्रकार से आरोप लगायेंगे तो उसका उत्तर प्राप्त नहीं हो सकेगा।

श्री जुझारसिंह : सब जगह है ऐसा वातावरण क्योंकि इनके खिलाफ कार्यकर्ताओं में और जनता में निष्ठा नहीं है इसलिये वहां का सारा कार्यक्रम राज्य कर्मचारियों के

(श्री जुझारसिंह)
द्वारा चलाया जा रहा है और पुलिस का आतंक बनाया जा रहा है, इसके ऊपर मैं मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा....

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : कुछ नयी बात हो तो कहें क्योंकि कुछ तथ्य सामने आ चुके हैं।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : बोलने तो दीजिये उसके बाद में मालूम हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बता रहा हूं।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले आम चुनावों में हमारे झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी पिट चुकी है और पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के चुनावों को लें चाहे विधान सभा के चुनावो को लें, सारी जगह कांग्रेस पार्टी पिट चुकी है और आज भी झालावाड़ जिले को वही स्थिति है। कांग्रेस की बड़ी दयनीय स्थिति है और इनके सामने समस्या है कि झालावाड़ जिले में कांग्रेस को कैसे लाया जाये। इनका जनता के हित का कोई प्रोग्राम नहीं। इनका एक काम यह है कि राज्य कर्मचारियों का दुरुपयोग किस तरह से कांग्रेस की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया जाय। पिछले दिनों जब यह चर्चा थी कि पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं तो उसके सिलसिले में म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव के सिलसिले में ४ अक्तूबर को माननीय मुख्य मंत्रीजी झालावाड़ में पधारे....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : माननीय उपाध्यक्षजी, यह म्युनिसिपल चुनावों में हार चुके हैं।

श्री जुझारसिंह : कौन हार गया वहां ?

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : यह तो आपको आने वाले चुनावों में मालूम हो जायेगा कि ये हारे हैं या जीते हैं।

इसके सामने....

श्री गिरधारीलाल व्यास : अपने आप जनता कर देगी।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, चीफ ह्विप महोदय।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : ४ अक्तूबर को माननीय मुख्य मन्त्रीजी झालावाड़ पधारे और वहां पर कांग्रेस वालों की मिटिंग हुई और मिटिंग होने के बाद इन लोगों ने इस तरह से योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया। विरोधियों को किसी प्रकार के कार्यक्रम मे वे अब आकर्षित नहीं कर सकते हैं तो उनके सामने यही विकल्प था कि सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जाय और सरकारी अधिकारियों के जरिये राजनैतिक व्यक्तियों को दबाया जाय। बकानी पंचायत समिति के प्रधान, दूसरे लोगों की मेहरबानी से जीते थे। झालावाड़ जिले में चार पंचायत समितियों के प्रधान हैं वे विरोधी दलों के प्रधान हैं। पांच जीते थे लेकिन इनमें से एक ने दल बदल लिया और वे डिप्टी मिनिस्टर हो गये। चार विरोधी दल के हैं। आज वहां पर इनकी हालत अच्छी नहीं हैं। इसके आधार पर राजनैतिक व्यक्तियों को डाउन करने के लिए इस

Page No 14

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

प्रकार के निम्न हथकण्डे अख्त्यार किये हैं। सुजानसिंह जिसके बारे में मेरे से पूर्ववक्ता ने कहा वे बैरागढ़ के रहने वाले हैं, और वे प्रधान हैं और प्रधान के लिए आगे भी उम्मीदवार हैं तो उनको दबाने के लिए झूठा इल्जाम लगाया गया है। डिप्टी मिनिस्टर ने एस० पी० को कहा और एस० पी० ने डी० वाई० एस० पी० को कहा और डी० वाई० एस० पी० ने इन्सपेक्टर और थानेदार को कहा। मैं राज्य गृह मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की बन्दूक जप्त करने के लिए पुलिस ने आॅर्डर किया तो क्या उसके खिलाफ किसी प्रकार का केस पुलिस ने इन्स्टीट्यूट किया है? मेरे खयाल से आपके पुलिस के एस० पी० और डी० वाई० एस० पी० के पास इस बात के सबूत नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के एस० डी० ओ० का तबादला इन दिनों डूंगरपुर हो चुका है और उन एस० डी० ओ० के पास में इनके मुकद्दमें चल रहे थे तो उन एस० डी० ओ० को कन्हैयालाल पटेल की मार्फत जो कि डिप्टी मिनिस्टर हैं यह टेलीफोन किया गया कि यदि इनके लाइसेन्स केन्सिल नहीं किये गये तो तुम्हारा तबादला डूंगरपुर कर दिया जायगा, नहीं तो तबादला यही पर रुक जायगा। डिप्टी मिनिस्टर ने एस० डी० ओ० को इस बात का टेलीफोन किया कि काले का सफेद करो। काश्तकारों में जमीन के बंटवारे के लिए कई झगड़े हो सकते हैं। उनकी तो शिकायतें नहीं होती हैं लेकिन उस व्यक्ति की शिकायत होती है जो कि विरोध करें।

काश्तकारों को अपनी पैदावार के गल्ले का लाइसेन्स नहीं लेने की आवश्यकता है। डिप्टी मिनिस्टर ने एस० डी० ओ० को फोन किया कि उनका गल्ला जप्त करो। गल्ले का लाइसेन्स उस व्यक्ति को लेने की आवश्यकता होती है जो गल्ले का व्यापार करे। लेकिन उन्होंने फोन किया कि इसका गल्ला जप्त करो। मेरी एस० डी० ओ० से इस सम्बन्ध में बातचीत हुई है। माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रकार के हथकण्डे एक सभ्य सरकार के लिए, एक लोकतन्त्रीय सरकार के लिए शोभाजनक नहीं हो सकते हैं कि उनकी बन्दूकें जप्त करो, उनका गल्ला जप्त करो। मैं माननीय गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से झालावाड़ में गुण्डे लोग लड़कियों के साथ में छेड़खानी करते हैं, जो वहां पर मूर्तियों की तस्करी की जाती है, अफीम की तस्करी करने वाले लोग हैं, जब कि वहां पर डी० वाई० एस० पी० और एस० डी० ओ० का हैडक्वार्टर मौजूद हैं, कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मैंने इसके बारे में माननीय गृह मन्त्रीजी को टेलिफोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद में भी बन्दूकों के लाइसेन्स के बारे में पोलिटिकल मोटिव से उनको दबा रहे हैं।

दूसरी स्थिति, माननीय उपाध्यक्ष, झालावाड़ जिले की यह है कि इन दल बदलू मिनिस्टर के पास में कोई काम नहीं है। इन्हें सिर्फ एक बात की मोनोपोली दी गई है कि वे अन्धाधुन्ध तबादले करायें और जिस पर चाहें उस पर पोलिटिकल प्रेशर लायें। म्युनिसिपैलिटियों के चुनावों के दिनों में जनसंघ का एक खान का ठेकेदार इलेक्शन में जिता तो इलेक्शन में जीतने के बाद में उसको दबाया गया।

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

रामगंज मण्डी से थान इन्सपेक्टर को बुलाया और उसकी मार्फत उस पर इस बात का दबाव डाला। माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब ने उसको बुलाया और उससे कहा कि उस ठेकेदार को मेरे पास बुला दो। ठेकेदार उनके पास में आया। माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब उसको अपनी जीप में बैठा कर डाक बंगले ले गये। जब जनसंघ के लोगों को मालूम हुआ कि उसको डिप्टी मिनिस्टर साहब ले गये हैं तो लोग मोटर साइकलों पर भागे और वहां पर डाक बंगले को घेर लिया। डिप्टी मिनिस्टर साहब ने एस० पी० को फोन किया कि उनको घेर लिया है। मन्त्री पद के स्तर से गिरकर काम करेंगे तो लोग उन पर जूते फेंकेंगे ही और उस वक्त वे पुलिस की इमदाद लेने क्यों आते हैं। आप इस प्रकार के गन्दे हथकन्डे क्यों अपनाते हैं। आप जीतिये अपनी पार्टी के बल पर। लेकिन इस प्रकार की बातें किसी भी राज्य के लिए सभ्य नहीं है। इस तरह के हथकण्डे अख्त्यार करके विरोधी दलों को दबाना चाहते हैं तो मैं माननीय गृह मन्त्रीजी से बड़े अदब के साथ में अर्ज करना चाहता हूं कि वे जिन मशीनों के जरिये से अपनी पार्टी का काम कराना चाहते हैं उनको रोक लें और माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब को रोकें कि चुनावों में इस प्रकार के गिरे हुए हथकण्डे नहीं अपनायें, नहीं तो यह आग बढ़ेगी और लोग इस बात के लिए आपका सामना करेंगे। अगर आपको यह भ्रम है कि इस तरह से विरोधियों को दबाया जा सकता है तो वह केवल भ्रम ही है। आप जितना ही दबायेंगे, उन लोगों को उत्तेजना मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मन्त्रीजी।

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्यमंत्री, गृह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जुझारसिंहजी और माननीय श्री विट्ठलप्रसादजी ने झालावाड़ जिले में बैरागढ़ और नया गांव के सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहां पर रखा। उस सम्बन्ध में कुछ तथ्य उन्होंने अभी सदन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ भी बात उन्होंने यहां पर कही है पोलिटिकल विक्टोमाइजेशन करते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तथ्य इस प्रकार के नहीं है। आपने जो कुछ कहा है वह तथ्यों पर आधारित नहीं है केवल कन्हैयालाल पटेल जो कि डिप्टी मिनिस्टर हैं वे झालावाड़ जिले के हैं और आपकी विरोधी पार्टी के हैं।

श्री जुझारसिंह : वे तो हमारी पार्टी के थे।

श्री विजयसिंह (मकराना) : वे हमारी पार्टी के थे, और दलबदलू हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : उनको कमजोर करने की दृष्टि से, जनता में उनके बारे में दूसरे प्रकार का वातावरण पैदा करने के लिए कहा गया है।

जिन व्यक्तियों को बन्दूकें जप्त करने की, जिनके आर्म्स के लाइसेन्स सस्पैण्ड करने की बात कही गई है उनके तथ्य और प्रकार के हैं। जो बैरागढ़ के सरपंच हैं उनके लड़के सुजानसिंह व रायसिंह और उनके साथ ३-४ व्यक्तियों का गिरोह बना हुआ है, जिन्होंने इस क्षेत्र के अन्दर आतंक फैला रखा है। केवल आपने नाम बताया है रोशनसिंह का रामलाल और दूसरा है। रोशनसिंह और रामलाल दोनों के अलग-अलग प्रार्थना-पत्र पुलिस के पास प्राप्त हुए और

Page No 16

(श्री हीरालाल देवपुरा)

स्पष्टतः उन्होंने बताया है कि इन लोगों ने उनको जान से मारने की धमकी दी है, बन्दूक से मार डालने की धमकी दी है, और इसके मारे अपना घरबार छोड़ कर दूसरे गांव में रिश्तेदारों के यहां रहना पड़ रहा है। इन दो व्यक्तियों के अलावा तीन और भील हैं उनके साथ में यह हरकत की गई है। रोशनसिंह दादिया गांव का रहने वाला है। वह गांव बदल कर, अपनी जमीन छोड़कर अपने मामा के यहां सेमली नाम के गांव चला गया। रामलाल जो बैरागढ़ का रहने वाला है उनके साथ में हरकत की गई। वह भी अपना घरबार छोड़कर, अपनी जमीनें छोड़कर दूसरों के यहां अपने रिश्तेदारों के यहां रह रहा है। इसी प्रकार से वे तीन भील हैं जो अपना घरबार छोड़-कर चले गये। आज ये लोग अपनी जमीनों पर खेती नहीं कर सकते हैं। जमीनों पर खेती करने जाते है तो मारने का भय बताते हैं और उनकी जमीनें हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। रोशनसिंह औंकार-लाल का भतीजा और छोटे भाई ने शिकायत की है तो उनकी शिकायतें कोई पोलिटिकल मोटिव से की गई शिकायतें हों ऐसी स्थिति नहीं है। उनकी फेमिली का झगड़ा है। इसी औंकारलाल के नारायणलाल नाम का लड़का था जिसको औंकारलाल ने अपनी तरफ से वह करवाया। रोशनसिंह व नारायणलाल के आपस में ताल्लुकात अच्छे थे। रोशनसिंह नारायणलाल के मुकदमे के अन्दर गवाही देने गया हुआ था। इसकी वजह से उसको तंग किया जा रहा है। जब इनको आर्म्स की इजाजत दी गई थी तब पुलिस के सामने फैक्ट्स नहीं आये और पुलिस ने इनको आर्म्स देने की सिफारिश की, लेकिन ज्योंही ये फैक्ट्स सामने आये कि इस प्रकार से लोगों को तंग किया जा रहा है तो पुलिस के सामने यह जरूरी था कि उनके खिलाफ कार्यवाही करे तो उनकी गलत कार्यवाहियों के कारण १०७ का इस्तगासा अदालत में पेश किया गया। एस० डी० एम० कोर्ट में यह निवेदन किया गया था कि इनके आर्म्स लाइसेन्स सस्पेण्ड किये जायें। अदालत के आदेशों से आर्म्स लाइसेन्स जब्त किये गये हैं। इसके लिए यह कहना तथ्यहीन और आधारहीन है। तथ्य आपके सामने हैं। आज कांग्रेस की स्थिति झालावाड़ जिले में क्या है? उसके बारे में यह कहना कि दल बदल कर बाहर गये है। महाराजा हरिश्चन्द्र दल बदलने से पहले कांग्रेस में थे। आप पदों की बात करते हैं। पहले वह कांग्रेस में थे। आज वहां की क्या स्थिति है? जो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुये हैं, वहां पर किस प्रकार को स्थिति है?

श्री विजयसिंह : उन्होंने चुनाव के पहले पार्टी छोड़ी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसी लिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह तथ्यों के परे है कि कांग्रेस पोलिटिकल विक्टीमाइजेशन करना चाहती है। इसलिये जो कुछ भी कार्यवाही है, औंकारलाल, सुजानसिंह, रायसिंह ये तीन चार आदमी हैं, उनके सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई है, वह तथ्यों के आधार पर की गई है। इस बात के लिये वहीं की स्थिति आग्रह करती थी कि वहां शान्ति और व्यवस्था को कायम रखने के लिए अगर पुलिस को कार्यवाही करनी होगी तो वह करेगी। लाइसेन्स भी जब्त करने होंगे। लाइसेन्स को सस्पेण्ड

Page No 17

(श्री हीरालाल देवपुरा)
भी करना होगा। जो वस्तु स्थिति है उसको देखते हुए शान्ति और व्यवस्था बनी रहे, इसमें आप भी सहयोग देवें। आप भी उसी प्रकार का प्रयत्न करें। वहां शान्ति और व्यवस्था कायम रहे, यही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! प्रश्न नहीं होंगे।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: उपाध्यक्ष महोदय....

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये गलत बात कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे।

श्री जुझारसिंह : एक दो प्रश्न ही उपाध्यक्ष महोदय, जरूरी हो जाये तभी पूछता हूं। ये रोशनसिंह और ओंकारलाल के झगड़े की यह स्थिति है कि उनका वर्षों से झगड़ा है। सेवनी गांव में जो रोशनसिंह रह रहा है, वह वहां ४ साल से रह रहा है। इसलिये ओंकारलाल के लड़के को जो लाइसेन्स दिया गया है वह अभी ६ महीने पहले ही दिया गया है। यह नया झगड़ा नहीं है। रोशनसिंह वर्षों से वहां रह रहा है। अभी चुनाव के समय में आपको लाइसेन्स जब्त करने की क्या नौबत आ गई ? रोशनसिंह का झगड़ा चल रहा है। उसने कई दरख्वास्तें दी हैं। ओंकारलाल ने अपने लड़के को कत्ल किया है, यह दरख्वास्त दी गई है। इसलिये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि चार वर्ष से उस झगड़े का आपने कोई नोटिस नहीं लिया। ६ महीने पहले रोशनसिंह जिसकी शिकायत कर रहा था उसको लाइसेन्स दिया। ६ महीने में ही ये बातें पैदा क्यों हो गई हैं ?

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि राज्यगृह मंत्रीजी ने कहा है, कि उसका कत्ल किया गया है। जिसको कभी माना नहीं जा सकता है। कोई बाप अपने लड़के को कत्ल कर सकता है ? वह उसका खुद का बेटा था। उसने अपने लड़के को ही कत्ल कर दिया ? आप तथ्यों को क्यों तोड़मरोड़ रहे हैं ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मुकदमा चला था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने तो वास्तविकता देख रखी है। तोड़मरोड़ आप कर रहे हैं। आये दिन जो हरकतें हुई हैं, उनके आधार पर यह कार्यवाही की गई है।

श्री नत्थीसिंह : यह मुकदमे का फैसला कब हुआ है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आर्म्स लाइसेंस को जब्त करने की सस्पेण्ड करने की बात आप यहां पर कह रहे हो। अगर यह बात सही समझते हो तो उसकी अपील होती है, उससे केस करवा दीजिये। उसमें दिक्कत क्या है ?

श्री जुझारसिंह : आप को चुनाव के समय ही यह करना था ?

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : आप इल्लीगल कार्यवाही करेंगे ? वहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हम से समझौता कर लो। अगर तुम कहो कि हम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो....

श्री हीरालाल देवपुरा : यह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर! स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं:—

(१) श्री मनोहरसिंह मेहता, सदस्य विधान सभा, ने मांडलगढ़ क्षेत्र में बनास, बेड़च, मैनाली व कोठारी नदियां होने पर भी बिजली के अभाव में पानी का उपयोग न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(२) श्री रामचन्द्र आर्य व श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य विधान सभा, ने जिला गंगानगर के कस्बा रावतसर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जाय। अतः इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गयी है।

इनके अतिरिक्त विचाराधीन स्थगन प्रस्तावों पर निर्णय लिये गये हैं। ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

(१) जैसलमेर जिले के कई गांवों में पेय जल के संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बालसिंह सोढ़ा व श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(२) बारां तहसील के कई गांवों की करीब ८,००० बीघा जमीन में पार्वती नदी की नहर का पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री देवीदत्त गाड़िया द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(३) जिला बून्दी, तहसील नैनवा में एक बांध के सम्बन्ध में श्री केशरीसिंह हाड़ा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(४) तहसील किशनगन्ज, शाहाबाद, अटरू एवं बारां क्षेत्र में निर्मित बोगस एवं सहकारी फार्मिंग सोसाइटी की भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में श्री देवीदत्त गाड़िया द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(५) तहसील नोहर के ग्राम कैलासर में हरिजनों की खड़ी फसल कुड़क करने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(६) भीलवाड़ा जिले में सिंचाई विभाग के माध्यम से चल रहे अकाल राहत कार्यों में लाखों रुपयों के गबन के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(७) नोहर कस्बे में पेय जल की अव्यवस्था के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(८) ग्राम खजोना, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा के एक व्यक्ति की हत्या के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा केस खराब किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मनोहरसिंह मेहता द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(९) श्री गंगानगर में राजस्थान स्टेट रोडवेज कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के नोटिस से उत्पन्न स्थिति के

Page No 19

(श्री उपाध्यक्ष)
सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा, द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(१०) राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष द्वारा की गयी कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(११) अध्यक्ष राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर जमीन और बावड़ी पर नाजायज कब्जा करने के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा, द्वारा स्थगन प्रस्ताव....

श्री विजयसिंह : आज आया है।

श्री उपाध्यक्ष : (१२) जैसलमेर स्थित फील्ड फायरिंग रेंज के क्षेत्र के मामले को लेकर राज्य व केन्द्र सरकार के बीच में चल रहे विवाद के सम्बन्ध में श्री बालसिंह सोढ़ा व श्री पृथ्वीसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(१३) सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन चुनाव याचिका की पैरवी करने के सम्बन्ध में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(१४) सिलेक्शन ग्रेड आर० ए० एस० की पदोन्नति की जाकर आई० ए० एस० कोटा में लेने के सम्बन्ध में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

इन स्थगन प्रस्तावों में ऐसे तथ्य नहीं हैं जिनसे कि इनको अविलम्बनीय लोक महत्व का माना जाय। अतः इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई है।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : इन स्थगन प्रस्तावों पर आगे चर्चा नहीं होगी।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा था...

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह !

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव, जो मकराना पंचायत समिति के अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिली है, उसके सम्बन्ध में था....

श्री उपाध्यक्ष : आज मेरे खयाल से समय के बाद प्रस्तुत हुआ है।

श्री विजयसिंह : १०.३० बजे दिया था, उसके बाद समय खत्म होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दस बजे।

श्री विजयसिंह : दस बजे तक था, यह मुझे पता नहीं था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगली बार पता रखिये।

श्री विजयसिंह : मैं कल वॉक आउट करके चला गया था। इसलिए मुझे पता नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा था उसका जो हैडिंग पढ़ कर व्यवस्था दी गई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है, वैसी मेरे स्थगन प्रस्ताव की भावना नहीं थी, उसका दिग्दर्शन नहीं था। मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा था वह सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव याचिका के सम्बन्ध में नहीं रखा था। मैंने जो स्थगन प्रस्ताव में तथ्य अंकित किया है, वह यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में राज्य के मुख्य मंत्री, श्री मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध जो चुनाव याचिका चल रही है उनकी पैरवी करने के लिए, निःशुल्क पैरवी करने के लिए श्री मोहन-कुमारमंगलम है, वह उसकी निःशुल्क पैरवी कर रहे हैं और उनको कम्पेन्सेट करने के लिए पब्लिक फण्ड से पैसा देने के लिए उनको सरकारी मुकदमों में राज्य सरकार ने अपनी तरफ से पैरवी करने के लिए नियुक्त किया है। जो मुख्यमंत्री के विरुद्ध चुनाव याचिका में निःशुल्क पैरवी कर रहे हैं उनको राज्य सरकार इस प्रकार से कम्पेन्सेट करें, यह पब्लिक फण्ड का मिसयूज है, और इस ग्रोस मिसयूज ऑफ पब्लिक फण्ड को लेकर मैंने एतराज उठाया है। वह अपना किसी को वकील मुकर्रर करें, उसमें मुझे एतराज नहीं हो सकता, मुझे एतराज इस बात का है नहीं। मुख्यमंत्री जो श्री महोन कुमारमंगलम को अपना वकील नियुक्त करें, इससे मुझे एतराज नहीं है। मुझे एतराज है कि सार्वजनिक कोष से श्री मोहन कुमारमंगलम को कम्पेन्सेट कर रही है। राज्य सरकार इस बात को जानती है कि सरकारी मुकदमों की पैरवी करने के लिए स्टेंडिंग कौंसिल जो बनी हुई है उसमें से वकील ले सकती है और लॉ डिपार्टमेंट के रूल्स हैं उनके अनुसार सरकारी मुकदमों की पैरवी करने के लिए एडवोकेट जनरल को जाना पड़ता है और वह जाते हैं। लेकिन राज्य सरकार की ओर से एक स्पेशल तरीके से एडवोकेट को रखना, मुकर्रर करना और इस प्रकार से पारिश्रमिक के रूप में पब्लिक फण्ड से पैसा देना, उनसे कान्ट्रेक्ट करना आपत्तिजनक है। चुनाव याचिका में उनको वकील करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है और न मैंने इस प्रश्न को व्यक्तिगत तौर पर उठाया है। यह पब्लिक इन्ट्रेस्ट का प्रश्न है। इस प्रकार से मुख्य मंत्री द्वारा अपने पर्सनल केस में निःशुल्क पैरवी करने के एवज में सार्वजनिक कोष से उनको कम्पेन्सेट करना आपत्तिजनक है और वही प्रश्न मैंने उठाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में राज्य सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री भी चाहेंगे कोई न कोई स्पष्टीकरण हो जिससे जनता में भी इस प्रकार का भ्रम नहीं रहे। तो भ्रम निवारण की दृष्टि से, जो उनके स्वयं के लिए आवश्यक है और इस सदन के लिए भी आवश्यक है, मैंने इस ओर अटेन्शन ड्रॉ की है। आज जनता में इस प्रकार की धारणा बनी है कि मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध चुनाव याचिका में श्री मोहन कुमारमंगलम पैरवी कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट उनको कम्पेन्सेट कर रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष जी, मैं नहीं जानता कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को यह कहां से सूचना प्राप्त हुई कि जो श्री कुमारमंगलम, लीडिंग एडवोकेट हैं उनको निःशुल्क मेरी पिटीशन में मुकर्रर किया गया है। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सदन के सभी सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि जो यूजुअल टर्म्स सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के लिए होती हैं उन्ही टर्म्स पर वह मेरे केस के अन्दर भी

Page No 21

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वहां पर काम कर रहे हैं। यह निःशुल्क वाली बात निराधार है। इसके अन्दर तथ्य नहीं है। इसलिए यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। फिर वह लीडिंग एडवोकेट हैं और मेरी पिटीशन में भी उसी लिहाज से वह वकील हैं, और उसी लिहाज से गवर्नमेंट का केस भी दिया जाय, तो मैं नहीं समझता हूं कि इन दोनों चीजों को जोड़ा जा सकता है। माननीय सदस्य स्वयं एडवोकेट हैं, मैं समझता हूं, जब मैंने यह बात स्पष्ट कर दी है तो उसके बाद ऐसा कहने का कोई कारण नहीं बनता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है कि उन्होंने युजुअल टर्म्स के अनुसार श्री मोहन कुमारमंगलम् को एडवोकेट मुकर्रर किया है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उन्हें किसी को भी एडवोकेट मुकर्रर करने का अधिकार है और मैंने यह स्पष्ट भी किया था, आप जिसको चाहें उसको कर सकते हैं और उसमें किसी को ऐतराज नहीं हो सकता कि किसको वकील किया जाय, किसको नहीं किया जाय। मेरी आपत्ति इस सिलसिले में यह थी कि जब आपकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई उसके पहले श्री मोहन कुमारमंगलम को क्या कोई सरकारी केस दिया गया? मैं सुप्रीमकोर्ट में कल जाकर आया हूं, मैंने जानकारी की है, कल मैं वहां पर था। श्री मोहनकुमारमंगलम को प्रिवीपर्स के मामले में राजस्थान गवर्नमेन्ट की तरफ से एडवोकेट अपाइन्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जब प्रिवीपर्स के सम्बन्ध में बहस हो रही थी उस समय उन्होंने कहा I represent the States of Kerala & Rajasthan. इस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि स्टेट को सुनने का सवाल पैदा नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को सुनना चाहती है और यूनियन गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया की ओर से नीरेन डे हैं वह जो प्रिवीपर्स के मामले में आर्गूमेन्ट सप्लीमेन्ट कर रहे हैं उसके बाद में स्टेट की तरफ से किसी एडवोकेट को सुनने का सवाल पैदा नहीं होता है। इसके बाद में जो उन्होंने आर्गूमेन्ट प्रिवीपर्स के सम्बन्ध में किये हैं वह ऑन बिहॉफ ऑफ यूनियन गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया किये हैं। वह मैं सुन कर आया हूं, मैंने उन्हें आर्गूमेन्ट करते देखा हैं। चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि स्टेट गवर्नमेन्ट की तरह से आर्गूमेन्ट सुनने का सवाल नहीं है : We want to hear that Advocate who wants to argue on behalf of the Union of India. Then Mr. Mohan Kumaramanglam argued the case regarding the privypurse on behalf of the Union of India तो मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमन्त्री जी ने यह स्वीकार किया कि प्रिवीपर्स के मामले के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने उनको वकील मुकर्रर किया है; जिस केस में नीरेन डे आर्गूमेन्ट कर रहे हैं, उसमें श्री मोहन कुमारमंगलम भी यूनियन गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया की तरफ से आर्गूमेन्ट पेश कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आर्गूमेन्ट वह यूनियन गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया की तरफ से कर रहे हैं। राजस्थान सरकार प्रिवीपर्स

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के नाम पर जनता की सहानुभूति प्राप्त करना चाहती है....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और इस कारण राजस्थान सरकार ने अपनी ओर से उनको एडवोकेट अपाइन्ट किया है, और इसके लिए, मैं समझता हूं, जो बड़ी भारी फीस राज्य सरकार देगी, वह न्यायसंगत नहीं होगी। आर. ए. सी. के केस में....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : केरल के चीफ मिनिस्टर की तो कोई इलेक्शन पिटीशन नहीं चल रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केरल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और he is Known fellow traveller of communists, इसलिए उन्होंने ओब्जाइज किया है— उसमें मुझे ऐतराज नहीं है और मैंने यह जरूरत नहीं समझता कि उसके बारे में कन्डमनेशन करूं और कोई बात कहूं। आपत्तिजनक बात यह है कि आप केरल का सहारा लेते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि श्री मोहन कुमारमंगलम ने प्रिवीपर्स के मामले में राजस्थान गवर्नमेन्ट की तरफ से पैरवी नहीं की है और इसके लिए चीफ जस्टिस ने इन्कार कर दिया और कहा था, यूनियन गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया की तरफ से बहस होनी चाहिए ..

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा नहीं होगी इस पर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर भी आप एक भारी भरकम फीस उनको दे रहे हैं—इस पर मुझे आपत्ति है। सरकारी मुकदमों के लिए आप और कोई वकील कर सकते थे....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो स्टेन्डिंग कौन्सिल हैं, राजस्थान सरकार उस स्टैंडिंग कौन्सिल में से किसी को ले सकती थी।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसका स्पष्टीकरण होना राज्य के हित में है, राज्य सरकार के हित में है नहीं तो जनता में एक बड़ा भ्रम है...

श्री उपाध्यक्ष : स्पष्टीकरण भी कर दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक भ्रम का निराकरण हुआ है, एक भ्रम का निराकरण किया है कि उन्हें निःशुल्क पैरवी के लिए नियुक्त नहीं किया है...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह भ्रम आपने पैदा किया था, उसका निराकरण हो गया। और कहीं था नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बात नहीं है। इससे जनता में भ्रम पैदा होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सभी माननीय सदस्यों में भ्रम है, जनता में भ्रम है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य की यह शिकायत तो नहीं है कि प्रिवीपर्स के केस में वकील नियुक्त करने की जरूरत नहीं थी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह नहीं कहा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : न केरल सरकार को करना चाहिए था और न राजस्थान सरकार को....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह नहीं कहा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी शिकायत यह है कि प्रिवीपर्स के केस में वकील नियुक्त किया गया । जिस चीज को प्रत्येक माननीय सदस्य सपोर्ट करते हैं उसके लिए आप यह शिकायत करते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा इसे सपोर्ट क्यों किया जा रहा है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रिवीपर्सेज के बारे में राज्य सरकार ने उनको वकील किया है, उस पर मुझे दुःख नहीं है लेकिन.....

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व श्री रामानन्द अग्रवाल साथ-साथ बोलने लगे)

श्री रामानन्द अग्रवाल : केरल की सरकार...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया की मदद के लिए रामानन्दजी आवे, इसके लिए तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं ।

(शोर-गुल)

मुख्यमन्त्री महोदय की मदद करने वाले आप हैं

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात न करें, ऑर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं सदन में खुलकर आता हूं । रात को १२ बजे चुपचाप नहीं मिलता । मैं आता हूं खुलकर आता हूं सामने, यह नहीं कि चुपचाप...

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं कर सकते ।

श्री नत्थीसिंह : केरल का नाम आ गया, हिस्सा कैसे नहीं ये लें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने कहा वहां एडवोकेट जनरल हमारे हैं, रूल्स के हिसाब से वे पैरवी कर सकते हैं । वह कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर श्री मोहन कुमारमंगलम ही इज नोन कम्युनिस्ट । केरल सरकार अगर उनको वकील करती है तो मुझे क्या ऐतराज है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कुछ गलतफहमी है, मैं....

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्रजी कुछ फरमाना चाहते हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, रोडवेज निगम के बारे में मैंने जो प्रस्ताव दिया, उस सम्बन्ध में फर्जी टिकिट पकड़े गए हैं और काफी गाड़ियों में कंडक्टरों द्वारा किराया वसूल कर लिया गया है, टिकट यात्रियों को नहीं मिले और केसेज पकड़े गए हैं । एक तरफ राज्य सरकार किराया बढ़ा रही है और जनता के धन की लूट सरे आम हो रही है । इसकी

(श्री रामचन्द्र आर्य)
गम्भीरता को देखते हुए इसकी जांच होनी चाहिए और जो जनता पर रोजाना किराया बढ़ाते जा रहे हैं, इसके दुरुपयोग के बारे में सरकार को इन्तजाम करना चाहिए। मैंने जो प्रस्ताव दिया, उस बारे में आपने व्यवस्था दे दी कि यह लोक महत्व का नहीं है लेकिन जनता के खजाने पर डाका डाला जाय, रंगे हाथ लोग पकड़े जायें, फिर भी लोक महत्व का नहीं है ? आए दिन विधान सभा में हम शिकायतें करते आए हैं और राज्य सरकार इस ओर कतई ध्यान नहीं देती है तो कौनसा रास्ता है, जिसके जरिए हम ऐसे केसेज को उठा सकें ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा दूसरा प्रस्ताव है हरिजनों के बारे में शासन की ओर से व्यवस्था दी गई थी कि रिपोर्ट मांगी गई है। मैं यह जानकारी मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं कि १७ हरिजन परिवार ग्राम कोलासर, तहसील नोहर, में २० साल से जमीन पर काबिज हैं, उनके पास और कोई जमीन नहीं है। अगस्त में एस० डी० ओ० ने फैसला किया था उनकी फसल खड़ी थी और उस अधिकारी व तहसीलदार ने मिलकर जो सामने वाली पार्टी थी उस जमीन को सफेद दिखाकर कब्जा दिया गया और बाद में हरिजनों की फसल कुड़क करने के लिए कार्यवाही की गई। हमने इस सम्बन्ध में कलेक्टर को लिख कर दिया था कलेक्टर ने एस० डी० एम० को जांच के लिए लिख दिया है, वह कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। उस आदमी ने अधिकारियों से मिलकर फर्जी कार्यवाही करवा कर हरिजनों को बरबाद किया है इसलिये यह प्रश्न लोक महत्व का है ? १७ हरिजन परिवारों को बरबाद किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : उनके पास कोई और जमीन नहीं है। अगस्त में फैसला हुआ था, उस समय फसल खड़ी थी और उस जमीन को सफेद दिखाया गया, उस प्रस्ताव के बारे में मेरी मांग थी।

(श्री बलवंत व श्री रामचन्द्र आर्य साथ साथ बोलने लगे)

श्री बलवंत (बाड़ी) : उनके साथ अन्याय हुआ है। उनकी खड़ी फसल कुड़क कर दी।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक तरफ आप कहते हैं कि हरिजनों की मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ राज्य के अधिकारी फर्जी कार्यवाही करके हरिजनों को बरबाद करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और उन हरिजनों को फसल वापिस मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है तो १७ परिवार बरबाद होते हैं। दुख की बात है कि मैंने प्रस्ताव पेश किया था और आपसे रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य सरकार की ओर से कोई भी रिपोर्ट नहीं आई और उसी प्रस्ताव को दुबारा आपने रद्द किया है, इससे बढ़कर दुख की बात क्या हो सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : रोडवेज के मामले को तो सरकार को देखना है और उपक्रम समिति को देखना है लेकिन

(श्री दौलतराम सारण) हरिजनों को देखना है लेकिन हरिजनों के मामले में खास तौर से कहना चाहता हूं कि काफी परिवार हैं और संवत् २००१ या २००४ के आसपास से वे जमीनों पर काबिज हैं, आबाद हैं, इन लोगों की वहां एक पार्टी है जो सरकार में नौकरी करता था। वह प्रभावशाली आदमी है जो पेशकार था कुछ था। उसने जमीन पर कानूनी सहारा लेकर गलत तरीके से अपना कागज तैयार करवाकर जगह जगह मुकदमे कर रखे हैं और करीब १८ या २० परिवारों को बरबाद कर दिया है। इस साल उनकी खड़ी फसल को कुड़क करके ४ साल के अकाल के बाद अब इनके साथ ऐसा करना अनुचित है। ये ४-५ बार पहले भी आए थे, कागजात मैंने देखे थे, सब जगह ये घूम लिए। लोगों के पास, अधिकारियों के पास, जगह जगह गए लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है, न कानूनी मदद मिल रही है। गरीबों की ऐसी दर्दनाक स्थिति है जिसको देखा नहीं जा सकता। इसलिए मुख्य मंत्री इस मामले में स्वयं हस्तक्षेप करें, गंभीर मामला है; काफी परिवारों से संबंधित मामला है। निर्दयतापूर्वक कानूनी सहारा लेकर उनको उजाड़ा जा रहा है, वह प्रभावशाली व्यक्ति हरिजनों के खिलाफ बराबर कार्यवाही करते जा रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री दिलचस्पी लेकर उनको जमीन दिलाने की कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

एक माननीय सदस्य : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सारण साहब ने जो मामला उठाया वह काफी गंभीर है, मैं समझता हूं मुख्य मंत्री अभी नहीं थोड़ा बाद में बता दें वे इस बारे में क्या करना चाहते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामचन्द्र आर्य ! वही बात हो रही है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : खजीने में एक जाट को सनसनीखेज कत्ल हुई। सारे क्षेत्र में हाहाकार मच गया। सब-इन्सपेक्टर ने केस खराब किया। एस० पी० ने ४ बार सब इन्सपेक्टर को वार्निंग दी, ट्रांसफर किया, न मालूम किन किन कारणों से राज्य सरकार ने उस सब इन्सपेक्टर का तबादला भी कर दिया, वह अपने आप को डी० आई० जी० व एस० पी० से भी बड़ा मानता है। शायद आई० जी० पी० से बड़ा अपने को मानता है। पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, उसको सस्पेंड नहीं किया, इस पर कुछ न कुछ होना चाहिए, स्टेटमेन्ट दिलाइए।

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु.): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों को अभी तक, आज दिन तक जमीन नहीं मिल रही है बल्कि उनको जबरन हटाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसका यह उपयुक्त समय नहीं है, उठाने का।

श्री परसराम गंगाराम : हरिजनों को उजाड़ा जा रहा है इसलिये आपकी मार्फत निवेदन कर रहा हूं।

Page No 26

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य । मेरी बात सुन लीजिये । अभी स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी है । हरिजनों का मामला विचाराधीन नहीं है । और मौका आये तब इसको उठा लेना ।

श्री रामचन्द्र आर्य : हरिजनों के प्रस्ताव पर कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर के सम्बन्ध में मेरा स्थगन प्रस्ताव था । आसन से व्यवस्था हो चुकी है वह शिरोधार्य है । मेरे स्थगन प्रस्ताव के दूसरे खण्ड को नहीं लिया है । इसमें यह बताया गया कि केन्द्र और सरकार के बीच विवाद को लेकर व्यवस्था दे दी गयी । सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । फील्ड फायरिंग रेंज में ३५ गांव आते हैं और जनसंख्या १२ से १५ हजार है जो प्रभावित होती है । इस रैन्ज की स्थापना १९६६ में हुई और जैसलमेर का वह क्षेत्र जिसमें १२ से १५ हजार की जनसंख्या रहती है और जो पशुधन पर ही आधारित है । जैसलमेर में भयंकर अकाल पड़ा । यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि १२ से १५ हजार की जनसंख्या के जीवन और मरण का सवाल है । उस विषय को किस प्रकार से उलझाया जा रहा है । १९६७ में भूतपूर्व राजस्व मंत्री ने एक भाषण दिया था और उसमें कुछ आश्वासन दिये थे । लैंड एक्वीजिशन ऑफिसर द्वारा जो फैसला दिया गया उसके निराकरण करने के लिये कुछ आश्वासन दिये । मेरा ख्याल है कि संसार में ऐसी मिसाल नहीं है कि ८५ पैसे प्रति बीघा मुआवजा देने की घोषणा की गई हो । राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने मिल कर लोगों के विरुद्ध कोर्ट में केस दायर कराये । एक तरफ अकाल से पीड़ित, दूसरी तरफ····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर भाषण न करें । आप अपना मन हलका करना चाहते हैं तो दो शब्द कह सकते हैं ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मेरे भाषण से उनका बोझ हलका नहीं हो सकता है जो कि पीड़ित हैं । हल्का तो तब ही होगा जब कि राज्य सरकार सोचेगी और व्यवस्था करेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अस्वीकार किया है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है । उनका दर्द इतना है कि मैं यहां पर मक्खी मारने नहीं आया हूं । मैं तो मुख्य मंत्रीजी से याचना करने आया हूं । आप वेलफेयर स्टेट कहते हैं । वही वेलफेयर स्टेट हो सकती है कि जहां पर सब लोगों का हित होता हो । १ हजार लोगों को १५ हजार में से मुआवजा देकर अपने स्टेटमेन्ट को जस्टिफाई करना चाहें और दो हजार आदमियों को मुकदमों में फंसा रखा है, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ने । एक तरफ उनके सामने रोजी रोटी का सवाल है और दूसरी तरफ उनके सामने यह समस्या है । केन्द्रीय और राज्य सरकार अपने लाभ के लिये वकीलों पर हजारों रुपया खर्च कर रही है । तीन तीन चार चार वकील कर रखे हैं । इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रीजी को कई बार अवगत करा दिया है । जैसलमेर में फेमीन के समय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी आयी तो साथ मुख्य मंत्रीजी भी थे । कुछ गांवों के लोग उनसे मिले भी थे । और उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर से तलवार हटाइये । देश की सुरक्षा के लिये फील्ड

Page No 27

(श्री बालसिंह सोढ़ा) फायरिंग चाहिये तो जरूर कायम करिये। चीफ सेक्रेटरी और मुख्य मंत्री आदेश दें कि कब्जा कर लिया जाय यह कहीं तक न्याय-संगत है ?

श्री उपाध्यक्ष : स्थिति आपने रख दी है इससे अधिक भाषण उचित नहीं होगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा : स्थिति इससे आगे ज्यादा भयंकर है। लैंड एक्वायर कर ली और मुआवजा दिया नहीं। पांच वर्ष से बरसात हुई नहीं। अकाल के कारण बाहर चले गये। लोग भटकते २ घर आये। पशुधन का भी नाश हो गया। लोगों के पास एक दो पशु हैं और कोई जीवन का सहारा नहीं है। केवल आबादी छोड़ कर एक खेत को खड़ने नहीं दिया गया। उनके मुंह में आयी हुई रोटी को छीन लिया। यह सरकार जान बूझ कर फील्ड फायरिंग रेन्ज के लोगों को मारना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री बालसिंह सोढ़ा : भाषण देने का शौक नहीं है और न मैं कोई वक्ता हूं। लेकिन जो बातें हैं उनको राज्य सरकार और सदन के सामने आपके माध्यम से लाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, फील्ड फायरिंग के लिये जनता के साथ में जानबूझ कर षड्यन्त्र किया गया है उससे लोगों का जीवन संकट-मय हो गया है। १९६७ में राजस्व मंत्री थे उन्होंने क्या आश्वासन दिये थे...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट में निवेदन कर दूं। आपने जो विषय उठाया बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसको स्वयं जानता हूं। स्थगन प्रस्ताव की परिधि में यह नहीं आता है इसीलिये इसको अस्वीकार किया गया है। किसी दूसरे तरीके से इसको लाना चाहें तो आसन आपको पूरा सहयोग देगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : अब कब मौका आयगा ?

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय मुख्य मंत्रीजी इसको जानते हैं और आपने कह दिया और चीफ सेक्रेटरी ने नहीं माना। क्या वहां के लोगों को बरबाद करना चाहते हैं ? आखिर आपने कोई इसका समाधान किया है। समय बचेगा सदन का। उस क्षेत्र के लोगों में विश्वास आयगा।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं समझता हूं कि कई रीजन्स से फील्ड फायरिंग के बारे में बहुत सा विवाद यहां हो उसके बनिस्बत इसके बारे में लीगल डिफि-कल्टीज और दूसरी चीजों के बारे में हम लोगों से अलग से बात कर लें तो ज्यादा सुविधा रहेगी। कई पोइन्ट्स हैं, माननीय सदस्य भी जानते होंगे कि अवार्ड हो चुका है। ज्यादा कम्पन्सेशन आदि करने के मामले हैं। उनके बारे में बैठ कर कुछ किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इस संदर्भ में मैंने पहले भी कहा था जिन लोगों को फील्ड फायरिंग रेन्ज के कारण गांवों और खेतों को छोड़ना पड़ा है उनके लिये आपने कहा था राजस्थान केनाल के अन्दर भूमि दी जायगी। उस आदेश को वापस ले लिया। काथेलाव गांव में सड़क पर आपने जो आदमी इकट्ठे

(श्री भैरोंसिंह)
हुए थे उनको कहा था जैसलमेर के लोगों से कहा था उस आदेश को वापिस क्यों लिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस वक्त गंगानगर के इलाके में भूमि दी जा रही थी उस जगह जमीन उपलब्ध नहीं है इस वक्त देने के लिये नहीं है । उनको राजस्थान केनाल में रिहेबिलिटेट नहीं किया जायगा, यह नहीं कहा ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : कोलोनाइजेशन कमिश्नर ने राज्य सरकार को सूचित किया था कि हमारे पास में लैण्ड उपलब्ध है इस सदन में राजस्व मंत्री ने और उप निवेशन मंत्री ने विश्वास दिलाया था और सदन में कहा था २५०० एकड़ रिजर्व कर दी है और आगे के लिये भी हम कोशिश कर रहे हैं । लेकिन गंगानगर में जब वहां के लोगों ने संघर्ष किया उसके आगे झुक गये ।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया इस स्तर पर सुलझाने की कोशिश करें ।

श्री बालसिंह सोढा : मैं निवेदन इसलिये कर रहा हूं मुख्य मंत्री महोदय ने और प्रधान मंत्री महोदया ने जब वहां पधारी थीं, आश्वासन दिया था वहां के लोगों को, उनमें से एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा आश्वासन अब दे रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पुराने आश्वासन पर पुनः आश्वासन दिया गया है ।

श्री बालसिंह सोढा : मंत्री महोदय को यह पता नहीं कि राजस्व मंत्री महोदय ने क्या आश्वासन दिया यह उनको भी पता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : इन सब बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बालसिंह सोढा : जैसा कि मुख्यमंत्रीजी ने कहा कि अवार्ड के बढ़ाने के बारे में लीगल कोम्पलीकेशन्स हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यहां कोई फैसला नहीं होगा । पहले बात कर लें और भी तरीके हैं, आगे भी इस प्रश्न को उठाया जा सकता है ।

श्री बालसिंह सोढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फेक्ट्स तो सामने रख दूं....

श्री उपाध्यक्ष : खाली फेक्ट्स सदन के सामने रखने से कोई हल निकलने वाला नहीं अतः आप पहले बात करले ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : यह सहानुभूति चार दिन पहले बतायी होती मुख्य मंत्री महोदय ने आप यहां पर इस तरह की बातें कर वहां के लोगों को गुमराह करना चाहते हो । इसके कारण बारह तेरह हजार लोग बेघरबार हो गये विस्थापित से हो गये । लोक सभा की पीटिशन कमिटी आयी थी ।

श्री उपाध्यक्ष : इन तथ्यों के कहने से क्या फायदा ?

श्री बालसिंह सोढा : आप मार्गदर्शन कीजिये जिससे लोगों का फायदा हो सके ।

श्री बेणीदत्त गाड़िया : आप कब तक इस बारे में निर्णय कर लेंगे समय तो बतलाइये खाली आश्वासन दे दिया कब तक

(श्री देवीदत्त गाडिया) आप बैठकर विचार करेंगे? तीन महीने में भी आपकी पोटिशन चल रही है, उसका फैसला हो जाने के बाद ?

श्री बालसिंह सोढा : एक निश्चय कर दें एक महीने या पन्द्रह दिन में इस मामले को लेंगे या समाधान कर देंगे कोई तिथि तो दीजिये। लोगों को आपने खेतों से वंचित कर दिया। जो कुछ फसल बोई थी उसको आर्मी के ऊंटों द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसके बारे में हमने टेलीग्राम आपको और प्रधान मंत्री को भी दिये हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर से मिले उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। राजस्थान सरकार का आदेश नहीं है। मुआवजा नहीं दिया। लाइसेंस नहीं किया जा रहा है।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : आखिरकार ३५ गांव की जनता है उसका सवाल है उनको शरणार्थी की स्थिति में ले आया गया है राज्य सरकार इन ३५ गावों के लोगों के प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं समझती। कम से कम मुख्य मंत्री जी को चाहिये कि इनको बार बार इगनोर नहीं किया जाये उनको शरणार्थी स्थिति में न लाया जाय, कुछ न कुछ स्पष्टीकरण के रूप में दो शब्द तो कहने चाहिये ताकि उनको कुछ व्यवस्था हो सके। बार-बार इस सदन के माननीय सदस्य द्वारा चर्चा उठाई गई है सरकार का कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व है इस संबन्ध में कुछ न कुछ व्यवस्था का तो संकेत करे।

श्री वृद्धिचंद जैन : जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत ही गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मैंने भी कह दिया है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : इसका अगर हल नहीं किया जाता है। इस बारे की फाइल भी एक साल से चल रही है लेकिन इसका हल नहीं निकला है। जब तक इसका सन्तोषप्रद हल नहीं निकलेगा वहां के लोगों को सन्तुष्टि नहीं होगी। दस-बारह हजार लोगों से संबन्धित प्रश्न है इस प्रश्न को गंभीरता से हल नहीं किया गया तो इसके बड़े भारी रिपरकशन्स हो सकते हैं। यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। फिर कम्पनसेशन कानून के हिसाब से जमीन की कीमत कम है इसलिये कम्पनसेशन भी कम मिलता है। कम्पनसेशन से किसी तरह से भी उनकी डिमाण्ड पूरी नहीं हो सकती, उससे उनका पुनर्वास नहीं हो सकता। इसके बारे में पूरी तरह से गहराई से सोच कर जल्दी से जल्दी हल निकाला जाना चाहिये। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे कृपा करके इस बारे में स्टेटमेंट दें ताकि वहां के लोग संतुष्ट हो सकें। केवल जैसलमेर के ही सदस्यों से बातचीत करने से प्रश्न का हल नहीं होने वाला है अन्य सदस्यों से भी आप इस बारे में परामर्श लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे इस बारे में यह याद आती है कि जो कम्पनसेशन अवार्ड दिया गया है उस अवार्ड से वहां के लोग सन्तुष्ट नहीं है। उसके अनुसार कम्पनसेशन की मांग की पूर्ति की दृष्टि से हमारे द्वारा डिफेन्स मिनिस्ट्री से काफी लिखा पढ़ी की है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट तो अपने फण्ड्स से उतना ही पैसा दे सकती है जितने का अवार्ड हुआ है उससे एक्स्ट्रा देने में मुश्किल आती है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

दूसरा, राजस्थान नहर के नीचे उनको स्थापित करने के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं गंगानगर में तो इस वक्त में जमीन उपलब्ध नहीं है लेकिन इस बात की कोशिश है कि इसको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाय। इससे जैसलमेर के अन्दर भी पानी आने वाला है तो इनको रिहेबिलीटेट करने के बारे में निश्चित तौर से कार्यवाही करेंगे ताकि आज की स्थिति से वे ज्यादा अच्छी तरह रिहेबिलिटेड हो सकें। वैसे ज्यादा इन सारी चीजों के लिये किस प्रकार से क्या किया जा सकता है अगले महीने में कोई तारीख निश्चित करके इस इलाके के कुछ प्रतिनिधि और माननीय सदस्य उस वक्त आ सकते हैं।

श्री देवीदान गाड़िया : तारीख बतायेंगे नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगले महीने बुलाकर बात करूंगा।

श्री विजयसिंह (भकराना) : पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर सर, मेरा व्यवस्था का सवाल है, वह इतना सा है कि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है आपने कहा उसके बारे में व्यवस्था दी जायगी। मैं उस बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं इस विभाग के उपमंत्री कन्हैयालालजी पटेल से तो मैं आग्रह नहीं करता। माननीय परसरामजी से निवेदन करना चाहता हूं यह सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है। काफी फेमोलीज को इसका असर भोगना पड़ता है। यही निवेदन मुझे करना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : राजस्थान साहित्य अकादमी के संबन्ध में जो मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। मैं इस बारे में इतना जानना चाहता हूं कि पिछले सदन में भी यह प्रश्न उठा था आपके द्वारा शिक्षा मंत्रीजी को आदेश दिया गया कि वे सरस्वती सभा की मीटिंग बुलायेंगे ऐसा गवर्नमेण्ट की तरफ से आदेश दे दिया जायगा। मैंने कहा कि उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई सरस्वती सभा भंग कर दी गई। वैसे पूरी तरह से वे साहित्य अकादमी को चला रहे हैं। गवर्नमेण्ट की तरफ से अनुदान मिल रहा है। उसको स्पेण्ड कर रहे हैं। इसके अलावा, उस पीरियड में जो लेखमाला लिखी है हिन्दुस्तान में आर० एस० एस० पर बैण्ड लगाने के संबन्ध में जो लेख उन्होंने लिखा है। जिस पर अंकुश लगाने के संबन्ध में बहस चल रही है उन्होंने उस पक्ष में लिखा है। उसके पश्चात् आर० एस० एस० को सपोर्ट करते हुये अकादमी के अध्यक्ष होते हुये इस तरह की लेखमाला अखबारों में दी है, मैं यह निवेदन करूंगा पहले ही सारे साहित्यकारों में इस बारे में जबरदस्त रोष है। अखबारों में माननीय सदस्य पढ़ते होंगे बराबर सरस्वती सदन की मीटिंगें बुलाने के आग्रह के बावजूद मीटिंग नहीं बुलाई। पैसे को अनधिकृत रूप से खर्च करते जा रहे हैं और गवर्नमेंट बिल्कुल चुपचाप बैठी है जबकि गवर्नमेंट को अधिकार है—पैसे का खर्च रोकने का और मैं समझता हूं एक आदमी ओपनली डिक्लेयर्ड इस प्रकार साम्प्रदायिक संस्थाओं से सम्बन्धित है जिनको गवर्नमेंट अवान्छनीय डिक्लेयर कर चुकी है। ऐसे आदमी को अध्यक्ष रखना बिलकुल अनुचित है। माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां मौजूद हैं। अगर वे एक मिनिट प्रकाश डाल दें तो अच्छा रहे और जो साहित्यकारों में रोष फैल रहा है, वह समाप्त हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो शिक्षा मंत्रीजी से सम्बन्धित है। शिक्षा मंत्री ने अस्वीकार कर दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मंत्री जी उचित समझें तो प्रकाश डाल दें। मुख्य मंत्रीजी तो सभी विषयों से सम्बन्धित है और वे यहां मौजूद हैं।

श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज से सात रोज पहले मैंने काल अटेन्शन मोशन पेश किया था, वह मंजूर हुआ है या नहीं हुआ यह बतलावें। दूसरी बात यह है कि कल २३७ नम्बर का प्रश्न लिया गया था। इसका जवाब देने के लिये कहा गया था लेकिन जब मंत्री महोदय इसका जवाब नहीं दे पाये थे। या तो यह तय कर दें कल जवाब देवें अगर मुमकिन हो सके तो आज मंत्री महोदय से जवाब दिलवा दिया जाय। कृषि मंत्रीजी यहां मौजूद हैं। उनसे पूछ लें कि वे आज जवाब देंगे या आयन्दा देंगे?

एक माननीय सदस्य : आज ही दिलवा दिया जाय ट्रैक्टरों का मामला है।

श्री रामकिशन : कृषि मंत्रीजी चुपचाप कैसे बैठे हैं?

(विराम)

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : उसका उत्तर विधान सभा सचिवालय को भेज दिया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : जिन सदस्यों का सवाल है उनको देना था।

श्री विजयसिंह : सदन को जानकारी देनी चाहिये। ट्रैक्टरों का सवाल है। सैकड़ों ट्रैक्टर बाहर चले जाते हैं और हमारा राजस्थान का किसान यों ही रह जाता है। इस बारे में सदन को अवश्य अवगत कराया जाना चाहिये।

श्री रूपसिंह : तय किया गया था कि इसका जवाब...

श्री उपाध्यक्ष : आप मंत्री उत्तर देने की स्थिति में है क्या?

(विराम)

दे दिया जाय।

श्री आईदानसिंह : आप पढ़ दीजिये। जो उत्तर भिजवाया है उसको पढ़ दीजिये।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या २३७

आयातित ट्रैक्टरों का आवंटन

२३७. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) :

श्री रूपसिंह (सरदार शहर) :

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा आयातित ट्रैक्टरों के एलॉटमेन्ट में क्या-क्या प्रक्रियायें अपनाई जाती हैं?

(२) आयातित ट्रैक्टरों का एलॉटमेंट कब से किया जा रहा है? क्या इस संबंधी कोई नियम बने हुए हैं? यदि हां तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री बालसिंह सोठा)

(३) क्या यह सही है कि निगम को प्राप्त होने वाले ट्रैक्टरों में से कुछ प्रतिशत कोटा 'ऐच्छिक कोटा' के नाम से सुरक्षित रहता है ? यदि हां, तो किस उद्देश्य से कितना प्रतिशत तथा अब तक कितने-कितने ट्रैक्टर कौन-कौन से आए और ऐच्छिक कोटे में कितने-कितने कौन-कौन से ट्रैक्टर रखे गये ?

(४) ऐच्छिक कोटे में से कौन-कौन से ट्रैक्टर किस-किस व्यक्ति को किस आधार पर एलॉट किये गये हैं तथा उन व्यक्तियों के पास कितनी-कितनी भूमि थी ?

(५) क्या राज्य सरकार को ऐच्छिक कोटे के एलॉटमेंट के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(६) ट्रैक्टरों के अलॉटमेंट के लिये जिन व्यक्तियों की दरख्वास्तें मंजूर नहीं की गई हैं उनके आधार अथवा कारण क्या रहे हैं ?

(७) क्या ट्रैक्टर पर निगम कोई कमीशन लेता है ? यदि हां, तो कितना और किस आधार पर तथा अब तक कमीशन के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गई है ?

(८) क्या ट्रैक्टरों के साथ निगम के दो उपकरण खरीदना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्यों ? और उपकरणों की खरीद की शर्त सभी मामलों में निभाई गई हैं ?

(६) क्या उपकरणों की कीमत के संबंध में कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

कृषि मन्त्री (श्री शोभाराम) : (१) आयातित ट्रैक्टरों के आवंटन के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं। इन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) निगम की स्थापना से ही अर्थात्, अगस्त, १६६६ से निगम आयातित ट्रैक्टरों का आवंटन करता आया है। आवंटन सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है जैसा कि प्रश्न नं० १ के उत्तर में बताया गया है।

(३) जी हां आयातित ट्रैक्टरों के आवंटन के नियम ११ के अनुसार ५ प्रतिशत ट्रैक्टरों का आवंटन राजस्थान सरकार का कृषि विभाग स्वैच्छिक कोटा के तहत करता है। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं और अभियन्ताओं को या उनके द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों के लिये रखा गया सुरक्षित कोटा यदि आवंटन के तीन माह के भीतर नहीं उठाया जाता तो यह कोटा भी राजस्थान सरकार और निगम के स्वैच्छिक कोटा में जोड़ दिया जाता है।

ट्रैक्टरों के नाम	आयात किये गये ट्रैक्टरों की संख्या
डी. टी. १४	१२५
बेलारूस	८६
जीटर २०११	५००
रूमानियन	४१०
आर. एस. ०६	३४८
योग	१४७२

Page No 33

(श्री शोभाराम)

सरकार और निगम के स्वेच्छिक कोटा में साधारणतया १० प्रतिशत ट्रैक्टर रहते हैं परन्तु यदि विभिन्न संस्थाओं और कस्टम हायरिंग के सुरक्षित कोटा में जिन ट्रैक्टरों की बचत होती है उन्हें भी सरकार और निगम के स्वेच्छिक कोटे में जोड़ दिया जाता है।

(४) इस बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है। निगम के अध्यक्ष महोदय के विदेश से लौटते ही सारी सूचना एकत्रित की जाकर विधान सभा सचिवालय को प्रेषित कर दी जायगी।

(५) इस बारे में कोई गंभीर शिकायतें सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं।

(६) जिन प्रार्थियों के आवेदन-पत्र मंजूर नहीं किये जाते उनके आधार साधारणतया निम्न होते हैं:—

१. प्रार्थियों के पास १५ एकड़ से कम भूमि हो।

२. प्रार्थी के पास ३ वर्ष की अवधि में खरीदा हुआ कोई ट्रैक्टर हो।

३. प्रार्थी के परिवार के किसी व्यक्ति को ३ वर्ष की अवधि में निगम द्वारा कोई ट्रैक्टर आवंटन किया गया हो।

४. प्रार्थी ने आवेदन-पत्र के साथ १०० रु० अग्रिम राशि जमा नहीं करवाई हो।

(७) जी हां। निगम ट्रैक्टरों के वितरण पर कमीशन लेता है। जो निगम द्वारा सीधे आयात किये गये ट्रैक्टरों की सी. आई. एफ. कीमत का १५ प्रतिशत होता है। अक्टूबर सन् ७० तक निगम ने कमीशन के रूप में १४,४१,३४८ रु० प्राप्त किये।

(८) निगम ट्रैक्टर खरीदने वालों से दो उपकरण लेने का आग्रह करता है ताकि कृषक उन्हीं उपकरणों का प्रयोग ट्रैक्टर के साथ करें जो कि ट्रैक्टर की कार्य शक्ति को खराब न करें। ट्रैक्टर की बिक्री के बाद ६ माह की गारन्टी निगम द्वारा दी जाती है। इसलिये यह देखना आवश्यक है कि ट्रैक्टर की कार्यक्षमता बनी रहे। जहां तक सम्भव हो निगम प्रत्येक मामले में दो उपकरण बेचने का प्रयत्न करता है। जर्मन आर. एस. ०९ एवं रूमानियन ट्रैक्टरों के बारे में उक्त नियमों में ढिलाई बरती गई क्योंकि उक्त ट्रैक्टरों की मांग अत्यधिक कम रही।

(९) जी हां, शिकायतें इस प्रकार की आई कि उपकरणों की कीमत अधिक है। इन शिकायतों की जांच इसलिये करने की आवश्यकता नहीं समझी कि ये कीमतें स्टेन्डर्ड फर्म जैसे हिन्दुस्तान, इन्टरनेशनल और मैसी आदि द्वारा वसूल की जाने वाली कीमतों से आम तौर पर कम है ?

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भाईदानसिंह (भीनमाल) : इसमें एक प्रश्न जो आपने बताया ऐच्छिक कोटा रखा है ५ पर्सेन्ट मंत्री महोदय का और ५ पर्सेन्ट अध्यक्ष महोदय का इसका क्या कारण है? क्यों नहीं १० प्रतिशत सारा का सारा लिस्ट में दे देते हैं ?

श्री शोभाराम : उपाध्यक्ष जो, जब निगम नहीं बना था तब १० प्रतिशत

Page No 34

(श्री शोभाराम)
राजस्थान सरकार के पास था। निगम की स्थापना के पश्चात् वहां का संचालक मण्डल बना और उन्होंने यह तय किया—प्रस्ताव के जरिये कि राजस्थान सरकार निगम बनने के पश्चात् ५ प्रतिशत के ऐच्छिक कोटा का इस्तेमाल करे और ५ प्रतिशत कृषि उद्योग निगम के लिये रख दे। यह उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला था। इसी तरह बंटवारा किया गया है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : यह फाइव पर्सेन्ट से बढ़ाकर ५८ पर्सेन्ट सरकार के कोटे में और फाइव पर्सेन्ट से बढ़ाकर ३३ पर्सेन्ट निगम के कोटे में कैसे कर दिया ?

श्री शोभाराम : उसको तो ५८ और निगम को ३३ पर्सेन्ट कैसे कर दिया ?

श्री भैरोंसिंह : फर्स्ट को फिफ्टीएट पर्सेन्ट और सैकिण्ड को थर्टीथ्री पर्सेन्ट।

श्री शोभाराम : यह कहां लिखा है ?

श्री विजयसिंह : यह हमारे पास सूचना है।

श्री भैरोंसिंह : ऐच्छिक कोटा जो आपने रखा है इसकी आवश्यकता क्या है ? और ऐच्छिक कोटा से किन लोगों को ट्रेक्टर्स मिले हैं ? इस बात को ध्यान में रखकर इसी प्रकार की व्यवस्था की है यह बता दें ?

श्री मदनसिंह : क्या यह सही है कि ५ पर्सेन्ट आपने इसलिए रखा है कि कभी-कभी गरीबों को नहीं मिलते हैं तो आप दे देते हैं ?

श्री हरजीराम बुरड़क : १० पर्सेन्ट का जो आपने नियमों में प्रावधान किया हुआ है उसकी पालना नहीं हुई ? जो ट्रेक्टर्स आये हैं और जो मंत्री महोदय ने संख्या बताई उसको १० पर्सेन्ट से ज्यादा इस कोटे में से दिया है ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : पहले एक प्रश्न का उत्तर आने दीजिए।

(श्री रामनारायण चौधरी के पुनः बोलने पर) पहले पूरक प्रश्न एक का उत्तर आ जाये तो आप बाद में पूछ लें।

श्री शोभाराम : मैंने जैसा आपसे निवेदन किया कि रूमानियन ट्रेक्टर्स ४०० के करीब आये इसमें पिछले कोटा के बारे में इसलिए हमने आग्रह नहीं किया कि इसकी बिक्री के लिए लोग कम आये इसलिए इसमें पर्सेन्टेज का ख्याल नहीं करके जो लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये सबको हमने मन्जूर किया।

श्री हरजीराम बुरड़क : जीटर ५०० आये उसमें से १० पर्सेन्ट के हिसाब से ५० होते हैं तो ५० दिये या ज्यादा दिये ?

श्री शोभाराम : जहां तक मेरी जानकारी है जो ऐच्छिक कोटा है राजस्थान सरकार का मैं समझता हूं कि ५०० में से ३८ के करीब दोनों केटेगरीज में बांटे गये थे।

श्री मालसिंह सोढ़ा : आप ऐच्छिक कोटा रखते क्यों हैं ?

श्री शोभाराम : जो ऐच्छिक कोटा निगम के अध्यक्ष का है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जर्मनी और रूमानियन ट्रैक्टर्स में तो ऐच्छिक कोटा का अलॉटमेन्ट नहीं किया और उस सारे कोटा का पूरा किया है जीटर से, यही किया है आपने। आप हर केटेगरी में आगे १० परसेंन्ट रखिये।

श्री शोभाराम : आपने समझने की कोशिश नहीं की ५०० जीटर ट्रैक्टर्स के अगेन्स्ट में मैंने उत्तर में कहा था कि ५०० का ५ पर्सेन्ट होता है २५ और १३ के करीब दिये हैं। तो इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं निगम को इस सिलसिले में सलाह दे रहा हूं कि जितने दोनों केटेगरी के १५ पर्सेन्ट में जो अलॉटमेंट नहीं होते हैं या डिमाण्ड नहीं आती है तो भविष्य में इसका प्रायोरिटी कोटा और जनरल पूल में उन्हें लिया जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐच्छिक कोटा की क्या आवश्यकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री रूपसिंह : मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो ऐच्छिक कोटा रखा है उसमें से जिसको आप ट्रैक्टर देते हैं उसके लिए यह भी जांच करते हैं कि नहीं कि उसके पास १५ एकड़ जमीन से कम है या ज्यादा है ? या आप किसी को भी बगैर जांच के दे देते हैं ?

दूसरी बात यह पूछना चाहता हूं कि आप जिसको यह ट्रैक्टर देते हैं उसके लिए क्या कोई शर्त रखते हैं कि ट्रैक्टर खरीदने के ६ महीने के बाद या १॥ साल के बाद तक वह नहीं बेच सकता है ? या जिस रोज खरीदे उसके दूसरे दिन बेच सकता है ? ऐसी बार लगा रखी है या क्या ?

श्री शोभाराम : जहां तक राजस्थान सरकार की तरफ से ऐच्छिक कोटे का इस्तेमाल किया जाता है इसमें जानकारी की जाती है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में दूसरी जो सलाह हम देना चाहते हैं वह यह है कि जो १५ एकड़ की पाबन्दी है कि इतनी जमीन होनी चाहिए और चाहे निगम द्वारा इनका उपयोग किया गया हो या राजस्थान सरकार ने कुछ ऐच्छिक कोटा के बारे में फैसला किया है तो इसमें १५ एकड़ जमीन का होना लाजिमी है और इससे कम जमीन होगी तो ऐच्छिक कोटा का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

श्री रूपसिंह : आपने यह तो ठीक कहा है। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था कि जो ट्रैक्टर्स खरीदते हैं यदि वे आज खरीदें और कल बेच दें तो आप उसको कैसे रोक सकेंगे ? आपने रूल्स में प्रावधान नहीं रखा है कि वह नहीं बेच सकेगा। पहले जब यह डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास था तो रूल्स थे कि दो साल तक नहीं बेच सकेंगे लेकिन उसके बाद में जब से निगम आपके पास में आया है तब से ऐसे रूल्स रद्द कर दिये इसलिए अब यदि कोई ट्रैक्टर खरीदता है और वह बेच देता है तो क्या आप उसे रोक सकते हैं ?

श्री शोभाराम : रूल्स है। रूल्स में पाबन्दी लगाई गयी है। दो साल तक जहां तक मेरी जानकारी है इससे कम पीरियड का सवाल नहीं है, ज्यादा हो सकता है। दो साल तक ट्रैक्टर को चाहे वह प्रायोरिटी बेसिस पर ही लिया हो वह नहीं बेच सकेगा, ऐसी पाबन्दी लगी हुई है।

Page No 36

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या यह सही है कि निगम के अध्यक्ष के कोटे में से जितने भी ट्रैक्टर्स मिले हैं उनमें इस तरह का कोई इकरारनामा नहीं लगाया गया है जब कि अलॉटीज से लिखाने को कहते हैं और निगम के अध्यक्ष के किसी भी अलॉटी को नहीं लिखा गया है।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी और दे दें...

श्री रामनारायण चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि ऐच्छिक कोटा में से कितने एम. एल. एज. को ट्रैक्टर्स दिये हैं और क्या उस कोटा में से प्रश्नकर्त्ता राजवी रूपसिंह जी को भी एक ट्रैक्टर दिया है ?

श्री शोभाराम : जी हां। राजस्थान सरकार की तरफ से राजवी रूपसिंह जी के लिए भी एक ट्रैक्टर डिस्क्रिशनरी कोटा में से दिया है। मुझे मालूम नहीं कि दो साल की पाबन्दी थी कि दो साल तक नहीं बेचेंगे। मुझे पता नहीं इन्होंने ऐसा लेखबद्ध किया या नहीं किया।

श्री रूपसिंह : मैं अर्ज कर दूं कि इसके रूल्स बने हुए हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दो साल तक नहीं बेचेंगे।

सरकारी पक्ष के कुछ माननीय सदस्य : आपने तो बेच दिया।

श्री रूपसिंह : मैं तो खुद चाहता हूं कि जिन-जिन को ट्रैक्टर्स दिये हैं उनकी जांच करा ली जाये कि किन-किन ने वह ट्रैक्टर्स आज दिन तक बेच दिये हैं। मैंने जो ट्रैक्टर खरीदा है वह खेत में खड़ा है। आप रूल्स में बता दें कि वह लेने के बाद बेच नहीं सकता।

श्री शोभाराम : मैं इसकी जानकारी कर लूंगा और अगर इस प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है तो प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा ऐच्छिक कोटा के ऊपर भी।

श्री नत्थीसिंह : जिन्होंने बेच दिया है और जिन्होंने अलॉटमेंट किया है उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : उनसे यहां प्रश्न पूछा जा रहा है।

श्री विजयसिंह : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि किस-किस विधायक को कितने-कितने ट्रैक्टर्स दिये हैं ?

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने पूरक प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आने दीजिए। उसके बाद में आपको भी अवसर दे दिया जायेगा।

श्री मदनसिंह : माननीय मंत्री महोदय !

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रूपसिंहजी स्थान ग्रहण करिये....

श्री मदनसिंह : आप कानून बना रहे हैं कि नहीं बेच सकते हैं लेकिन जब वह जमीन बेच देगा उसके पश्चात् वह ट्रैक्टर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रूपसिंहजी, कृपया स्थान ग्रहण करिये। उन्होंने एक पूरक प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर आने दें।

श्री मदनसिंह : आपका इरादा है कि दो साल के पहले नहीं ले सकता लेकिन...

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक पूरक प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछ लिया है। उसका उत्तर आने दें फिर आपको समय दिया जायगा।

श्री शोभाराम : जहां तक ट्रैक्टर पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न है....

श्री विजयसिंह : मैंने निवेदन किया था कि किन-किन विधायकों को कितने-कितने ट्रैक्टर आपने दिये हैं, और....

श्री उपाध्यक्ष : और वे किस-किस दल के हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक्स एम. एल. एज. भी हैं?

श्री शोभाराम : इसकी सूची मेरे पास नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्या इसकी सब एम. एल. एज. की मेज देंगे?

श्री शोभाराम : आप यदि चाहते हैं कि सदन के सभी माननीय सदस्यों के पास भेज दी जाय तो वह सदन की मेज पर रख दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : माननीय राजवी रूपसिंहजी ने यह प्रश्न किया है तो कल दिन भर से यह ढूंढ रहे हैं कि उनको किस प्रकार से काऊ डाउन किया जाय। माननीय मंत्री महोदय को चाहिए था कि जिन विधायकों के नाम ट्रैक्टर इश्यू हुए हैं उनकी सूची सदन में रखते। अगर कोई एम. एल. ए. खेती करता है और वह ट्रैक्टर लेता है तो मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं समझता। अगर कोई प्रायोरिटी से ट्रैक्टर ले ले तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। किसी एक मेम्बर को सिंगल आउट करके क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है नाम बताना और लोगों के नाम नहीं बताना मैं समझता हूं अनुचित, गलत और किसी एक मेम्बर के साथ में दुर्व्यवहार है। आप नाम बता दें कि किस-किस एम. एल. ए. को ट्रैक्टर दिये हैं?

श्री शोभाराम : सब के नाम बता दिये जायेंगे। यह मैंने अपनी याददाश्त से बताया है।

श्री विजयसिंह : आपकी याददाश्त बड़ी पुरानी हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भैरोंसिंहजी, यह स्थिति ऐसी ही थी कि पूरक प्रश्न पूछ लिया गया था इसलिए बताया है।

श्री भैरोंसिंह : मुझे जानकारी है कि कल से इसको तैयारी कर रहे हैं कि राजवी रूपसिंहजी साहब के बारे में किस तरह से फेक्ट्स रखे जायं। यह एक निम्नस्तर की बात है और मंत्री के स्तर की बात नहीं है।

श्री शोभाराम : इसका जवाब तो मैं देना मुनासिब नहीं समझता। जिस प्रकार की भाषा का आपने प्रयोग किया है....

श्री भैरोंसिंह : मैं मंत्री महोदय, आपसे यह उम्मीद नहीं करता था कि आप एक मेम्बर को सिंगल आउट करने की कोशिश करेंगे कि आप एक मेम्बर का नाम बतायें। आप सब का बता दें तो मुझे आपत्ति नहीं है। क्या एक मेम्बर ट्रैक्टर

(श्री भैरोंसिंह)
नहीं ले सकता, एक गाड़ी नहीं खरीद सकता, कोई स्कूटर नहीं खरीद सकता? नागरिक की तरह से उसको भी अधिकार है । क्या आपको केवल एक आदमी को ही सिंगल आउट करके हाउस में नाम लेना चाहिए और बाकी के मेम्बर्स को आपको जानकारी नहीं यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय !

श्री शोभाराम : यह गलत बात है कि मुझे जानकारी है । मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है कि इसमें गलतफहमी हो गई है । माननीय भैरोंसिंहजी को । यहां पर एक पूरक प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर दिया गया है । जानबूझकर नाम नहीं बताया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : कल से बात चल रही थी । कोई भेद की बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! श्री मदनसिंह ।

श्री विजयसिंह : पूरक प्रश्न पूछा नहीं है, पुछवाया गया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनसे पूछ लें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नाम पुकार रहा हूं । उनके बाद में अवसर दूंगा ।

श्री मदनसिंह : आपने घोषणा की है कि आयन्दा ऐसा कानून बनायेंगे कि दो साल तक वह बेच नहीं सकता, मगर किसी के पास में १५ बीघा जमीन है और अगर उसके पास में ट्रेक्टर भी है और उसको जमीन बेचने का अधिकार है तो क्या जमीन बेचने के बाद वह अपने सिर पर ट्रेक्टर को रखेगा ? एक चीज तो यह है ।

दूसरा यह है कि दो साल तक नहीं ले सकता है यह प्रतिबन्ध अपने आप में है कि दो वर्ष के पहले बेच देगा तो दो वर्ष तक वह वंचित रहेगा इसलिए बहुत कम बेचेंगे । अगर जमीन बेच दे तो ट्रेक्टर का क्या करेगा ? थोड़ा सा इस पर विचार कर लें ।

श्री लालूराम सुखानिया : इसमें एक प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामानन्द !

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐच्छिक कोटे की आवश्यकता क्या है ?

श्री लालूराम सुखानिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य एक प्रश्न पूछा गया है ।

श्री लालूराम सुखानिया : मैं भी प्रश्न पूछूंगा ।

श्री शोभाराम : सभी डिपार्टमेंट में इस तरह से डिस्क्रिशनरी कोटा होता है इसलिए यहां भी रखा गया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका आधार क्या है ? यह देखना जरूरी है क्या ? इसकी जनहित की दृष्टि से क्या जरूरत पड़ती है ? मंत्री या चैयरमेन जो बनाये गये हैं उनके यार दोस्तों को बांटने के लिए होता है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके बन्द करने की जरूरत है । इस बात की क्या गारन्टी है

Page No 39

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कि इस ऐच्छिक कोटे के जरिये जिसमें ५-५, या १०-१० हजार रुपया ब्लेक हो और उसके बेचने पर कोई पाबन्दी नहीं हो तो इस बात की जांच करेंगे ? क्या इस बात की सम्भावना नहीं है कि जिसको ऐच्छिक कोटे में से दिया हो और उस पर १० हजार रुपया ब्लेक का मिलता है और उसका हिस्सा कोटा देने वाले के पास भी आ सकता है ? इस प्रकार की सम्भावनाएं हो सकती हैं तो इसको रोकने की बात के लिए क्या गवर्नमेंट उचित नहीं समझती कि इस ऐच्छिक कोटे को समाप्त कर दिया जाय ?

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं कि इस प्रतिबन्ध को स्वीकार करना चाहिए कि दो साल के बीच में ऐच्छिक कोटे में से या किसी प्रकार के कोटे में से मिले हुए ट्रैक्टर को नहीं बेच सके। जहां तक दांता से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव रखा है कि अगर कोई जमीन बेच दे तो इस कन्डीशन पर उसको ट्रैक्टर बेचने की इजाजत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए— इस बात पर गौर किया जायगा। जहां तक प्रतिबन्ध का सवाल है बेचने पर तो बेचेगा नहीं तो फिर एक तरफ से ब्लेक होगा कैसे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सतीशचन्द्रजी का नाम पुकार रहा हूं।

श्री लाबूराम सुलानिया : माननीय उपाध्यक्ष, एक प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : आपको मैं अवसर दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस सदन में यह सूचित किया है कि ट्रैक्टर का अलॉटमेंट किन-किन कारणों से नहीं होता है। एक तो यह है कि १५ एकड़ जमीन नहीं हो, दूसरा यह है कि किसी ने दो साल के अन्दर एलॉटमेंट करा लिया हो या किसी ने तीन साल के अन्दर एलॉटमेंट करा लिया हो। ये कुछ केटेगरीज बताई थीं। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐच्छिक कोटे पर भी ये कन्डीशन्स लागू होती हैं ? क्या ऐच्छिक कोटे का अलॉटमेंट किया गया है जिनको उस वक्त उनके बारे में इस बात का ध्यान रखा गया है कि १५ एकड़ से कम जमीन नहीं हो, दो साल के अन्दर ट्रैक्टर का एलॉटमेंट नहीं कराया हो या तीन साल में उसके रिश्तेदार ने नहीं कराया हो, जो कन्डीशन्स एलॉटमेंट की रेग्युलर कोटे की हैं वही कन्डीशन्स डिस्क्रीशनरी कोटे के एलाटमेंट पर एप्लीकेबल है, और क्या उनका पालन हुआ है ? मेरा यह स्पेसिफिक क्वेश्चन है, पिन पाइंट।

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं कि यदि नहीं होगी तो वह ऐच्छिक कोटे में भी कर दी जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही तो गड़बड़ की बात है। यही तो घोटाला हो हो रहा है।

श्री आईदानसिंह : जयपुर में ट्रक पड़े हुए हैं.... (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनका वायलेशन किया गया है कन्डीशन्स का। आपने एलोटमेंट गलत दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय का उत्तर आ रहा है।

श्री आईदानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य!

श्री शोभाराम : अगर ये कन्डीशन्स ऐच्छिक कोटे पर लागू नहीं की गई हैं तो वे लागू कर दी जायेंगी। मैं यह आश्वासन देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रूपसिंह।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय उपाध्यक्ष, एक प्रश्न मेरा भी है....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता!

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री लादूराम सुलानिया : एक प्रश्न मुझे भी पूछना है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री मदनसिंह : यह एलान गलत हो गया है कि डिस्क्रीशनरी कोटा दिया जाता है उन पर ये की ये ही कन्डीशन्स कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। माननीय मदनसिंह, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : किसी स्थान से....

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ऐच्छिक कोटा के सम्बन्ध में और आवण्टन के सम्बन्ध में कण्डीशन निर्धारित हैं?

श्री शोभाराम : क्या?

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की हुई नहीं हैं?

श्री शोभाराम : फिर दुबारा कह दें।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ऐच्छिक कोटे के आवण्टन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा या निगम के द्वारा कोई शर्तें निर्धारित की हुई हैं अथवा नहीं हैं?

श्री शोभाराम : मैंने यह कहा है...

श्री भैरोंसिंह : बता दें, हैं या नहीं है?

श्री शोभाराम : नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने अगर यह नियम बनाये, आवण्टन के नियम, तो यह ऐच्छिक कोटे के अलॉटमेन्ट के ऊपर भी लागू हैं?

श्री शोभाराम : मैंने यह कहा था, यह अब तक नियम जो लागू नहीं थे....

श्री उपाध्यक्ष : सुन लिया जाये। (कुछ व्यवधान होने पर)

श्री शोभाराम : जो आपका जनरल प्रायोरिटी कोटा है, उसमें बुकिंग की तारीख के आधार पर ट्रैक्टर मिलता है। उसको छोड़कर ३ कण्डीशन्स का जिक्र किया है। एक यह है कि उसके पास १५ एकड़ जमीन हो। ऐच्छिक कोटा के लिये हम ये कण्डीशन

(श्री शोभाराम)
लगा नहीं सकते हैं। मैंने यह कहा था कि ऐच्छिक कोटे के लिये बुकिंग के आधार पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह नियम आयातित ट्रैक्टर्स के आवण्टन के नियम हैं, उनसे अलग नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इण्टरप्रिटेशन है।

श्री भैरोंसिंह : मगर ऐच्छिक कोटे के आवण्टन के नियम बने हुए हैं क्या? माननीय मन्त्री ने कहा है, नहीं बने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जो नियम बने हुए हैं, उनके अधीन ही आवण्टन होना चाहिये।

श्री शोभाराम : ऐसा नहीं है। यह मतलब नहीं है इसका।

श्री भैरोंसिंह : यह अर्थ तो आप ले रहे हैं। आपके पास दामोदरजी बैठे हैं, उनसे पूछिये तो वह भी यही बतायेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : अगर ऐसा है तो ऐसा रखने का मतलब ही क्या था। डिस्क्रिशनरी कोटे का मतलब ही डिस्क्रिशनरी कोटा है।

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण। ऑर्डर, माननीय सदस्य।

पूरक प्रश्न पूछने के लिए नाम पुकारा है।

श्री लादूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर!

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री लादूराम सुलानिया : (अश्रव्य)

श्री दिग्विजयसिंह : (अश्रव्य)

श्री लादूराम सुलानिया : आपने राजस्थान में ट्रैक्टर बेचने के नियम बनाये हैं, उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितना कोटा रखा है?

श्री शिवनाथसिंह : उनके पास जमीन ही नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं।

श्री शोभाराम : शिड्यूल्ड कॉस्ट्स के लिए कोई कोटा अलग से मुकर्रर नहीं किया गया है।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं एक जानकारी और चाहता हूं, राजस्थान के कितने जन-जाति, अनुसूचित जाति के लोगों को अब तक कितने ट्रैक्टर का एलॉटमेण्ट किया गया है?

श्री शोभाराम : एलॉटमेन्ट किये गये हैं, यदि प्रायोरिटी कोटे में उनका नम्बर आया है तो उनको दिये है।

श्री लादूराम सुलानिया : यह बहुत जरूरी है, उपाध्यक्ष महोदय, जिस चीज पर इतना ब्लेक है और जो खेती करने वाले हैं....

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण। भाषण नहीं होगा।

श्री लादूराम सुलानिया : शिड्यूल्ड ट्राइब्स लोगों के पास आप लोगों से ज्यादा जमीन हो सकती है। इसलिये कहता हूं। आपने

(श्री लादूराम सुलानिया)
नहीं रखा है। अब रखना चाहते हैं या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय क्या यह सही है कि ऐच्छिक कोटा बिना किसी आधार के मनमाने तरीके से एलॉट करने के लिये रखा गया है ? और यह जरूरतमंद लोगों को न देकर अन्य लोगों को दिया गया है ?

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !

श्री शोभाराम : डिस्क्रिश्नरी कोटा तो डिस्क्रिश्नरी कोटा है।

श्री दौलतराम सारण : मैं यह जानना चाहता हूं। मैंने जो सूची मांगी है, वह सूची आपने दी नहीं है।

(निरन्तर, व्यवधान)

श्री आईदानसिंह : तीन महीने से ज्यादा हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

श्री दौलतराम सारण : (अश्रव्य)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंहजी ..

श्री लादूराम सुलानिया : कोटा रखना चाहते हैं या नहीं ?

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री लादूराम सुलानिया : आप शिड्यूल्ड कॉस्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा रखना चाहते हैं या नहीं ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानिया : आप रखना चाहते हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, किसी के पास १५ एकड़ जमीन है। उसने जमीन बेच दो है तो वह ट्रेक्टर बेच सकता है ? तो मैं माननीय मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं जो आयातित ट्रेक्टर है....

श्री उपाध्यक्ष : यह डिस्क्रिशन का प्रश्न नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आज बाजार में १५ एकड़ जमीन की कीमत क्या लग रही है ? ट्रेक्टर का ब्लेक १५ हजार का है। कोई हस्बेण्ड अपनी वाइफ के नाम जमीन रखता है, तो इस तरह से वह करेगा तो उसका यह करना क्या जायज होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा था। मैं यह जानना चाहता था....

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय मंत्रीजी को उत्तर देना चाहिये। कोटा रखेंगे या नहीं....

Page No 43

श्री दौलतराम सारण : यह क्या बीमारी पाल रखी है।

श्री लादूराम सुलानिया : इस सम्बन्ध में आपकी तरफ से स्पष्टीकरण होना चाहिये। आगे आपकी क्या नीति होनी चाहिये। इतना ही मैं पूछना चाहता हूं।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, यह डिस्क्रिशन राजस्थान सरकार ने रखा है। इस सम्बन्ध में मैंने एक बात कही थी। डिस्क्रिशन का अर्थ यह होता है, जो आदमी नियमित कोटे से कोटा प्राप्त नहीं कर सकता है और जरूरतमन्द है, साधनहीन है, वह और किसी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकता है, उस असमर्थ आदमी को, ऐसे व्यक्तियों को राजस्थान सरकार विशेष सहायता करे। यह बात तो समझ में आ सकती है। लेकिन राज्य सरकार ने और निगम ने इस ऐच्छिक कोटे में से प्रिविलेज्ड क्लास के लिये, राजनैतिक व्यक्तियों के लिये, एम० एल. एज. को और मन्त्रियों को एलॉट किये हैं। क्या यह सही है कि राज्य सरकार के जिस विश्वास के अनुसार यह रखा गया है, वह केवल जरूरतमन्द लोगों को ही आता है? ऐसा नहीं रख कर राज्य सरकार ने केवल प्रिविलेज क्लास को ट्रैक्टर दिये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर दिया जा चुका है; पहले पूछा गया था।

श्री दौलतराम सारण : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर राज्य सरकार की ओर से दिलाया जाय।

श्री दौलतराम सारण : कानून की चिन्ता आप नहीं करते, नियम जो बने हुए हैं वह नियम लागू नहीं होते हैं, और आपकी इच्छा होती है उसको आप दे देते हैं। उनका ब्लेक होता है, रोज उनका ब्लेक होता है। आपने जो डिस्क्रिशन के आधार पर ट्रैक्टर दिये हैं वह दिये हैं जिनका ब्लेक होता है, जिस पर ब्लेक नहीं होता, ऐसा एक भी ट्रैक्टर आप बता दें, किसी पर छः हजार है, किसी पर आठ हजार, किसी पर दस हजार। इस प्रकार ब्लेक करने के लिए ट्रैक्टर्स का एलॉटमेंट किया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है।

श्री दौलतराम सारण : यह सही चीज है। हजारों के अन्दर ब्लेक किये गये हैं।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रैक्टर्स का जो एलॉटमेंट होता है, उनमें निगम के पास जितनी एप्लीकेशन्स आती हैं, जो एप्लीकेशन का वोल्यूम होता है उसके हिसाब से ट्रैक्टर दे देता है, अब ट्रैक्टर डिस्ट्रिक्टवाइज नहीं बांटे हैं। राजस्थान में अब तक ऐसा नियम नहीं है कि डिस्ट्रिक्टवाइज बांटें। वैसे ट्रैक्टर की हर डिस्ट्रिक्ट में जरूरत है, यह नहीं हो सकता है कि एप्लीकेशन्स किसी डिस्ट्रिक्ट से कम आती हों तो वहां कम खेती होती हो और जहां ज्यादा एप्लीकेशन्स आती हैं वहां ज्यादा खेती होती है। मैं चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्टवाइज ट्रैक्टर का एलाटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को आवश्यकता कम है या किसी को आवश्यकता ज्यादा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि डिस्ट्रिक्टवाइज किया जाय।

दूसरे ट्रैक्टर के साथ में निगम दो इम्प्लीमेंट देता है, इससे जो निगम को घाटा

(श्री शिवनाथसिंह)
होता है, उसको इन दो इम्प्लीमेंट से पूरा करता है, और उसमें जो रकम लगती है उसको लोग ब्लेक की रकम से पूरा करना चाहते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इस पर चर्चा पहले हो चुकी है। माननीय सदस्य।

श्री शिवनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पहले कहा था कि हम सोचेंगे। लेकिन अब तक सोचा नहीं और न ही निर्णय दिया है।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : पूरक प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है, माननीय सदस्य!

श्री शोभाराम : मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री लादूराम सुलानिया : मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री पहले दें। मेरा प्रश्न पहला था इसलिए पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दें। बाद में जो आये हैं उनका बाद में दें। मंत्री महोदय, इतना बता दें कि आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये कोई कोटा रखा नहीं है। तो अब आप रखना चाहते हैं या नहीं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हरिजनों और आदिवासियों की बात है, इसलिए यह महत्वपूर्ण बात है। माननीय मंत्रीजी इस बात को टाल रहे हैं। वह यह बता दें कि वह कोटा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रखना चाहते हैं या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! मंत्री महोदय!

श्री शोभाराम : उपाध्यक्ष जी, जहां तक श्री शिवनाथसिंहजी का प्रश्न है, कोटा जितना आता है, जितना कोटा डीलर देता है उसका सर्टेन पर्सेन्टेज हर एक डिस्ट्रिक्ट के अगेन्स्ट है चाहे कम दरख्वास्तें हों, चाहे ज्यादा हों। वह पर्सेन्ट हमने मुकर्रर कर रखा है। जो पर्सेन्टेज हमने जिलेवार रखा है वह वहां की कृषि पैदावार की मात्रा के मुताबिक है और जमीन के आधार पर कायम है। तो प्रत्येक जिले के लिए पर्सेन्टेज मुकर्रर है, जैसे गंगानगर के लिए दस है, कहीं चार है, कहीं तीन है। कृषि, उत्पादन की दृष्टि से वह पर्सेन्टेज है। मान लीजिये कि सौ ट्रेक्टर आये तो वह पर्सेन्टेज के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट्स को एलॉट हो जायेंगे और डिस्ट्रिक्ट में जितनी दरख्वास्तें होंगी उनके हिसाब से दिये जायेंगे।

श्री रामकिशन : खेती का क्या हिसाब होगा डिस्ट्रिक्टवाइज?

श्री शोभाराम : इस प्रकार पूरा कोटा एलॉट हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : बीच मे बाधा नहीं।

श्री रामकिशन : बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां खेती नहीं होती वहां ट्रेक्टर का क्या करेंगे? वहां उदयपुर में क्या ट्रेक्टर से पहाड़ी जुतवायेंगे? वहां जब खेती नहीं हो तो ट्रेक्टर का क्या करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुआ।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमने सवाल पूछा था उसका जवाब

Page No 45

(श्री लादूराम सुलानिया) दिलाया जाय। मैं यह कहूंगा कि हरिजनों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अन्यायपूर्ण दुर्व्यवहार ठीक नहीं होता है। आपने करोड़ों रुपये के ट्रैक्टर दिये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुआ।

श्री रूपसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। मुझे एक जरूरी प्रश्न करना है....

श्री लादूराम सुलानिया : मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार का यह रवैया...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! इस प्रश्न ने काफी समय ले लिया है।

श्री लादूराम सुलानिया : यह कहां तक न्यायसंगत है। यह नाकाबिले बर्दाश्त है। आपने हरिजनों और आदिवासियों पर जुल्म किया है। उनके लिए रिजर्वेशन नहीं रखा है। यह आपने संविधान की अवहेलना की है...

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा। ऑर्डर प्लीज!

श्री लादूराम सुलानिया : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार इसमें रिजर्वेशन रखने को तैयार है ...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री लादूराम सुलानिया : ××××

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज!

श्री लादूराम सुलानिया : ××××

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! प्रश्न समाप्त हुआ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, अधिकांश स्वतंत्र पार्टी ने फर्जी एलाटमेंट कराये हैं।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं।

श्री आईदानसिंह : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : अब उत्तर नहीं दिया जायगा।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर प्रश्न है...

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष से फर्जी एलाटमेंट करवाये हैं या मंत्री से ? किससे करवाये हैं ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जो पार्टी पर एलीगेशन लगाया है कि फर्जी ट्रैक्टर का एलाटमेंट करवाया है मैं जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य नाम बतायें, वह कौन हैं। वह नाम बतायें।

श्री आईदानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने जो एलीगेशन स्वतंत्र पार्टी एज ए होल पर लगाया है....

श्री उपाध्यक्ष : पार्टी पर आक्षेप नहीं होता है, व्यक्ति या माननीय सदस्य पर आक्षेप होता है।

×××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री आलमअली खां : यह बतावें कि कुछ ले गये। नाम बतावें।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया कि पार्टी पर आक्षेप नहीं होता। तो पार्टी कान्स्टीट्यूट किससे करती है? पार्टी में विधायक और आदमी ही होते हैं। पार्टी हमेशा ऊपर रहती है और व्यक्ति नीचे रहता है। इस तरह का जो आरोप पार्टी पर लगाया है....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुआ।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है कि इस तरह पार्टी के ऊपर, पार्टी के सारे सदस्यों पर एक आरोप लगाया जाय। यह बहुत खराब बात है। हम चाहते हैं कि इस तरह के आरोप नहीं लगाये जायं। हम इसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले वह खुद की जांच कर लें, अपने घर में देख लें।

श्री लादूराम सुलानिया : आपने इस प्रश्न को साफ कर दिया....

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं....

श्री लादूराम सुलानिया : लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि यह हमारे अधिकारों का हनन है....

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया मेरी बात सुन लीजिये।

श्री लादूराम सुलानिया : हम जानना चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है, माननीय सदस्य !

श्री लादूराम सुलानिया : जिस तरह समाज कल्याण मंत्री हरिजनों का गला घोंटते हैं, उसी तरह कृषि मंत्री हरिजनों का गला घोटें और मुख्य मंत्रीजी बैठे बैठे सुनते रहें, और उत्तर नहीं दें और न उत्तर दिलायें। हम कहते हैं कि यह अन्यायपूर्ण बात है....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। आॅर्डर प्लीज ! मैं निवेदन कर रहा हूं। स्थान ग्रहण करिये। मैं निवेदन कर रहा हूं। आसन अपने पैरों पर है। ऐसा है, इस प्रश्न ने काफी समय ले लिया है....

श्री बालसिंह सोढ़ा : खोदा पहाड़ निकली चुहिया।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री लादूराम सुलानिया : समय जरूर लिया है लेकिन उत्तर एक प्रश्न का भी नहीं दिया है। फिर भी आसन द्वारा राज्य सरकार को बाध्य नहीं किया जाता है जवाब देने के लिए। यह बड़े अफसोस की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें एक आध प्रश्न बचा होता तो उसको लेने में आपत्ति नहीं होती।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा एक प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। इतनी चर्चा होने के बाद भी पूरक प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए लगता है कि इसका निराकरण नहीं हो सकता। इस प्रश्न को इसलिए यहीं छोड़ दिया जाय और अन्य किसी अवसर पर अन्य किसी तरीके से इसे उठाया जा सकता है।

प्रश्न समाप्त हुआ। आॅर्डर प्लीज !

श्री आईदानसिंह : निराकरण यहां नहीं हो सकता तो कहां हो सकता है ? इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है....

श्री हीरा भाई : इसकी जांच करनी चाहिए....

श्री आईदानसिंह : मंत्री महोदय यह बता दें कि ट्रैक्टर कब मंगाये, कितने मंगाये ? यह बतायें ।

श्री रूपसिंह : मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं । मैंने सवेश्चन उठाया था वह इसलिए उठाया था....

श्री आईदानसिंह : इसमें मैं बताऊं कि ५६ रसियन ट्रैक्टर आये....

श्री रूपसिंह : मैं बताता हूं कि इन्होंने क्या किया है....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा ।

श्री रूपसिंह : जो चन्दनमलजी हैं, इनका जो दामाद है उसने एक ट्रैक्टर बेचा है, सितम्बर, अक्टूबर में....

श्री उपाध्यक्ष : लिस्ट नहीं पढ़ेंगे ।

श्री रूपसिंह : पंजाब के एक नेकसिंह को, दस हजार में बेचा गया है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रूपसिंह : दूसरे नम्बर पर पुष्पा गोयल है इन्हें एक ट्रैक्टर दिया । इन्द्रसिंह, प्रेमसिंह को ट्रैक्टर नहीं दिया, मिसेज गोयल को दिया जिस पर पन्द्रह हजार....

श्री नत्थीसिंह : मिसेज नहीं है यह !

श्री रूपसिंह : मेरे पास तो ट्रैक्टर मौजूद है, उसे बेचा नहीं है । इसलिए मैं कहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए । जिन्होंने ट्रैक्टर लिये हैं और बेच दिये हैं उनकी जांच हो । कोई ब्लैक में दस हजार रुपया लेता है, कोई पांच हजार लेता है, कोई बीस हजार लेता है । आयन्दा के लिए इसे बन्द किया जाय । इस तरह जो ट्रैक्टर बाहर से मंगाये जाते हैं वह इस तरह ब्लैक में बेचने के लिए नहीं मंगाये जाते हैं । आप सरकार की कुर्सी पर बैठ गये, इसलिए आप इस तरह अन्याय करना चाहते हैं....

श्री गिरधारीलाल व्यास : इनकी बातों में तथ्य नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया ध्यान ग्रहण करें ।

श्री रूपसिंह : जो इस तरह गलत काम करते हैं, ऐसे आदमियों को आप हटायें । ऐसे आदमियों के खिलाफ आप इन्क्वायरी बैठायें, जिन्होंने ट्रैक्टर पंजाब में बेच दिया । ट्रैक्टर बेच कर लोगों ने पैसा कमाया है । मैंने पहले भी कहा था....

श्री उपाध्यक्ष : पर्याप्त हो गया, माननीय सदस्य !

श्री रूपसिंह : मैंने लिस्ट बतायी, चन्दनमलजी के दामाद को ट्रैक्टर दिया है, जिसने दस हजार में उसको बेच दिया । फिर पुष्पा गोयल को दिया....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री रूपसिंह + + + +

(शोरगुल)

+ + + + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (उप मंत्री) : इनकी लड़की को नहीं मिला है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा का विषय नहीं है, ऑर्डर प्लीज।

(शोरगुल)

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य की लड़की को नहीं मिला, इसलिए उन्होंने यह प्रश्न उठाया है। श्री रूपसिंह ने अपनी लड़की के नाम से दरख्वास्त दी थी....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष (श्री विजयसिंह से) : पैनेल के चेयरमेन, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह : मुख्य मंत्री की लड़की को ट्रैक्टर दिया गया। इन पर आरोप लगाया है, यह गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री खुद बिराजमान हैं। उनकी लड़की जिनके पास १५ बीघा जमीन से कम है, उनको ट्रैक्टर दिया गया। यह गंभीर आरोप है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या इस प्रकार के भ्रष्टाचार को आप दबा देना चाहेंगे ? व्यापारियों को ट्रैक्टर दिया गया।, एक डूंगरमल है जिनके पास एक बीघा जमीन है ठेकेदारों के पास एक बीघा जमीन नहीं है, उनको दिया गया....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(श्री रामचन्द्र आर्य व श्री रूपसिंह एक साथ बोलने लगे)

श्री रामचन्द्र आर्य : जिनके पास एक बीघा जमीन है, उनको ट्रैक्टर दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। बात को बढ़ाने से क्या फायदा ?

श्री रामचन्द्र आर्य : जिनके पास एक बीघा जमीन हो, उनको ट्रैक्टर दिया गया है, अनाज का व्यापारी है उसको दिया गया है।

श्री लादूराम सुलानिया : मंत्री महोदय ने और मंत्रिमंडल .... (अश्रव्य)

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज। मेरी बात सुनें। आप अपनी बात १० बार यहां कह चुके हैं, वह की वह....

श्री लादूराम सुलानिया : हमारे यहां हरिजनों से, शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ट्रैक्टर न देने से उनकी जो हानि हुई...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री लादूराम सुलानिया : उसके विरोध में मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री लादूराम सुलानिया द्वारा सदन से बहिर्गमन) (शोरगुल)

श्री रामचन्द्र आर्य : जांच होनी चाहिए। इस तरह से लोगों को ट्रैक्टर्स दिए गये हैं। काश्तकारों के हिस्से के ट्रैक्टर्स व्यापारियों को दिए गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। विधायी कार्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं चैलेंज करता हूं कि इसकी जांच करवाई जाय ।

श्री उपाध्यक्ष (श्री बालसिंह सोढ़ा से): दुबारा यह प्रश्न खुल जायगा ।

(शोरगुल)

श्री बालसिंह सोढ़ा : दोनों तरफ से इसकी जांच करवा ली जाय ।

(श्री बालसिंह व श्री रामचन्द्र आर्य साथ-साथ बोलने लगे ।)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे ।)

माननीय सदस्य, ऐसी स्थिति हो गई है कि सदन की कार्यवाही चलाना आॅर्डर प्लीज ! माननीय रामचन्द्रजी, आप सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित करते हैं, विवश होकर जो कार्यवाही नहीं की गई है, नियमानुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी । मैं सम्माननीय सदस्यों से अपील करता हूं, मैंने निवेदन कर दिया कि इस बात को यहीं पर छोड़ देना चाहिए । श्री रामचन्द्र आर्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(श्री लक्ष्मणसिंह के खड़े होने पर) विपक्ष के नेता महोदय, फिर विवाद का विषय बन जायगा । (श्री रामचन्द्र आर्य से) माननीय सदस्य ।

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : रामचन्द्रजी ने कहा था कि मुख्य मंत्रीजी हरिजनों के बारे में कुछ जवाब देना चाहें तो उस बारे में जानकारी दें ।

श्री उपाध्यक्ष : इस उग्र वातावरण में नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे यह बात साबित हो गई है कि इम्पोर्टेड ट्रेक्टर्स का जो डिस्क्रिशनरी कोटा का एलाॅटमेंट किया गया है, यह इलेक्शन फंड को आगमेंट करने के लिए किया गया है ।

सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य : गलत ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, माननीय रामनारायणजी ! स्थान ग्रहण करें । चीफ व्हिप महोदय, स्थान ग्रहण करें । विधायी कार्य । राजस्थान निवारक निरोध विधेयक, १९७० ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह रह गया । यह प्रश्न आपने बीच में ही ले लिया । प्रश्न चल रहा था । आपने स्थगन प्रस्तावों के बीच में ही यह प्रश्न ले लिया ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त हो चुका ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कहां समाप्त हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त होकर उसके पश्चात् मैं इसको ले रहा था तो बीच में ध्यान आकर्षित किया गया । इसलिए इस प्रश्न को उस पर प्रायोरिटी दी गई है । वह समाप्त हो गया ।

श्री रामचन्द्र आर्य : हरिजनों के बारे में ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया संकल्प प्रस्तुत किया जायगा । माननीय श्री रामकिशन !

विधायी कार्य

राजस्थान निवारक निरोध अध्यादेश, १९७० पर प्रस्तुत संकल्प पर विचार

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक १७ जून, १९७० को श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान निवारक निरोध अध्यादेश, १९७० (अध्यादेश सं० ६, सन् १९७०) को अस्वीकार करता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय रामकिशनजी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, इस पर विवाद हो, उनकी सहूलियत के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रिवेन्टिव डिटेन्शन बिल यह सेन्ट्रल एक्ट था, १९५० में बना था। १९६८-६९ में इसकी लाइफ खत्म हो गई तो मैं चाहूंगा कि इस विवाद में सहूलियत रहे, ऐसी कौनसी हालात नेसेसीएट करती है राजस्थान में ऐसी कौनसी लॉ एण्ड आर्डर सिचूएशन डिटेरियोरेट हुई है ? अभी भी वेस्ट बंगाल में इस प्रकार का प्रिवेन्टिव डिटेन्शन लॉ...

श्री मूलचन्द डागा : रीजन्स आ चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में न बोलें।

श्री नत्थीसिह : हाथी के हौदे पर जलूस निकला है, नया-नया जोश है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हौदे पर बैठने वाले पहले जायेंगे।

श्री मदनसिंह : कानून बनने के बाद में आप सीधे जायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वादविवाद में सहूलियत रहे इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रिवेन्टिव डिटेन्शन बिल जो इस सदन में राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है और जिसके सम्बन्ध में अध्यादेश जारी किया है, एक तो अध्यादेश जारी करने के पश्चात् राज्य सरकार ने उस अध्यादेश के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की है क्या ? अध्यादेश आपने जारी किया तो उसके अन्तर्गत कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया, प्रिवेन्टिव डिटेन्शन लॉ के तहत आपने उन प्रोवीजन्स को एप्लाई किया है तो सदन को जानकारी दी जाय कि इतने व्यक्तियों को इस अध्यादेश के जारी होने के बाद इन-इन आरोपों में राज्य सरकार ने गिरफ्तार किया है जिससे कि अध्यादेश जारी करने के सम्बन्ध में उसका औचित्य क्या है, वह सदन को मालूम पड़ जायगा तो अध्यादेश के संकल्प पर विवाद के समय तथ्यों को कहने में सुविधा होगी और साथ में गृहमन्त्री सदन को यह भी जानकारी दें कि देश में कुछ राज्यों में, थोड़े से राज्यों में, अभी तो पश्चिम बंगाल जहां लॉ एण्ड आर्डर सिचूएशन कम्पलीटली ब्रेक डाउन हो गई है, वहां पर भी अभी यह लॉ एप्लाई नहीं किया गया है तो राजस्थान में जैसे कोई इस प्रकार की नक्सलवादी कार्यवाही निकट भविष्य में राजस्थान में एन्टीसिपेट मैं नहीं करता। इस सदन में एक सदस्य हैं जो कम्यूनिस्ट पार्टी के हैं, वह नक्सलवादी है, ऐसा मैं मानकर नहीं चलता।

ऐसी परिस्थितियों में केवल रामानन्द जी ही हैं, चुनकर आए हैं, केवल उसी आधार पर आप प्रिवेन्टिव डिटेन्शन बिल लाना चाहते हैं और कोई कारण है जो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
आपको नेसेसिएट करता है ? ऐसा कौनसा कारण है जिन्होंने नेसेसिएट किया कि राज्य में ऐसे काण्ट्रोवर्सियल पीस ग्रॉफ लेजिस्लेशन को जो देश में कहीं बना नहीं, सेन्टर में था लेकिन उसने भी टर्म बढ़ाया नहीं उसको आप राजस्थान में प्रायोरिटी देकर लाना चाहते हैं।

इस प्रकार के दो तथ्यों के विषय में सदन को जानकारी दे देंगे तो मैं समझता हूं सहूलियत रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रध्यादेश कारणों सहित ही सदन के सामने रखे जाते हैं। संकल्प है तो दोनों तरफ से माननीय सदस्य कह सकते हैं। मुझे एतराज नहीं होगा यदि पहले राज्य सरकार कहना चाहे।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृहमन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि संकल्प और विधेयक विचारार्थ दोनों ही साथ ले लिये जांय तो रीजन्स जिनके कारण यह बिल लाया गया है, वह पेश कर देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यदि टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स पर जवाब दें तो मत दीजिये। यह आपकी मर्जी की बात है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ग्रोबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स इसमें दिये हुए हैं। जो कुछ कहना है वह कहूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो कुछ आपको कहना है तो वह कहिये। यह जानकारी तो मिल जाय कि ग्रोर्डिनेन्स के तहत में क्या कार्यवाही की है राज्य सरकार ने।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह ग्रध्यादेश जिस प्रकार की हालत में राजस्थान में लाया गया है सदन के सब ही माननीय सदस्यों को इससे चिन्ता है और वह यह महसूस करते हैं कि इस ग्रध्यादेश की इस राजस्थान में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी।

ग्रभी प्रश्न उठाया गया ग्रौर गृह मंत्रीजी ने कहा कि रीजन्स एन्ड ग्रॉबजेक्ट्स स्टेटमेंट में दिये हुए हैं कि किस कारण से यह ग्रध्यादेश लाया गया। वहस आगे बढ़ेगी तो इस ग्रध्यादेश की राजस्थान में जरूरत थी या नहीं या देश में भी जरूरत थी या नहीं यह मालूम हो जायगा।

स्टेटमेंट ग्रॉफ ग्रोबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स को किसी एक कारण से मैं ग्रंग्रेजी में ही पढ़ना चाहूंगा।

कई माननीय सदस्य : आप ग्रौर ग्रंग्रेजी ?

श्री रामकिशन : अच्छी बात है हिन्दी में ही रखूंगा। जो कुछ कहा गया है इसमें तथ्य रख दूंगा हिन्दी में ही।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ दीजिये।

श्री रामकिशन (वैर) : नम्बर एक, ५० में यह कानून लागू किया गया। उस वक्त जो देश में हालात थे, उस वक्त की तस्वीर को देखना पड़ेगा। देश आजाद हुआ था और देश का विभाजन हुआ था। देश में उस समय साम्प्रदायिक दंगे चल रहे थे और संविधान भी लागू नहीं किया गया था। २६ जनवरी १९५० में संविधान बना और मूल ग्रधिकारों की व्याख्या की गयी। देश के

(श्री रामकिशन)

विभाजन और साम्प्रदायिक वातावरण की वजह से विक्षोभ और दुख: का वातावरण चारों तरफ था। देशी रियासतों का विलीनीकरण हुआ कुछ रियासतों का दूसरी रियासतों के साथ। निजाम हैदराबाद और नवाब भोपाल उस समय हिन्दुस्तान की हुकूमत को न मान रहे थे और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी हिन्दुस्तान की आजादी को स्वीकार नहीं कर रही थी और यह कह रही थी कि कांग्रेस ने मिलकर औपनैविशिक शक्तियों के साथ सांठ-गांठ करके सत्ता हथियाली है और इस कारण

(१२.५५ म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

वे शस्त्र भी उठा रहे थे। देश में विकास की गति, लोकतन्त्रीय परम्परा का कोई ज्ञान नहीं था कि हिन्दुस्तान किस तरफ जावेगा। उस समय देश में इस कानून को लागू किया गया और संविधान उस समय नही बना था जब उसको लागू किया गया था। आज की तारख में, सभापति महोदय, आप महसूस करेंगे कि काफी परिवर्तन देश की राजनैतिक तस्वीर में हुए हैं। गांधीजी की हत्या हुई। कट्टर हिन्दू साम्प्रदायिक दल, मुस्लिम लीग थे और अकाली दल था जिसके नेता मास्टर तारासिंह थे। एक तरफ अकाली नेता मास्टर तारासिंह पंजाब में और दक्षिण में दूसरी तरफ द्रविड़ कड़गम था जिसके नेता थे रामा स्वामी नेकर। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हो गया अब वह दल। लोकसभा में जो बहस हुई उसको ध्यान से सुने तो आपको ज्ञात होगा अकाली दल की नीति मे परिवर्तन हो गया और मास्टर तारासिंह अकाली दल के नेता थे वह हट कर संत फतहसिंह उसके नेता हो गये तो यह परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ अकाली दल की नीति में, जिसके साथ आज आपकी कांग्रेस है। कम्युनिस्ट पार्टी की जो तस्वीर है उसकी पुरानी तस्वीर को याद मत रखिये। इस वक्त विश्व का कम्युनिस्ट ऑर्गेनाईजेशन चार भागों मे बंट गया है। एक कम्युनिस्ट वह जो रूस और उसकी नीतियों का समर्थन करते हैं। विदेशी दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूं। साम्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी नीतियों को मानते हैं। एक कम्युनिस्ट आन्दोलन वह है जो कम्युनिस्ट चीन की नीतियों में विश्वास करता है और उसको मानता है। चीन और रूस के अलावा जो बीच का रास्ता है जिसको युगोस्लाविया वालों ने अख्तियार किया है वैसे रास्ते को अपनाते हैं। चौथा वह ऑर्गेनाईजेशन है जो न चीन और रूस को और न ही युगोस्लाविया को मानता है किन्तु जो नक्सली और हिंसक खूनी क्रान्ति में विश्वास करता है। आज देश की एक राजनैतिक तस्वीर बनी है। हिन्दू साम्प्रदायिकता के कट्टरपन में एक परिवर्तन हुआ है। हिन्दू महासभा और जनसंघ का भी वह रूप समाप्त हो गया और मुस्लिम लीग वह मुस्लिम लीग नहीं रही है जो विभाजन के समय थी। हालांकि इस्माइल साहब ने यह जवाब दिया है कि उस मुस्लिम लीग में और अभी की मुस्लिम लीग में कोई फर्क नहीं है। यह कांग्रेस वालों के सोचने की बात है। इस स्थिति मे वे विचार करें कि उनका उनके साथ गठबन्धन किस प्रकार उचित है। अकाली

Page No 53

(श्री रामकिशन)
अकाली दल जिसको एक साम्प्रदायिक दल कांग्रेस वाले कहते नहीं अघाते थे उसी के साथ मिलकर आज पंजाब में और सैन्टर में राज चला रहे हैं। आज राजनैतिक तस्वीर में परिवर्तन हुआ है।

विधेयक के जो ओबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स दिये हैं वे आज देश की परिस्थितियों के परिवर्तन में आवश्यक नहीं हैं। इसमें जो आपने लिखा है, किसी कारण से मैं अंग्रेजी में उसको नहीं पढ़ रहा हूं....

एक माननीय सदस्य : आप पढ़िये।

श्री लक्ष्मणसिंह : आप पढ़िये ना।

श्री रामकिशन : मैं नहीं पढ़ रहा हूं। नाहर साहब के ही सिपुर्द करता हूं किसी कारण से मैं अनर्थ कर रहा था अंग्रेजी पढ़ कर इसलिये उसको बन्द कर देता हूं।

तो इसमें कुछ कारण दिये गये हैं। देश की सुरक्षा, देश को आवश्यक चीजों की सप्लाई और ऐसी स्थिति हो तो सरकार का क्या कर्तव्य हो। इस प्रकार के शब्द इसमें दे रखे हैं। ५० की पृष्ठ भूमि में यह कानून लागू किया गया था और आज सन् १९७० है। इस काल में जो राजनैतिक तस्वीर देश की बनी उसका मैंने विवेचन किया।

जहां तक सप्लाई और पब्लिक ऑर्डर का सवाल है उस पर चर्चा हो सकती है। पब्लिक ऑर्डर में खतरा पैदा हो जाय तो सामान्य कानून है। क्या वे उसके लिये उपयुक्त नहीं हैं और उपयुक्त नहीं हैं तो क्या यह डिटेन्शन एक्ट उसके लिये उपयुक्त है और उसकी उपलब्धि कर सकेगा।

तो मेरा सब से पहले शक यह है कि यह जो अध्यादेश लाया गया है जिसके कारण सरकार द्वारा बताये गये हैं उसके अनुसार इसका कोई आधार नहीं। माननीय गृहमंत्री का अब तक का जो अनुभव रहा है वे यह समझते हैं कि इसका आपत्कालीन समय में इसका असर अच्छा हुआ है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के झगड़े के समय, चीन के आक्रमण के समय इसका जो उपयोग किया गया है उसके जो नतीजे आये हैं उससे वे प्रभावित हैं। आज की स्थिति में जो ऑर्डिनेन्स लाया गया है उसके अन्तर्गत तीन आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। एक है शफी मोहम्मद, दूसरे हैं बशीर अहमद और तीसरे हैं सम्पतसिंह। इसमें बशीर अहमद को इसलिये गिरफ्तार किया गया था कि इनसे सुरक्षा को खतरा था और श्री सम्पतसिंह को इसलिये गिरफ्तार किया गया कि पब्लिक ऑर्डर का खतरा था। बशीर अहमद और शफी मोहम्मद कौन हैं जिस समय मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे तब बतलायेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : दे आर बोथ पाक नेशनल्स।

श्री रामकिशन : मुझे जवाब मिल गया है इसलिये मैं अब इस तरफ से बिलकुल हट जाऊंगा वे पाकिस्तान के नागरिक हैं। अब रहा सवाल सम्पतसिंह का, इसको क्यों गिरफ्तार किया गया, ये भीलवाड़ा जिले शाहपुरा गांव के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी का कारण यह बतलाया गया है कि ये पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करते थे। इसलिये यह कानून लाये हैं। आप एक आदमी के लिये इस प्रकार का कानून लाते हैं और अब तक केवल उसके लिये ही

(श्री रामकिशन)

उपयोग में लाये हैं। सम्पतसिंह के बारे में माननीय गृहमंत्री जी सूचना देंगे कि उनके किन कारणों से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है। मैं इतना सा निवेदन करदूं यह पुराना छुटभइया जागीरदार है यह न तो डूंगरपुर के भूतपूर्व महारावल ही हैं और न बून्दी के भूतपूर्व महाराजा केशरीसिंह हाड़ा ही। यह कोई इन जैसा बड़ा जागीरदार नहीं है सो पचास बीघा धरती रखने वाला छुटभइया जागीरदार है। इसकी राजनैतिक आकांक्षायें हो सकती हैं इन्हीं आकांक्षाओं के कारण सत्तारूढ दल से यह व्यक्ति संघर्ष करता रहा है और इसी कारण यह गिरफ्तार भी हुआ है और पी० डी० आर० के तहत जमानत भी हो गई है। गृहमंत्री महोदय, वह अपराधी हो सकता है, आपसे झगड़ा किया होगा बदमाश भी होगा, लेकिन उससे राजस्थान राज्य को क्या हानि होने वाली है उससे क्या असुरक्षा है जिसकी वजह से आपको यह कानून लाना पड़ा और उसके अन्तर्गत गिरफ्तार करना पड़ा। एक बार इनको छोड़ दिया दुबारा पकड़ लिया। इसलिये आप जिस उद्देश्य से इस कानून को ला रहे हैं उसमें दुरुपयोग की सम्भावना ज्यादा है। अगर राजस्थान में किसी प्रकार इमर्जेन्सी पैदा होती है संकटकालीन स्थिति पैदा हो जाय तो समझ में भी आ सकता है कुछ समाज विरोधी ऐसा वर्ग हो बिजली पानी आदि सप्लाई में बाधा पहुँचा सके, रसद सामग्री पहुँचाने में बाधा पहुँचा सके वैसी स्थिति में आप विश्वास करके चलिये हमारा सहयोग आपको रहेगा और हम हर स्थिति में आपका साथ देंगे। चीन के आक्रमण के समय आपने कम्युनिस्टों को पकड़ा था हमने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। पाकिस्तान के हमले के समय हमने आपका पूरा साथ दिया था और आपसे आग्रह किया था कि आप इस कानून को सख्ती से पालन करें। आज राजस्थान की स्थिति में इन सारी संभावनाओं की गुन्जाइश नहीं है।

जहां तक बॉर्डर का सवाल है, बोर्डर हमारे प्रान्त से ही लगता हो यह बात नहीं गुजरात भी बॉर्डर पर आया हुआ है उससे भी काफी बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान का मिलता है। उत्तरप्रदेश की सीमा चीन से लगती है। इस पर भी वहां इस प्रकार का कानून नहीं है। मैं आपसे जानकारी चाहूंगा इस प्रकार का कदम और किन-किन स्टेट्स में उठाया गया है। आपको नागरिक स्वाधीनता के बारे में किस प्रकार खतरा पैदा हो गया जिसके कारण यह कदम उठाने की जरूरत पड़ी, पब्लिक ऑर्डर के डिस्टर्ब होने की क्या वजूहात है वह भी हम जानना चाहेंगे।

हमारी जो विदेश नीति है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं जो अप्रासंगिक नहीं होगा। यह सारे प्रश्न आज हिन्दुस्तान की विदेश नीति के साथ जुड़े हुए हैं। यह मैं मानता हूं, हमारी विदेश नीति का सम्बन्ध राजस्थान की विधान सभा से नहीं है यहां इसकी चर्चा उठाना भी उचित नहीं होगा चूंकि स्टेटमेन्टस ऑफ ऑब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में, जो बातें कही गई हैं उसके अनुसार मैं जानना चाहता हूं आज हिन्दुस्तान के विदेशों से ताल्लुकात क्या हैं ? इस बारे में हो सकता है गृह मंत्री महोदय, मेरे से ज्यादा जानकारी रखते हों। आज हम विदेश नीति के बारे में दुनियां में अकेले खड़े हुए हैं। हमारा इस समय कोई साथी नहीं है, चीन का हमारे पर आक्रमण होता है दुनियां का कोई देश हमारा साथ देने के लिये नहीं आता है।

(श्री रामकिशन)

मलेशिया के प्रश्न पर हमारा जो रुख रहा है उससे कुछ हमारी विदेश नीति सामने आयी थी। मिडिल ईस्ट में हमारा कोई दोस्त नहीं, पूर्वी एशिया में हमारी नीति को पसन्द नहीं किया गया। इसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि २३ वर्षो के बाद भी हमारी विदेश नीति बांझ नीति है जिसका नतीजा कुछ नहीं है। आज इसी कारण दुनियां का कोई देश हमारा साथ देने के लिये तैयार नहीं है।

रामानन्दजी ने कल एक बात कही जब मदनसिंहजी ने उनसे पूछा कि आप किनके ज्यादा नजदीक हैं। तो उन्होंने कहा था कि आर्थिक कार्यक्रम में सोशलिस्ट पार्टी के नजदीक है और जहां तक विदेश नीति का सवाल है हम इन्दिरा गांधी के साथ में हैं, उनके नजदीक हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारी विदेश नीति को ही इन्दिरा गान्धी ने अपनी विदेश नीति बनाया है इसलिये हमारा उनसे नजदीक कार्यक्रम है।

श्री रामकिशन : इस तरह से हम एक दूसरे के विचारों से कहां तक नजदीक हैं और कहां तक दूर हैं वह आभास मिलता है। हिन्दुस्तान को क्या नीति है कोरिया में अमेरिका की फौजों ने दखल दिया, वियतनाम में अमेरिका की फौजों ने दखल दिया तो उसकी आलोचना करने लगे ...

श्री रामचन्द्र आर्य : इनकी विदेश नीति अवसरवादी नीति है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यहां विदेश नीति का सवाल कहां से आगया ?

श्री रामकिशन : आप समझने की कोशिश करें। १९५२ से यह एक्ट लागू हैं उसी में आपने विदेशियों से जो खतरा है उसके कारण इसको प्रयोग में लाने को सोची है।

श्री सभापति : यह विदेश नीति से बिल क्या संबन्ध रखता है ?

श्री रामकिशन : इसमें केवल दो आदमो को ही बन्दी करने का प्रश्न नहीं हैं।

श्री मदनसिंह : यह विदेशियों के लिये है।

श्री रामकिशन : आप जो कानून लाये हैं हूबहू सेन्टर में जिस प्रकार का कानून है उसी की नकल यह है। केवल स्टेट शब्द जोड़ा गया है। इस सम्बन्ध में आज की जो दुनियां की स्थिति है उनमें हमारी जो विदेश नीति है जिसका सम्बन्ध भी इस बिल से है। आज हमारी विदेश नीति न अमेरिका पक्षी है और न रूसी पक्षी एक तरफ से हमारी विदेश नीति दब्बू नीति है हमें मानवता के पक्ष के लिये अपनी नीति को काम में लाना चाहिये वह हिम्मत हमारे में नहीं है। इन्डोनेशिया को आजादी के सिलसिले में एशिया के देशों का जो सम्मेलन भारत में हुआ था उसमें हमारी विदेश नीति का कुछ भान हुआ था। आज को हमारी विदेश नीति अमेरिका और रूसी गुलामी की है। हम इस तरह मित्र विहीन खड़े हुए हैं। आज किसी देश को जो हमारा शत्रु है उसको अमेरिका भी हथियार देता है रूस भी हथियार देता है दोनों तरफ से हमारे शत्रु राष्ट्र को मदद मिलती जा रही है। मैं रामानन्दजी से पूछना चाहता हूं कि वे कांग्रेस सरकार की किस प्रकार की विदेश

(श्री रामकिशन)

नीति से प्रभावित हो कर वे उनके अनुयायी होने लगे हैं ? और किस प्रकार की नीति से प्रभावित हो कर उन्होंने कांग्रेस का साथ देने का फैसला किया है। जहां तक आर्थिक नीतियों का सवाल है वे हमारे साथ हैं। गृहमन्त्री महोदय बड़े अधीर हो रहे हैं अगर यह कानून पास नहीं हुआ तो पब्लिक आॅर्डर भंग हो जायगा उनकी सरकार को खतरा पैदा हो जायगा। पब्लिक आॅर्डर की व्याख्या में डिक्शनरी के हिसाब से नहीं करूंगा। राजस्थान सरकार के सामने किस प्रकार का भय व्याप्त है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आज हमारे राजस्थान में १३ लाख लोग जो पढ़े लिखे हैं वे बेरोजगार हैं। ५० लाख लोग जो ऐसे हैं जिनको आंशिक रोजगार मिला हुआ है। एक करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जिनके पास तीन एकड़ से भी कम जमीन है उसके मालिक हैं। अब इनमें सबमें परिवर्तन की भूख है, सब रोजगार चाहते हैं, बेरोजगार किसी हालत में नहीं रहना चाहते हैं। जिनके पास जमीन नहीं है वे या तो आल्टरनेटिव धन्धा चाहते हैं या जमीन चाहते हैं। एक तो संसदीय परम्परा है जिसमें बहस करें, मुबाहिसा करें और कोई रास्ता निकाल लें। माननीय मंत्री महोदय को २३ साल का अनुभव है, मुझे भी अनुभव है। आपका और मेरा अनुभव करीब करीब-करीब एक समान है। उम्र आपकी जरूर ज्यादा है, मेरी उम्र कम है। मैं कम उम्र में भी आप जितना ही अनुभव रखता हूं। दुनिया के देशों ने २३ सालों में गरीबी मिटाई है, भुखमरी खत्म की है, बेरोजगारी खत्म की है और इधर हम हिन्दुस्तान के आंकड़े देखें तो पता लगेगा इन २३ सालों में हमारे यहां निरन्तर बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है और भुखमरी ज्यादा हुई है। आप कहेंगे, हमारे यहां की जनसंख्या ज्यादा है और इसीलिये तो परिवार नियोजन अपनाया है। मैं मानता हूं आंशिक सम्बन्ध इसका जरूर है इसका सम्पूर्ण सम्बन्ध नहीं है। हमारे यहां खजाने में पैसा है, हमारे से ज्यादा साधन सम्पन्नता है, हमारे पास सारे सोर्सेस हैं फिर भी बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। अगर यह बात अमेरिका के साथ होती, आज अमेरिका में बेरोजगारी होती तो मैं मान सकता था क्योंकि वह देश आज विकास की चरम सीमा पर पहुंच गया है लेकिन जो देश अविकसित है उसमें अगर बेरोजगारी बढ़ जाती है तो मैं समझता हूं, प्रशासन का दोष है।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य (श्री गोकुलचन्द जाटव) आनन्द मग्न हो रहे हैं इसलिये सोने की व्यवस्था की जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सदन में इस तरह सोने की व्यवस्था की गई है सभापति महोदय ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : वे ध्यानस्थ हैं। ध्यानमग्न होकर मजा ले रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट में इस तरह सोते को पकड़ कर ले जाने की व्यवस्था भी है क्या ?

श्री रामकिशन : मैं निवेदन कर रहा था यह बेरोजगारी की फौज खड़ी हो गई है ये रोजगार चाहते हैं। एक तो संसदीय तरीका है, हम मांग करें और सरकार विचार करे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं

(श्री रामकिशन)

मैंने सरकार से तीन प्रश्न किये हैं। एक तो हमारे यहां भूमिहीन कितने हैं, दूसरे हमारे यहां बेरोजगारी कितनी है और तीसरे हमारे घाय के साधन कितने हैं ? इन तीन प्रश्नों का उत्तर यह आया है कि अभी पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। संसदीय लोकतन्त्र को जो काम करना चाहिये वह नहीं हो रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हमारे देश के भूखे लोग हैं, बेरोजगार हैं और जो अर्द्ध भूखे और अर्द्ध नग्न हैं वे किस रास्ते पर जा पायेंगे। मैं न उस रास्ते को उपयुक्त मानता हूं और न किसी सभ्य समाज ने उनको उपयुक्त माना है लेकिन मैं पूछता हूं समस्या का आखिर समाधान होगा कैसे ? हमारे देश का नौजवान ऐसी स्थिति में अधिक दिन तक नहीं रह सकता है और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सब लोग पब्लिक आर्डर भंग करें तो आप क्या कार्यवाही करेंगे ? आपका उत्तर यही होगा कि इन सबको प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के अन्तर्गत पकड़ लिया जायगा। न तो इससे आपकी पार्टी सुधर सकती है और न इससे कोई स्थिति में परिवर्तन होगा। किसी तरह का सुधार इससे सम्भव नहीं है।

इस २३ साल के कांग्रेस के शासन ने कुछ लोगों के हाथों में पूंजीपति की सत्ता को सम्भला दिया है बाकी के करोड़ों लोग आज बेरोजगारी के मुंह में फंसे हुये हैं। अब ये सब क्या चाहते हैं, ये सब परिवर्तन चाहते हैं फिर आप कहेंगे पब्लिक आर्डर टूट रहा है, लोक व्यवस्था भंग हो रही है। आप समझते हैं उनको पकड़ने से आपकी व्यवस्था ठीक हो जायगी कदापि होने वाली नहीं है। हां, उस हालत में आपकी व्यवस्था ठीक हो सकती है जब सारे राजस्थान के करीब एक डेढ़ करोड़ व्यक्तियों को पकड़कर जेल में बिठा दिया जाय और उन सबके खाने, पहिनने और सोने की व्यवस्था वहां हो जाय तो मैं इस अध्यादेश का समर्थन कर सकता हूं। लेकिन मैं समझता हूं यह व्यवस्था भी राज्य सरकार को नहीं है और न यह राजस्थान सरकार उसको सम्भव बना सकती है तब फिर बेकार है। श्री रामानन्दजी ने कहा लोकतन्त्र में विश्वास घटता जा रहा है स्थिति यह नहीं है कि लोकतन्त्र से विश्वास घट रहा है बल्कि बात यह है कि रामानन्दजी की कम्युनिस्ट पार्टी में परिवर्तन हो रहा है, जनसंघ में परिवर्तन हो रहा है और अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मीनू मसानी में परिवर्तन नहीं हो रहा है बाकी सब पार्टी धीरे धीरे परिवर्तन की ओर जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले आप भी सोशलिस्ट पार्टी में थे।

श्री रामकिशन : यह तो बहुत पुरानी बात है। अब हम इस बात को सोचते हैं संसदीय प्रणाली द्वारा हिंसक तरीकों से नहीं लेकिन सत्याग्रह से इसे जोड़ दिया जाये, मार-पिटाई नहीं हो लेकिन सरकार को अपनी नीति बदलने के लिये मजबूर कर दें तो आप यह कहेंगे कि यह लोक व्यवस्था भंग हो रही है। अगर ये दोनों रास्ते फेल हो गये तो फिर तीसरा रास्ता नक्सलवादी का है और चौथा है विदेशी आक्रमण। कोई विदेशी हुकूमत हो जाय। वे यह सोचते रहे हैं जेकोस्लावेकिया में कम्यूनिज्म आ गया, हंगरी पोलैण्ड में कम्यूनिज्म आ गया तो वह देश की समाज व्यवस्था को बदल देगा। जब कोई

(श्री रामकिशन)

विदेशी शासक ग्राता है चाहे वह पक्ष वाला है लेकिन वह हैसियत ऊंची रखता है। पोलैन्ड, जेकोस्लोवेकिया ग्रौर हन्गरी के लोगों का जन मानस ग्राज ऊंचा है। ग्राज यह सारे देश के लिये ग्रमान्य है हिंसा, सत्याग्रह ज्यादा पैमाने पर चलाये जायें ग्रौर फिर ग्राप कहेंगे लोक-व्यवस्था भंग हो रही है क्या है? जिस बावत व्यवस्था महसूस करते हैं तो वह भी ग्रापके पास मौजूद है। कोई डण्डा मारते हैं तो दूसरा कानून बना हुग्रा है, कोई ग्रन्याय करते हैं तो पुलिस को पकड़ने का ग्रधिकार है तो ग्रब मैं पूछना चाहता हूं ग्रापकी लोक-व्यवस्था कहां भंग होती है? तीसरा प्रश्न उठ सकता है ग्रौर ग्राप कहेंगे कि एसेन्शियल सप्लाई रुक गई। ग्रब इसका ग्रर्थ है जिस समय कानून बना उस समय कश्मीर में, लड़ाई का मामला था, ग्रान्ध्रप्रदेश में कुछ ग्रौर स्थिति थी। हैदराबाद में एसेन्शियल सप्लाई किसको रुकी है? मैं समझता हूं कि ग्रापको कहीं एसेन्शियल सप्लाई में बाधा नहीं है। सीमाग्रों पर ग्रापको कभी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा है। सीमा सुरक्षा पर ग्रापकी पुलिस है। ग्राप एक उदाहरण नहीं दे सकते हैं जिसने ग्रावागमन में बाधा डाली हो चाहे वह पेट्रोलियम हो, चाहे खाने-पीने की चीजें ग्रौर चाहे ग्रन्य जीवनोपयोगी वस्तुएं हों उनके खाने-पीने में कहां बाधा ग्राई है, ग्राप बता दें? सभापति महोदय, कोई एक भी मन्त्री-मण्डल का सदस्य यह बता दे कि फलां जगह बाधा ग्राई है। मैं समझता हूं कुछ मंत्रियों को तो पता ही नहीं है कि वह यह किस प्रकार का कानून है?

सभापति महोदय, मैं समझता हूं इस ग्रॉडिनेन्स का कोई ग्रौचित्य नहीं है, ग्रप्रासंगिक है लेकिन इसके बावजूद ग्राज ग्राप समाज की व्यवस्था करने वालों को रोक रहे हैं, ग्राज ग्राप गरीब लोगों को उनकी गरीबी मिटाने के लिये रोक रहे हैं। एक ग्रनाज का व्यापारी चाहता है ग्रनाज में तेजी ग्राये ग्रौर ब्लेक मार्केटिंग खूब करे लेकिन ग्राप उनको नहीं रोकते, उनको रोकने की ग्राप में हिम्मत नहीं है। ग्राज किस चीज का ब्लेक मेलिंग नहीं हो रहा है? तेल का ग्राज ब्लेक हो रहा है, खाने-पीने के सब पदार्थों पर ब्लेक चल रहा है, जमीनों का खुलकर ट्रेस पास किया जा रहा है, रिश्वत का पूरा बोलबाला है। इनको किसी को रोकने की ग्राप में हिम्मत नहीं है। सरकार निरन्तर उनका शोषण करती जा रही है जो गरीब है, जिनकी ग्रावाज सरकार तक नहीं पहुंचती है। ग्रधिकारी वर्ग जो शोषण करता है जो खुले ग्राम रिश्वत का सहारा लेते हैं परन्तु उसका कोई कानून नहीं लायेंगे जिसका ग्रर्थ सीधा-सादा यह होता है कि ग्रापके ग्रधिकारी, ग्रापकी पुलिस, कलेक्टर, एडीशनल कलेक्टर, तहसीलदार ग्रपनी मनमानी करें। गरीब ग्रौर समाज-सेवी लोगों को परेशान करने के ग्रलावा ग्रापका यह कानून ग्रौर कुछ नहीं है। इस ग्रध्यादेश के लिये, सभापति महोदय, मैं तर्क की दृष्टि से साबित कर सकता हूं कोई राजस्थान में जरूरत नहीं है। ग्राज बंगाल में जब लोकसभा में यह कानून ग्राया तो मैं पूछना चाहता हूं ६७ से ग्राज तक क्यों नहीं पारित कर रहे हैं? वहां की स्थिति तो ग्राज सभी माननीय सदस्य जानते हैं ज्यादा खराब है लेकिन चूंकि, सभापति महोदय, वहां परिस्थिति बदल गई है। कुछ दल ऐसे हैं जो इसके खिलाफ हैं संयुक्त सोशियेलिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। एक

(श्री रामकिशन)

कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है और हिंसा का समर्थन करती है वह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है और एक कम्युनिस्ट पार्टी इन्दिराजी की है जिसका प्रगतिशील का नारा है और जो आज किसी तरह सत्ता से मिली हुई है जिनका कोई अर्थ नहीं है, मार्क्सवादी मानने को तैयार नहीं हैं, लेकिन मेरे पुराने मित्र हैं और आपके नजदीक के हैं.... (व्यवधान, अश्रव्य)…. सभापति महोदय, इनका विवेक नहीं जगा। आज तो सुबह ही मैंने समाचार-पत्र में पढ़ा है ११ नौजवानों को मार कर सड़क पर डाल दिया गया। बंगाल की जो स्थिति है वह सारे समाचार-पत्र कहते हैं। हिन्दुस्तान के सारे समाचार-पत्र बंगाल के बारे में अपनी एक प्रोपोर्शनियन रखते हैं। मेरी भी मान्यता है मैं बहुत प्रगतिशील नहीं हूं कन्जरवेटिव हूं, लेकिन जो वहां के हालात हैं, उन हालात में लोकसभा को यह कानून लगा देना चाहिये, लेकिन आप देखेंगे लोकसभा में पारित नहीं हो सका और जो कार्य सलाहकार समिति थी उसमें यह ३३ वोट से पास हुआ है। उन्होंने बहुतसारी धाराओं को हटा दिया, कई धाराओं को बदल दिया है। लेकिन आपने यह भी तकलीफ गंवारा नहीं की जबकि केन्द्रीय सरकार पुरानी धाराओं को बदल रही और उस हालत में जबकि राजस्थान की हालत से हजारों गुणा खराब हालत वहां की है फिर भी आप उनको नहीं बदल रहे हैं।

तो, सभापति महोदय, मेरा आपसे कहना है कि इस कानून का कोई औचित्य नहीं है, इस कानून की कोई जरूरत नहीं है, इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई इमर्जेन्सी होगी राजस्थान में और हम कल्पना करते हैं कि नहीं होगी, यह ठीक बात है। यह सम्भावना अवश्य है कि रूसी और अमरीकी हथियारों के मिलने की वजह से पाकिस्तान कुछ गड़बड़ी कर सकता है। रूस, चीनी और अमरीकी तीनों हथियारों को लेकर पाकिस्तान शायद कुछ गड़बड़ी करे लेकिन जब गड़बड़ी करेगा तो आजकल ऐसी चीज तो है नहीं कि बाड़मेर से कोई सिपाही पैदल चलकर यहां आपको आकर समाचार देगा। ऐसा भी नहीं है कि घोड़े पर चढ़कर कोई आयेगा। मैं समझता हूं कि एक मिनिट में आपको पता चल जायेगा। संविधान की धारा २१३ मौजूद है। आप संकटकालीन मीटिंग मंत्रिमण्डल की बुलाकर एक मिनट में इस कानून को लागू कर सकते हैं। उस समय हम आपका समर्थन करेंगे और जोरदारी से समर्थन करेंगे। मुझे ताज्जुब है कि हिन्दुस्तान में कोई लोकतंत्र के लिए आस्था नहीं है। केवल लोकतंत्र की चर्चा है और समाजवाद के बारे में कभी बयान आते हैं, तो कभी लोकतंत्र के बारे में बयान आते हैं। इस अब कानून के लिए यह कहना कि बहुत ही इमर्जेन्सी के समय इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन आज किसी को भी तीन दिन के लिए बन्द रखना बड़ा अन्याय है। माननीय गृह मंत्रीजी, आप जानते हैं मैं तो क्या सलाह दूं आपको लेकिन तीन दिन भी बन्द कर लेते हैं, अगर आप कहते हैं सरकार एप्रूव करेगी नहीं तो एप्रूव नहीं करेगी। लेकिन एक घण्टे भी कोई बन्द रहे तो उसके सम्मान और आत्मा को चोट पहुँचती है। जेल का जीवन कोई बढ़िया जीवन होता है? आपने जेल देखी होगी। जेलों में बन्द रहने का अनुभव हम और आप लोगों को थोड़ा बहुत है और हम मानकर चलते हैं कि इस प्रकार की असम्मानजनक स्थिति में

(श्री रामकिशन)

किसी आदमी को रखना उचित नहीं है। अगर किसी के ऊपर आप यह आरोप लगा दें कि उसने राजनैतिक आन्दोलन में भाग लिया—यह तो ठीक है, मानी भी जा सकती है, इससे उसके सम्मान को इतना धक्का नहीं लगेगा जितना कि किसी के लिए देशद्रोह का आरोप लगाया जाये। अगर किसी के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है तो उसके मानसिक वेदना की कल्पना आप नहीं कर सकते। जो देशद्रोही हैं उनको आप पकड़िये मैं इसके लिए मना नहीं करता, लेकिन केवल कलेक्टर रिपोर्ट कर दे और कलेक्टर का क्या आधार रहेगा इसको आप सब जानते हैं। तो मैं, गृह मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हू कि यह अध्यादेश जिन कारणों से ला रहें यह अनुचित है इसका सम्पतसिंह के लिए उपयोग किया। मैं समझता हूं कि एक के साथ भी यह व्यवहार क्यों ? तो न तो राजनैतिक स्थिति ऐसी है, न राजस्थान की राजनैतिक स्थिति ऐसी है, न सामाजिक स्थिति ऐसी है कि इस प्रकार का आर्डिनेन्स लाकर यहां पर बिल लाया जाता। आखिर यह कानून यहां लाया क्यों गया ? न व्यापक तौर पर राजस्थान में हिंसा है, न तोड़फोड़ की कार्यवाही है फिर अध्यादेश को क्यों लाये ? इसका कारण सम्पतसिंह नहीं था। सभापति महोदय, इसका कारण दूसरा था। १७ जून को शायद आप इस अध्यादेश को लाये हैं और हम लोग जो सोशियेलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे उन्होंने राजस्थान में जमीन मुक्ति का आन्दोलन चला दिया था और इस अध्यादेश को लाने का सबसे बड़ा कारण था यही भूमि मुक्ति आन्दोलन। जिन लोगों ने गलत ढंग से जमीन ले ली थी, जो काश्तकार नहीं थे वे जमीन के मालिक बन गये चाहे वे कांग्रेस के लोग हों या चाहे प्रतिपक्ष के लोग हों। जिनका कारोबार खेती नहीं था—मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि कई बार चर्चा हो चुकी है। हम लोगों ने सोनपुर में फैसला किया था कि सारे देश में हम भूमि मुक्ति आन्दोलन चलायेंगे और जिन लोगों ने गलत जमीन ले ली है और खेती भी नहीं करते हैं इसलिए एक आदमी को एक धंधा दिलाने के लिए यह आन्दोलन चलाना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ने तो हमसे पहले आन्दोलन चालू कर दिया और हमने ९ अगस्त को चालू किया। मैं नहीं कहता कि सरकार उससे सुधर गयी है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि देश में जमीन के सम्बन्ध में जो आन्दोलन चला उससे सरकार का प्रतीक स्वरूप तो नहीं हिला लेकिन मन जरूर हिल गया। सारे देश में सोचना शुरू हो गया कि जमीन के सम्बन्ध में नया कानून आ जाना चाहिए और उसके साथ ही साथ जमीन का दुबारा बंटवारा करना पड़े, सीलिंग कानून में भी कोई परिवर्तन करना पड़े तो करना चाहिए। उसके बाद मे जमीन और सम्पत्ति पर कब्जा और उसका नतीजा यह हुआ कि आज सारे देश में जो लोग पूंजी रखते हैं वे भी सोचने लग रहे हैं कि हम इस अतुल पूंजी को रख कर क्या करेंगे ? और आज तो भूमि मुक्ति आन्दोलन है कल को सम्पत्ति का भी आन्दोलन चल सकता है यानी कहने का मतलब यह है कि वे अब इस आन्दोलन से डरे हैं। अगर ऐसे देश मे दस बारह आन्दोलन चल जायें तो कुछ लोगों को तो अपनी सम्पति को छोड़ना पड़ेगा। हम समझते थे कि आपकी मंशा क्या थी। एक तरफ तो आपके बयान आते थे और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के बयान आते थे। आप जानते हैं संयुक्त

(श्री रामकिशन)

सोशियेलिस्ट पार्टी की परम्पराग्रों को। ग्राजादी की लड़ाई में यह पार्टी सबसे बड़ी हिस्सेदार थी। सोशियेलिस्ट पार्टी ने ग्रनेक ग्रान्दोलन किये लेकिन वह कभी हिंसा में परिवर्तित नहीं हुए। हमारी ग्राज भी मान्यता है कि देश के ग्रान्तरिक राजनीति में किसी भी सूरत में हिंसा नहीं ग्रानी चाहिए। ग्रब हम ऐसे कन्जरवेटिव भी नहीं हैं जैसे कि मठाधीश गांधीवादी हैं। लेकिन ऐसा मानते हैं कि किसी सूरत में हिंसा को रोका जाना चाहिए। ग्रौर ग्रगर सरकार व्यापक रूप से खुद हिंसक बन जाये तो जनता चाहे तो स्वयं कोई उपाय कर सकती है लेकिन देश में राजनीति में पूरी कोशिश की जानी चाहिए कि हिंसा न हो।

कम्युनिस्ट पार्टी का ग्रान्दोलन जुलाई में शुरू हुग्रा ग्रौर हमारा ग्रगस्त में हुग्रा। ग्रापने ग्रध्यादेश निकाल दिया ग्रौर इसलिए निकाला था कि लोग डर जायेंगे तीन-तीन महीने जेल में रहेंगे ग्रौर फिर सरकार ने एप्रूव कर दिया तो तीन-तीन महीने ग्रौर रहेंगे। ग्रापने व्यवस्था की है कि जिससे लोगों में घबराहट पैदा कर दें ग्रौर हिन्दुस्तान का किसान जो कि शोषण के शिकंजे में जकड़ा हुग्रा है वह गरीबी से संघर्ष नहीं कर सकेगा ग्रौर वह ग्रापकी मन्शा पूरी भी नहीं हुई। ग्राप कह सकते हैं कि इस भूमि-मुक्ति ग्रान्दोलन से तुमने क्या कर लिया? तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे दल की कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है इसलिए शायद महारावल साहब ने भी बयान दे दिया कि विरोधी दलों से समझौता करेंगे तो संयुक्त सोशियेलिस्ट पार्टी को भी दो तीन सीटें दे देंगे....

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं ग्रापके सिद्धान्तों को पसन्द करता हूं एक हद तक।

श्री रामकिशन : शायद ग्रापने सोचा होगा कि हमारी हैसियत क्या है? मैं ग्रापको बता दूं कि हमने हमारी हैसियत को कभी बढ़ाकर नहीं ग्रांका है...

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : सीट पर ही झगड़ा है क्या?

श्री रामकिशन : ग्राप सुनिये तो सही। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राप ग्रध्यादेश जिन कारणों से लाये उन कारणों की पूर्ति नहीं हुई लेकिन जो जो हमारे दल से प्रभावित क्षेत्र थे ग्रापने देखा कि हम जो भी कर सकते थे किया। भरतपुर में एक लाख बीघा जमीन को हमने रिलीज कराया है। वहां पर जागीरदार लोगों ने ग्रौर जिनके पास ज्यादा जमीन थी उन्होंने बेचना शुरु कर कर दिया है ग्रौर वह समझ गये हैं कि कभी इस पर कब्जा हो सकता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राप इसको किसलिए लाये?

ग्रब सवाल रह जाता है ग्रापकी बुद्धि का तो ग्रापकी बुद्धि के बारे में तो क्या कहूं? ग्रापसे मतलब सरकार से है। कोई व्यक्तिगत नाम लूंगा तो ग्रभी नाराज हो जाग्रोगे। मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि ग्राप किसलिए बदनामी मोल ले रहे हैं? मैं ग्रापसे पूछना चाहता हूं कि गुनाह बेलज्जत क्यों होते जा रहे हो? इसका कोई उपयोग नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। जनसंघ ग्रौर स्वतंत्र पार्टी भी इसका विरोध करेगी। हम इसका जवाब राजनैतिक चाहते हैं जमीन का बंटवारा, धन का बंटवारा ग्रौर गरीबी का निवारण होना चाहिए। राजस्थान में सम्पूर्ण प्रतिपक्ष जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ग्रापकी समर्थक है। जनसंघ पार्टी ग्रौर स्वतंत्र पार्टी भी इस कानून का विरोध करेगी तो मैं ग्रापको पूछना चाहता हूं कि इसका ग्रौचित्य क्या है? इसका मतलब

(श्री रामकिशन)

नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। कल रामानन्दजी ने...

श्री दामोदरलाल व्यास : राजस्थान में रामानन्दजी ने क्या कभी इस सरकार का समर्थन किया है भूले भटके ?

श्री रामकिशन : अभी करेंगे। कल भी उन्होंने केरल के नाम पर किया।

श्री मदनसिंह : गंगानगर आन्दोलन में चुपके चुपके किया है। बातों में किया है।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल रामानन्द जी ने कांग्रेस का अन्धा विरोध करने की बात सोशियेलिस्ट पार्टी के लिए कही। कुछ देश में मूर्ख लोग हैं कि जो यह कहते हैं कि नेहरू परिवार से कोई द्वेष था। मैं कहता हूं कि नेहरू और नेहरू परिवार से हमारा कोई द्वेष नहीं है। आजादी की लड़ाई के पहले वे हमारे नेता थे। वे समाजवादी फोरम के प्रेरक थे। आजादी के बाद उनकी नीतियों के कारण देश–विभाजन, उनकी विदेश नीति के कारण उनसे और उनके परिवार से लड़ाई है। उनके ऊपर हमारा गुस्सा नहीं है बल्कि उनकी नीतियों पर हमारा गुस्सा है। स्वतन्त्रपार्टी यदि राज्य में आ जाय तो उन पर गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि उस पार्टी की नीति है कि जमीनों का बंटवारा नहीं हो, स्वतंत्र व्यापार होगा, विदेश नीति में अमेरिका के साथ में हैं, लेकिन जो इन्सान दम्भी हैं जो समाजवाद की बात करेंगे और काम करेंगे पूंजीवाद का, जो अहिंसा की बात करते हैं और काम करेंगे हिंसा का, विदेश नीति में निर्गुट नीति की बात करेंगे और साथ किसी के लगेंगे।

आज राजस्थान पत्रिका में मैंने एक बात देखी है और एक समाचार पढ़ा है कि माननीय मूलचन्दजी डागा....

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत है।

श्री रामकिशन : आप सुन लें।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने समझ लिया है।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, मैंने पढ़ा है कि हाथी पर सवारी निकली और मूलचन्द डागा उसमें हाथी पर बैठे हुए थे....

श्री मूलचन्द डागा : मेरा यह कहना कि यह गलत है। मैं १२ तारीख को आ गया। न हाथी का सवाल है और न बैठने का सवाल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बैठे ही नहीं ? हाथी पर बैठे थे या गधे–घोड़े पर थे ?

श्री रामकिशन : इसमें गुस्से की बात नहीं है। यह संस्कार और प्रवृति की बात है। माननीय डागाजी ने कहा कि उनका हाथी पर जुलूस नहीं निकला। हाथी पर जुलूस हिन्दुस्तान में तीन तरह के लोग निकालते रहे हैं। एक तो राजा तो मूलचन्दजी राजा हैं नहीं, एक नागा बाबा होते थे जिन्होंने सम्पत्ति और घर छोड़ दिया हो। मूलचन्दजी सम्पत्ति तो क्या छोड़ेंगे वे अपना काला कोट ही नहीं छोड़ते हैं, वकालत करके आते हैं। ३१ रुपये यहां मिल गये तो यहां रह गये और ३२ रुपये पाली

(श्री रामकिशन)

में मिल गये तो वहां चले गये। आप कहते हैं कि जुलूस नहीं निकला तो आपने उसका प्रतिवाद क्यों नहीं किया? आप ऊपर से समाजवादी तो बन गये लेकिन मन आपका सामन्तवादी है। मन आपका राजा की तरह का है। प्रथम श्रेणी में आप चलते हैं, बढ़िया मकान में रहते हैं। यह है आपकी तमन्ना और आपकी तमन्ना का प्रतीक।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इनकी तमन्ना तो गवर्नमेंट बैन्चेज पर बैठने की है ताकि इनको सब भ्रष्टाचार करने का मौका मिले।

श्री नत्थीसिंह : गवर्नमेंट बैन्चेज पर नहीं तो भी नगरपालिका के चेयरमैन पर ही सब करते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इनको भ्रष्टाचार करने का मौका मिले इसलिए इनको सरकार में बिठा दें।

श्री रामकिशन : यह समाचार गलत है तो इसका प्रतिवाद भेज देते, लेकिन डागा साहब ने प्रतिवाद नहीं भेजा। खैर, मुझे इस बात से मतलब नहीं।

अन्धा कांग्रेस-विरोध हम नहीं करते। रामानन्दजी को यह आभास मिला वह गलत है। अन्धा कांग्रेस-विरोध होता तो राजाओं के प्रिवीपर्स का मामला आया तो हमारे लोग जो जेलों में गये थे वे वहां से चल कर आये। राजनारायणजी लाठी पर चलकर आये जो कि इन्दिराजी का हमेशा विरोध करते रहे हैं। हमारे दल की यह मान्यता है कि जेलों में बन्द होने के बाद उन्हें किस प्रकार की छुट्टी मिलेगी। मर्यादाओं को भंग करके भी हमने इन्स्ट्रक्शन्स दे दिये कि वे जेलों से वापस आये और राजाओं की पेन्शन बन्द करने का समर्थन करें। आप समझते हैं कि हम कांग्रेस के अन्ध-विरोधी हैं? जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण का सवाल आया था तब किसने समर्थन किया था? जब इन्डोनेशिया की कॉन्फ्रेंस हुई तो किसने समर्थन किया था? लेकिन हम नकली समाजवाद के नकली स्वरूप को समझते हैं। बढ़िया काम होता है तो उसका समर्थन करेंगे। विरोध में रहते हुए भी समर्थन करेंगे। राजस्थान सरकार ने सवा छै एकड़ तक की भूमि का लगान माफ किया था तो हमने तालियां बजाई थीं। जमीन की सीमा कम करने पर हमने तालियां बजाई थीं। केवल यह कहते रहें कि हम प्रगतिशील हैं, प्रजातन्त्रवादी हैं, लोकतन्त्रवादी हैं, समाजवादी हैं, गुटनिरपेक्ष की नीति के पोषक हैं, हम शान्ति चाहते हैं, तो वह निरर्थक नारों से प्राप्त नहीं होती है। हमारा यह दृष्टिकोण है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब विधेयक पर विचार होगा धाराओं पर तो आगे उनके अर्थ और अनर्थ बताऊंगा। जिन कारणों से अध्यादेश लाते हैं वे अपने आप में निरर्थक हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस अध्यादेश को समाप्त कर दें।

एक अन्त में निवेदन करना चाहता हूं और अन्त में इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपने एक बात कही है कि केन्द्रीय सरकार ने सलाह दी है। इसमें जो कारणों में लिखा है उसमें आपने लिखा है कि सलाह दी है। वह अंग्रेजी में है इसलिए मैं पढ़ता हूं। केवल एक लाइन अंग्रेजी में पढ़ रहा

(श्री रामकिशन)
हूं कि किस तरह की सलाह दी है—"It is necesary to meet the situation in the state."

"दी सिचुएशन" है। ये शब्द हैं। अब इनको ग्रामर समझाने की आवश्यकता होगी, व्याकरण की चर्चा करनी पड़ेगी। 'दी सिचुएशन' का मतलब है कि कोई सिचुएशन हो, कोई स्थिति ऐसी हो कि पब्लिक में आतंक हो रहा हो, कोई हिंसा हो रही हो, स्टेट की सुरक्षा के लिए खतरा हो। यह भी कुछ नहीं है। आपने १०-२० केस बतलाये हैं कल जो उत्तर दिया है प्रश्न का उसके हिसाब से। अगर आज आपने ज्यादा बढ़ा दिये हों तो मैं आपके खिलाफ दूसरी कार्यवाही करूंगा मिसगाइड करने के हाउस को। मैं कहना चाहता हूं "दी" शब्द का अर्थ होता है वह क्या होता है ? केन्द्रीय सरकार की चिट्ठी नही पढ़ी और कर दिया। गृह मंत्रालय ने चिट्ठी पर ध्यान नही दिया। केन्द्रीय सरकार ने सलाह दी है आदेश नहीं दिया है। आदेश देने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार नहीं है आज आदेश देने की स्थिति में होती तो तामिलनाडु में यह कानून बनवा देते गुजरात में बनवा दें। गुजरात की सरकार इस कानून को नहीं बना रही है, हालांकि वह ज्यादा कन्जरवेटिव है कुछ लोगों के कहने के अनुसार, लेकिन इस मामले में वस प्रगतिशील सरकार है। न तो ऐसी सिचुएशन थी, और, न इसकी जरूरत थी, न कोई ऐसी राजनैतिक स्थिति थी और न प्रदेश की सीमा पर कोई नई चर्चा होने वाली थी, न सीमाओं में बखेड़े होने वाले थे। किसी तरीके के आधार पर आप कन्वीन्स नहीं करा सकते हैं। आपका बहुमत है। राज्य की जनता ने अधिकार दिया है आपको राज्य करने का...

श्री दौलतराम सारण : नहीं जनता ने अधिकार नहीं दिया जबरदस्ती राज्य पर कब्जा किया है। राज्य की जनता ने इनको रिजेक्ट किया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : राज्य हथियाया है।

श्री नत्थीसिंह : ७ मार्च को जौहरी बाजार में गोलियां चलाकर और हत्यायें कर के और गंगानगर, नोहर भादरा में हत्याएं करके राज्य पर जमे हुए हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत है।

श्री रामकिशन : यह मेरी नजर में है कि राज्य की जनता ने इनको अधिकार नहीं दिया, लेकिन इन्होंने नकली बहुमत बना लिया चाहे किसी बिना पर, किसी को प्रलोभन देकर किसी को मंत्री पद का लोभ देकर, डरा-धमका कर बना लिया है बहुमत। तो बहुमत से इसको पास तो कर देंगे। लेकिन, सभापति महोदय, मैं आपको चुनौती देता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : ७२ से ७७ तक यही कहते रहेंगे।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इन नये सिद्धांतों को क्या समझायेंगे। इस मामले में आपके अपने सुपुत्र जो कि इस सदन के माननीय सदस्य हैं उनको समझा दें।

श्री नत्थीसिंह : वे विवेकशील हैं।

श्री रामकिशन : आपके दिन तो गये और हिन्दुस्तान में हमारे दिन आ रहे हैं, और दुःख हमें भोगना है। आपने जो कर्म किये हैं उसके सुख दुःख के भागीदार हैं। आपके सुपुत्र होने के नाते और आपकी पार्टी के

(श्री रामकिशन)

अनुशासन के कारण वे आपके साथ में रहेंगे। पार्टी अनुशासन के कारण, राजनीति में नये होने के कारण और आपके सुपुत्र और विशेष वर्ग के होने के कारण वे आपके साथ रहेंगे। लेकिन उनको समझायेंगे तो पता लगेगा कि गलत है। आप अपने सुपुत्र को नहीं समझा सकते है, अपने परिवार के लोगों को नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपने कांग्रेस के इन छोटे मोटे लोगों को पकड़ रखा है किसी को ट्रान्सफर के नाम से....

श्री मूलचन्द डागा : यह शब्द अच्छा नहीं है कि "छोटे-मोटों को पकड़ रखा है" यह अनपार्लियामेन्ट्री है।

श्री दौलतराम सारण : उनको पकड़ रखा है।

(व्यवधान)

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, ये शब्द हटा दिये जायं।

सभापति महोदय, भीखाभाई तो छोटे हैं।

(शोरगुल, व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सब....

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय....

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री सभापति : यह "छोटे मोटे" शब्द कहा है, यह अच्छा नहीं है।

श्री रामकिशन : मैं ले सकता हूं, लेकिन मैं कह दूं....

श्री गिरधारीलाल व्यास : "बेचारे" शब्द कहा है।

श्री रामकिशन : बड़ी भूल हो गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, अगर यही डिबेट का इनका तरीका है, आपने भी सुना होगा। इनका हमेशा यह तरीका रहा है। ७५% टाइम अपनी पार्टी की तारीफ में लगाते हैं। इस ऑर्डिनेन्स पर, इसके मेरिट पर कोई बहस नहीं करते हैं। सिवाय इसके कि इसको, उसको बुरा कहते हैं। आप कितने पार्लियामेंटेरियन हैं, वह हमने जज कर लिया है। आप में कितनी योग्यता है, वह समझ ली है। मैं नम्रतापूर्वक कहता हूं कि डिबेट का टाइम फिक्स होना चाहिए। एक पार्टी दो घंटे ले ले, दूसरों को समय नहीं मिले। पार्टी की स्ट्रेन्थ पर बराबर समय मिलना चाहिए। इन्होंने इतना टाइम ले लिया है मेरिट पर कोई डिस्कशन्स नहीं करते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पार्टी का टाइम तो अध्यक्ष महोदय बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की राय से चैम्बर में तय करते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, तय करते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, तय करते हैं यहां नहीं हो सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पार्टीज के हिसाब से तय करने का सवाल नहीं है। जिसने अमेंण्डमेंण्ट दिया है, वह बोलेगा। नहीं दिया है, वह कैसे बोलेगा ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : रूल्स की बहस में प्रोवाइड किया गया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहा हूं।

मैं माननीय गृहमंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा...

श्री सभापति : कोई प्रश्न नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं कर सकते हैं ?

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभापति महोदय, गृहमन्त्री महोदय पुलिस के मन्त्री हो सकते हैं। वह पुलिस के डण्डे से हमारी आवाज बन्द नहीं कर सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : गृहमंत्री जी हमारी जुबान बन्द करना चाहते हैं। हमारी आवाज को रोकना चाहते हैं।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(शोरगुल, व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऑन ए पॉइण्ट ऑफ प्रिविलेज।

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप बहुमत के बल पर चाहे कैसा भी काला कानून पास कर लें।

श्री मूलचन्द डागा : कहां काला कानून है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह कौन सी पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर है ?

श्री रामकिशन : सभापति महोदय,....

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, रूल १३३ के अन्दर १५ मिनिट ले सकते हैं। पार्टि के हिसाब से, उससे ज्यादा समय नहीं लें।

श्री नरसीसिंह : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य सचेतक महोदय अच्छी तरह जानते हैं, खूब जानते हैं, कि इस बहस पर कोई भी टाइम नहीं दिया जाता है। ये रोज रोज बोलते हैं। बीच में बोलने की इनकी आदत है। इसके बावजूद अध्यक्ष महोदय, इनको बार बार ताड़ना देते है। फिर भी इनके समझ में नहीं आता है। इनको तो सारी रामायण बांच गये और यह पता ही नहीं चला कि राम राक्षस था या रावण ?

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर

श्री नरसीसिंह : इस समझ के लिए हम क्या करें ?

(लगातार शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह गलत कह रहे हैं।

श्री नरसीसिंह : पान चबाते हुये बोलना असंसदीय है। पान चबाते हुये बोल नहीं सकते हैं। यह कैसे बोल सकते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : (अश्रव्य)।

श्री मदनसिंह : ऑन ए पॉइण्ट ऑफ प्रिविलेज।

(लगातार शोरगुल)

श्री दौलतराम सारण : डिबेट चलनी चाहिये।

श्री रामकिशन : अध्यादेश की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ मैंने कहा है, उसमें १०% भी गलत हो तो आप मुझ से कह सकते हैं। उनको समझने की बुद्धि ही नहीं है। लेकिन उनकी बुद्धि सठिया गई हो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। जो उन्होंने मुझे चेतावनी दी है समझने की तो वह समझ सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह कहना भी गलत है कि बुद्धि सठिया गई है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : बुद्धि को कह सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह एक्सपंज किया जाय।

श्री दौलतराम सारण : सभापति महोदय...

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह "सठिया गये हैं," यह शब्द एक्सपंज किये जायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो एक सांस्कृतिक शब्द है।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल व्यास : (अश्रव्य)।

श्री श्रवणलाल : मुख्य सचेतक बार बार यह कह रहे हैं कि 'यह सठिया गये हैं' एक्सपंज किया जाये यह क्या जानते हैं?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप क्या जानते हैं?

श्री मत्योसिंह : सठिया गये हैं, का मतलब है कि आदमी ६० साल का हो गया है।

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, माननीय रामकिशनजी ने गृहमन्त्री जी के लिए यह कहा है कि इनकी बुद्धि सठिया गई है। उसके लिए मुख्य सचेतकजी ने यह कहा है कि इनको कार्यवाही से निकाला जाये। मैं माननीय मुख्य सचेतक के शब्दों का विरोध करता हूं। "बुद्धि सठिया गई है," यह कहने का अर्थ है कि ६० साल के ऊपर के हो गये हैं। इसके अलावा और कोई इसका अर्थ नहीं है। यह तो एक कल्चरल शब्द है।

(१-४७ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

यह तो लोकभाषा में गृहमन्त्रीजी की आयु प्रकट करने के लिए एक लौकिक शब्द है। इसलिए कार्यवाही से निकालने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

"सठिया गये हैं" इसको सन्दर्भ से देखा जाता है।

श्री रामकिशन : भाषा का ज्ञान है इन्हें?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे रहे हैं। आप कृपया यह प्रकट कर दें कि 'गृहमंत्रीजी की बुद्धि सठिया गई हैं' इसका क्या अर्थ है?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मत्योसिंह : एनेलेसिस है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप ने गलत कहा है

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

इस विषय में एक यह भी है कि 'साठे बुद्धि नाठे'। (हंसी) आप अपनी ओर भी देखिये। कहीं आप पर भी यह लागू न हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप पर यह लागू नहीं होगा।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह मुझ पर लागू होगा।

श्री अध्यक्ष : मेरा मतलब यही था। माननीय सदस्य ने समझ लिया। माननीय विरोधी दल के नेता ने स्वयं समझ लिया। इसलिए मेरा विचार है कि यह एक ऐसा हथियार है जो खुद पर भी पड़ जाता है।

श्री रामकिशन : मैं जान बूझ कर गलत बात नहीं कहता।

श्री अध्यक्ष : आपके घर पर माता पिता हैं उन पर ज्यादा लागू होता है।

श्री रामकिशन : मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिनके नहीं हैं वह उपयोग कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : वह अपने पर पड़ता है। माता पिता की रेस्पेक्ट नहीं रखते हैं तो कर सकते हैं।

श्री रामकिशन : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य की जो स्थिति है उसमें इस अध्यादेश की जरूरत नहीं है, इसको कानून का रूप देने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गृह-मंत्री जी इसको वापिस लें और लोकतन्त्र को कलंकित होने से बचायें। ऐसा नहीं करते हैं, तो मैं सदन के माननीय सदस्यों से, विशेष तौर से युवा लोगों से– जो विशेष-तौर पर समाजवाद और लोकतन्त्र को एक साथ जोड़ना समझ गये हैं, वह इस अध्यादेश का सख्ती से विरोध करें। कल की तरह यह कोई यात्रा भत्ते का मामला नहीं है। इसका परिणाम दूरगामी होगा। समाज की तब्दीली के लिए जो वर्ग इस देश में खड़ा हो रहा है उसके खिलाफ इसका उपयोग किया जायगा। इसलिए इस चेतावनी के साथ मैं गृहमन्त्री जी को निवेदन करूंगा कि उनके दिमाग में मेरी बात से कटुता आ गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं तो हमेशा विनम्र रहा हूं, लेकिन उनकी इस सदन में आज परीक्षा है, और मैं कहता हूं कि इससे आपका और मेरा इम्तिहान हो जायगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इम्तिहान किसने दिया है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! दूसरे माननीय सदस्य का नाम मैं पुकारूं उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समय का कुछ सीमा में पालन होना चाहिए....

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह वादविवाद तो ऐसा है जो कल चलेगा, परसों चलेगा। हम इसे पास नहीं होने देंगे। ऐसी हमारी मन्शा है।

श्री मूलचन्द डागा : यह चुनौती है....

श्री नत्थीसिंह : हम इस अध्यादेश को चुनौती मानते हैं इसलिए चुनौती दे रहे हैं।

Page No 69

श्री विजयसिंह : देखिये, अध्यक्ष महोदय, आप बिराजे रहें....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, हमारे मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात करने वाला काला कानून आसानी से पास हो जाय, बात ऐसी ...

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल बात ऐसी नहीं है। यह विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए अपमानजनक बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज लास्ट डे है और विधायी कार्य जिस तरह होता आ रहा है, गवर्नमेंट की मेजोरिटी है, गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी से बिल को पास करती है तो अपोजीशन को अपनी बात को कहने का अधिकार है। उसको, हमारे अधिकार को आप कुंठित करें, खास तौर पर ऐसे मसले पर जिस पर देशव्यापी कन्ट्रोवर्सी है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे आपने और बिल कल और परसों लिये, उनके बारे में उदारता बरती, समय की पाबन्दी जिस रूप में रखी गई, उसको हमने अपनाया है और अध्यक्ष महोदय ने भी अपनाया है। आज ऐसा नियंत्रण न करने की कोशिश करें जिससे हम यह महसूस करें कि ऐसे इम्पॉर्टेन्ट बिल पर पूर्ण बात कहने का मौका नहीं मिला।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : विवाद का प्रश्न नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, समय की पाबन्दी का प्रश्न तो मैं भी नहीं लेना चाहता, पाबन्द नहीं करना चाहता, लेकिन जिस प्रकार उदारता इस आसन से, आप मानें या न मानें, समय के प्रश्न पर दिखायी जाती रही है वैसी ही उदारता माननीय सदस्यों से अपेक्षित है। मुख्यतः जैसा नियम ११३ बतलाता है, एक्सेप्ट विद दी पर्मीशन ऑफ दी स्पीकर। माननीय सदस्य पन्द्रह मिनिट अधिक से अधिक लें। इसका अर्थ यह नहीं कि पन्द्रह के बीस, बीस के तीस, तीस के चालीस, चालीस का एक घण्टा, एक घण्टे से डेढ़ घण्टे तक...

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक से ज्यादा नहीं।

श्री अध्यक्ष : वैसा भी नहीं होना चाहिए।

कई माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक घण्टे से अधिक नहीं होना चाहिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक घण्टा काफी होता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पन्द्रह मिनिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के गुटों या दलों का जहां तक सम्बन्ध है, उनके तो दो चार माननीय सदस्य बोलें तो उनके समय का ख्याल रखा जा सकता है, लेकिन जिस दल में एक माननीय सदस्य हैं वह एक घंटा, डेढ़ घण्टा, दो घण्टा लें....

श्री नरपतसिंह : इन पर तो पाबन्दी नहीं लग सकती।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : लाइसैन्स होल्डर हैं दिल्ली तक से, इनके लिए तो सोचना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : इसलिए समय की बिल्कुल सीमा का उल्लंघन हो वहां पाबन्दी लगायी जायगी। यह मैं अर्ज करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सतीशचन्द्र अग्रवाल से आग्रह करूंगा वह बोलें।

श्री मूलचन्द डागा : पॉइन्ट रिपीट नहीं होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बैठे बैठे नहीं बोलें, डागा जी।

श्री मूलचन्द डागा : पॉइन्ट रिपीट होते हैं वह रिपीट नहीं हों।

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा।

श्री रामकिशन : हर एक व्यक्ति अपने तरीके से बात कहता है।

श्री नाथीसिंह : कोई कच्चा विद्यार्थी होता है तो क्या पाठ दोहराया नहीं जाता है ?

श्री विजयसिंह : आप एम० एल० एज० को विद्यार्थी बनाना चाहते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इलाजी के भगत हैं।

श्री अध्यक्ष: क्या भगत।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इलाजी के भगत हैं।

श्री अध्यक्ष : इलाजी क्या कोई लोक देवता है।

श्री विजयसिंह : यह आपको माननीय सदस्य एक्स्प्लेन कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सतीशचन्द्रजी !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं निम्नांकित शब्दों में : जिस पर यह सदन विचार करे और पारित करे:—

"यह सदन दिनांक १७ जून, १९७० को श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान निवारक निरोध अध्यादेश, १९७० (अध्यादेश सं० ६, सन् १९७०) को अस्वीकार करता है।"

अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश के सम्बन्ध में जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है।

(श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा के सदन में प्रवेश करने पर)

कई माननीय सदस्य : अध्यादेश आगये।

श्री अध्यक्ष : वह भैंसवाड़ा हैं अध्यादेश नहीं।

श्री नाथीसिंह : टाई लगा कर आ रहे हैं आजकल।

श्री माधोसिंह (उप-मन्त्री) : आपके गले में थोड़े ही पड़ी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश के सम्बन्ध में मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि मैं इस सदन में इन अध्यादेशों के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सम्बन्ध में एक बात सदैव कहता आया हूं कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार इस राज्य विधान सभा का है । इस राज्य विधान सभा का अधिवेशन नहीं हो, परिस्थितियों विशेष संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाय और कानून बनाने की आवश्यकता हो तो संविधान की धारा २१३ के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को जो एक विशेष अधीकार दिया गया है उसके अधीन वह एक अध्यादेश जारी करके राज्य के लिए कानून बना सकते हैं । संविधान की धारा २१३ के अन्तर्गत कानून बनाने का असाधारण अधिकार और असाधारण शक्ति है जो राज्यपाल महोदय में निहित है, उसका उपयोग बहुत कम होना चाहिए । लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि राजस्थान में राज्य सरकार की यह एक परम्परा बन गई है कि राजस्थान के अन्दर इस संविधान की धारा २१३ के अन्तर्गत अध्यादेश पर अध्यादेश जारी किये जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा, राज्य विधान सभा के गत बजट अधिवेशन में हमारे विरोधी दलों की तरफ से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना सदन में दी गई थी और राज्य सरकार से जानना चाहा था कि क्या राज्य सरकार निवारक निरोध के सम्बन्ध में कोई पब्लिक डिटेंशन का बिल लाना चाहती है, किन्तु पब्लिक डिटेंशन के सिलसिले में सरकार कोई आर्डिनेन्स जारी करना चाहती थी इसलिए राज्य-सरकार उस सम्बन्ध में मौन रही । ज्यादा अच्छा होता, यदि बजट अधिवेशन में राज्य सरकार इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करती, यह सदन उस पर गम्भीरता से विचार करता, वह विधेयक जो इस राज्य का एक नया विधेयक होता और जैसी इस सदन में परम्परा है, राज्य के लिए जब नया विधेयक आता है सदन के समक्ष विचारार्थ तो उसको इस सदन को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाता है, सदन के चुने हुए माननीय सदस्य, दलों के प्रतिनिधि उस समिति में होते, वह उस पर विचार करते, सुझाव प्रस्तुत करते और राज्य के हित में हम आवश्यक समझते या विधान सभा आवश्यक समझती तो एक अच्छो, एक डिटेल्ड, विस्तृत ऐसे कानून की रूप रेखा उस प्रवर समिति में बनाते । मुझे खेद इस बात का है कि १९६९ में सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो पब्लिक डिटेंशन एक्ट था उसकी मियाद समाप्त हो गई, १९६९ के बाद इस सम्पूर्ण देश में पब्लिक डिटेंशन एक्ट समाप्त हो गया, और १९६९ के पश्चात् राज्य विधान सभा का ढाई महीने का बजट अधिवेशन हुआ। अगर राज्य सरकार आवश्यक समझती थी, केन्द्रीय कानून समाप्त हो चुका है और राज्य की शांति व्यवस्था के लिए इस प्रकार के निवारक निरोध कानून की आवश्यकता थी तो बजट अधिवेशन में ऐसे कानून का मसविदा विधान सभा में पेश किया जा सकता था और तब सदन उस पर विचार करता लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया । किन कारणों से नहीं किया – वह सदन के सामने नहीं हैं लेकिन राज्य ने इसके अलावा बजट अधिवेशन समाप्त हो गया, मई में फिर अधिवेशन हुआ, उस में भी ऐसा कानून सदन के सामने विचारार्थ नहीं आया—इसका अर्थ हुआ मई १९७० तक राजस्थान में कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं थीं कि सेन्ट्रल एक्ट समाप्त होने के बाद वह १९६९ में समाप्त

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हुआ, उसके बाद २० मई ७० तक ऐसी परिस्थिति राजस्थान में नहीं थी जिसके आधार पर इस प्रकार का कानून बनाया जाता। मेरी समझ में नहीं आता, २० मई के बाद १७ जून के दौरान ऐसी कौनसी परिस्थिति पैदा हो गई जिसके कारण राज्यपाल महोदय ने १७ जून को यह अध्यादेश जारी किया। अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार की अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाने की परम्परा, प्रक्रिया, राजस्थान सरकार की यह रीति नीति, विधान सभा का अधिवेशन नहीं बुला कर इन असाधारण शक्तियों के दुरुपयोग की है—मैं कहना चाहता हूं कि यह राजस्थान को हुकूमत हमारे संविधान के किस प्रकार, कान्स्टीट्यूशनल स्प्रिट के खिलाफ है। आप विधान सभा का अधिवेशन न बुलायें, साढ़े पांच महीने तक विधान सभा की बैठक न बुलायें, जो बैठक हो उनमें कानून का मसविदा पेश न करें, सदन के सदस्यों को उस पर विचार करने का मौका न मिले और अध्यादेश एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर ले आये जो कंट्रोवर्सियल है, जिस पर देश में वाद-विवाद चल रहा है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट इस कानून को हिन्दुस्तान भर में लागू नहीं कर सकती, ऐसी कन्ट्रोवर्सी है जिस पर लेजिस्लेशन अध्यादेश के जरिये बनाया जाय—यह निन्दनीय है और इस पर राज्य सरकार की जितनी भर्त्सना की जाय उतनी कम है। कोई कारण नहीं है। आपने देखा होगा, ऑर्डिनेन्स जारी करने के रीजन दिये हैं, रीजन वही हैं जो लगभग बिल में दिये हैं। कोई ऐसा कारण नहीं है। मैं समझता हूं, जब कारण नहीं है तो यह असाधारण शक्तियों का दुरुपयोग यह इस संविधान का खुला उल्लंघन है और इस आधार पर मैं इस अध्यादेश का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सदन में अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाने की प्रक्रिया, परम्पराओं का हामी नहीं हूं। कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं थीं। कोई देश पर हमला नहीं हुआ। पाकिस्तान का आक्रमण नहीं हुआ। ला एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन डेटिरियोरेट नहीं हुई जिसके कारण आवश्यक था कि अध्यादेश लाया जाये। अध्यादेश के अन्तर्गत, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने किया क्या है ? १७ जून को अध्यादेश लायी, आपने कानून बनाये और कानून बनाने के बाद १७ जून से लेकर आज १७ नवम्बर, २१ नवम्बर हो गई, इन पिछले पांच महीनों में राज्य सरकार ने क्या उपयोग किया है ? केवल तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए आप पांच महीनों में कानून बनने के बाद इस कानून का उपयोग कर पाये। इससे क्या राज्य में परिस्थिति इतनी विकट है ? तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी। मैं समझता हूं, जहां तक दो व्यक्तियों का सवाल है, अगर वह पाकिस्तानी सिटीजन्स थे, वह एन्टी नेशनल थे, तो एन्टी नेशनल्स को आपने इससे पहले भी पकड़ा है। आखिर जून ७० से पहले भी पकड़ा है। आप फारिनर्स एक्ट के तहत पकड़ सकते हैं। दूसरे कानूनों की गिरफ्त में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पब्लिक डिटेंशन एक्ट नहीं हो तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। फिर क्या यह मान कर चलें कि राजस्थान में केवल दो एन्टी नेशनल हैं, दो पाक नेशनल्स हैं। दो गिरफ्तार कर लिये। क्या सरकार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का कहना है, क्या गृह मंत्री कहेंगे कि राजस्थान के अन्दर दो पाक नेशनल्स हैं, एन्टीनेशनल्स हैं और राजस्थान में बाकी के लोग नहीं हैं? मैं समझता हूं कि राजस्थान में ईमानदारी से यह सरकार आंकड़े प्रस्तुत करे, सरकार ने जांच की होगी, राजस्थान में पाक नेशनल्स, जो अनधिकृत रूप से सीमा में आये हैं उनको संख्या शायद हजारों में होगी, थाउजेन्ड्स में होगी—जो बोर्डर एरिया में और राजस्थान के बाकी जिलों में, हिस्सों में हैं, जिनकी अवधि समाप्त हो गई, जिनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गई, जो बिना पासपोर्ट आये हैं—ऐसे व्यक्तियों की संख्या थाउजेण्ड्स में है। थाउजेण्ड्स में हैं तो थाउजेण्ड्स को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या सरकार जवाब दे सकती है....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: तब तो इस बिल की बहुत आवश्यकता है, आर्डिनेन्स की ही नहीं बिल की बहुत आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: बशर्ते कि सरकार माने, एन्टीनेशनल राजस्थान में थाउजेन्ड्स में हैं। कहे तो सरकार। तथ्य तो सामने आये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: आप कहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं कहता हूं, लेकिन इस तथ्य को सरकार स्वीकार करेगी उस परिस्थिति में, हो सकता है, मैं इसका समर्थन करूं। तथ्य को सरकार न माने पोसमील में माने तो नहीं हो सकता। चित भी मेरी पुट भी मेरी यह दोनों बातें नहीं हो सकतीं इसलिये मैं कहता हूं, ऐसी परिस्थिति राजस्थान में नहीं थी कि सरकार इस प्रकार का आर्डिनेन्स निकालती। वृद्धिचन्द्र जी शंकरलाल जी मानते हैं कि राजस्थान के अन्दर हजारों पाक नेशनल्स हैं, एन्टी नेशनल्स हैं, जिन्होंने राजस्थान में जाल बिछा रखा है तो राजस्थान सरकार उनको पकड़ क्यों नहीं पाई है? मेरा आरोप है कि इस कानून के बनने के बाद में उनको क्यों नहीं पकड़ा? आपने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया मुकदमे दायर क्यों नहीं किये? इसका मतलब यह हुआ कि आप कानून बनाते हैं पर उसकी एप्लीकेशन कहीं करना चाहते। वैसा ही सीलिंग ला की तहत कानून बना दिया लेकिन एप्लीकेशन नहीं है। आप केवल यह चाहते हैं कि स्टेट्यूट बुक पर कानून होना चाहिये आप कहते हैं कि हजारों की संख्या में पाक नेशनल्स हैं, तो फिर आप बताइये कि सरकार ने आज तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया?

अध्यक्ष महोदय, इस वक्त विचार आर्डिनेन्स जारी करने की आवश्यकता पर हो रहा है प्रिवेन्टिव डिटेन्शन आर्डिनेन्स एन्ड दी सर्कमस्टांसेज नेसेसीटेटिंग दी इश्यू आफ दी आर्डिनेन्स की बात है। बात है लीगल और कान्सटीट्यूशनल टर्मिनोलोजी के समझने की। मैं इस वक्त इसके विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं। एक शब्द में अगर रामानन्दजी जानना चाहते हों और कांग्रेस पार्टी के मेम्बर्स भी जानना चाहते हों, तो मैं यह बता दूं कि मैं प्रिवेन्टिव डिटेन्शन बिल को अनावश्यक मानता हूं और मैं इसका विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि राज-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

स्थान में इसकी आवश्यकता नहीं है, और मेरा तो यह विचार है कि १९७२ के इलेक्शन में राजनैतिक विरोधियों को हटाने के लिये ही प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट का उपयोग किया जायगा। जो इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, सभा करेंगे, जो इनसे पूछेंगे कि राजस्थान की जनता के लिये आपने, कांग्रेस ने गुजरे २५ साल में क्या किया, तो उन विरोधियों को दबाने के लिये इस विधेयक का उपयोग किया जायेगा। इस मेज़ाफाइडो आधार पर इस बिल को लाया गया है। आम जनता को दबाने के लिये इस कानून का खुलकर उपयोग होगा और इसी दृष्टि से ही यह कानून लाया गया है इसका मतलब साफ है।

अब मैं इसके कान्स्टीट्यूशनल आस्पेक्ट्स पर आता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र इस सन्दर्भ में विचार करें कि १९६९ के बाद अगर इस कानून की इतनी आवश्यकता थी तो केन्द्र सरकार को इस कानून के लिये क्यों नहीं लिखा? इस देश में यह कानून १९ साल रहा और इस क़ानून के होने के बावजूद भी आज जो देश में वातावरण बना है जिन आधारों पर आप कानून ला रहे है, उसके उपरान्त भी देश में किस तरह के तत्व बढ़े हैं, देश में हिंसा बढ़ी है, देश पर आक्रमण हुआ है और देश में हिन्सक कार्यवाहियां बढ़ी हैं। आप इस कानून से देश के शत्रुओं को रोक नहीं सके, उनको गिरफ्तार नहीं कर पाये, हिन्सक कार्यवाहियों को आप रोक नहीं पाये, लूट पाट की घटनाओं को रोक नहीं पाये। १९ साल तक जिस देश में यह कानून बना रहा उस देश के प्रशासन में आपकी इनएफीशियेन्सी के कारण, कांग्रेस पार्टी को करप्शन के कारण, आपकी पोलिटिकल फेवरेटिज्म के कारण, आपकी इनकम्पीटेन्सी के कारण, इन १९ सालों में इस कानून का कोई सदुपयोग नहीं हुआ। राजनैतिक आधार पर विरोधियों को दबाने के लिये आपने उपयोग किया होगा। १९६९ के बाद कांग्रेस की जो सेन्टर में स्थिति हुई है, उसको कम्युनिस्ट पार्टी, डी० एम० के० की पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी का समर्थन लेना पड़ रहा है। उन्हीं के समर्थन पर इन्दिरा गांधी की हुकूमत, जो अल्प मत में है, आज टिकी हुई है। और दूसरी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। सरकार में कैसे बना रहा जाय? आपके मन में कोई सद्भावना नहीं है। सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट राज्य सरकारों को यह अधिकार देना चाहती है कि राज्य सरकार कानून बनाये यह शुद्ध भावना नहीं है। केन्द्रीय सरकार यह समझती हो कि कोई आवश्यकता नहीं है यह भावना भी नहीं है। इसके पीछे केवलमात्र जो भावना है वह यह है कि इन्दिराजी किस प्रकार हुकूमत में बनी रहें। उसके पीछे यही भावना है और कुछ नहीं। अनलॉफुल एक्टीविटिज में संसद में विचार करना चाहिये लेकिन उसका विरोध किया और ३ नवम्बर, १९७० को अमेन्डिग बिल को वापस लिया। इसका अर्थ यह है कि इस कानून की आवश्यकता नहीं है।

उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि आंकड़े जो इस सम्बन्ध में हैं वे हमको मिलने चाहिये इसलिये बहस प्रारम्भ होने से पहले ही यह मांग की कि गृह मंत्रीजी ये आंकड़े सदन में प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का कानून का मस्विदा बंगाल के लिये चल रहा है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बंगाल के लिये कानून बनाया जाय और संसद के माननीय सदस्यों को जानकारी केन्द्रीय सरकार की ओर से दी गई और कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये गये जिससे उनको संतोष हो सका कि बंगाल में इस प्रकार के कानून की आवश्यकता क्यों है ? इसीलिये यहां सदन में भी यह मांग की गई कि गृह मंत्रीजी सदन में आंकड़े प्रस्तुत करें, जिससे माननीय सदस्य इस कानून को लाने का जस्टिफिकेशन तो समझें। आंकड़े कोई हैं नहीं। जिस प्रकार की बंगाल की स्थिति है, वहां पर एक प्रकार की परिस्थिति बनी है लॉ एण्ड ऑर्डर सिचुएशन की, चाहे कम्युनिस्ट गवर्नमेन्ट के समय की या इन्दिराजी की सरकार, जहां पर प्रेसिडेन्ट रूल है, गवर्नर का शासन है, के समय में वहां पर जो परिस्थितियां बनी हैं उनका राजस्थान की परिस्थितियों के साथ में कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। आप उस आधार पर कि बंगाल में ऐसा कानून बन रहा है या दूसरे प्रान्तों में बन रहा है, उसके आधार पर नकल करने की कोशिश करें और अपने तर्क को ताकत देने की कोशिश करें यह उचित नहीं है। बंगाल में १-४-७० से ३१-१०-७० तक जो हिंसात्मक घटनायें हुई हैं वह १३७३ हुई हैं। उनमें से १०८ कत्ल हुए हैं। ४ जिलों में १०८ कत्ल हुए हैं। इनमें ३६ पुलिस वाले मारे गये हैं। ३६ पुलिसमेन हैव बीन किल्ड। सितम्बर ७, अक्तूबर १० और १२ नवम्बर तक १० और बाकी २६ पुलिस के आदमी जिनमें अधिकारी और कर्मचारी, पिछले २॥ महीनों में मारे गये हैं। यह आंकड़े केन्द्रीय सरकार ने लोक सभा की कन्सलटेटिव कमेटी के मेम्बरान को दिये हैं। लेकिन आपने कोई आंकड़े नहीं दिये हैं। मैं कहता हूं कि यह सरकार कानून बनाती है लेकिन सदन को विश्वास में लेना नहीं चाहती है....

श्री रामचन्द्र आर्य : पुलिस के द्वारा २०० आदमियों को राजस्थान में मारा गया...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पुलिस पर लागू नहीं होगा।

यदि कानून जिन लोगों ने तोड़ा और यह कानून उन पर लागू होगा, यह गृह मंत्रीजी कहते कि जस्टिस बेरी ने रिपोर्ट दी ७ मार्च, १६७५ को जौहरी बाजार में फायरिंग अनजस्टिफाईड थी, कानून को पुलिस ने तोड़ा तो उन सारे पुलिस वालों को प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट में गिरफ्तार करेंगे तो मैं इसको वापिस ले लूंगा। मंत्रीजी आप प्रिवेन्टिव डिटेन्शन की बात करते हो, लेकिन दिन दहाड़े सरे बाजार में जो लूट खसोट आपके द्वारा होती है सरकार के द्वारा और चोज लगाये जाते हैं लेकिन लोक पाल और लोक आयुक्त के द्वारा आप अपने भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिये क्यों नहीं तैयार होते हो, हर बार सदन की ओर से मांग की गई है कि राजस्थान के मन्त्रिमंडल में भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसके लिये जांच की मशीनरी बनायी जाय, करप्शन के केसेज के लिये कोई कमीशन बिठाया जाये, उसके लिये कानून की जरूरत है, अध्यादेश की जरूरत है, कांग्रेस के २२ साल के पिछले भ्रष्ट शासन ने जनता को लूट लिया, लोगों को दिनदहाड़े लूटने वाले कांग्रेस के भ्रष्ट मंत्रियों की जांच के लिये कमीशन बिठाया जाय लेकिन तैयार नहीं....

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, कोरम करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ग्राप वह नहीं बनायेंगे। बारबार विरोधी दल के द्वारा मांग करने पर भी ग्राप तैयार नहीं होते। यदि ग्राप वह कानून लाते ग्रौर ग्रध्यादेश जारी करते तो मैं उसका स्वागत करता लेकिन यह सरकार वैसा कानून लाने के लिये तैयार नहीं।

ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके सामने केवल जानकारी के लिये इन्फार्मेशन दूं कि मैं कल दिल्ली गया था, लोक सभा में गया था जहां पर वेस्ट बंगाल की सिचुएशन पर मि० नाथपाई का मोशन ग्रौर रिजोल्युशन था, जिसको संसद ने रिजेक्ट कर दिया। लोक सभा इस बात के लिये तैयार नहीं कि सारे देश के लिये कानून बनाया जाय। लोक सभा की कन्सलटेटिव कमेटी में विचार हुग्रा। मैं निवेदन इतना ही कर देना चाहता हूं कि कितने वहां पर डिटेल्ड नोट सिचुएशन, फैक्ट्स ग्रादि के लिये वितरित किये जाते हैं, कम्पलीट डिटेल्ड नोट्स। ग्रापने जिस प्रकार एक लाइन में स्टेटमेंट ग्रॉफ ग्रोब्जेक्ट्स रीजन्स दिये हैं उस तरह से नहीं। एक्सप्लेनेटरी नोट्स सब क्लाजेज के बारे में दिये हुए होते हैं। एक्स्प्लेनेशन्स दिये होते हैं क्लाजेज के विषय में। जिससे कि सदस्यों को सब तरह की पूरी जानकारी हो सके कि after all what is the situation and circumstances which necessitate such a piece of legislation.

हमारी सरकार नकलची सरकार है। कानून कहीं से पढ़ लिया ग्रौर उसको धर दिया। ग्रध्यक्ष महोदय, बिल में स्टेटमेंट ग्रॉफ ग्रोब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में दिया वह ही ग्रॉर्डिनेन्स में लिख दिया। लास्ट के पैरा में लिख दिया : "Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and the matter was urgent, the Rajasthan Preventive Detention Ordinance 1970 was promulgated."

यह तीन लाइन ग्रलग हैं। बाकी दोनों में कोई ग्रन्तर नहीं हैं। क्या यही उद्देश्य है। कानून बनाते हैं या बेगार टालते हैं ? कानून बनाना ग्रौर बनवाने का सही तरीका नहीं है।

ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी परिस्थितियों में कम से कम यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ग्रध्यादेश को जारी करने के लिये जो रीजन्स चाहिये कोई माकूल रीजन्स सरकार के पास नहीं थे। गवर्नर साहब ने लिखा है :

"Whereas the Rajasthan Legislative Assembly is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action in this behalf."

सदन यह जानना चाहता है कि क्या सरकमस्टान्सेज थे जो एक्जिस्ट कर रहे थे १७ जून, १९७० को ? १७ जून ग्रौर २० मई को, जबकि विधान सभा का ग्रधिवेशन समाप्त हुग्रा था, इस बीच के समय में ऐसी कौनसी परिस्थितियां पैदा हो गई थीं जिनके कारण से गवर्नर साहब सैटिस्फाई हुए कि इस प्रकार का ग्रध्यादेश जारी करना चाहिये ?

श्री विजयसिंह : गवर्नर साहब ने थोड़े ही लिखा है। वहां तो रबर की मोहर है जब चाहो उसको लगा लो।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : ग्रध्यक्ष महोदय, ५॥ महीने में ६ ग्रॉर्डिनेन्स जारी किये। हर महीने में २ ग्रॉर्डिनेन्स ग्रौर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

साल भर में २४ ग्रोडिनेन्स। जिस राज्य में हर महीने दो ग्रोडिनेन्स जारी होते हों उस राज्य में कानून बनाने की कोई प्रक्रिया है? क्या तौर तरीके हैं कानून बनाने के? चेयरमैन वाइस चेयरमैन की जगह काम करे, और वाइस चैयरमैन, चैयरमैन की जगह काम करे, और खादी बोर्ड में काम करे? आपके इन मंत्रियों को यात्रा भत्ता मिलना चाहिये इसके लिये ग्रोडिनेन्स लाने की क्या आवश्यकता थी? यह ग्रोडिनेन्स जारी करने का जो राज्यपाल का अधिकार है क्या इस प्रकार की असाधारण शक्तियों का उपयोग इसके लिये किया जाना चाहिये था आपने लिखा है:—

"In view of the past experience and the advice given by the Government of India, it was considered necessary to enact a State law on the subject."

सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और सदन भी गम्भीरता से विचार करे। मैं इस विधेयक पर विचार नहीं प्रकट कर रहा हूँ एक बात कह सकता हूं यह जो विधेयक लाया गया है बिलकुल लूला लंगडा और इनकम्पलीट विधेयक है। पोलिटिकल परपज के लिये है आपका कानून का ड्राफ्ट जो बना हुआ है वह भी ठीक नहीं है। मैं गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपको केन्द्रीय सरकार ने एडवाइज कब दी थी। जो भारत सरकार ने राय दी उसके आधार पर the advice which was tendered by the Government of India हाउस जानना चाहता है? सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने स्टेट गवर्नमेन्ट को कौन सी तारीख को दी? और उस एडवाईज पर केबिनेट ने डिसीजन कब लिया? और आपने कानून बनाने का फैसला कब लिया? उन्होंने क्या कोई ड्राफ्ट बिल नहीं भेजा? ड्राफ्ट बिल की जो धारायें हैं वे, कमी बेसी, वे ही हैं जो सेन्टर की सरकार ने भेजे थे. आपने नकल की है इसमें आपकी अकल लगाने का सवाल खड़ा हो नहीं होता। मैं इस संम्बन्ध में एक छोटी सी बात निवेदन करना चाहता हूं। यह सेन्ट्रल पीस ऑफ लेजिस्लेशन था, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का कुठाराघात किया जाय और ऐसे आदेश दिये जांय बिना कारण बताये इसके अन्तर्गत गिरफ्तार किया जायगा। पांच दिन के अन्दर अन्दर उसके गिरफ्तारी के कारण बताये जायेंगे, बारह दिन तक उसकी रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। मैं एडवाइजरी बोर्ड की बात कहना चाहता हूं एडवाइजरी बोर्ड जो होगा वह तीन व्यक्तियों का होगा, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज उसका चैयरमैन होगा और वह बोर्ड सारे केसेज को रिव्यू करेगा। बोर्ड एवीडेन्स लेकर डोक्यूमेन्टस मंगवाकर उसको देख सकता है फेक्ट्स मंगा सकता है। वह इम्पार्शल बोर्ड होगा वह सारे केसेज को एग्जामिन करेगा इसके बाद वह निर्णय देगा।

इस विधेयक में कोई एडवाइजरी बोर्ड की व्यवस्था नहीं है आपने हुक्म दिया कलेक्टर को ए० डी० एम० को फलां आदमी को सम्पतसिंह जी को जिनकी एण्टीनेशनल एक्टीवीटिज है इनको गिरफ्तार कर लिया जाय। इस तरह से आप राजनैतिक आधार पर गिरफ्तारियां करेंगे। आपने सम्पतसिंहजी को इसी आधार पर गिरफ्तार किया है उसके बारे में मेरे से बाद में बोलने वाले अपने तथ्य सदन के सामने रखेंगे।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस तरह से इसका मिसयूज होगा सम्पतसिंह की गिरफ्तारी इसका जीता जगता प्रमाण है। मध्यावधि चुनाव आ रहे हैं आप जल्दी ही इस प्रकार का कानून बनाना चाहते हैं ताकि बजट अधिवेशन के समय यदि सेन्टर की सरकार गिर गई तो मध्यावधि चुनाव होंगे प्रीवीपर्स में हार गये तो देश का वातावरण बिगड़ेगा उस समय मध्यावधि चुनाव होंगे। चुनाव से पहले आप इस प्रकार का कानून बनाना चाहते हैं ताकि राजनैतिक आधार पर व्यक्तियों को दबाया जा सके।

मैं, इस सम्बन्ध में अपने जो विचार रख रहा हूं संकल्प पर ही रख रहा हूं सम्पूर्ण विधेयक पर नहीं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन इस पर गम्भीरता से विचार करे। कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल है, सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है आज की वर्तमान परिस्थितियों में यह कानून अनावश्यक है। राजनैतिक बदनीयती के परिणाम स्वरूप यह कानून लाया जा रहा है। कांग्रेस के माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे अपनी अन्तरात्मा की आवाज पर वोट दें। आज की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि राजस्थान में इस प्रकार के कानून लायें जांय वे इस संकल्प का समर्थन करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित)

श्री केसरीसिंह हाड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है उस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। गान्धी ने जब यह कहा कि कांग्रेस को अब लोक सेवक संघ के रूप में परिणत कर दो, गांव गांव में जाकर फैल जाओ अगर उसकी बात मान ली जाती तो हाल दूसरा ही होता। तेईस वर्ष की आजादी के बाद भी आज यह स्थिति है कि इस प्रकार का काला कानून इस सरकार को लाना पड़ रहा है। गान्धीजी ने इसके लिये हरिजन सेवक के २९-६-४६ के हरिजन में लिखा था।

"पद का सदुपयोग किया जाय कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।" यह उन्होंने २३-४-३८ के हरिजन में कहा था।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह गांधीजी की कांग्रेस नहीं है, नकली कांग्रेस है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सदन से त्याग निकलना चाहिये भोग नहीं। माननीय सभी सदस्य मेरी तरफ हंस रहे थे मुझे धक्का लगा। मैं इसके लिये इनको दोष नहीं देता। शराब की बोतल में जो नशा है उससे अधिक धन में होता है और धन से अधिक नशा सत्ता में होता है जैसे कहा है :

धनसू मोटो राजमद, मत काढ़े थू बांत
फिरती देखी ठैठसूं, गुद्दी पाछे आंख।

आंख भी पीछे आ जाती है, साथी भी मजाक करने को सोचते हैं।

श्री अध्यक्ष : वे साथी ही थे, मजाक नहीं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : गान्धी की एक-एक बात पर चलिये । नाम गान्धी का लेते हैं लेकिन उसकी एक-एक बात को ठुकराई गई है उसका नतीजा यही आना था । तेईस साल में जो गलत काम किये उसका परिणाम यही देखना था । उसके लिये मेरे सपनों के भारत में गांधी ने लिखा है:—

"मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूं । जिसमें ऊंच नीच वर्ग का भेद नहीं होग, विविध सम्प्रदायों में मेल होगा । ऐसे भारत में अस्पृश्यता, शराब और दूसरी नशीली चीजों का कोई स्थान नहीं रहेगा । आज की जो स्थिति है वह सब शराब का ही परिणाम है"....

श्री अध्यक्ष : विधेयक शराब से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसका तो इससे खास संबन्ध है । आज से दो दिन पहले राष्ट्रदूत में एक सर्वेक्षण रिपोर्ट देखने को मिली जिसमें बताया गया कि यूनिवर्सिटी के ६० प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एक बार शराब पी है और ३४ प्रतिशत छात्रायें ऐसी हैं जिन्होंने एक बार एक सप्ताह में शराब पी है । अध्यक्ष महोदय इस शराब के जरिये से क्या-क्या होने वाला है....

श्री अध्यक्ष : अब आप विधेयक पर आजाइये ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इससे सजा किनको मिलेगी ? सजा उनको देंगे जिनके कारण गलती हुई है....

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सरकार तो शराब और जुए की आमदनी पर चल रही है ।

श्री विजयसिंह : कांग्रेस के कल ही एक मेम्बर सदन में शराब पी कर आये थे और डागाजी के पास बैठे थे ।

स्वतन्त्र पार्टी को रोक नहीं है । कांग्रेस को रोक है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्वतन्त्र पार्टी के संविधान में लिखा हुआ नहीं है । आपके विधान में लिखा है इसलिये वे अपने विधान के अनुसार काम करते हैं ।

श्री विजयसिंह : हमारे तो बाप दादा पीते थे ।

(श्री गिरधारीलाल व्यास के साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं । शराब पर बोलने के कई अवसर हैं आज तो विधेयक पर बोल दीजिये ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं विधेयक पर ही बोल रहा हूं । आखिर यह विधेयक लाने की क्यों स्थिति आई ?

श्री अध्यक्ष : शराब से आई ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय सब पीते हैं, मैं भी पीता हूं लेकिन....

श्री अध्यक्ष : कोई नहीं मान सकता आपके लिये ।

श्री मनोहरसिंह मेहता :

जनता चावे राज सूं, बोलन को अधिकार ।
शिक्षा, रक्षा, न्याय, घर, औषध अर रुजगार ।।

आपसे यही तो चाहती है, आपने शिक्षा दी कैसी ? आपने एक करोड़ से ४० करोड़

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

का बजट पहुँचा दिया लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं अध्यक्ष महोदय। गान्धीजी ने कहा था तालीमी शिक्षा दो। आज ऐसी शिक्षा दो कि पात्र वजन ले जाते हुये शर्म आती है। आपने भयंकर पाप किया है। बड़े खुश होते हैं हमने इतने कॉलेज खोल दिये, इतनी यूनिवर्सिटी खोल दी और इतने स्कूल खोल दिये। गान्धीजी ने कहा है शिक्षा पर भारतवर्ष को अगर ऊंचा करना है, भारतवर्ष के गौरव को रखना है तो हर दृष्टि से सावधान रहे। लेकिन आपने सोचा नहीं, अन्धाधुन्ध खर्च करते जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : गान्धीजी ने पी० डी० ए० के बारे में क्या कहा ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : ग्रामोद्योग सब नष्ट हो गये। अब आप बताइये बेकार आदमी क्या करेगा ? आपने सारी परिस्थिति पैदा कर दी और आज आप क्या कानून ला रहे हैं इससे अधिक शर्म और दुःख की बात क्या हो सकती है ? कल आपने खुद के लाभ के लिये कानून पास किया, परसों आपने छोटे राज्य कर्मचारियों को दबाने का कानून पास किया। आप बोल नहीं सकते इसको पूरी तरह दुरुपयोग या उपयोग में लेने के लिये। इससे पहले आपने सोचा होता पुलिस विभाग में जो कत्ल को दबा देते हैं, उनके हाथ खून से रंगे हुये हैं। खूब रिश्वत चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, पापाचार चल रहा है–उनको बन्द नहीं करते लेकिन बहाना करके सचमुच उन लोगों को दबाना चाहते हैं। एक बच्चे ने चोरी की और उसको सजा होने वाली थी तो उसने अपनी मां को बुलाया और कहा सजा इसको दीजिये। चोरी करना इससे सीखा है। ये लोग अपने स्वार्थ में पड़े हुये हैं। और मैं कोई कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। हम सब एक हैं। बैठने की जगह का केवल फरक है। सब लोग स्वार्थ में लगे हुये हैं। इसलिये कृपा करके इस काले कानून का सहारा न लीजिये, अपनी नीति बदलिये तब देश का कल्याण होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल। समय ३० और ४० मिनिट के बीच।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प के समर्थन में खड़ा हुआ हूं अध्यक्ष महोदय, आज सरकार जिस अध्यादेश को लाई है १७ जून को उसके बाद में जिस समय वक्तव्य मुख्य मन्त्रीजी का और उन्हीं दिनों में शायद गृह मंत्री जी का भी वक्तव्य निकला था वह विशेष तौर पर भूमि आन्दोलन जब देशव्यापी पैमाने पर चल रहा था और वह कम्युनिस्ट पार्टी व संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को ओर से घोषित किया गया था और राजस्थान में भी उसी क्रम में घोषणायें की गई थी। उस पृष्ठ भूमि में सरकार की ओर से यह अध्यादेश जारी किया गया और सरकार ने इस बात को चेतावनी दी थी कि जो लोग इस प्रकार से कानून को हाथ में लेंगे भूमि के सम्बन्ध में उनको डील विथ करने के लिये सख्ती से उसका मुकाबला करने के लिये यह अध्यादेश हम जारी कर रहे हैं। सरकार रोजनामे में भी इस बात को दर्ज करती है परन्तु उनको दर्ज नहीं किया, क्योंकि जब यह अध्यादेश निकाला था और मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी का यह वक्तव्य आया तो लगभग सभी समाचार-पत्रों ने और मुख्य संस्थाओं ने और नेताओं ने नेशनल पेपर्स में राजस्थान सरकार के इस कदम

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की कटु आलोचना हुई। इसकी तीव्र आलोचना से खास तौर से मुख्यमंत्रीजी और राजस्थान की सरकार ने उस बारे में महसूस किया कि वह लेण्ड एजीटेशन के सम्बन्ध में जो घोषणा की है उसके बारे में हम लागू न करें और इसलिये उस देश-व्यापी आन्दोलन में जो आलोचनायें इस सरकार की हुई, सरकार का साहस उस सम्बन्ध में इन पोलिटिकल पार्टीज के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं पर कदम उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी लेकिन जिस संदर्भ में सरकार की ओर से यह अध्यादेश जारी किया गया वह आन्दोलन चला वह आन्दोलन दो-ढाई महीने चला और उसका मुद्दा किस हद तक हल हुआ या किस हद तक नहीं हुआ उस बहस में न जाकर लेकिन एक बात साफ सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तरह से पुलिस के जरिये, दूसरे तरीकों के जरिये उस आन्दोलन को कुचलने का प्रयत्न किया, लोगों को गिरफ्तार किया सब कुछ किया और हम लोगों ने अपना आन्दोलन चलाया लेकिन सरकार के इस अध्यादेश को उस समय इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी तो मैं अध्यक्ष महोदय, सरकार से यह कहना चाहता हूं सरकार के पास काफी शक्तियां हैं जिससे कि वह किसी भी सिचुएशन को और वास्तविक रूप से वह मीट करना चाहे तो मीट कर सकती है और उस आन्दोलन के सम्बन्ध में इस प्रकार के अध्यादेश की आवश्यकता नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर सरकार जिन कारणों को लेकर, जिन वाकयातों को लेकर, आज यह चिन्ता व्यक्त की जा रही है कि इस प्रकार के अध्यादेश को निकालने की जरूरत पड़ी, उसका क्या बेकग्राऊन्ड था, क्या हालत थी वह अध्यक्ष महोदय स्थिति यह है कि आज देश के अन्दर यह महसूस कर रहे है और मैं समझता हूं खुद कांग्रेस के नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि देश में राजनैतिक आजादी तो आ गई लेकिन आर्थिक आजादी अभी लाना बाकी है, सोशलिज्म का पूरा काम करना बाकी है, अभी बाकी है समानता लाना कांग्रेस के नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो भी नीतियां हमने देश में इन २३ सालों में चलाई उसमें विकास हुआ, कुछ बान्ध बने, कुछ उद्योग-धन्धे खुले, खेती में कुछ पैदावार का प्रतिशत बढ़ा नेशनल इनकम भी बढ़ी लेकिन उसका बंटवारा जिस प्रकार से हुआ उसके जरिये सामाजिक न्याय नहीं हुआ, सामाजिक न्याय होने की बजाय सामाजिक अन्याय हुआ है। डिस्पेरिटी बढ़ी है, गरीबी और अमीरी के अन्दर खाई पहले की निस्बत ज्यादा चौड़ी हो गयी है। इस बात को हम ही नहीं कह रहे है बल्कि कांग्रेस के नेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात को स्वीकार किया है और इसलिये महालेनोबिस कमेटी की स्थापना हुई। देश के सामने कांग्रेस की नीतियों के जरिये जिस प्रकार का निर्माण और जिस प्रकार का सामाजिक न्याय हुआ पहली बार ताथ्यिक रूप से देश के सामने रखा है। अध्यक्ष महोदय, उस बात को देख कर सारे ही लोग चिंतित हैं। देश के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि इस परिस्थिति में तब्दीली आनी चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, और जब हम सब की यह आकांक्षा है कि देश को आर्थिक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

स्वतन्त्रता की ओर ले जायें बराबरी की तरफ ले जायें, सोशियेलिज्म की तरफ ले जायें तो लाजिमी तौर से आज देश के अन्दर जो वर्ग, जो क्लास दबी हुई रही उनके हितों की उपेक्षा होती रही। उनमें लाजिमी तौर से यह भावना पैदा हुई कि वह लोग संगठित हैं, एकत्रित हैं और इकट्ठे होकर संगठित रूप में अपने अधिकारों को प्राप्त करें। यह भावना स्वाभाविक है और इस भावना का वैलकम करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, आज देश के अन्दर यह नारा दिया जाता है "सेव डेमोक्रेसी"। देश के अन्दर महा गठबंधन बनाये जाने की भूमिका बनाई जा रही है। कुछ दलों को इस बात से बड़ी चिन्ता है कि आज देश के अन्दर डेमोक्रेसी को खतरा है। किस बात से खतरा है? वह देखते हैं कि आज मजदूर संगठित होकर हड़ताल करते हैं, अपने अधिकारों के लिए हड़ताल करते हैं, घेराव करते हैं। वह मजदूर जिनको मालिक मर्जी आये तब निकाल देता था, आज उनके अन्दर इतनी हिम्मत है कि न केवल वह हड़ताल करें, मजदूर मालिक का घेराव ही करें बल्कि उनसे मांग मनवाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आज जागीरदार और राजा जो कानून के बावजूद पुलिस की मदद के कारण, शासकों के केलोबरेशन के कारण, उनके गठबंधन के कारण, आज बावजूद सीलिंग के बावजूद कितने ही कानूनों के जमीनें लिये बैठे हैं और जमीनों पर कब्जा किये बैठे हैं नाजायज तरीके से सीलिंग कानून से ऊपर और चाहे भूतपूर्व राजा होने के नाते तो आज जब डूंगरपुर के भील महारावल साहब के जंगल में वहां के ठेकेदारों के खिलाफ, जो ठेकेदार मुनाफा लेने के लिए महारावल साहब ने ठेके पर दिया हुआ है अगर आज भील उस जंगल पर जमीन पर कब्जा करने के लिए आन्दोलन करते हैं तो यह सारा का सारा लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए खतरा होता है।

(२-४३ म० प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

यहां पर कानून होते हुए भी कि आदिवासियों की जमीनें गैर आदिवासियों को ट्रान्सफर नहीं हो सकतीं सरकार के सामने, इस सदन के सामने इस मामले को बार-बार लाया जाता है और फिर उस बात को हंसी में टाल दिया जाता है उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और जब डूंगरपुर और उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में इकट्ठे होकर वहां के किसान, वहां के आदिवासी उन कलालों की जमीनों पर जो कि गैर कानूनी तरीके से नाजायज तौर से कानून के खिलाफ रजिस्ट्री कराके कब्जा कर लें और वह आदिवासी उन जमीनों पर वापिस कब्जा करते हैं तो कहा जाता है कि नक्सलवादी खड़े हो रहे हैं। कल के अखबार में मैंने पढ़ा कि डूंगरपुर के अन्दर जबरदस्त नक्सलवादी एक्टीविटीज हो रही हैं, साम्यवादी पार्टी नक्सलवादियों को बढ़ावा दे रही है और इस लिए यहां पर भी माननीय सदस्यों के सामने इस प्रकार की दलीलें सरकार की ओर से प्रस्तुत की जाती हैं कि हम यह सारा कानून इसप्रकार की स्थिति का मुकाबला करने के लिए ला रहे हैं। माननीय सदस्य जो विरोध में भी बोलते हैं, कुछ माननीय सदस्य दलील देते हैं कि अभी नक्सलवादी

Page No 83

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पनपे नहीं हैं इसलिए जरूरत नहीं है। नक्सलवादी पनप जायें तो फिर जरूरत आ जायेगी ? नक्सलवादियों की शकल क्या बताते हैं कि डूंगरपुर के जंगलों में लोग अपनी जमीन मांगते हैं। २३ वर्ष से जमीन नहीं देते हैं और फिर आन्दोलन करके जमीन को खुद बांटते हैं देश की पैदावार बढ़ाने के लिए, अमेरिका के आगे आप भिखारी की तरह भीख मांगने जाते हैं, उस भीखमंगेपने की आपकी आदत को मिटाने के लिए किसान जमीन पर अनाज पैदा करता है तो आप उसको इस कानून के जरिये रोकना चाहते हैं। आप नक्सलवाद के नाम पर उसका मुंह बन्द करना चाहते हैं। आपके हाथ में सत्ता आने के बाद आप शोषण को खत्म नहीं करते हो, उन शासकों का साथ देते हो और चुपचाप आपने आई० जी० और एस० पी० को अधिकार दिये हुए हैं और जब कोई किसान आता है तो आप उनकी बात हंसी में टाल देते हो। ऐसे लोगों के हाथों में पावर्स दी हुई हैं, ऐसों को अधिकारी बनाया हुआ है कि जो कि शासक वर्ग में से हैं, उसके लिए हैं और उसके लिए सारा काम करता है। तो वह वर्ग क्या करे ? परसों जो घटना हुई उदयपुर और डूंगरपुर के अन्दर कानून के खिलाफ जिन लोगों ने, जिन कलालों ने, जिन सूदखोरों ने जमीनों पर कब्जा किया हुआ था, क्या किया आपने उन जमीनों को उनके हाथों से छुड़ाने के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी ने, सोशियलिस्ट पार्टी ने और तमाम पार्टीज ने उन तमाम लोगों ने चाहे वह किसी पार्टी के तहत हों या नहीं हों अगर वह फैसला करें कि इस सामाजिक अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना है, सरकार साथ दे तो सरकार का साथ देकर लड़ना है, सरकार चुप रहे तो उसके बावजूद भी लड़ना है, सरकार मुखालफत करती है तो उसके बावजूद भी लड़ना है। ऐसे लोग अगर आज बढ़ रहे हैं तो वह उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो कि आज देश की आकांक्षा है।

सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं लेकिन इन संगठनों को देखकर किसान जब उठ रहा है भूमि के गबन करने वालों के खिलाफ, मजदूर जब उठ रहा है मोनोपोलिस्ट के खिलाफ, जब आम जनता उठ रही है शासकों के खिलाफ तो हमें इस बात से भयभीत होने की जरूरत है या नहीं या खुश होने की जरूरत है ? कुछ लोग जनता के इस उभार से, इस संगठन से और इस जोश से डर रहे हैं। उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं और वह कह रहे हैं कि यह डेमोक्रेसी को डेंजर है, "सेव डेमोक्रेसी", कम्युनिज्म आ रहा है, इन्दिरा जी कम्युनिस्टों से मिल गयी हैं, चीन आ रहा है, रूस आ रहा है. इसलिए सारे इकट्ठे हो जाओ। अगर यहां का किसान इकट्ठा होता है, रूस का किसान इकट्ठा होता है यहां जमीनों पर कब्जा करने के लिए डूंगरपुर और उदयपुर के अन्दर क्या यह चीन का किसान आया है ? क्या रूस का किसान आया है ? यह बात अलग हो सकती है कि कुछ विचार दुनिया में कहीं भी पैदा हुए हों, जो अच्छे विचार हैं, अच्छे ख्यालात हैं उनको जनता अपनायेगी।

श्री भवर्नासिह : रूस और चीन का किसान कब्जा नहीं कर रहा है लेकिन फौजें कब्जा कर रहे थे। आप लोग जैसे आज भी बंगाल के अन्दर मदद करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह गलत है। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रजातंत्र के लिए कहा जाता है कि प्रजातंत्र खतरे में है तो वह किस बात से है ? यही बात डिबेटेबल पाइन्ट के रूप आज देश के सामने खड़ी है। आज कुछ वर्ग, शासन करने वाले लोग, पूंजीपति लोग, जागीरदार लोग कहते हैं कि जब किसान इस रूप से संगठित हो रहा है, मजदूर यूनियन में संगठित हो रहे हैं, विद्यार्थी संगठित हो रहे हैं, वो आन्दोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इन डेन्जर। मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी समझती है कि यह डेमोक्रेटिक फोर्सेज संगठित हो रही हैं तो डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है। आज यह प्रश्न है, मैं शासक दल से पूछना चाहता हूं कि आप इस प्रक्रिया से डेमोक्रेसी को मजबूत होना मानते हो या डेमोक्रेसी को खतरा मानते हो ? आपका दृष्टिकोण क्या है ? महारावल साहब आपके दृष्टिकोण को मैं समझता हूं और दूसरे दृष्टिकोणों को मैं समझता हूं, लेकिन वह लोग जो समाजवाद की बात करते हैं, जो आर्थिक असमानता की बातें करते हैं उनको कम करने की बात करते हैं, उनसे मैं पूछ लेना चाहता हूं कि ये लोग जो कि सदैव से संगठित नहीं थे, आज तक कठिनाइयों में थे उनमें जब वस्तुस्थिति की चेतना पैदा हुई है तो इसको आप अच्छी दिशा मानते हैं, प्रजातन्त्र को मजबूत करने की दिशा मानते है या प्रजातन्त्र के लिए खतरे की बात मानते हैं ? मैं समझता हूं, सभापति महोदय, वह सारा पददलित तबका जो आज इकट्ठा हुआ है वह वर्ग-चेतना उनमें पैदा हुई है वह डेमोक्रेसी को मजबूत करने की दिशा है। डेमोक्रेसी इससे मजबूत होगी। अकेली एक सरकार ही शोषक वर्गों से नहीं लड़ सकती। जब तक कि शोषित वर्ग अपने में संगठित न हों, आपस में एकता पैदा न करें तब तक शोषक वर्ग के खिलाफ लड़ाई में वह कामयाब नहीं होंगे। आज जो ये सरकार में बैठे हैं, वे शोषित वर्गों के वोटों पर बैठे हैं, शोषित वर्गों के नाम पर आये हैं और नाम तो शोषित वर्ग का लेंगे लेकिन वे काम शोषक वर्ग का कर रहे हैं, जैसा कि मोजूदा सरकार कर रही है। वोट उन्होंने आदिवासी हरिजन और मध्यम-वर्ग का लिया है और काम राजाओं के लिए कर रहे हैं, काम जागीरदारों के लिए कर रहे हैं, काम बिड़ला के लिए कर रहे हैं, काम साहू जैन के लिए कर रहे हैं—इस वर्ग के लिए कर रहे हैं। छोटा-मोटा टुकड़ा इधर उधर डाल कर, एक लाख की छात्र वृति एक वर्ष में हरिजनों के लिए हम बांट देते हैं तो यह प्रगतिशील और समाजवादी कदम हो गया ? नहीं।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इसीलिए कि यह जो समस्या है यह लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या नहीं है। बुनियादी तौर से इस बात को समझना है कि यह जो समस्या देश में उत्पन्न हुई है, आज चाहे बंगाल में ही क्यों न हो, अगर इस समस्या को लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या समझकर हल करने का प्रयत्न करेंगे तो मैं समझता हूं वह हल नहीं होने वाली है। यह सामाजिक सोशियो-इकोनॉमिक प्रॉब्लेम है, यह आर्थिक और सामाजिक समस्या है और सामाजिक न्याय के आधार पर ही इसका हल हो सकता है। इसलिए आज इस सदन में अगर हमारे जनसंघ की पार्टी के नेता इस अध्यादेश का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

विरोध केवल इस आधार पर करते हैं कि आंकड़े होने चाहिए कि कितने मर्डर्स हुए हैं, कितने फौजदारी के मुकद्दमे हुए हैं, और बंगाल के केवल आंकड़ों को देखकर उनसे वे सेटिस्फाइड हो गये और उनकी पार्टी ने समर्थन कर दिया तो मैं यह कहूंगा कि सैद्धान्तिक तौर से, बुनियादी तौर से वह प्रजातन्त्र के समर्थक नहीं हैं। वे इस बात के समर्थक नहीं हैं कि किसी भी आदमी पर मुकद्दमा चलाये बगैर गिरफतार नहीं किया जाना चाहिए। यह हमारी डेमोक्रेसी, यह हमारे राजनैतिक आन्दोलन का, आजादी के आन्दोलन का मुख्य अंग रहा है और अंग्रेजों से इसके बारे में बहुत बड़ी लड़ाई रही है। आपका प्रस्ताव तो बाद में रखा गया है। अंग्रेजों से जब आजादी की मांग की, जब स्वायत्त शासन की मांग की उसमें इस फ्रीडम और इस लिबर्टी की स्पेसिफिक मांग की कि, इस बात की गारन्टी होनी चाहिए कि ऐसा कान्स्टीट्यूशन होना चाहिए कि जिसमें किसी व्यक्ति पर मुकद्दमा चलाये बगैर गिरफ्तार नहीं किया जायगा। मेरा निवेदन यह है कि यह अध्यादेश उस बुनियादी मान्यता का वायलेशन है। हिन्दुस्तान की जनता को जो हिन्दुस्तान के नेताओं ने आजादी के आन्दोलनों में जो कमिटमेंट्स दिये हैं उनका वॉयलेशन है, और हिन्दुस्तान की जनता की भावनाओं के विरुद्ध है। चाहे बंगाल का प्रश्न हो, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि वहां इस तरह की हत्यायें हो रही हैं या और घटनाएं हैं, लेकिन यह अध्यादेश उसका हल करने वाला नहीं है। इस अध्यादेश से ये सामाजिक प्रश्न हल नहीं हो सकते हैं। आप उनकी बुनियादों में जायं। बंगाल मे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां हैं। क्रान्तिकारी परम्पराएं वहां पर जबरदस्त रही हैं। कहीं के लोग बेरोजगार होते हुए भी श्री गणेशजी या हनुमानजी का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन क्रान्तिकारी लोग समाज को बदलने में विश्वास रखते हैं और समाज को बदलने के लिए मैदान में आते हैं। केवल इस बुनियाद पर कि हिंसा हुई है या इस प्रकार की घटना के इतने आंकड़े नहीं हुए हैं तो जनसंघ के माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि आपकी मिनिमम संख्या क्या है? कौन सी संख्या को पार करते ही वह इसका समर्थन करने लगेंगे और मैं मानता हूं कि बुनियादी तौर से, सैद्धान्तिक तौर से उसके खिलाफ नहीं हैं। सैद्धान्तिक तौर से उसके समर्थक हैं।

श्री नाथूलाल करौल (जमवारामगढ़) : मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि जो ऑर्डिनेन्स निकला है तो इसमें दिक्कत क्या थी? आप लोगों का तो यह कहना है कि किसी तरह से दूसरों की चीजों को झपट लें। सोशलिस्ट पार्टी और आपका दोनों का यह विचार था, यह बिल्कुल गलत बात थी कि आप किसी की चीज को जबरदस्ती छीन लें।

श्री मदनसिंह : जनसंघ के लिए कह रहे हैं। जनसंघ के ऐसे सिद्धान्त हैं इसलिये कह रहे हैं।

श्री नाथूलाल करौल : जबरदस्ती छीनने की....

श्री नत्थीसिंह : वोट किसी से जबरदस्ती छीन लिये तो वापिस छीनकर सही आदमी को देंगे।

Page No 86

श्री नाथूलाल करोल : मैं आदिवासी हूं लेकिन मैं किसी की जमीन नहीं छीनता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता था कि आप जरा विचार कीजिये अभी की वर्तमान सामाजिक व्यवस्था पर। मैं सदन में एक उदाहरण दे दूं शायद वह लाभदायक हो, माननीय सदस्य मुझे माफ करेंगे, कि न्याय की क्या व्यवस्था है। आज समाज में कितने ही आदमी आपको भी मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं। एक आदमी १० दिन से भूखा है। वह आता है हमारे और आपके सामने सब के पास और जो अधिकारी हैं उनके पास भी और वह कहता है कि मैं भूखा हूं और काम चाहता हूं, मुझे काम दो। भीख नहीं मांगता हूं। वह लेना नहीं चाहता भिक्षा। आज यह पावर किसी के पास में नहीं है। कोई रोटी नहीं दे सकता है कानून के जरिये। न कलेक्टर के पास में कोई कानून है, न कोई पावर है कानून के तहत कि वह आॅर्डर दे दे तो उसको रोटी मिल जायगी। वह भिक्षा नहीं चाहता है। क्या कोई मिनिस्टर दे सकता है? कोई कानून नहीं है कि उस कानून के जरिये कोई नागरिक रोटी प्राप्त कर सकता है। कोई पुलिस का थानेदार उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। लेकिन वही भूखा आदमी एक हलवाई की दुकान पर जाकर १० पूरियां उठाकर खा जाता है तो हलवाई जायेगा थानेदार के पास और थानेदार फौरन उसकी रिपोर्ट दर्ज करेगा और ३८० में उसको गिरफ्तार करके कहेगा कि तुम अब खाना खाने के लायक हो गये। जब तक वह भूखा था समाज के सामने चिल्ला रहा था लेकिन समाज का कोई कानून नहीं है कि उसको रक्षा दे सके, समाज का कोई कानून नहीं है कि उसकी जान बचा सके। आपके पास पूड़ियां की जान बच सके उसके लिए ३८० का कानून है। सम्पत्ति की जान बच सके उसके लिए कानून है लेकिन इन्सान की जान बचाने का कानून नहीं है। उसको भूखों मरने दे सकता है। इसलिए इस सामाजिक न्याय के खिलाफ यह आन्दोलन है। सामाजिक न्याय के खिलाफ, जो लोग पीड़ित हैं वे संगठित होकर खड़े हो रहे हैं। आज समाज का ढांचा इन्सान की रक्षा के लिए नहीं बना हुआ है, वह पूंजी की रक्षा के लिए बना हुआ है। इसका केन्द्र बिन्दु इन्सान नहीं है मुनाफा है। अगर इन्सान की सेवा करना चाहते हों, अगर वास्तव में ऐसा समाज बनाना चाहते हो जिसमें इस प्रकार की घटनाएं नहीं हों, यह हत्याएं न हों, यह वॉयलेन्स का वातावरण नहीं हो, असन्तोष नहीं हो, तो इस केन्द्र बिन्दु को बदलें। मुनाफे को केन्द्रबिन्दु से हटाकर इन्सानियत को केन्द्र बिन्दु बनायेंगे। ऐसा समाज बनाओ और वह समाज केपिटेलिज्म के आधार पर नहीं हो सकता है। केपिटेलिज्म को हटाकर समाजवाद ही उसका रास्ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आज देश में जो कल्पना हम अपने सामने रख कर चल रहे हैं, जिसके कारण देश में आज दुबारा संघर्ष शुरू हो गया है। उसमें और तेजी आ गई है। और इस तेजी में इस दिशा में हम क्या पकड़ने जा रहे हैं? आप कोई दिशा पकड़ रहे हैं? क्या इस बिल के माध्यम से आप फासिस्ट शक्तियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? आप की नेता श्रीमती इन्दिरा गान्धी आह्वान कर रही हैं। देश में जो फासिज्म शक्तियां बढ़ रही हैं, उनके खिलाफ आप लड़ना चाहते है। लेकिन तरीका बना रहे हैं, वह तरीका फासिज्म से लड़ने का नहीं है। यह तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उसको और मजबूत बनाने का है। इस सामाजिक अन्याय के खिलाफ जो संघर्ष हो रहा है, जो जगह-जगह संगठित होकर लोग लड़ रहे हैं। वह जो प्रयत्न कर रहे हैं, आप उससे गुस्सा न हों। उससे नाराज न हों। वह हमारे ही भाई भतीजे हैं। इसके दौरान खिलाफ खड़े होने की कोशिश न करें। डण्डे के बल पर, कानून की खिलाफत का आधार लेकर खड़े न हों। उसको समझने की कोशिश करें। और उसके अनुसार उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करें। जो वरिष्ठ वर्ग है, जिन्होंने साधनों को पाया है और कानून से हैसियत बना ली है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि किसी ने जबरदस्ती कब्जा नहीं किया है। ये जयपुर की रियासत, ये जोधपुर और अलवर की रियासत, ये भगवान के यहां से नहीं आई थी। ये डकैत पैदा हो गये इन्होंने अपना राजा नाम लिख लिया। आप अगर एक ओर जबरदस्ती छीन लें तो इस सरकार ने रेग्युलेराइजेशन का कानून बनाया है। यह रेग्युलेराइजेशन क्या है ? जमीनों पर कब्जा किया है। और रेग्युलराइजेशन कर देते हैं। अपने कब्जे किये हैं और आप लोगों को कब्जे दे रहे है। यह तो हो नहीं सकता है। जो सम्पत्ति कब्जा की है वह कानून से छीन ली जायगी। आप ने कम्युनिस्ट कदम को डिक्टेटेरियल कहा है। इसमें जो वर्ग हित को चोट लगी वह वर्ग हित उसका मुकाबला करेगा। डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं। डेमोक्रेसी उनके लिए एक छद्म भाषा है। डेमोक्रेटिक तरीके से वह अपना हित नहीं रख पायेगा। तो वह विधान के खिलाफ उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। ठेकेदारों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। यह सीधा सा रास्ता है। एक रास्ता सोशलिज्म का रास्ता है, उधर जाने का। दूसरा रास्ता है फासिज्म का। अपने-अपने तरीके से बदला करना चाहते हैं मेरा एक निवेदन है, यह जो कदम ऑर्डिनेंस के जरिये उठाया गया है, यह कदम फासिज्म की ओर ले जा सकता है। उन प्रोग्रेसिव कदमों को अपने-अपने अधिकारों को रोकने के लिए प्रयोग किया जा सकता है मैं यह नहीं मानता हूं कि यह कदम केवल एक पार्टी के खिलाफ राजनैतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं तो यह भी कहूंगा कि तिरंगा झण्डा लेकर आदिवासी या हरिजन, महारावल की जमीन पर कब्जा करने जायेंगे तो इस प्रिवेण्टिव डिटेन्शन एक्ट में उनको डाला जायगा। यह कानून मध्यम वर्ग के खिलाफ होगा। गरिबों के खिलाफ होगा। राजाओं के खिलाफ नहीं होगा। चाहे उधर बैठे हों या इधर बैठे हों। चाहे बिड़ला उधर हों या इधर हों, उनके खिलाफ नहीं होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, मैं घड़ी का ध्यान रख रहा हूं।

श्री सभापति : आधा घण्टा हो गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं ध्यान रख रहा हूं।

श्री सभापति : दो मिनिट और।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह पार्टी के आधार पर इस्तेमाल नहीं होगा। यह वर्ग के आधार पर इस्तेमाल होगा। इस कानून का पर्टीक्युलर वर्ग की रक्षा के हित में उसका इस्तेमाल होगा।

सभापति महोदय, आपने स्वयं देखा है, बिड़ला सीमेन्ट फैक्टरी में किस प्रकार से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कानून इस्तेमाल किया गया है। बिड़ला ने मजदूरों को निकाल दिया। रोजमर्रा ये पूंजीपति और बड़े-बडे लोग आज समस्याएं पैदा करते हैं उनके लिए इस कानून का, प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट का इस्तेमाल नहीं होने वाला है। तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करता चाहता हूं कि इस बिल की जिन भावनाओं से परिस्थितियों को पकड़ कर ले जाने की कोशिश हो रही है, उनके मैं बुनियादी तौर से खिलाफ हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस परपज को पद हथ नहीं करेगा। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस चीज को अवाइड करने की कोशिश की जा रही है, इससे आप जले पर नमक डालने की कोशिश करेंगे। प्रतिहिंसा की भावना और तेज होगी। वह और तेजी से प्रतिक्रिया करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह बेरोजगारी की समस्या, न कानून से और न जैसा कि माननीय रामकिशनजी ने कहा, यह जेल में भी बन्द करने से हल नहीं होगी। इन्जीनियर की डिग्री जिन लोगों ने प्राप्त की है, ऐसे कुछ लोग हमारे पास आये थे। उन्होंने कहा कि हमको मुफ्त में काम करने को रख लें, ऐसा कोई मुफ्त में रखने को तैयार नहीं है। आज आपके टेक्निकल ग्रेजुएट्स की यह स्थिति पैदा हो जाय। आज मेरे पास चिट्ठी आई अध्यापक की, इतनी बड़ी तादाद में ट्रेण्ड टीचर्स बेकार बैठे हैं। लेकिन इसका कुछ हल आपके सामने नहीं है। आप उनको बेरोजगारी का भत्ता भी नहीं दें। जिसको कुछ सरकारों ने शुरू किया, वह आप देने को तैयार नहीं हैं। तो वह मर तो रहे हैं। वह भूख से शनैः शनैः मर रहे हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया यह होती है कि मैं तो मर ही रहा हूं। क्यों नहीं मैं मार कर मरूं ? क्यों मैं वैसे ही मर जाऊं ? मैं मार कर क्यों नहीं मरूं ? यह प्रवृत्ति हिंसा को जन्म देगी। समाज के नेता, राजनैतिक नेता–यह दृष्टिकोण–यह दृष्टिकोण–लोगों को दूर ले जा सकता है। समस्या को सुलझाने का दृष्टिकोण हो। समस्या को सुलझाने की ओर बढ़ रहे हैं। दस बीस कदम बढ़ रहे हैं तो मान सकते हैं कि दिशा में आगे बढ़े हैं और वह इस चीज को रोक सकता है। एकदम वह समस्या हल नहीं हो सकती–यह बात स्वीकार की जा सकती है। लेकिन दिशा दुरुस्त हो। आज दिशा क्या है ? आज हर साल अनएम्प्लायमेन्ट की संख्या, जो पहले साल थी, उस पहली साल से दुगुनी है, जब अनएम्प्लॉयमेन्ट की प्राबलम इतनी विकट है तो यह दिशा दुरुस्त नहीं है। समस्या का अरेस्ट नहीं हो रहा है। समस्या पकड़ नहीं पा रहे है, काबू में नहीं आ रही है। इसलिए यह सारी भावना हर जगह पर फैल रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा यह उन वर्गों के हित में है जो वर्ग वैसे डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो समझते है कि सरकार की पॉलिसी इस ऑर्डिनेन्स के जरिये उन तमाम प्रॉपर्टीज, उन प्रिविलेजेज या उन तमाम सुविधाओं, उस सारे माल और दौलत की रक्षा कर लेंगे। इतिहास यह बताता है कि यह सब सुरक्षायें हैं, जब हालत हुई है रिवोल्यूशन की ओर क्रांति की शक्तियों के सामने यह बात ठहर नहीं सकी, इनके पास ठहर नहीं सका। जो मजबूर हैं, इस तरह भूखे प्यासे लोग हैं, नंगे लोग हैं उनके अन्दर जो आत्म-बल और शक्ति है, ताकत है, जिन्होंने पाप किये हैं, सामाजिक अन्याय किये हैं वह उनका मुकाबला कर भी नहीं सकेंगे, किसी तरीके से नहीं कर सकेंगे।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसलिए कोई हथियार, उठाने की उनको आवश्यकता ही पड़े, जरूरत ही पड़े-यह कोई बात नहीं है। मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि, हमारी पार्टी यह हरगिज नहीं चाहती कि लोगों को सामाजिक न्याय लेने के लिए हिंसा के ऊपर उतारू होना पड़े, हिंसा का सहारा लेना पड़े और जो हमारी पार्टी के खिलाफ इस प्रकार का प्रचार है, इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है, वह उन तत्वों की ओर से लगाया जाता है जिनके निहित स्वार्थ हैं। हम यह भी मानते हैं कि जो ट्रस्टीशिप की थ्योरी है, जैसा गांधीजी ने कहा था, पूंजीपतियों से, बड़े लोगों से, तुम अपनी सम्पत्ति को गरीब लोगों के लिए ट्रस्ट समझो। उस ट्रस्ट नाम पर इतने दिन लोग भ्रम में रहे, वहम में रहे। आज उन ट्रस्टियों की हालत देखिये। उस ट्रस्ट के धोखे में यह लोग इस भरोसे में रहे कि जमीन बांटेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बांटी। उन्होंने ट्रस्ट नहीं समझा। अब जब यह चक्कर में नहीं रहे तो कानून के जरिये, डण्डे के जरिये बदलना चाहते हैं, आज उन लोगों को दबाना चाहते हैं। इसलिए, सभापत्ति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जिनको गांधीजी की फिलासफी का ज्ञान है, जो आज है इस सदन के अन्दर कितने ही माननीय सदस्य हैं, जिन्होंने गांधीजी की फिलासफी में विश्वास किया है, गांधी जी के प्रति निष्ठा, इज्जत है और उनकी फिलासफी में काफी अर्से तक विश्वास करने वालों में भी मैं रहा हूं लेकिन जीवन की वास्तविकताओं ने हमारे दिमाग पर असर डाला है, जीवन की वास्तविकताओं ने, अनुभव ने हमें सिखाया है, हमें अनुभव करना पड़ा है—यह ट्रस्टीशिप की थ्योरी, यह शासक वर्ग की है, यह उसके अनुसार शोषित वर्ग के प्रति कोई सहानुभूति रख सकता है ? अपने आप वह चीज बांट देंगे यह सम्भव नहीं है। इसलिए वर्ग संघर्ष है। जो शोषित वर्ग है, वह जब संगठित होकर उनसे लड़ने लगा। आज भी गांधीवाद में विश्वास रखने वाले लोग, मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, इधर के कई क्षेत्रों से आने वाले माननीय सदस्य हैं गांधीजी की थ्योरी में उनके पीछे चल कर उस पर उन्होंने विश्वास किया है (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) लेकिन इन तथ्यों और वास्तविकताओं को सामने देखिये, गांधीजी के अनुयायी हैं, गांधीजी की थ्योरी पर चलने वाली सरकार अब हृदय परिवर्तन पर, जनता के हृदय परिवर्तन पर विश्वास नहीं करती है। अब उसके लिए डण्डा लेकर, कानून लेकर आ रही है, क्योंकि उन विशिष्ट वर्गों का, ट्रस्टीशिप के वर्ग का हित कायम नहीं रहा, तो उनको कुछ नहीं कहते, आपके ऊपर डण्डा लेकर, आपके लिए जेलखाने का दरवाजा खोल कर तैयार नजर आ रही है। इसलिए, सभापतिजी, सरकार जो अध्यादेश लायी है, जो सामाजिक क्रांति के लिए लड़ाई है, उसको रोकने के लिए लाई है। प्रोग्रेसिव फोर्सेज, जो डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए, प्रगति के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए, उनकी जबान को बन्द करने के लिए, पाबन्द करने के लिए यह आर्डिनेन्स लाई है। यह कदम निरा थोथा है। यह विशिष्ट वर्ग के लिए शासक वर्ग का सहायता का कदम है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी न राजस्थान में, न हिन्दुस्तान में, कहीं पर भी कोई जरूरत है। सामान्य कानून है। सामान्य कानून सक्षम है। हरएक आदमी, जो भी कसूर करे, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, उस पर मुकदमा चल,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर उसको सजा दे सकते हैं। और भी किसी कानून की जरूरत हो तो ऐसा कानून बनाया जा सकता है जिसके अनुसार उस आदमी पर मुकदमा चलाया जा सकता है, उसको चार्ज शीट मिले, वह जवाब दें। यह तो प्रजातंत्र का बुनियादी आधार है, वरना बिना मुकदमा चलाये ही जेल में बन्द करदें यह सीधे तौर पर प्रजातंत्र का हनन है। प्रजातंत्र इससे कमजोर होगा। देश की प्रजातांत्रिक शक्तियां कम होंगी (समय-समाप्ति सूचक घंटी) इसलिए मैं इस अध्यादेश का विरोध करते हुए इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : गृह मंत्रीजी ! (श्री मदनसिंह के खड़े होने पर) विधेयक विचारार्थ ले रहे हैं उस पर बोल लीजिये।

श्री मदनसिंह : पांच मिनिट।

श्री सभापति : वह ठीक है। उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन विधेयक पर भी विचार होगा। संकल्प है उसे डिस्पोज ऑफ कर दें। विधेयक पर आप बोल लें।

श्री मदनसिंह : संकल्प के पक्ष पर विचार व्यक्त करूंगा।

श्री सभापति : पक्ष-विपक्ष का कन्सीडरेशन नहीं है। कन्सीडरेशन यह है, रिज़ोल्यूशन को डिस्पोज ऑफ कर दें। फिर विधेयक आये तब बोल लें।

श्री मदनसिंह : थोड़ा काम है। काम जाना है। इसलिए दो मिनिट।

श्री सभापति : विशेष आग्रह है तो बोल लीजिये। दो मिनिट।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : सभापति महोदय, जब एक कानून राज्य कर्मचारियों के लिए आया था तो मैंने उसका समर्थन किया था इसलिए कि वह एक विशेष वर्ग से सम्बन्धित था। यह कानून आज समस्त जनता के ऊपर लगने वाला है, समस्त नागरिकों पर, जिस नागरिक का हक कांग्रेस के लोग मानते हैं, सामान्य लोग मानते हैं। लेकिन जब पार्टी के लोग बोलते हैं तो फिर पार्टी के साथ-साथ आक्षेप भी कर देते हैं, जनसंघ का आतंक मान लें, उसका आतंक मान लें। तो फिर वापिस कहना पड़ता है, जनता की पीड़ा के लिए, जनता की तकलीफों के लिए रामानन्दजी, आपने बोल कर कोई आन्तरिक बात नहीं कही, जब आप इन दो को जोड़ सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं, जब ऐसे कानून की खिलाफत करें तो पार्टी की खिलाफत न करें। निश्चित बात है, राजस्थान की सरकार आज तक कहती आई है, हमारी सरकार सबसे अच्छी सरकार है, हमारे यहां कम मर्डर होते हैं, हमारे यहां ऐसी घटना नहीं होती है। मुख्य मंत्री पत्रकारों को कहते हैं। पत्रकारों ने भी कहा, डेमोक्रेसी राजस्थान में सबसे अच्छी है। राजस्थान में ऐसी घटना नहीं होती जैसी दूसरे प्रान्तों में होती हैं। यह सरकार क्या विशेष परिस्थितियों में आ गई कि वह पचास का कानून लगाये। पचास का कानून, जिस वक्त मुझे मालूम है, पालीवाल थे, और इनका राज्य था, उन्होंने एक वर्ग को दबाने के लिए कानून बनाया था। मैं समझता हूं, सेन्टर ने भी जो राय दी है वह यह नहीं है कि पचास का कानून लायें। पचास का कानून तब आ सकता था जब नई सरकार थी। उसको पता नहीं था, कौन-कौन

(श्री मदनसिंह)

किस-किस ढंग है । आज तेईस वर्ष के बाद, सैंतालीस से सत्तर आ गया तो लोगों को मालूम है, कौन-कौन नेता हैं, क्या-क्या पार्टी हैं, क्या ऐसी हरकत रही है जो राज्य के खिलाफ है । मैं समझता हूं, गृह मंत्रीजी को यह कानून नहीं लाना चाहिए । या फिर पब्लिक ऐक्टिविटीज, पब्लिक आन्दोलन पर लागू नहीं होगा । राष्ट्र के खिलाफ ऐसा करेंगे तो उन पर लागू नहीं होगा । एक शब्द यह कह देते । इसको लम्बा चौड़ा क्यों रखा । इसमें लिख देते, पब्लिक लीडर, पब्लिक ऐक्टिविटीज और पब्लिक आन्दोलन के लिए नहीं है । केवल एक ही इसका मसला होना चाहिए, बोर्डर पर ऐसे व्यक्ति घूमते हैं । बोर्डर पर घूमते हैं तो वहां तो आप जैसे व्यक्ति ही जा सकते हैं हम नहीं जा सकते । मैं समझता हूं, यह कानून उस बात के विपरित पड़ेगा जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के ऊपर लगाया है । हमने आजादी का आह्वान नहीं किया था । आप लोगों ने किया । हम जागीरदार वर्ग जो प्रजातंत्र का हामी नहीं था, राजा लोग, जो प्रजातंत्र के हामी नहीं थे, हम जागीरदार लोग और राजा लोग तो प्रजातंत्र के हामी होने लगे, संगठित होने लगे-तो इससे आपको यह भय लगा कि यह राजा संगठित हो गये तो प्रजातंत्र में उठ कर सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं, ताकत हासिल कर सकते हैं । उनको डराने के लिए यह कानून बनाया है, जिससे कि राजा उठें नहीं, राजा लोग इन लोगों के खिलाफ पब्लिक को भड़कायें नहीं इसलिए चाहा कि इस कानून से राजाओं को दबायें, जैसे अलवर के राजा को दबाया गया था, उसी तरह से राजाओं को दबाने के लिए यह कानून लाये हैं । जो प्रजातंत्र को नहीं मानते थे वह तो अब फिर भी प्रजातंत्र को मानते है, आजादी प्रजा के हाथ गई तो वह आजादी से घर बैठे । ऐसा हो सकता है दस-बीस राजा ऐसे हो सकते हैं जो जागीरदार हैं, वह आपसे कम प्रजा का काम करते हैं । वह भी प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं । आज भी मैं मानता हूं रामानन्दजी की यह बात सही है कि इसमें पोलिटिकल पार्टीज और लोगों पर ज्यादा आक्षेप होगा । वैसे भी आप आज किसी नेता को दबाना चाहें तो दबा सकते हैं । कलेक्टर अपनी राय फार्म कर सकता है, अधिकारी कर सकता है कि यह व्यक्ति पाकिस्तान से संबंध रखता है । उसको अपने ढंग से आप बना रखें । इसलिए यह अध्यादेश प्रजा के मूलभूत अधिकारों को चुनौती है ।

आपको मालूम होगा कि राजस्थान की जनता अशिक्षित है । ये लोग जब हल्ला करेंगे तो देखेंगे कि सरकार के खिलाफ हम नहीं बोलें, तो वह डर जायेंगे । जैसे १९४७ में डर गए थे । अध्यादेश जारी हुआ था । हमने एक पार्टी भी कायम की थी । आज सही रूप में वाकई हम शोषित वर्ग हैं । हम अपने अधिकारों के लिए तैयार हुए हैं । जैसे रामानंदजी ने कहा, उसको कोई भी विचारों का आदमी दबा देगा । आपकी सरकार न हो, दूसरी कोई सरकार हो । इसलिए भय रहता है । राजस्थान को कौनसी जरूरत पड़ी । पालीवालजी को जरूरत पड़ी थी । मंडवाना ठाकुर पर लगाया था । जो सच्चे लोग होते हैं, वह तो इस कानून का मुकाबला लेंगे और मुकाबला नहीं ले सकेंगे तो शस्त्र भी उठा-येंगे । आप नेक आदमियों के खिलाफ भी इस कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार करेंगे । आंदोलनों से आप समझो नहीं, तरीकों से

Page No 92

(श्री मदनसिंह)

समझो नहीं, कानून से समझो नहीं, नीतियों से समझो नहीं तो इसका फिर मतलब क्या है ? इसलिए अधिकार अपने आप आ जाते हैं ।

इसलिए मैं मानता हूं कि कानून तो तब हो जब कोई राजस्थान में लाखों आदमियों को मार डाला हो, किसी देश से सांठगांठ करके हमारे देश का नुकसान किया हो. तो आप एक मिनट में कानून बना सकते हैं लेकिन जहां सेंटर ने आपको राय दी है, उन्होंने भी शायद इन धाराओं को नहीं अपनाया है। तो सिर्फ कानून में इतना लिखा जाय कि जिस व्यक्ति ने किसी दूसरे देश से सांठगांठ की हो तो उसको पकड़ें । बाकी आपको तो पहले ही अधिकार हैं । आपने किसी को राजस्थान में नहीं छोड़ा था । जो विरोधी आपके खिलाफ आवाज उठाता था उनको बन्द किया । फिर वापस उनका रेकार्ड देखो । कितनी सच्चाई, ईमानदारी के साथ, प्रजा के साथ रहा । यह जनता के प्रिविलेज का ब्रीच होगा, जनता के दिलों में भय उत्पन्न होगा । पार्टी का कोई नेता कहेगा याद रखो, डिटेन्शन एक्ट में तुमको गिरफ्तार कराऊंगा । जो कानून पढ़ा हुआ नहीं होता है और घबराता हो, अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांग मनवा नहीं सके और, मैं समझता हूं रामानन्दजी ने जो तर्क दिए हैं वे सही हैं । लोग इस बात को बरदाश्त नहीं करेंगे कि वे अपनी मांगें पेश न करें और उन मांगों को दबाने के लिए इसका आप प्रयोग कर सकते हैं । राजस्थान के वर्तमान गृहमंत्री के खयाल ठीक हो सकते हैं लेकिन पद बदलते रहते हैं, कानून नहीं बदलेगा । इस लिए मैं अपील करता हूं कि या तो इस कानून का इतना स्पष्टीकरण हो जाय कि एक तरह का व्यक्ति हो सकता है और यह स्पष्टीकरण इस कानून के अन्तर्गत होना चाहिए कि जैसे पब्लिक एजीटेशन, मजदूरों की मांगें और जो पब्लिक के तरीके हैं उन पर लागू नहीं होगा फिर तो जस्टीफिकेशन हो सकता है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बाकी इस रूप में होगा तो आप मौका दे रहे हैं दूसरे लोगों को कि पब्लिक की आड़ में कैसा भी काम होगा आप उनको बन्द कर सकेंगे । आप कानून बना लें जब जब कोई ऐसी विपत्ति हो ताकि मालूम हो जाय कि कौन कौन से व्यक्ति हैं, दूसरे देशों से मिले रहे हैं. दूसरे देशों से हथियार ले रहे हैं कौन-कौन सी पार्टीज हैं जो दूसरे देशों के गुलाम होकर छाना चाहती हैं । आपकी सी० आई० डी० है और भी तरीके हैं, उन पर गार्ड रखें । आज न उनको पाबंद कर सकते हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : रामानन्दजी सुनिए, your last supporter has condemned you.

श्री मदनसिंह : It is a true thing आप पब्लिक की आड़ में अपने बिल को बचाने के लिए कर रहे हैं । आज बंगाल की हालत और यहां की हालत में फर्क है । इस कानून लगाने का अर्थ यह है कि निश्चित रूप से बंगाल में जैसी घटनायें हो रही हैं, आज जनता में भय होगा कि ऐसी घटनायें होंगी । मैं समझता हूं राजा महाराजा और पार्टियों की गल्ती है कि कम्युनिस्टों से डरते हैं। मैं कहता हूं आ जायं कम्युनिस्ट । सिद्धांतों का मुकाबला करेंगे । थप्पड़ देंगे तो हम भी थप्पड़ देंगे, इनसे डरता कौन है ? कांग्रेस वाले ही

(श्री मदनसिंह) डरते हैं। इसलिए मैं सरकार से अपील करूंगा कि सत्यता से अगर आपको साथ देते हैं तो आप भी देंगे नहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी।

श्री आदित्येन्द्र : मुझे समय दिया जाय।

श्री सभापति : जब विधेयक पर विचार होगा तब बोल लें।

श्री आदित्येन्द्र : मैंने अपने दल की ओर से न पहले विचार व्यक्त किए न अब किए इसलिए मुझे समय मिलना चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : मामला सीरियस है। सम्माननीय सदस्य हैं इस सदन के उनको समय दिया जाना चाहिए। वह कांग्रेस के प्रतीक हैं जो पहले से चली आ रही है, बिछड़े हुए अंग हैं।

श्री सभापति : समय देने में मुझे आपत्ति नहीं है चाहे संकल्प पर विवाद करा लें चाहे विधेयक पर करा लें। मैं संकल्प की महत्ता से इन्कार नहीं करता, लेकिन इस पर उत्तर हो जाता, तो विधेयक पर विचार करते समय मास्टरजी बोलते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री नत्थीसिंह : क्या मालूम दीवान साहब और मास्टर साहब को सुनने के बाद गृहमंत्री का विचार बदल जाए ?

श्री सभापति : मास्टरजी को समय दिलाने के लिए वकालत की जरूरत नहीं।

श्री नत्थीसिंह : इतना दूर बैठकर भूल कैसे गए ?

श्री सभापति : आसन की महिमा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारी पार्टी से कोई नहीं बोला है।

श्री रामकिशन : आपकी पार्टी कौनसी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो तुम्हारी नहीं है।

श्री सभापति : श्री आदित्येन्द्र। समय का खयाल रखें।

श्री आदित्येन्द्र (नदबई) : सभापतिजी, आज से दो दिन पहले इसी प्रकार का एक और विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया था और उसको पारित भी किया गया था। वह विधेयक राजस्थान एसेन्शियल सर्विसेज मेन्टिनेन्स के नाम से है। उसको सभी विरोधी दलों ने काला कानून की संज्ञा दी। आज हमें इस बात का दुःख है कि केवल दो दिन के बाद उसी प्रकार का दूसरा विधेयक रखा गया है। श्री रामकिशनजी ने जो संकल्प रखा है कि जो अध्यादेश १७ जून, १९७० को लागू किया गया था, उसको अस्वीकार कर दिया जाय, मैं भी इसके पक्ष में हूं। मैं भी चाहता हूं कि उस अध्यादेश को अस्वीकार किया जाय, इस बिल को लाने की कोई जरूरत नहीं।

यह जो हमारे सामने संकल्प है वह पहले प्रस्तुत किया जा चुका है। यह इस सम्बन्ध में है कि जो अध्यादेश १७ जून, १९७० को लागू किया गया था—राजस्थान प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ओर्डिनेन्स, उस अध्यादेश को अस्वीकार कर दिया जाय।

यह सवाल हमारे सामने है कि आखिर यह जो अध्यादेश उस समय लागू किया गया था क्या उस समय इसकी कोई जरूरत थी ?

(श्री आदित्येन्द्र)

मैं समझता हूं कि उस समय इसकी कोई जरूरत नहीं थी। शायद जिस तरह का इशारा किया था, लैंड ग्रेब मूवमेन्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी की ओर से चलाया गया था, उस समय यह अध्यादेश लागू किया गया था, मैं समझता हूं उस समय गवर्नमेन्ट मूवमेन्ट से डरी नहीं थी, शायद और ही कोई आधार हो, उस समय सरकार ने यह अध्यादेश लागू कर दिया। आज उस अध्यादेश को हटा कर यह सरकार बिल ला रही है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस चीज का कोई डर हो और जिसके कारण यह बिल लाना पड़े और उसको एक्ट बनाना पड़े मैं, समझता हूं, वह कोई आज आधार नहीं है और इसकी उस दृष्टि से कोई जरूरत भी नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि आज की जो भी समस्या है उसको सरकार हल करे। सबसे ज्यादा महंगाई की समस्या। महंगाई के अलावा जो हमारे सामने बड़ी समस्या है बेरोजगारी की उसको कैसे दूर किया जाय। चाहे पढ़े लिखे बेरोजगार हों, चाहे इन्जीनियर बेरोजगार हों, या बेपढ़े लिखे बेरोजगार हों—उनकी बेरोजगारी को किस प्रकार से दूर किया जाय यह मुख्य समस्या है लेकिन इसकी हमें चिन्ता नहीं। आज से कुछ समय पहले, कल ही वह बिल पास किया है मिनिस्टरों के परिलाभ के लिये, १२ हजार किलोमीटर रेल्वे में फ्री यात्रा के लिये। लोगों के दिल में एक भावना पैदा होती है कि मिनिस्टर, जो सब कुछ करने वाले हैं, दूसरों पर असर डालने वाले हैं जिनकी वजह से असेम्बली में भी बहुमत से प्रस्ताव पास करा लेते हैं, मिनिस्टर्स भी अपने लिये अनुचित प्रस्ताव पास करें तो दूसरे लोगों के लिये तो निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा और वे लोग भी मांग कर सकते हैं। हम तमाम सदस्य पूरे का पूरा सदन, ८–१० महीने पहले, जिस समय माननीय सदस्यों के परिलाभ के लिये पांच सौ रुपये का वेतन किया गया, २१ रु० से ३१ रु० का भत्ता किया गया जिस तरह का विरोध उस समय होना चाहिये था वह नहीं हुआ, वह भी हमें एक तरह से स्वीकार करना चाहिये कि हमारी कमजोरी थी। कमजोरी इस दृष्टि से क्योंकि हमारे से वह सम्बन्धित था। उस समय हम इसका साहस दिखाते और हिम्मत के साथ कहते कि हमें यह चीज नहीं चाहिये तो ठीक था। लेकिन उस समय हमारे सब दोस्त चाहे इधर के हों या उधर के, उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया। जो कुछ भी चीज है वह हमारे सामने मौजूद है। आज हम बार बार कहते हैं कि सभी तरह के झगड़े हैं, उनको दबाना चाहिये, गरीब मजदूर कोई प्रदर्शन करते हैं, आन्दोलन करते हैं तो उनको दबाना चाहिये। किसान, भूमिहीन या आदिवासी भाई कई जमीन के लिये आन्दोलन करते हैं तो उनको भी दबाना चाहिये। मैं समझता हूं कि दबाने से काम चल नहीं सकता। जरूरत इस बात की है कि उनको जमीन दी जाय। हम कहते है कि उनको जमीन देंगे। सन् ५४ से भूमि सुधार कानून पास किया। सत्रह अठारह वर्ष में जमीन ऐसे लोगों को दी गई जिनको जमीन नहीं दी जानी चाहिये थी। जिनके पास एक रोजगार हो नहीं, कई रोजगार जो चलाते हैं उनसे अगर जमीन ले ली जाय, फिर उसका बंटवारा करें भूमिहीनों के लिये तो मैं समझता हूं उन भूमिहीन लोगों के लिये जमीन मिल सकती है।

(श्री प्रादित्येन्द्र)

एक तरफ हम इस प्रकार का कानून बनाते है कि भूमिहीन के लिये जमीन बांटेंगे लेकिन दूसरी और रोजाना गलत काम करते हैं उनको रोकने के लिये हमारे पास कोई उपाय नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री रामकिशनजी, भाई रामानन्दजी और दूसरे लोगों ने बातें कहीं, मैं मानता हूं, हमें इस समय जरूरत है उन तमाम बुराइयों को दूर करने की। उसके लिये जनता के पास शस्त्र क्या है? जनता के पास शस्त्र यही है कि जनता शिकायत रखे, शिकायत दूर न हो तो प्रदर्शन करे, आन्दोलन करे। यहां तक कि एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अभी-अभी मेरे से पहले बोलने वाले पूर्व वक्ता, माननीय सदस्य जो अलवर से आये हैं, माननीय रामानन्दजी, उन्होंने अपने भाषण में ऐसी बातें कहीं जो शुरुआत से लेकर आखिर तक ऐसी बातें हैं जो केवल अपनी पार्टी के प्रोपेगेन्डा से सम्बन्धित थीं। एक तरफ वे गुटबन्दी की बात करते हैं दूसरी तरफ दूसरी गुटबन्दी होती है उसकी चर्चा तक नही करते हैं। उनको यह कहता हूं कि गुटबन्दी करने वाले और चर्चा करने वाले इस तरह की बात करते हैं प्रधान मंत्री कभी कम्युनिस्टों से गुटबन्दी करती हुई मालूम पड़ती है, कभी द्रमुक से और कभी मुस्लिम लीग से। आज यह गुटबन्दी है तो वह भी गुटबन्दी है। लेकिन यह गुटबन्दी नहीं है। न तो कभी अमल में आयी। यह आगे की बात है। वह गुटबन्दी तो जरूर है।

आज डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है। उसके लिये न तो समय है और न ही उपयुक्त अवसर है। मैं उस पर अभी विचार नहीं रखना चाहता। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि क्या हमारे साथी रामानन्दजी को डेमोक्रेसी में विश्वास है? वे कहेंगे कि आज की डेमोक्रेसी में उनका विश्वास नहीं है। आज की डेमोक्रेसी में उनका विश्वास नहीं है तो डेमोक्रेसी कायम करने के लिये उपदेश दें तो उसको मैं या मेरे दल के आदमी कैसे मानें? डेमोक्रेसी मे एक बात कही जाती है तो उसमें असंगति नहीं होनी चाहिये। एक तरफ हम कहें कि ऐसा होना चाहिये दूसरी तरफ उसके विपरित करने वाले के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहना चाहते।

तो मैं यह कह रहा था कि सरकार इस बिल को रख कर पास करा सकती है। लेकिन मैं तो समझता हूं कि सरकार अपने डेथ वारन्ट पर स्वयं हस्ताक्षर कर रही है। इस बिल को पास करते हैं तो सरकार एक प्रकार से चुनौति दे रही है। चैलेन्ज भी कर रही है उन दलों के लिये जो इस बात को पसन्द नहीं करते हैं।

आज से दो दिन पहले जो बिल पेश किया गया था उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसके कारण इस प्रकार का बिल लाना पड़ा। उसी समय बिल को वापिस ले लेते जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा भी था यदि स्टेट एम्प्लाइज अपने आन्दोलन को वापिस ले लेते हैं, सस्पेण्ड न करके आन्दोलन को वापिस ले लेते हैं तो हम भी इस बिल को वापिस ले लेंगे। मैं समझता हूं उस समय मुझे मिलने का मौका नहीं मिला स्टेट एम्पलाइज से, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि यदि उनको समझाया जाता तो वे अपने आन्दोलन को वापिस ले लेते। सस्पेन्शन की जगह विथड्राल हो सकता था अगर उनको यह विश्वास होता कि सरकार

(श्री आदित्येन्द्र)

उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा आपने जो कानून पास किया उसका असर क्या हुआ स्टेट एम्प्लाइज महा संघ ने अपनी संघ समिति को निर्देश दिया है कि वे पुनः आन्दोलन की तैयारी करें। यह इसका रिएक्शन है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि सरकार जो यह कानून लायी है इस पर गंभीरता से विचार करे या जो विधेयक लाया गया है, उसको वापस लें। और जो हमारी ओर से संकल्प रखा गया है जिसका समर्थन कई माननीय सदस्यों ने किया है उसको स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं समझता हूं सरकार जिद पर शायद इस बारे में सोचना तो पसन्द नहीं करेगी। सरकार ने जो सोचकर रखा है उसको करेगी ही। जैसा कि माननीय मनोहरसिंह जी ने कहा कि जो सत्ता के मद में होता है वह भले और बुरे की नहीं सोचता जो कुछ कर दिया है उसी पर वह अड़ा रहता है। सत्ता में चले जाने के बाद उसको मद में इतना भी होश नहीं रहता क्या उचित कर रहे हैं क्या अनुचित कर रहे हैं ? बाद में जब आंखे खुलती हैं उसके बाद गलत काम के लिये पश्चाताप किया जाता है। इसलिये मेरा आज भी कहना है कि आप इसको प्रेस्टिज का सवाल न बनाइये। इस कानून को वापिस लें। एक कानून पास करके गलती की यह दूसरा कानून हो जायगा यह दोहरी गलती हो जायगी। मैं भी आपके साथ बहुत अरसे तक रहा हूं मैं उस मूड में नहीं बोल रहा हूं। आपको हानि पहुँचाने के लिये कुछ कह रहा हूं, यह बात नहीं है। आपके हित की चीज है आपको इसे स्वीकार करना चाहिये। कोई एक मित्र कभी रहा हो आज आप माने या न माने ठीक प्रकार से सलाह दे रहा है तो उसे मान लेना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : हम तो आपको आज भी अपना ही समझते हैं।

श्री मर्दनसिंह : तो फिर जनता और राज्य कर्मचारी एक हो जायेंगे आन्दोलन में।

श्री आदित्येन्द्र : सरकार के सामने जो मुख्य समस्यायें हैं उनके बारे में सरकार को चाहिये कि दूसरे जो दल हैं विरोधी दल के नाम से पुकारे जाते हैं उनके साथ मिल करके समस्या का हल करें। आज देश के सामने अजीब ढंग की परिस्थिति है खास तौर से एक साल पहले कांग्रेस का जब से विभाजन हुआ उस समय से देश की गतिविधियां बड़ी तेजी से बदलती जा रही है। लैण्ड ग्रेब मूवमेण्ट चला और इसी प्रकार के आन्दोलन भी हुए कम्युनिस्ट पार्टी ने आन्दोलन किया उन आन्दोलनों का कोई प्रभावोत्पादक असर नहीं हुआ ग्राम जनता पर। जब तक सरकार ठीक तरह से भूमि समस्या का हल नहीं करती है उसी प्रकार के आन्दोलन होंगे। इन बातों को सोचकर आपको इस बारे में काफी विचार करना है। सरकार इन सब चीजों को सोचकर कदम आगे बढ़ाये।

मान लीजिये सारे हिन्दुस्तान में अगर बंगाल और केरल जैसी परिस्थितियां होतीं तो शायद सब लोग तो नहीं कुछ लोग तो इस बारे में विचार कर सकते थे। आपने जो बातें अभी कही इस समय ऐसी स्थिति राजस्थान में नहीं है और न कल ऐसी संभावना है। आज आपके सामने जिसे

(श्री आदित्येन्द्र)

प्रकार की समस्यायें हैं उनको आप हिम्मत के साथ हल करने का प्रयत्न करें। आज हम स्वेच्छा से अपने स्वार्थों को छोड़ें आपने सिर्फ छोटे से स्वार्थ के लिये प्रलोभन के लिये यह बिल पेश कर दिया। एक तो आपने १२०० किलोमीटर यात्रा फ्री करने का बिल पास कर दिया आप खुद इस सहूलियत को छोड़ सकते हैं। बिल पास हो गया है, एक्ट बन जायेगा आप अपने आप इसको छोड़ सकते हैं। एम० एल० एज० को भी इस तरह की सुविधा दी गई है उसको भी हम छोड़ दें तभी मैं आपसे कह सकूंगा कि गान्धीजी की दृष्टि से जिस स्वराज की कल्पना करके चले थे उसका कुछ रूप में इस तरह से दृष्टिगोचर हो सकेगा। गांधीजी के नाम से हम आज तक जीतते आये हैं, गांधीजी की जय बोल कर सन् ४७ से आज तक सरकार में बैठे चले आ रहे हैं, और पावर में रहते आये हैं। आज की गवर्नमेन्ट को गांधी जी की गवर्नमेन्ट नहीं कहा जा सकता। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों एक ही पेरेलल चल रही है। गांधी जी कहते थे सादगी से रहना चाहिये कम्युनिस्ट भी सादगी से रहना चाहते हैं। लेकिन आज देखा यह जाता है कि सरकार में रहने वाले स्टेट कार में घूमते हैं, बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं। खाने पर तरह तरह की चीजें सर्व की जाती है। रूस में जहां तक जाने का सवाल है आपको तो वे अच्छे होटलों में ठहरायेंगे लेकिन वहां का चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो उसको वहीं खाना मिलेगा जो एक मामूली आदमी को मिलता है वहां बड़े और छोटे आदमी में समानता देखने को मिलेगी। गांधीजी का जो स्वराज्य का स्वप्न था उसमें सादगी और स्वावलम्बन का प्रमुख स्थान था। आज हम सब तरह से परावलम्बी बनते जा रहे हैं अमेरिका आदि देशों से भीख मांगते हैं। रूस से, यूरोप, इंगलैन्ड से भीख मांगते है। जिन लोगों को गांधीजी के साथ रहने का मौका मिला है उनको गांधीजी के वे शब्द याद होंगे जो सन् ४६ के अन्त में शब्द कहे थे बहुत से लोगों ने गांधी साहित्य को पढ़ा होगा उनको भी मालूम होगा उसको इन अठारह सालों के सन्दर्भ में देखा जाय तो उस समय उनका कहा हुआ एक-एक शब्द आज भी लागू होता है। उन्होंने कहा था–

"स्वतंत्र भारत की सरकार बनेगी। स्वतंत्र भारत की सरकार के सामने खाद्य समस्या आयेगी। खाद्य समस्या के हल के लिये हमारे भारत सरकार के मंत्री भूखों रहना पसन्द करेंगे किसी से भीख नहीं मांगेंगे"। आज वे केवल शब्द मात्र ही रह गये। उनका कहना था कि मेरे भारत के लोग भूखों रहना पसन्द करेंगे अमेरिका और रूस के सामने हाथ नहीं फैलायेंगे। आपने अरबों रुपया खाद्यान्न के लिये खर्च कर दिया यहां की अमूल्य चीजें खत्म कर दी और परावलम्बी बन गये। आज जमीन देने का होता है, लीडर्स लोग जमीन लेने के लिये आगे पहुंच जाते हैं आज हमें ही क्या हो गया है? आज हम देख रहे हैं देश में व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिल रहा है, परावलम्बन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वे हमारे जो हैं, शान शौकत को बढ़ावा देते हैं। आज से दो दिन पहले बात सुनी और सभी वक्ताओं ने कही अगर मान लिया सरकार एक और यह लाना चाहती है। पहले यह बात थी कि तमाम बातों को लाने से पहले जरूरत इस बात की है कि सरकार सादगी से रहे। वहां पर

(श्री आदित्येन्द्र)

फिजूलखर्ची हो रही है उसको देखें, वहां पर रुपया न लगाया जाय, एयर कन्डीशन के लिये रुपया खर्च न किया जाय। आज जरूरत नहीं थी हम २३ साल से इस असेम्बली हाल में बैठ रहे हैं लाखों रुपया खर्च कर दिया इसको, एयरकन्डीशन करने के लिये और नये निर्माण के लिये। आज इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसको पांच वर्ष के लिये और रोका जा सकता था और हम इस रुपये को दूसरे निर्माण के कार्यों में लगा सकते थे। फिजूलखर्ची को यह सरकार रोकती नहीं है, बार-बार हमने पंचायती राज के बारे में कहा, इतना रुपया खर्च हो रहा है वहां पर। अगर वे उस पैसे को थोड़ा भी प्रयोग कर रहे हैं तो ठीक है लेकिन सारा पैसा फिजूल खर्ची में ही जा रहा है एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं। आज यहां घृणा और द्वेष पैदा हो रहा है। २३२ पंचायत समितियां है। उनमें कौन-कौन बैठता है, कौन-कौन नहीं बैठता है इसकी परवाह नहीं। हम कई बार निवेदन कर चुके हैं इन पंचायत समितियों को समाप्त करना चाहिये। नये-नये प्रोजेक्ट, नये-नये मकान कितने बन रहे है, उनमें बुरी तरह पैसा खाया जा रहा है। कितना नुकसान पहुंचाते है राष्ट्र के लिये इसकी भी कोई परवाह नहीं है ये तमाम बातें सोचने की है। मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इन्हीं शब्दों के साथ सरकार से अपील करना चाहता हूं सरकार एक बार फिर सोचे, विचार करे और इस कानून को वापस ले ले। यह नहीं सोचे कि विरोधी पार्टियों की जीत हो गई। विरोधी पार्टियां भी जनता की भलाई के लिये है, देश की उन्नति के लिये विरोधी पार्टियां प्रयत्न करती हैं, देश की प्रत्येक भलाई के साथ उनका हित जुड़ा हुआ होता है। ट्रेजरी बैंच वाले भी चाहते है। हमें तमाम बातों को मिलकर हल करना है।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : सभापति महोदय, मेरे दल की तरफ से माननीय दुर्गालालजी बाददार का मोशन था उनकी ऐवज में मैं बोलना चाहता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मुझे कुछ समय दे दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय....

श्री सभापति : दोनों दलों के नेता महोदय तय करलें।

श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय, मुझे समय दे दीजिये (विराम) क्या कहा ? स्पष्टीकरण देने का अधिकार नहीं है क्या ?

श्री सभापति : उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहें तो वह बोल सकते है।

(व्यवधान)

क्यों उलझा रहे हैं उनको ?

श्री लक्ष्मणसिंह : रामानन्दजी ने जो कहा है उसका पर्सनल एक्सप्लेनेशन के रूप में कहने के लिये इजाजत दी जाय।

श्री सभापति : दीजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : सभापति महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उन्हीं बातों को बार-बार में दोहराना नहीं चाहूंगा। किन्तु कुछ बातें ऐसी हैं संकल्प में बिना दोहराये मैं, मेरे

(श्री लक्ष्मणसिंह)

लक्ष्य की, विचारधारा की पूर्ति नहीं कर सकता। सभापति महोदय, सबसे पहले सिद्धान्त की बात यह जो अध्यादेश है उसका मैं समर्थन कदापि नहीं कर सकता। यह तो एक सिद्धान्त की बात है। जनतन्त्र में अध्यादेश का कोई स्थान नहीं है। इसके पूर्व मेरे पूर्व वक्ताओं ने स्पष्टीकरण के रूप में कहा है। इस अध्यादेश के लाने का कोई विशेष कारण आज की राजस्थान की परिस्थिति में प्रतीत नहीं होता है। उनकी विचारधारा से मैं सर्वथा असहमत हूं। मैं इसके साथ ही यह अनुभव करता हूं आर्डिनरी लॉ, साधारण कानून के अनुसार भी सरकार के हाथ बहुत लम्बे हैं। साधारण लॉ के अन्तर्गत कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार साधारण कानून के अन्तर्गत उस परिस्थिति का मुकाबला कर सकती है ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अगर कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न हो देश के ऊपर कोई आपत्ति बाहर से आये चाहे अन्दर से आये, कोई विदेशी एग्रेशन हो तो भी एमरजेन्सी के अन्तर्गत सरकार को अधिकार है, कानून का प्रावधान करें, अध्यादेश लाये और मैं सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूं ऐसी परिस्थिति में सरकार का समर्थन मैं करूंगा। लेकिन आज राजस्थान के अन्दर मुझे कम से कम ऐसी परिस्थिति दिखाई नहीं देती है इसलिये मैं समझता हूं यह अध्यादेश अनावश्यक है ही लेकिन अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिये अगर वह अध्यादेश बिल के रूप में हमारे समक्ष आता है तो मैं समझता हूं वह वहीं का वहीं रहता है। चाहे इधर से बतायें और चाहे उधर से बतायें, बात एक ही है। सरकार ने अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिये अध्यादेश का सहारा लिया और आज वही चीज सदन के समक्ष कानून रूप में आ रही है। मैंने निवेदन किया मैं उसका समर्थन करने में विवश हूं। साथ ही यह कह देना चाहता हूं कि अराजकता के पक्ष में नहीं हूं जैसा मैंने निवेदन किया एमरजेन्सी के अन्दर कोई कानून सरकार लायेगी तो मेरा दल उसको समर्थन करेगा। मैं यह समझता हूं जो आज देश की परिस्थिति है, जो साइकोलोजिकल अप्रोच है उसको गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। आज की परिस्थिति में विदेश नीति और हमारे अन्दर देश की नीति से निकटतम सम्बन्ध रखती है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा हम स्वालम्बन खो बैठे हैं और धीरे-धीरे प्रतिदिन हम परावलम्बी बन रहे हैं। हम बड़े देशों से भीख मांगे लेकिन छोटे-छोटे देश बेल्जियम स्विटजरलैण्ड आदि छोटे-छोटे देशों से भीख मांगते हैं तो सभापति महोदय स्वाभिमान के विपरीत है।

मैंने निवेदन किया एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है और एक इकोनोमिक प्रश्न है आज देश के अन्दर मंहगाई की चरम स्थिति है। मैं कल मोशन के रूप में बोल चुका हूं, बहुत सारी बातें हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं सभापति महोदय पूछना चाहता हूं आज शिक्षित वर्ग की क्या दुर्दशा हो रही है उसको देखते हुये निश्चित रूप में से यह सरकार को विचार करना चाहिये कि यह सब उनकी दूषित नीतियों के फलस्वरूप है कि आज संकटापन्न स्थिति, कसमकस सरकार पर है। मैं मानता हूं कि प्रिवेन्टिव इज बेटर देन क्योर। लेकिन आज की राजस्थान की परिस्थितियों में सरकार प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट लाती है तो भी मुझे कोई विशेष कारण राजस्थान में प्रतीत नहीं

(श्री लक्ष्मणसिंह)
होते हैं कि कोई प्रिवेन्टिव मेजर लेकर सरकार अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सके।

मैं समझता हूं कि सरकार का यह कदम नरवस होकर उठा है, इसका ऐसा स्थिति में मैं समर्थन करना उचित नहीं समझता खास करके जब मेरे भूतपूर्व वक्ता ने बार-बार यह संकेत दिया कि यह सरकार कोई भी कानून होता है....

श्री मदनसिंह : नरवसनेस से नहीं बल्कि डर कर के करते हैं। दबाने के लिए करते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह भी हो सकता है दबाने के लिए करते हों लेकिन मैं तो समझता हूं कि दबाने के लिए करते हैं तो डरकर करते हैं।

श्री सभापति : वह भी हो सकता है।

श्री लक्ष्मणसिंह : कुछ भी हो सकता है और जैसा माननीय सतीशचन्द्रजी ने अभी कहा बेरी कमीशन के संबन्ध में, तो यह सरकार तो आदी हो गयी है कानून का दुरूपयोग करने की और पक्षपात करने की, इस पर हम विश्वास भी कैसे कर सकते हैं। तो इन आशंकाओं के कारण जो मैंने निवेदन किया, सभापति महोदय, उनको लेकर के मैं इस बिल का समर्थन नहीं करता।

उसके साथ ही साथ जो माननीय सदस्य रामानन्दजी ने मुद्दा उठाया उसके संबन्ध में पर्सनल एक्सप्लेनेशन के रूप में मैं अवश्य दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I never meant any personal aspersion.

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं मानता हूं बिलकुल कोई नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : That was Rajas as an institution.

श्री लक्ष्मणसिंह : आपने यह भी कहा मेरी निजी सम्पत्ति के संबंध में, तो वह मेरी निजी सम्पत्ति तो है, सभापति महोदय, आज से नहीं है २० साल से है। लेकिन अगर सरकार उसको निजी सम्पत्ति नहीं समझती है और ले लेती है तो उसको लेने का अधिकार है। जब तक वह मेरी सम्पत्ति है तब तक मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह आपसी कसमकस किस कारण से है? यह एक पालसोडा गांव है, छोटा सा विलेज है, आधी मील की दूरी पर गुजरात की सीमा लगती है। २२ साल से यह मेरी निजी सम्पत्ति है। मैंने उन ग्रामवासियों से एक पाई भी २२ साल से लगान नहीं ली। इस बारे में सरकार निष्पक्ष रूप से जांच करा सकती है। मैंने २२ साल से इन काश्तकारों से, छोटा सा तो गांव है और कितना सा पैसा मिलता है। इनको मैंने कहा था कि अगर यह मेरी निजी सम्पत्ति है, तो यह तुम्हारी भी निजी सम्पत्ति है। इनको ग्राम विस्तार के लिए पूरी छुट्टी है। उनके मकान देखे जायें, सभापति महोदय, कि उनके मकान कैसे हैं और आसपास राजस्थान के भीलवी गांव में मकान कैसे हैं। ऐसा स्थिति में मेरे पास फोज भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है, वही इस जंगल के रक्षक हैं। आसपास के जंगल सब कट चुके तो इस जंगल में इमारती लकड़ी और बांस भी होते हैं तो जब यह प्रश्न खड़ा हुआ हैव्स और हैव नाट्स, तो आसपास के गांव वालों ने देखा

(श्री लक्ष्मणसिंह)

कि पालीसीडा गांव वालों के पास जंगल है, इनसे लगान भी नहीं लिया जाता, यह नवतोड़ भी करते हैं और इनको विस्तार की पूरी इजाजत है, इनके चार लड़के हैं तो अलग-अलग मकान है तो भी कोई रुकावट नहीं है। तो जिस तरह से उड़ीसा की सरकार ने लगान वगैरह की छूट कर रखी थी तो वह छोटा सा मेरा भी स्वार्थ था। सरकार को लेने का अधिकार है, ले सकती है तो यह हैव्स और हैवनाट्स का प्रश्न जब खड़ा हुआ तो यह पालीसोडा खास के लोगों का प्रश्न नहीं है—मैं तो यहां हूं, मुझे पता भी नहीं, सम्भवतः गुजरात के लोग भी इसमें हो सकते हैं, क्योंकि गुजरात के जंगल ऐसे हैं कि मेरी हथेली के माफिक वहां के पहाड़ हो गये है, साफ छीलकर खतम कर दिया है। फिर उदयपुर जिला भी एक मील के फासले पर है। वहां पर भी अगर ऐसे लोग हैं कि जो बांस कटवाते हैं या बांस काटने के लिए रात को आते हैं, तो मेरे पास तो तीन-चार गार्डस हैं। अगर वह गार्ड उनका मुकाबला करें तो वह मार खायें। तो वह गार्ड भी दबकर रहते हैं। मैंने भी ऐसी नीति अपनाई कि अगर गांव वाले जंगल का संरक्षण कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, गार्ड भी नहीं कर सकते। जहां तक सरकार का सवाल है मुझे तो वर्किंग प्लान दिया हुआ है-सन् ५२ से। सरकार के आदमी आते हैं मुझे प्लाट्स नाम देते हैं और मैं उनको ठेके पर देता हूं। ठेकेदारी की व्यवस्था आप बन्द करना चाहते हैं तो उसका मैं स्वागत करता हूं। मुझे नहीं चाहिए कि ठेकेदारी रहे। मैं नहीं चाहता कि मैं उन जंगलों का फायदा उठाता रहूं और पालीसोडा के लोगों को लाभ से वंचित करूं।

लेकिन बड़ा मुद्दा यह लॉ एण्ड आर्डर का है। यह तो सरकार की नीति और रीति से संबंधित है। अगर माननीय सदस्य अलवर से आये हुए हैं उन्होंने कहा कि अमुक लोगों की खड़ी फ़सल काट ली, मैं समझता हूं कि अमुक लोगों की, गरीब लोगों की फ़सल काटना अच्छी चीज नहीं है। मेरी सम्पत्ति, जंगल, लोग ले लें तो मुझे मलाल नहीं लेकिन यह तो सरकार की नीति से संबंधित प्रश्न है। अब हैव्स और हैवनाट्स की कशमकश है। यह गांव पालीसोडा और उस गांव के आसपास का जंगल पालीसोडा का जंगल है। आज गांव वालों की मेहनत से यह जंगल बचा हुआ है और आज वह ऐसा सरसब्ज जंगल है कि आसपास ऐसा कोई भी जंगल नहीं है। अगर रामानन्दजी चाहें या सरकार चाहे कि उस जंगल को लुटवा दिया जाये तो मैं कहता हूं कि वह तो नेशनल असेट है। अगर सरकार उसको माने या नहीं माने इससे मुझे सरोकार नहीं लेकिन अगर आसपास के भीमट जिले या उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग आदिवासी आयेंगे, अगर गुजरात के आदिवासी आयेंगे तो मेरे खयाल से १५ दिन में उस जंगल को साफ कर देंगे और वह जंगल नहीं रह सकता। यह तो मैं भी जानता हूं लेकिन पालीसोडा के लोगों की मेहनत के द्वारा वह जंगल सुरक्षित रह सका है। तो उसका उपयोग करने का सबसे पहले उनको अधिकार है और अगर सरकार उनको मदद कर सकती है तो मैं समझता हूं कि वह ५ साल तक खुशहाल रहेगा क्योंकि इसको आप मनोवैज्ञानिक तरीके से देखिये। यहां कोई नक्सेलाइट एक्टीविटी नहीं है। इसके पड़ोस मे कई अहमदाबाद के ठेकेदार बैठे हुए हैं वह आदिवासियों को फोड़कर रुपया देते हैं और कहते है कि पालीसोड

(श्री लक्ष्मणसिंह)

के जंगल में जाकर रात को बांस काट लाओ और वह अहमदाबाद में टोकरी बनाने की कॉटेज इन्डस्ट्री है वहां बिकते हैं। तो यह मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। डूंगरपुर के आसपास भी देखें तो पहाड़ों के अन्दर बसे हुए आदिवासी लोग हैं जिनके पांच-पांच और छः-छः बेटा बेटी हो चुके हैं और जिनके पास २० वर्ष पहले १० बीघा जमीन थी आज उसका बंटवारा होकर फ्रेग्मेन्टेशन इस हद तक हो गया है कि मुश्किल से १ या १॥ बीघा जमीन उनके पास है। तो वह नक्सलाइट होंगे या नहीं वह नक्सलाइट नहीं हैं। वह तो तंग आयद जंग आयद का सवाल है। आज भी जो परिस्थितियां देश के अन्दर हमारे सामने दृष्टिगोचर हो रही हैं वह एक ऐसी भयावह स्थिति हैं कि जिसके द्वारा कुछ भी हो सकता है और अगर रेवोल्यूशन भी हो तो यह सरकार उसको रोक सकती है? कदापि नहीं रोक सकती। जब तक कि सरकार बुनियादी समाज की खामियों को दूर करने के लिए कोई न कोई व्यवस्था नहीं कर पाती तब तक यह खामियां दूर नहीं होंगी। तो मुझे यही निवेदन करना है कि मैं नक्सेलाइट एक्टीविटीज को उचित नहीं समझता। मैं तो यही समझता हूं कि थोड़े बहुत ठेकेदार बांसों को कटवाकर अहमदाबाद में बेचने वाले है। वे थोड़े बहुत ७-८ या १० हैं। यदि १५०, २०० या १०० आदमी इकट्ठे होकर जंगल के अन्दर लकड़ी काटने को आते हैं तो वे लोग भी और मेरे लोग भी उनको नहीं रोक सकते हैं। अगर सरकार रोकती है तो सरकार रोके। मुझे इतना ही निवेदन करना है।

उसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे अच्छी चीज यह है कि अगर प्रिवेन्टिव डिटेन्शन का कोई न कोई कानून बनाना है तो बिखरे-बिखरे राज्यों के अन्दर व्यवस्था न करें। आप बुद्धिमान हैं और आप बहुमत की गठित जनता की सरकार हैं आप कर सकते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : जनता की सरकार नहीं। यह सरकार जबरदस्ती बनाये हुए बहुमत की है।

श्री लक्ष्मणसिंह : लेकिन सारे भारतवर्ष के लिए एक मॉडल एक्ट हो उस सम्बन्ध में विचार करें। अगर हठधर्मी करना है तो बहुमत में बैठे हैं और आप व्हिप लगा दें, लेकिन मेरी अन्तरात्मा अनुभव करती है और कुछेक सदस्य ऐसे बैठे हुए हैं जो इस सरकार की नीति का समर्थन अन्तरात्मा से नहीं करते हैं, और माननीय सदस्य मेरे से बुजुर्ग और मेरे मित्र जो मेरे पूर्व ही बोले हैं मैं उनकी भावना को समर्थन देता हूं। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि पुनः विचार करें और इस विधेयक को स्थगित करें।

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : जो अध्यादेश के सम्बन्ध में, उसको निरस्त करने के लिए संकल्प आया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापतिजी, सबसे पहले जब मुझे इस अध्यादेश के बारे में जानकारी हुई तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, और ताज्जुब इसलिए हुआ कि राजस्थान में जो असामाजिक तत्व बैठे हुए हैं सरकार उनको अनड्यू इम्पार्टेन्स दे रही है। सारे हिन्दुस्तान के अखबारों में नाम निकल जायगा कि राजस्थान में प्रिवे-न्टिव डिटेन्शन आर्डिनेन्स निकल गया।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

मुझे दुःख हुआ कि लगातार २२ साल की कोशिश करते करते आज इस स्थिति पर पहुंच गये कि आज भी हम इस राजस्थान की गरीब और अकाल से पीड़ित जनता को इस आर्डिनेन्स से डरा धमका कर काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। सभापति महोदय, प्रिवेन्टिव डिटेन्शन का कानून सिर्फ उसी सूरत में काम में लाया जा सकता है जब कि ऐसी इमरजेन्सी महसूस करें कि जिसकी वजह से हमारी सीमा पर हमला हो रहा है और एबनॉर्मल कन्डीशन्स पैदा हो गई हैं तो उसको मीट करने के लिए इस तरह की सब-सर्विस एक्टीविटीज हो रही हों या हिंसा हो रही हो उसको रोकने में सरकार अपने आपको असमर्थ पाती है, उस सूरत में भी जो नार्मल कानून हैं हमारे यहां क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना हुआ है, इण्डियन पिनल कोड बना हुआ है उनमें जो कुछ भी गड़बड़ करने वाले आदमी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है और की जाती रही है। यह कानून ५० से लागू भारत सरकार ने किया था उसके बाद शायद राजस्थान में कभी भी इसका उपयोग नहीं हुआ होगा। एक-दो मिसालें हुई होंगी जिनमें पाकिस्तान के जो रहने वाले लोग थे उनके खिलाफ यह काम में लाया गया हो। मैं नहीं समझता कि आज राजस्थान में ऐसी स्थिति पैदा हो गई हो कि सरकार को इस अध्यादेश के बनाने की आवश्यकता हुई हो। मैं समझता हूं कि कोई भी समझदार आदमी सरकार के इस कदम की सराहना नहीं कर सकता कि सरकार ने इस काम को सोच समझ कर किया हो।

रहा सवाल इस बात का कि आज हिन्दुस्तान में इस की जरूरत हो तो जहां पर इस तरह के कानून की आवश्यकता है और जहां पर भारत सरकार का शासन होते हुए भी अभी तक यह कानून लागू नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल के लिए संसद-सदस्यों की एक कमेटी बनी थी उस कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर वेस्ट बंगाल की स्थिति के बारे में लिखा है कि स्थिति बड़ी भयानक है। उसमें यह कहा गया है, सरकारी फीगर्स हैं, कि ५०० हमले किये गये और १३७३ आदमी इन्ज्योर हुए और ३२७ मर्डर हुए। वहां पर भी अभी तक तो भारत सरकार इस कानून को लगाने में असमर्थ हुई है। लेकिन जब हम समाचारों में पढ़ते हैं तो पढ़ने को मिलता है कि दो पुलिस वालों पर हमला हुआ है, आज ही के अखबार में है कि बारासात में सड़क पर ११ लाशें पड़ी हुई मिली हैं। वहां पर भी भारत सरकार यह कानून लागू करने में असमर्थ रही। राष्ट्रपति ने जिस कानून को लागू करने की इजाजत दी है वह कानून भी यह नहीं है। कोई ऑर्डिनेन्स नहीं लाया गया है सरकार की तरफ से। अब जो कानून लगाया जा रहा है वह वायलेन्स जो करते हैं, हिंसा करने वाले हैं उनके खिलाफ एक कानून की व्यवस्था की जा रही है। अगर यहां पर कोई हिंसा की बात हुई होती और उसके खिलाफ कानून बनता तो मैं इस बात की ताईद करता। हम लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं। लेकिन राजस्थान में जहां कि वारियर कम्युनिटीज हैं वहां पर भी नक्सेलाइट एक्टीविटीज नहीं हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है कि राजस्थान सरकार ने कौन सी बात सोच कर इस कानून को यहां पर लागू करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में सिर्फ दो-तीन

Page No 104

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

मिसालें ही हमारे सामने आई हैं उनको दबाने के लिए और आयन्दा के लिए जो परिस्थिति आने वाली है उनमें सरकार यह समझती है कि इस कानून को काम लेगी। एक बात तो यह है कि राजस्थान में गंगानगर जिले में जन-आन्दोलन हुआ और उसमें अपनी मांगों को मनवाने के लिए जब सरकार ने नहीं माना तो सत्याग्रह किया गया और उन्होंने सही मायने में सत्याग्रह किया, और मुझे इस बात के कहने में कोई संकोच नहीं है कि गांधीजी के रास्ते पर सत्याग्रह था, और उसकी वजह से उनकी मांगों को सरकार को मानना पड़ा। उसके बाद लैण्ड ग्रैब मूवमेंट सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हुआ। सरकार के खिलाफ जनता अपनी मांगें मनवाने के लिए आन्दोलन करती है, उसको दबाने के लिए या इस तरह से जमीनों के बंटवारे के मूवमेंट को कोई पार्टी लाती है या लाना चाहती है, तो उनको दबाने के लिए यह काम में लायेंगे। यह खयाल उनका गलत है। इस तरह के कानून से इस तरह के मूवमेंट नहीं दब सकते। अब जनता को सरकार से अपनी मांगों के लिए लड़ने का अधिकार है; और वह अधिकार हमेशा रहेगा, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता का राज्य है, यह प्रजातन्त्र है, तो इसमें जनता को अपनी जायज मांगें सरकार के सामने रखने का अधिकार है। सरकार उनको नहीं मानती है तो सही तरीके से उनको मनवायेंगे। इसलिए आज इस तरह के कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है।

यह इसलिए करते हैं कि हो सकता है चुनाव आने वाले हैं, मध्यावधि चुनाव का भी खयाल है, और सरकार को यह खयाल हो कि पिछली बार चुनावों में वे हार चुके थे, फिर चुनावों में नहीं हार जायं, इसलिए बहुत से लोगों को, जैसा कि झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्यों ने आज ही जिक्र किया है, उनको डरा धमका कर चुनावों में बैठ जाने के लिए इसका उपयोग करना चाहते हो और इस कानून को काम में लाना चाहते हों।

सभापतिजी, मैं आपसे निहायत अदब के साथ और नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य, जो यहां पर बैठे हुए हैं, जनता के आन्दोलन और भावनाओं को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। अगर यह कानून बन जाय तो किसी आदमी को डिटेन करने की कोशिश करेंगे जब तक चुनाव होंगे या कोई आन्दोलन की बात होगी तब। यानी जनता को दबाने के लिए यह कानून है और आज को राजस्थान सरकार से किसी भी बात की उम्मीद कर सकते हैं, और मैं इस सरकार की कार्यवाहियों से एक दिन बता दूंगा कि यह बात ठीक है। मुझे इस सरकार की सब कार्यवाहियों का पता है और किसी भी दिन यह बता सकता हूं कि सरकारी ऑफिसर्स कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं। मैं नाम बता दूंगा और ऑफिसर्स ही इनकी आर्गेनाईजेशन का सारा कार्य चला रहे हैं। न कोई इनका संगठन है और न कोई बात है। इस तरह का जो कानून है तो वह जनता को डराने धमकाने के लिए है....

श्री विजयसिंह : यह परिपाटी आपकी ही चलाई हुई है अलवर में।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं जब कांग्रेस का काम करता था तब आप बच्चे थे। आप नहीं जानते हैं कि किस तरह का काम

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
किया है, मैने। अगर जानते हो तो इस तरह से नहीं कहते।

श्री मदनसिंह : यह आज स्वीकार कर लिया है आपके द्वारा कि गवर्नमेंट के सर्वेन्ट हैं वे....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार के मुख्य समर्थक हैं वे इस मामले में सरकार की पैरवी कर रहे हैं तो सभापति महोदय, एक बात मुझे इस सारे कानून में नजर आई कि बंगाल में जहां इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, अभी तक भारत सरकार को यह गौरव प्राप्त नहीं हुआ है कि वह उसको दबा सके। तो मेरा निवेदन है कि वहां हमारे गृह मन्त्रीजी को भेज दिया जाये। वहां जाकर ये सब दबा देंगे।

श्री विजयसिंह : वहां से भाग कर वापस आ जायेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इनके जो खास-खास अफसर हैं, उनको भी इनके साथ भेज दिया जाये। एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि हमारे होम मिनिस्टर ६० साल के हो गये हैं। उनका तजुर्बा बहुत पक्का हो गया है। या तो उनको भारत सरकार में गृहमंत्री बना दिया जाये। ताकि सारी व्यवस्था यह कर सकें या भारत सरकार में इनको चुनाव अधिकारी बना दिया जाये। एक हमारे मुख्य मंत्री जी हैं, राजस्थान में कैसे-कैसे योग्य प्रशासक हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यहां तो उनके जो हुजूर बहुत हैं। इतने न दिल्ली में मिलेंगे और न बंगाल में मिलेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यहां की जनता जहां अकाल पड़ता रहता है, यहां की जनता को यह कहें कि हम प्रिवेण्टिव डिटेंशन एक्ट लगायेंगे। सभापति महोदय, आज भी गांवों की जनता सिपाहियों के नाम से डरती है। लोग अब भी डरते हैं। वहां पर आप इस प्रकार का कानून लगाते हैं। यह जनता उसके काबिल नहीं है। इन इनका इतना उद्देश्य हो सकता है। अगर गरीबों का कोई आन्दोलन है या कोई और मूवमेण्ट है, उसको आप को दबाना है। राजस्थान में यह नहीं कहा जा सकता है कि यहां पर सामूहिक हत्याएं हो रही हैं। यहां की शान्त जनता है। जो भी है गरीब है और अकाल से पीड़ित है। उसको खाने के लिए एक बार दे दिया जाये, तो ठीक है। आप के डण्डे से डरने वाले नहीं हैं। यहां पर अगर राजा जागीरदार खड़े हो जायेंगे तो यह भी डरने वाले नहीं हैं।

श्री सभापति : गृहमन्त्री महोदय।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्डिनेंस पर माननीय सदस्यों को बहुत कुछ नाराजगी है। जिन्होंने यहां पर कुछ भाषण दिये हैं, उन्होंने यह बात यहां बताने की कोशिश की है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : (अश्रव्य)

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं संक्षेप में आप से निवेदन करूंगा कि १९५० से ३१ दिसम्बर, १९६६ तक, १७ साल तक यह कानून रहा है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : १६ साल तक ?

Page No 106

श्री दामोदरलाल व्यास : भारत सरकार ने किन परिस्थितयों के कारण इस कानून को आगे नहीं बढ़ाया है, इसको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। परन्तु साथ-साथ भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को कहा कि वह अपने यहां की परिस्थितियों को देखकर यदि आवश्यकता समझें तो अपने यहां पर कानून बना लें। क्योंकि यह इण्टरनल सिक्युरिटी का मामला है। यह संदन के ज्यूरिडिक्शन में है। भारत सरकार के इस निर्णय पर राज्य सरकार ने उस समय कोई निर्णय नहीं लिया। हमारी परिस्थितियां हम देखते रहे। कोशिश इस बात की करते रहे कि हम बिना कानून के काम कर सकें। चुनांचे जनवरी से जून तक हमने कोई कानून नहीं बनाया। जयपुर से आये हुये माननीय सदस्य, जौहरी बाजार से आये हुये माननीय सदस्य, ने बहुत एतराज किया कि अगर कानून बनाना था तो जनवरी में या बजट सैशन में क्यों नहीं लाये ? हम जनवरी में लाते या फरवरी में लाते इसमें कोई मुश्किल नहीं थी कि हम इस प्रकार का बिल लायें। हम चाहते थे कि आर्डिनरी लॉ के अन्दर हम डील कर सकते हैं, तो डील करें। परन्तु आप को खुद को मालूम है कि देश के अन्दर कई राज्यों ने इस प्रिवेण्टिव डिटेंशन एक्ट को इनेक्ट किया है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। राजस्थान एक बोर्डर स्टेट है। और जितनी बोर्डर स्टेट हैं, बंगाल, आसाम, पंजाब, जम्मू काश्मीर में अलग प्रिवेण्टिव डिटेंशन एक्ट है। पहले से ज्यादा सख्त है। तो हमारी परिस्थितियां हमारे सामने आई। जिससे हमने यह महसूस किया कि हम राज्य में लॉ एण्ड आर्डर मेण्टेन करने के लिए, राज्य में सिक्यूरिटी मेण्टेन करने के लिए और पब्लिक सिक्यूरिटी के लिए यह आवश्यक होगा कि हमें कोई न कोई कानून बनाना पड़ेगा। मैं आप से निवेदन करता हूं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी स्टेट बोर्डर स्टेट है। ६०० मील का बोर्डर है। पिछले दिनों से स्पाई एक्ट विटीज इतनी बढ़ रही है, यह समाचारों में आप पढ़ते हैं। मैं आप को यहां पब्लिक इण्ट्रस्ट में वह सभी बातें नहीं बता सकता हूं अगर आप चाहें तो दलों के नेता मुझ से मिलेंगे तो मैं उनको वह सारी बातें बता सकता हूं।

श्री मदनसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन। माननीय सभापति महोदय, होम मिनिस्टर का यह फर्माना है कि पार्टी के लीडर्स हैं यह गेर जिम्मेदार हैं। जहां तक राष्ट्र का सवाल है, जहां तक राष्ट्र की सीक्योरिटी का सवाल है, माननीय मन्त्रीजी, इस सदन के अन्दर ऐसे ऐसे सदस्य है, आप केवल सीक्रेट रख सकते हैं, लेकिन वह देश के लिये अपना खून तक दे सकते....

श्री दामोदरलाल व्यास : आप गलत समझ रहे हैं ठाकुर साहब !

श्री मदनसिंह : मैं मानता हूं कि यह सीक्रेट इन्फार्मेशन है तो आप इतनी सी दे देते On secret basis we are doing this.

तीन आदमी मर गये, दो आदमी मर गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : यहां माननीय सदस्य ही नहीं बैठे हैं, यहां गेलेरीज हैं प्रेस गैलेरी है, विजिटर्स हैं — आप यह भूल गये। मैं जानता हूं, आपका जो पेट्रियोटिज्म है वह बियोण्ड डाउट है।

श्री भैरोंसिंह : प्रेस वाले डाउटफुल हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप यह जानते हैं, भैरोंसिंह जी आपसे लड़वाना चाहते हैं। इसलिये आप इनसे सावधान रहिये।

तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि पाक की स्पायोनेज एक्टिविटी इतनी बढ़ी। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने कहा कि फॉरिनर्स एक्ट है उसके अन्तर्गत उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। फॉरिनर्स एक्ट के अन्तर्गत भी एक्शन लेते हैं इस विधानसभा के अन्दर एक सवाल के जवाब के अन्दर बताया था कि फॉरिनर्स एक्ट में कितने केसेज बनाये हैं, कितने चालान है और कितनों के अन्दर कन्विक्शन हुआ है। यह सारा विवरण दिया है, आपने उस सब का मुलाहिजा किया होगा। बात यह है कि फॉरिनर्स एक्ट में जिनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं उनके खिलाफ लेते हैं उनके अलावा भी कुछ लोग ऐसे आते हैं। पिछले दिनों की कुछ खबर है कि ट्रेंड पाक स्पाई यहां आये हैं जिनके पास सोफिस्केटेड ट्रान्समीटर और इन्स्ट्रूमेंट्स है जिन्होंने नाम बदल कर हिन्दू नाम रखा है। कभी कभी कोई डीफ एन्ड डम्ब बन कर आते हैं। अब यह दिक्कत तो आपको महसूस करनी चाहिये, उनके साथ कैसे डील करें। कानून के अनुसार चोबीस घन्टे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकते। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। दूसरे स्पायोनेज एक्टीविटीज...

श्री भवानीसिंह : आप माफ करेंगे, डिस्टर्ब करने के लिये, आप वयोवृद्ध हैं। हिन्दुस्तान की प्रधानमन्त्री मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन देती है। उनके खिलाफ यह चॉर्ज क्यों नहीं है। जब राष्ट्र की प्रधानमन्त्री ऐसा करती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह मैं अर्ज करूंगा।

श्री भवानीसिंह : मुस्लिम लीग की क्या एक्टीविटी थी जिसने कहा हिन्दुस्थान को बरबाद किया जाय, इसको ट्रेंड होने चाहिये। उसको वह प्रोत्साहन देती है तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट में।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह दूसरी बात है। वह बात अलग है। दूसरी बात है। मेरा अर्ज करना था वह यह था कि हमारी प्रेक्टिकल डिफीकल्टी यह है कि '७० के अन्दर जून के महीने में यह अध्यादेश निकला। उसके बाद १३ और २ यानी १५, ६१३ स्पाई पाकिस्तान के गिरफ्तार हुए हैं जिनके खिलाफ बाकायदा मुकदमात कायम हो रहे हैं, तफतीश हो रही है। दो पाक स्पाई जिनका नाम बतलाया, एक सवाल के जवाब के अन्दर।

इसलिये यह लाना जरूरी हो गया फार इन्टरोगेशन एन्ड अदर पर्पजेज एज यू नो इट। सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि एक कारण तो यह है। दूसरा मैं साफ बतलाना चाहता हूं कि उन्नीस साल पब्लिक डिटेंशन एक्ट रहा लेकिन राजस्थान के अन्दर एक भी पालीटिकल आदमी के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर कोई आदमी डेकोइटस की मदद करता है, अगर कोई आदमी डेकोइट्स को शेल्टर करता है, अगर कोई आदमी डेकोइट्स को किसी तरह की इमदाद पहुंचाता है तो किसी भी पोलिटिकल पार्टी का सिम्पेथाइजर हो, इससे उसका विक्टीमाइजेशन नहीं मानना चाहिए। हो सकता है कोई आदमी ऐसा हो। मैं

Page No 108

(श्री दामोदरलाल व्यास)

निवेदन करता हूं कि १६६८ के बाद जब से डी.आई.आर. खत्म हो गया उसके बाद कुल डिटेंशन के केसेज देखेंगे तो....

श्री भैरोंसिंह : ११।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : रजिस्टर्ड हैं। अनरजिस्टर्ड कितने हैं?

श्री दामोदर लाल व्यासः अनरजिस्टर्ड तो आप बता सकेंगे। मैं तो नहीं बता सकूंगा।

एटीन पर्सन इन टोटल डिटेन्शन में हुए आफ्टर १६६८। जुलाई ६८ के बाद जुलाई ७० और उसमें नम्बर १८। एटीन में से एक्सेप्ट वन और टू केसेज, बाकी सब पाक नेशनल्स के केसेज हैं। मेरा अर्ज करना यह है कि यह यह धारणा बनी हुई है कि पॉलिटिकल लीडर्स या एक्टिव वर्कर्स के खिलाफ इसको काम में लिया जायगा यह बिल्कुल गलत है। १६ साल में जिस चीज को काम में नहीं लिया गया, १६ और १ यानी बीसवां साल चल रहा है, इसका इस्तेमाल किसी भी पोलिटिकल वर्कर या लीडर के खिलाफ नहीं किया गया। मेरी समझ में नहीं आता, क्या वजह है फिर। बात क्या है। बात यह है कि देश की फिजा बदली हुई है। देश के अन्दर सरकम्स्टान्सेज नई पैदा हो गई, उसमें पी. डी. आर. एक हौआ बन गया। आम तौर पर पालिटिकल पार्टी समझती है, देश जितना ज्यादा कमजोर रहेगा उतनी ज्यादा अराजकता पैदा होगी, जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी मानती है कि मुल्क में डिसरप्शन हो, डिसऑर्डर पैदा हो।

श्री दौलतराम सारण : आपका मतलब यह है कि पॉलिटिकल पार्टी है वह देश में डिसऑर्डर्स पैदा करना चाहती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जब आप बोल रहे थे तब मैं बीच में नहीं बोला....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : डिसऑर्डर पैदा करना चाहती है—मैं कह रहा हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जब मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको कोई एतराज हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं....

श्री दौलतराम सारण : आपकी बात ऑब्जेक्शन के काबिल है, एतराज के काबिल है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप बाद में एतराज करिये।

श्री दौलतराम सारण : मुझे एतराज है, जिस तरह आप पालिटिकल पार्टीज पर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं वह गैर वाजिब है, अनुचित है, और किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।

श्री दामोदरलाल व्यास : बर्दाश्त मत कीजिये।

श्री दौलतराम सारण : हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम संविधान की मान्यता के अनुकूल काम करते हैं। लॉ एण्ड ऑर्डर को अच्छी तरह से मान कर चलते हैं। डिसऑर्डर पैदा नहीं करते हैं। गृह मंत्रीजी जो कह रहे हैं वह मनगढन्त है और निहित स्वार्थ की वजह से ऐसा चार्ज फ्रेम कर रहे हैं....

श्री सभापति : पर्याप्त है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो मैं कहना चाहता हूं उसमें माननीय सदस्य को

(श्री दामोदरलाल व्यास) आपत्ति है; तो सभापति महोदय, आप बीच में दखल करने का मौका न दें। आप जब बोल रहे थे तब मैं सुन रहा था हर प्रकार की बातें लेकिन मैंने दखल नहीं दिया। मैं अर्ज करूंगा कि मेरी मान्यता क्या है, क्या नहीं है—इसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। जिन परिस्थितियों में मेरा जजमेंट है, वह देने का मेरा पूरा अधिकार है। माननीय सदस्य को बहुत नाराजगी हो सकती है। वह समझते हैं कि जो कार्यवाही उनकी पार्टी या उनकी पार्टी दूसरों से मिल कर करती है वह कान्स्टीट्यूशनल होगी, चाहे कॉन्स्टीट्यूशनल के बजाय बिल्कुल अनकॉन्स्टीट्यूशनल हो। यह जरूर बात है कि कोई अपने को सोचे, सोच कर अपने को समझ ले....

श्री दौलतराम सारण : हम तो झूठ को झूठ देखते हैं। चोरी को चोरी देखते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : तो दूसरे को मानने को मजबूर नहीं किया जा सकता। आपकी क्या एक्टीविटी है, क्या नहीं है—इस पर मैं आया नहीं। आपकी पार्टी के लिए नहीं कहा। मैं जनरल बात कह रहा हूं। देश के अन्दर फिजा पैदा हो गई है कि जितनी गवर्नमेंट कमजोर हो उतना ज्यादा अच्छा ताकि देश में और डिस्ऑर्डर ज्यादा हो और गवर्नमेंट को डिस्लोज करने के लिए मौका मिले। यह परिस्थिति पैदा हो गई है। मैंने आपके लिए नहीं कहा, देश के लिए कहा था। यह बात सही है, इसमें कोई शंक नहीं है। आप बार-बार कहें कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक डिटेंशन एक्ट को क्यों नहीं काम में लिया। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जिन परिस्थितियों में एक्सटेंशन नहीं दिया, आप सब मानते हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइज किया, आप अपने यहां की स्थिति देख लें। यह, सभापति महोदय, कॉन्स्टीट्यूशन के अन्तर्गत यह एक्सटर्नल अग्रेशन के लिए लॉ नहीं बनाया था। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि कौनसा हमला हो रहा है? कौनसा पाकिस्तान का हमला हो रहा था? कौनसा एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा था। मैं निवेदन करता हूं कि कॉन्स्टीट्यूशन के अन्दर यह प्रोविजन है, सिक्योरिटी प्रिवेंटिव डिटेंशन का, उसमें दो पॉइन्ट हैं, यह नहीं है कि एक्सटर्नल एग्रेशन के ऊपर बना सकते हैं; बल्कि...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : डेंजर टू सिक्योरिटी।

श्री दामोदरलाल व्यास : नम्बर एक है।

"Preventive detention for reasons connected with defence, foreign affairs and security of of India. Persons subjected to such detention, i.e. list 1, but our law is based on list 3, item No. (3), i.e. preventive detention for reasons connected with security of the State, maintenance of public order and maintenance of supplies and services essential to the community.

हमारा लॉ इसके ऊपर बना हुआ है इसलिए एक्सटर्नल एग्रेशन, पाक एग्रेशन का प्रश्न पैदा नहीं होता है। जो भारत

Page No 110

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सरकार का १९५० का कानून बना हुआ था उसके अन्दर दोनों आइटम कवर थे, परन्तु हमारे आर्डिनेन्स के अन्दर, बिल के अन्दर देखेंगे तो यह डिस्टिंक्शन है कि हमने लिस्ट श्री आइटम नम्बर थ्री पर बेस किया है और केवल एक्सटर्नल एग्रेशन पर नहीं किया है। यह कहें कि एग्रेशन होने वाला है, पाक एग्रेशन होने वाला है तो यह सवाल पैदा नहीं होता है। दूसरी बात मैंने इसके साथ साथ निवेदन की कि हमारी बोर्डर स्टेट होने के लिहाज से और ओपन बोर्डर होने के लिहाज से, जो बोर्डर एरियाज में रहते हैं वे इस बात को जानते हैं कि आज उन एरियाज के अन्दर स्मगलर्स हैं, पाक स्पाईज और दूसरे एलीमेंट्स आसानी से आ सकते हैं। ६००-६०० मील में हम अपनी फोर्स नहीं लगा सकते। बहुत से लोग अंडरग्राउण्ड चले जाते हैं, जिनको पकड़ा जाता है, जिनका प्रोसीक्यूशन नहीं हो सकता है तो उनको डिटेन्शन में रखना पड़ता है, पुश बैक करना पड़ता है, तो यह कठिनाई आपको महसूस करनी चाहिए। हमारे राज्य की हालत को समझना चाहिये।

दूसरी बात देश के दूसरे भागों में पैदा हो रहा है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें इस बात को महसूस करना होगा कि आज नक्सलवादी हरकतें बंगाल में हो रही हैं मगर और राज्यों में भी हैं। बंगाल में लार्जर स्केल पर है, उनका मेग्नीट्यूड ज्यादा है, परन्तु दूसरे राज्यों में भी हो रही हैं, जैसे आन्ध्र में केरल, बिहार ईवन इन आसाम। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सोश्यो-इकानोमिक समस्या बताते हुए मनोवैज्ञानिक तरीके से, इसको हल करने के लिए सलाह दी। उसको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा, जमाने का तकाजा है, जनतंत्र कायम रखना है तो जो वह तरीका बताते हैं, उसकी इजाजत देवें। कांग्रेस सरकार भी समाजवाद लाना चाहती है मगर हमारे समाजवाद लाने के तरीके अलग हैं। हमारा तरीका है, पीसफुल मीन्स, कान्सटीट्यूशनल मीन्स, कानून बनाकर, चाहे सीलिंग कानून बनायें, बैंक राष्ट्रीयकरण करें चाहे आयात निर्यात राष्ट्रीयकरण करें या शहरी संपत्ति पर सीमा कानून लगायें सब पीसफुल मीन्स के द्वारा।

श्री रामचन्द्र आर्य : चाहे १२॥ हजार किलोमीटर के सफर का कानून अपने लिये बनायें।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापतिजी इसका तो इलाज करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : विधान सभा के लिए भी प्रिवेन्टिव डिटेन्शन बिल रखें कि जो इस तरह बोले उनको रोका जा सके।

श्री दामोदरलाल व्यास : बद्रीप्रसादजी आप चिंता मत करें, मैं कहीं गवर्नर हो कर आऊंगा तो आपको एडवाइजर बनाकर ले जाऊंगा। आपके बगैर काम नहीं चलने वाला है।

श्री भैरोंसिंह : वह राज्य तो डूब जायगा।

श्री मदनसिंह : आपका मतलब है कि बद्रीप्रसादजी जिस पार्टी में बैठ रहे हैं वह फेल हो रही है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्यों से बहुत गंभीरतापूर्वक इस समस्या

Page No 111

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पर विचार करने के लिये प्रार्थना करता हूं। राजस्थान में दो दल हैं, एक कम्युनिस्ट और दूसरा एस० एस० पी०। लैंड ग्रैब मूवमेंट पर इनको बड़ा गर्व है इस बात का कि हमने यह किया और उसकी सोश्यो इकानॉमिक समस्या बताकर करते हैं। हम भी इस बात को जानते हैं कि देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये सरकार को कोई न कोई तरीका निकालना चाहिए। सरकार का फर्ज है। सरकार कोशिश करती है। परन्तु आप बतायें कि अगर इनके बताये हुए रास्ते पर आंखें बंद करके चलें चाहे जमीनें हड़प लें, चाहे मकान ले लें तो फिर प्रोपर्टी और ओनरशिप खत्म हो जायगा। मतलब यह है कि आज के जमाने में नक्सलाइट एक्टिविटीज क्या हैं? वह क्या है कोई रोके तो बन्दूक....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह तो सम्पत्ति व ओनरशिप खत्म करना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : मगर ये जबर्दस्ती खत्म करना चाहते हैं। फर्ज करिए राज्य सरकार चुप हो जाए तो क्या होगा? लैंड ग्रैब मूवमेंट का पूरा ढकोसला किया। इन्होंने कागजों पर झूठे स्टेटमेंट्स दे दिए कि एक लाख एकड़ भूमि हथियाली, २५ लाख हथियाली। ये कहीं नहीं भूमि ले सके। जहां भी गए पुलिस पहुंच गई उन्होंने पकड़ लिया और वहीं पहुंचा दिया और सब कुछ इन्तजाम कर दिया।

श्री रामकिशन : कहां पहुंचा दिया?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको नहीं कह रहा हूं। जो गए। जो आंकड़े दिये थे कि इतनी भूमि हथियाली, इतनी कर ली सब झूठ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रजिस्टरों में लिख दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : गंगानगर जिले में एलॉटमेन्ट कमेटी इन्होंने बना दी।

श्री जगन्नाथ पटेल : कुत्ते भी अलवर महाराजा ने लगा दिये इनके पीछे।

श्री दामोदरलाल व्यास : एलॉटमेन्ट कमेटी बन गई, तहसीलदार बन गए और एलॉटमेन्ट करने लग गये। रामानन्दजी सुन लीजिये। उसके बाद एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। इस बात को गंभीरता से सोचें। लैंड ग्रैब मूवमेंट के साथ में अलवर व गंगानगर जिलों में कम्युनिस्ट वर्कर्स कैंप लगाया, उनको लाठी व हथियार चलाने में ट्रेन्ड किया गया। लैण्ड ग्रैब मूवमेंट के अन्दर कब्जा करेंगे तो किस तरह से, लैंड ग्रैब करेंगे, अगर कोई ओपोजीशन करेगा तो, पूछिए रामानन्दजी से, अगर गलत है तो। अगर यही बात है तो आप बतायें कि सरकार के सामने मैंने कहा, एक तरफ पाकिस्तान के बोर्डर की वजह थी दूसरी वजह लैंड ग्रैब मूवमेंट उसके साथ में। इनके कैम्प्स जिनके अन्दर बाकायदा हथियारों की ट्रेनिंग दी गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हथियारों की नहीं दी गई। झूठ।

श्री दामोदरलाल व्यास : कैम्प्स का बाकायदा गठन किया गया, मकान नहीं मिला तो स्कूल छीन लिया। मतलब क्या है कैम्प का? ट्रेनिंग किस बात की? हथियारों की ट्रेनिंग वहां कैम्प्स के अन्दर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लाठी के अलावा कौनसे हथियार थे? बिल्कुल झूठ

Page No 112

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बोल रहे हैं। बताइए कौन से हथियारों में ट्रेनिग दी ? लाठी की ट्रेनिंग दी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लाठी की ट्रेनिंग कौनसी गैर कानूनी है ? आपके कांग्रेस सेवा दल ने लाठी का इस्तेमाल नहीं किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सुन लीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने कहा हथियारों की ट्रेनिंग । लाठी की ट्रेनिंग दी तो कौनसा गैर कानूनी काम किया ? वह बताइए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लाठी को कुछ नहीं मानते हैं ?

(शोरगुल)

श्री विजयसिंह : मैं समझता हूं, अभी अभी आप दोनों हथियार काम में ले लें।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज विधेयक पर विचार होगा जो भी विचार प्रकट करने हों कर लें। अब जल्दी समाप्त कर लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने डिबेट ऐसी करा दी। पहले जरूरत नहीं थी अब जरूरत पड़ी। दूसरी तरफ नक्सलवादियों के लिए निवेदन करना चाहता हूं। मेरे पास डेफीनेट और पोजिटिव जानकारी इस बात की है कि यहां से सैकड़ों आदमी ट्रेनिंग के लिए नक्सलवाद की ट्रेनिंग के लिए बंगाल भेजे गए हैं ?

एक माननीय सदस्य : कौन से एरिया के

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने गंगानगर आन्दोलन के समय भी कहा था कि पाकिस्तान से हथियार आ गये थे, वह सही बात कही थी ? झूठ बोले।

श्री मदनसिंह : ऐसा नहीं कहा था।

श्री रामचन्द्र आर्य : इन्होंने स्टेटमेंट दिया था।

(शोरगुल)

जिस समय मिलिटरी तैनात की गई उस समय क्या लिखा था केन्द्र को ? आपने स्टेटमेन्ट नहीं दिया था कि गंगानगर आन्दोलनकारियों को पाकिस्तान से हथियार आ गए हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मौके पर कहूंगा। अभी कहां है ? चिंता क्यों करते हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : १०० कानून बनायें, कोई चिंता नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने माननीय सदस्यों को सूचना दी है कि कुछ लोगों को ट्रेनिंग के लिए यहां से बंगाल भेजा गया है और उसके साथ में मेरी खुद की जो इन्टेलीजेन्स रिपोर्ट्स हैं वह भी इस प्रकार की हैं। आपको इस बात को नहीं भूलना चाहिए। माननीय सदस्यों ने कहा यहां तो एक ही राइट कम्युनिस्ट हैं। लेफ्ट कम्युनिस्ट नहीं है..

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कृपया थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। किस तरह से ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इससे ज्यादा कोई सूचना देने में मैं मजबूर हूं। माफी चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने कहा सैंकड़ों...

श्री रामचन्द्र आर्य : है ही नहीं क्या जानकारी देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लेफ्ट कम्युनिस्ट राजस्थान में हैं और काफी एक्टिव हैं और उनको सब जानते हैं। तो राइट हों या लेफ्ट हों। सवाल यह है कि हमें लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करना है। हम सोश्यो-इकोनोमिक समस्या के बहाने से इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि कानून को तोड़कर दूसरे की संपत्ति को हजम कर लें। जबर्दस्ती छीन लें।

श्री रामचन्द्र आर्य : राजाओं की संपत्ति जबर्दस्ती...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके साथ में इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि देश में, कई हालात पैदा हो गए, कम्यूनल डिस्टरबेन्सेज पैदा हो गये माननीय डागा कह कह रहे थे कि मुस्लिम लीग पैदा हो गई, मुस्लिम लीग के लिए प्रधान मंत्री ने कभी नहीं कहा कि वह एप्रूव करती है। अगर केरल में मुस्लिम लीग के लिए अगर उन्होंने ठीक समझा कि उनका सहयोग लिया जाय तो जनतंत्र कायम रखने के लिए तो उसमें कोई गल्ती नहो। उनको गलत समझने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेटमेन्ट फिर दिया। चाहे कम्युनिस्ट हों, हिन्दू हों या मुसलमान, उनको प्रोत्साहन न दें। हमको इसको हरगिज भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये जिसके कारण बंटवारा हुआ।

ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण यह ऑर्डिनेंस लाना पड़ा मजबूर होकर और अब इसको कानून की शक्ल में लिया जा रहा है। मैंने अर्ज किया था और फिर अर्ज करता हूं कि पोलिटिकल पार्टीज की एक्टीविटीज को कर्ब करने के लिये ऐसी वैसी हरकत यह सरकार नहीं करेगी।

श्री सभापति : क्या इसका जवाब आवश्यक है ?

श्री रामकिशन : बिलकुल आवश्यक है। मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है एक पक्ष को छोड़ कर बाकी सब पक्ष कमजोर हैं। राजस्थान पाकिस्तान की सीमा पर है। पाक नेशनल घुस सकते हैं। जिस प्रकार की सीमा है उसको हम स्वीकार करते हैं और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है उसको दृष्टिगोचर करते हुए संभव है उसमें जो उन्होंने कहा है वह भी संभव हो सकता है। मैं जानकारी भी चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में सीमा की समस्या आज कल की समस्या नहीं है किन्तु निरन्तर रहने वाली समस्या है जब तक कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का महासंघ न बन जाय। यह स्थिति करीब करीब रहने वाली है। साल दो साल, दस साल में इसका अन्त हो जाय यह जरूरी भी नहीं है। इसको राजनीति के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे यह कहा। जनता के आन्दोलन के बारे में भी उन्होंने बता दिया। जो मुद्दे उठाये, क्या यह संपतसिंह पाक नेशनल थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक बात जवाब में रह गयी जो जानबूझ कर उत्तर में नहीं कही गयी। सम्पतसिंह का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। जब मामला

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सबजुडिस है उसका जवाब नहीं देना चाहिये और सभापति महोदय भी इसको मानेंगे। संपतसिंहजी को जिन कारणों से डिटेन किया गया वे कारण सर्व कर दिये गये हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : कारण क्या थे यह बता दें ?

श्री रामकिशन : मैं निवेदन कर रहा था कि यह बात सही हो सकती है। उसके पीछे इतनी ही बात नहीं है जो गृह मंत्रीजी ने कही। लोकतन्त्र में एक आदमी निरंतर बन्द रहता है तो वह लोकतन्त्र की भावना के खिलाफ है। यह मुद्दा तब उठाया गया था जब यह कहा गया कि राजनीति के तौर पर यह इस्तेमाल नहीं होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : हम स्ट्रिक्टली इसको ओब्जर्व कर रहे हैं कि एक अपील मुकदमा हाई कोर्ट में जेर तजवीज है उस पर मुझे कोई कमेन्ट करना पड़े इट विल नोट बी फेयर, इसलिये मुझे जो कुछ कहना था वह कह दिया।

श्री रामकिशन : मैंने क्या कहा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने भी गवाह के लिये कहा।

श्री रामकिशन : मैं तो सिद्धांत की बात कह रहा हूं। न तो मेरी जानकारी है और न ही उनसे मेरी जान पहिचान है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप उस केस को डिस्कस कर रहे हैं।

श्री रामकिशन : उसके लिये नहीं कह रहा हूं।

श्री विजयसिंह : जो मेटर पेन्डिंग है उसके लिये इन्दिराजी रोज बोलती हैं।

श्री सभापति : वह पुलिस का मामला है।

श्री भैरोंसिंह : जो स्टेटमेन्ट ग्रॉफ रीजन्स आपने संपतसिंहजी को पकड़ने के लिये दिये उसकी एक कॉपी तो मिल सकती है ? प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ओर्डिनेन्स लागू होने के बाद तीन को गिरफ्तार किया, एक की ज्यादा चर्चा हुई है उसके लिये स्टेटमेन्ट दे दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह मेरे पास नहीं है। कलेक्टर सर्व करता है। मेरे पास अभी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपको लेकर आना चाहिये था।

श्री दामोदरलाल व्यास : जयपुर से आये माननीय सदस्य ने यह कहा कि हजारों एन्टी-नेशनल यहां हैं। यहां स्टेटमेंट भी दिया था किसी सवाल के जवाब में कि कितने पाक नेशनल्स यहां आये और कितनों को गिरफ्तार किया और मुकदमे चलाये और कितने अन्डर ग्राउन्ड चले गये। १८७ अन्डर ग्राउन्ड चले गये जिनका पता नहीं चल रहा है।

श्री विजयसिंह : जो आये थे उनका क्या हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : देहली के मजिस्ट्रेट की कोर्ट से उनको सजा हो गयी।

श्री विजयसिंह : मिनिस्टर साहब का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह विधेयक पारित हो श्रोर शेष श्राज का जो बिजिनेस है वह समाप्त हो तब तक के लिये क्या सदन का समय बढ़ाया जाये ?

जो इसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें (हां)।

जो इसके विरोध में हों वे 'नां' कहें (नां)।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

'हां' 'ना' पक्ष जीता।

विरोधी पक्ष के कई माननीय सदस्य : ना–ना।

श्री गिरधारीलाल व्यास : "A yes" have it, Sir.

विरोधी पक्ष के कई माननीय सदस्य : "Noes" have it, Sir.

(शोर–गुल)

श्री सभापति : श्रॉर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम सारण : पांच बज चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो भी संकल्प पर ही बहस चल रही है।

श्री दौलतराम सारण : यह संभव नहीं है।

श्री सभापति : एक घंटा बढ़ा सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : श्राज का विधायी कार्य जब तक समाप्त न हो तब तक के लिये समय बढ़ाया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कैसे बढ़ाया जाय ? यह कोई तरीका नहीं है कि हाउस को रात के १२-१२ बजे तक चलाया जाय रोज–रोज।

(निरंतर व्यवधान श्रोर शोर-गुल के कारण अश्रव्य)

श्री सभापति : श्रॉर्डर प्लीज, श्रॉर्डर ! कृपया स्थान ग्रहण करें। श्रभी तो संकल्प पर ही बहस चल रही है। विधेयक श्रौर क्लाजेज पर बहस चलेगी।

श्री विजयसिंह : यह प्रेक्टिस बिलकुल गलत है।

श्री सभापति : सभापति खड़े हों श्रौर माननीय सदस्य बीच में बोलें यह उचित नहीं है।

श्रभी एक घंटे के लिये समय बढ़ा लें।

एक माननीय सदस्य : इसके बाद तो नहीं बढ़ेगा।

श्री रामचन्द्र श्रार्य : उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी....

श्री सभापति : श्रब समय बढ़ गया है।

श्री रामचन्द्र श्रार्य : १७ हरिजन परिवारों की फसलों पर कब्जा कर लिया गया है उस बारे में मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्राप स्थगन प्रस्ताव की चर्चा कर रहे हैं। श्रापके साथ मुझे सहानुभूति है। श्राप श्रध्यक्ष महोदय के चेम्बर में जाकर इस बारे में जानकारी हासिल कर लें तो ज्यादा श्रच्छा रहेगा। वक्तव्य का श्राश्वासन दिया है, तो वह होगा।

श्री रामचन्द्र श्रार्य : चेम्बर में जाकर पूछने का क्या कायदा है ?

श्री सभापति : जिस समय स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी गई थी उस समय श्राप इस बारे में जानकारी हासिल करते।

Page No 116

(श्री सभापति)
अब रेजोल्यूशन पर बहस चल रही है, रामकिशनजी का भाषण चल रहा है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : यहां आश्वासन दिया गया था कि थोड़ी देर के बाद में इस बारे में मंत्रीजी से जवाब: दिलाया जायगा ।

श्री सभापति : मुझे जिस प्रकार की जानकारी दी गई है उसके अनुसार आपको इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया है । फिर भी मैं रेकार्ड से जानकारी हासिल कर लेता हूं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : इतना झूंठ चलता है यहां पर ।

श्री सभापति : मैं रेकार्ड देख लेता हूं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : दस-पन्द्रह मिनिट बाद में फिर जानकारी करूं ?

श्री मुकुटविहारीलाल गोयल : पंचायतों के चुनावों के बारे में घोषणा आने को थी ।

श्री सभापति : पहले प्रस्ताव को निपट जाने दीजिये । उसके बाद में और बिजिनेस भी है ।

श्री श्रवणलाल : पंचायत संबन्धी जो मामला है उसको लिया जायगा या नहीं । १९ तारीख को घोषणा करने वाले थे २० हो गई २१ हो गई ।

श्री सभापति : इस बारे में माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य होगा इलेक्शन आदि के संबन्ध में । पंचायत मंत्री इसके बाद इस संबन्ध में आपको सूचित करेंगे ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सरकार हमेशा धोखा देती आई है, और अब भी देगी ।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, हमने जो-जो बातें कहीं आर्डिनेन्स के लाने के संबन्ध में उस संबन्ध में जो कारण बताये गये गृह मंत्री द्वारा वे कारण ऐसे नहीं है कि जिसके लिये यह आर्डिनेन्स लाया जाना चाहिये था । सीमावर्ती राज होने के कारण पाकिस्तानी नेशनल्स आते रहते हैं । मैंने बात उठायी थी बंगाल के संबन्ध में जो पी. डी. एक्ट लागू किया जा रहा है ।

श्री विजयसिंह : पोइण्ट ऑफ ऑर्डर सर, आपने जो सदन का समय बढ़ाया है वह सदन की अनुमति लेकर नहीं बढ़ाया है । इसलिए इस बीच जितना भी वाद-विवाद हुआ है, वह बेकार है ।

श्री सभापति : यह आपत्ति आपको उसी समय उठानी चाहिये थी । जब दूसरा कार्य प्रारम्भ हो जाय तब पहले वाले कार्य के लिये आपत्ति उठायी नहीं जा सकती । मैंने समय बढ़ाते वक्त कहा था सदन की अनुमति से समय बढ़ाता हूं । मैंने समय सदन का कोन्सेंस लेकर बढ़ाया है । मैं बोलने के लिये समय देने में लिबरल रहा हूं । मैं नहीं चाहता कि किसी के भी भाषण पर समय का अंकुश लगाऊं । हाउस का जो आज का बिजिनेस है उसको समाप्त कर उठना है, आज का सारा बिजिनेस, डिसपोज ऑफ करने में अब एक घंटे का समय और लगेगा । इसलिये आपका सहयोग लेकर सदन की कार्यवाही चलाना चाहता हूं ।

श्री विजयसिंह : हम तो गवर्नमेन्ट को भी डिसपोज ऑफ कर देंगे ।

श्री मथुरादास माथुर : हम तो डिसपोज्ड ऑफ ही हैं।

श्री रामकिशन : जिस प्रकार से बंगाल के लिये कानून का प्रावधान किया जा रहा है। जहां राजद्रोह की संभावना है उसके लिये स्पष्ट प्रावधान कर दिया जाता तो किसी भी पार्टी के सदस्य को उससे गुरेज नहीं होता। राजस्थान में बंगाल जैसी वारदातों की संभावना नहीं है, यहां दूसरी प्रकार की संभावना है। जैसा कि गृह मंत्री महोदय ने कहा पिछले सालों १८ आदमियों को इसके अन्तर्गत लिया गया। आज यह स्थिति नहीं है। आज जिस प्रकार से राजनैतिक वातावरण तेजी से बदल रहा है उस बारे में जो मैंने मुद्दे उठाये उसके बारे में मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया।

एक बात जरूर मंत्री महोदय ने कही कि राजनैतिक दल इस कानून का विरोध इसलिये करते हैं कि वे मानते हैं सरकार कमजोर है क्या गृह मंत्री भी अपनी सरकार को कमजोर मानते हैं ? जहां तक संख्या का सवाल है आपकी सरकार बहुत मजबूत है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा था आज देश के अन्दर जिस प्रकार का वातावरण बनता जा रहा है, उसमें यह आवश्यक है।

श्री रामकिशन : हम तो वातावरण को इस प्रकार का मान ही रहे हैं आप स्वयं भी यही कह रहे हैं। अपने यहां राजस्थान की बात हो रही है। संख्या बल की दृष्टि से देखा जाय तो आपका मंत्रिमंडल मजबूत है। नीति और कार्यक्रम की कमजोरी को कमजोरी आप नहीं मानते। संख्या की दृष्टि से आप यह मान कर चलें कि आपका यह मंत्रिमंडल ७२ से पहले तो गिरने वाला नहीं है। मुझे तो यह भी आभास मिलता है कि आप एक-दो मेम्बरों को और इधर से लेजा सकते हैं। इस तरह जहां राजस्थान की सरकार कमजोर नहीं वहां लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या भी नहीं है।

यहां यह भी कहा गया कि यहां से कुछ लोग नक्सलवाद की ट्रेनिंग के लिये बंगाल भी गये हैं। यह सच भी हो सकता है। पुलिस की सूचनायें होंगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : सदन के माननीय सदस्यों को सूचना के लिये निवेदन कर दूं इसकी वेरिफिकेशन जरूरी है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है कि कौन-कौन गया है। दूसरी तरफ के इस तरह के लोग आये हुए हैं।

श्री रामकिशन : मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे गुप्तचर विभाग की सूचनायें इस प्रकार की हैं। आपका गुप्तचर विभाग और आपका पुलिस विभाग किस प्रकार का है, यह जानकारी सभी को है। राजनैतिक तौर पर मैं यह समझता हूं कि वाम पक्ष साम्यवाद और नक्सलवाद साम्यवाद में फर्क है इसको समझ नहीं रहे हैं आप। नक्सलपन्थी; नागा रेड्डी का ग्रुप इनमें भी मतभेद पैदा हो गये हैं। आप चीन का बुलेटिन सुनिये तो आपको पता चलेगा कि वाम पन्थ और दक्षिण पन्थ के बारे में मार्क्सवाद की जो मान्यता चीन में चली आ रही थी उसको भी बदला जा रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : राजस्थान में कुछ लोग इस बात के लिये लगे हुए हैं नक्सलवाद के संबन्ध में पर्चे, पेम्पलेट्स, बुकलेट्स छपवा-छपवा कर राजस्थान के प्रेसेज में छपवा-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कर, राजस्थान के प्रेसेज में छपवाकर तकसीम कर रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी भी हुई है।

श्री रामकिशन : मैं इन चीजों में जाना नहीं चाहता। इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि बंगाल में मार्क्सवाद और नक्सलपन्थ की ट्रेनिंग के लिये यहां से लोग नहीं जा सकते। नागा रेड्डी के ग्रुप के बारे में आपका इन्टेलिजेन्स विभाग सूचना नहीं दे पायगा। आज इस तरह से कम्युनिस्ट आन्दोलन के भी चार हिस्से हो चुके हैं और नक्सलवाद के भी तीन हिस्से हो चुके हैं। चारु मजूमदार और नागा रेड्डी की स्थिति दूसरी है।

आप यह कह रहे हैं कि मार्क्सवाद और नक्सलवाद की कल्पना से ही आपकी सरकार डर रही है। उसके जो पर्चे छप रहे हैं उससे ही आपकी सरकार आने वाली भयावह स्थिति का आभास कर रही है तो मुझे आपकी सरकार पर तरस आता है, क्या आपकी सरकार इतनी कमजोर है जो इस स्थिति से निपट नहीं सकती और इससे घबराकर आप कानून बनाने जा रहे हैं। आप बिना कानून लाये ही इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिये सक्षम हैं। आप इसके लिये और दूसरी तरह के प्रावधान ला सकते हैं।

एक मुद्दा, यह उठाया गया कि "भूमि छीनो" आन्दोलन की बात कही। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस आन्दोलन से तो आपको बल ही मिलना चाहिये, आप जो भूमि संबन्धी कानून बना रहे हैं उसके लागू करने में इससे सहायता मिलेगी। लेकिन वास्तव में आपका मन उन कानूनों का पालन करवाना है नहीं। आपके दिल और दिमाग में केवल नक्सलवाद का होवा बैठ गया है। इसके अलावा लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या नहीं है। जब तक देश की गरीबी नहीं मिटेगी, शोषण नहीं मिटेगा आपके कानूनों का कोई प्रभाव होने वाला नहीं। हिन्दुस्तान में कौन ऐसा आदमी होगा जो कि गांधीजी की मूर्ति को तोड़ने वाले को सम्मान देगा। वह बंगाल जिसने आजादी में सबसे बड़ा हिस्सा लिया और आज जो वहां नक्सली हो रहे हैं आखिर जिम्मेदार कौन है उसके लिये। बंगाली जिम्मेदार हैं, आन्ध्र प्रदेश वाले जिम्मेदार हैं या केरल वाले जिम्मेदार हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूं इन सबके लिये कौन जिम्मेदार है ? यह आंशिक सत्य तो है लेकिन पूर्णतया नहीं है। यह राज्य सरकार कोई बड़े कार्यक्रम नहीं बनायेगी तब तक इसकी सम्भावना नहीं है। अगर आप ऐसा कोई कानून बनायें या उसके लिये कोई प्रावधान करें तो यह सदन विचार कर सकता है अन्यथा जो तर्क आपने दिया है वह कमजोर है। मेरा निवेदन है मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी यह कांग्रेस पार्टी इस विधेयक को पारित करने के लिये इसका समर्थन करें तो भी इस पर विचार नहीं करना चाहिये। यह नागरिक स्वतन्त्रता का सवाल है। अगर यह कानून पास हो जाता है तो सामाजिक परिवर्तन के लिये कोई क्रिया ही नहीं करेंगे, कोई काम ही नहीं करेंगे और सरकार भी निश्चिन्त हो जायगी। कानून के मामले में हम असफल हो जायेंगे और तेजी से परिवर्तन की जो गति है वह अवरुद्ध हो जायगी। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा हर दृष्टि से चाहे कानून की दृष्टि से, चाहे हिन्दुस्तान की दृष्टि से और चाहे राजस्थान की दृष्टि से इस कानून का उपयोग नहीं है। बंगाल में भी

Page No 119

(श्री रामकिशन)

जहां इस तरह का वातावरण बन रहा है वहां भी मेरा मानना है पूर्णतया सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिये ठीक है। हां, आंशिक रूप से कुछ माना जा सकता है लेकिन सभापति महोदय, वहां भी कई धाराओं का हटा दिया गया है। हिंसा के सम्बन्ध में, लूट-पाट के सम्बन्ध में, आग लगाने के सम्बन्ध में, प्रापर्टी के सम्बन्ध में अगर कोई इस तरह का कानून हो तो वह समझ में आने वाली एक बात है। इसलिये मेरा निवेदन है कि राजस्थान की सीम वर्ती स्थिति को देखते हुये अगर आप इसको लगायेंगे तो ठीक है नहीं तो यह आपका समाज विरोधी कानून के अलावा और कुछ नहीं है। राजस्थान के किसी भी भाग में इस प्रकार की स्थिति हो; तो आप बता दें। उसमें (बंगाल मे) राज्य सरकार ने भी नहीं लगाया है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्ताव को अस्वीकार करने का आग्रह करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय गृह मंत्रीजी ने अपने उत्तर में कुछ बातें ऐसी कही हैं जिसमें मेरा उत्तर देना जरूरी है....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, हमारी पार्टी का समय है।

श्री सभापति : जो बातें कही हैं, एक-दो बातों के रूप में कह दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने यह आरोप लगाया कि हमारी पार्टी ने अलवर और गंगानगर में दो केम्प लगाये जहां शस्त्रों की ट्रेनिंग दी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं दो केम्प लगाने की बात सही है और किसी जगह केम्प नहीं लगाया है। ये केम्प ओपनली ऑरगेनाइज किये गये हैं कोई इसमें छिपाने की बात नहीं है-पब्लिक में ट्रेनिंग दी गई है लेकिन शस्त्रों की जो बात कही गई है वह निराधार है। केवल लाठी की ट्रेनिंग दी गई है जिसे कोई भी वालिन्टरी कर सकता है। मैं खुद कांग्रेस सेवा दल में रहा हूं उसकी ट्रेनिंग दी गई है। हमने कांग्रेस में बन्दूकों की भी ट्रेनिंग ली है लेकिन वह समय ऐसा था जब जरूरत थी लेकिन हमने इन केम्प्स में लाठी, ड्रिल, पी० टी० आदि के अलावा कोई शस्त्रों की ट्रेनिंग नहीं दी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : परपज तो उस ट्रेनिंग का लैन्ड ग्रेब ही था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं समझता हूं राजस्थान राज्य के गृह मन्त्रीजी को पोलिटिकली इतनी नालेज होनी चाहिये कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरह आपका सेवा दल है उसी तरह कम्यूनिस्ट पार्टी का भी जन-सेवा दल है न केवल इस मूवमेंट के समय बल्कि पिछले कई सालों से हमारा यह वालिन्टरी ऑरगेनाइजेशन है। हमारे वालिन्टरी ऑरगेनाईजेशन के कितने ही काम हैं—जो पार्टी की मीटिंग संगठित करता है, मेलों का आयोजन करता है और इस तरह के मूवमेंट आन्दोलन में उसकी रक्षा करने का काम है। मैं समझता हूं कि आप यह चाहते हैं आपके दल की ट्रेनिंग हो सके, आपका दल अपने स्वयं सेवक की ट्रेनिंग कर सके और कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कर सके ऐसा मैं समझता हूं न कानून है और न इस तरह कहने का अधिकार है और फिर जो बातें गैर-कानूनी नहीं हैं, आपको ऐतराज नहीं होना चाहिये। कानूनी कोई...

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे कतई ऐतराज नहीं है पोलिटिकल पार्टीज सेवा दल

(श्री दामोदरलाल व्यास)
रखें मेरी जो इत्तला है उसको गलत समझने का कोई आधार नहीं है। केम्प्स उन दिनों में ऑरगेनाइज किये गये जब लैन्ड ग्रेब मूवमेंट चलाया गया था और यह विचारधारा थी कि फोर्सिबली किसी तरह से किया जायगा बाकी मुझे पोलिटिकल पार्टीज को ट्रेनिंग दें, कोई ऐतराज नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लाठी के अलावा और किसी हथियार का किया है क्या? आप बतायें सिवाय लाठी के कोई हथियार थे क्या?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास जो इत्तला है वह इस तरह की है कि दूसरी तरह के हथियार हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप बताते क्यों नहीं हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर कोई गैर-वाजिब हथियार थे, कोई गैर-कानूनी एक्टीविटीज थी—कम्युनिस्ट पार्टी में हो रही थी तो माननीय गृह मंत्रीजी ने तत्काल कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर लाइसेन्स की जरूरत नहीं है तो कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह : आप तो इतना सा बता दें लाठी के अलावा और कौनसा हथियार था?

श्री दामोदरलाल व्यास : बल्लम की सूचना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं यह पोलिटिकल अपोनेन्ट्स को दबाने के लिये जब उस अनूपगढ़ में मर्डर हुआ तो हम लोग मंत्रीजी की कार में बैठकर शिकायत करने गये। आपके लोग उस समय कोई तैयार नहीं हुए, हम गये। हमने अपनी जान की परवाह नहीं की। आपकी हाई पावर कमेटी बनी जो लैन्ड पर बड़े-बड़े लोगों ने कब्जा किया हुआ है, हम लोगों ने पकड़वाया, हमने शिकायत की और हमारे ही एक आदमी पर गोली चलाई गई, अटेक किया गया। कसूरवार आदमियों में आई० जी० का लड़का शामिल है—और जो बड़े-बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े-बड़े कांग्रेसी नेता हैं वे सब इसमें शामिल हैं। हमने शिकायतें कीं, एफ० आई० आर० दर्ज करवाई गई लेकिन आपने दर्ज नहीं की। हम अपनी रक्षा लाठी से नहीं करें और आपके आदमी बन्दूक लेकर फिरते फिरें। अनूपगढ़ थाने में जहां औरतों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई उन पर गोली चलाई गई और हमारे एक आदमी को सख्त चोट आई। लैन्ड ग्रेब करने के लिये आपके लोगों ने उसको अगुवा किया, उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई लेकिन आपने कुछ नहीं किया। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं आई० जी० का लड़का हथियारबन्द होकर फसल किसी की काट लाये और जब इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई तो उसको गिरफ्तार करने के बजाय कोई दूसरी कार्यवाही भी नहीं करें। इस तरह खुले तौर से बड़े-बड़े अफसरों ने जमीनें दबा रखी हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : I want to intervene.

श्री रामानन्द अग्रवाल : Why do you want to intervene?

श्री दामोदरलाल व्यास : I want to inform you.

श्री समानन्द अग्रवाल : Let me finish और सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं हमारी पार्टी के जनरल सैक्रेटरी श्री सी० राघवन, आल इंडिया पार्टी के जनरल सेक्रेटरी खुद वहां गये, एक्स्ट्रा-यरीज की और मेमोरेन्डम दिया। तमाम फैक्ट्स का जो गंगानगर जिले में हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर को मेमोरेन्डम सबमिट किया, एम० पीज. को इन फैक्ट्स से अवगत कराया। इस तरह से सारे मामलातों को रखा है। इस तरह सभापति महोदय, बड़े-बड़े लैन्ड ग्रेब आपकी पार्टी के हैं। खुले रूप में गुण्डे लोग कत्ल कर जायं और उन पर कोई मुकदमा भी नहीं दायर हो और आपके मिनिस्टरों के साथ खुलकर कारों में चलते हैं। हमारी पार्टी के साथियों पर इस तरह से उनकी जान का खतरा हो, हम यह भी नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनकी सिक्योरिटी करें। हम अपने आप डिफेन्स करते हैं उस पर भी आपकी यह हालत है। हमने कैम्प्स कायम करके सेल्फ कान्फिडेन्स क्रियेट किया और फिर हम पर ही हमला करने की और आपने हमारी इस लेजिटीमेट एक्टीवीटी को खत्म करने के लिए हमारे कैम्प पर हमला किया और उसको डिस्पर्स करने की कोशिश की। आप लाठियों को पकड़ लाये और एक कृपाण ले आये और वह भी भोंटी और फिर आप कहते हैं कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और आप एक जिम्मेदार होम मिनिस्टर के नाते एक पार्टी को पोलीटिकली बदनाम करने के लिये झूठे और बेबुनियाद लांछन लगाते हैं कि शस्त्र वहां पर पकड़े गये। वह सिक्खों का इलाका है, एक सरदारजी की कृपाण थी और वह भी भोंटी उसको उठा लाये और कह दिया कि लाठियां पकड़ी गयीं, कृपाण पकड़ी गयी, शस्त्र पकड़े गये और इसी आशय का अखबारों में स्टेटमेन्ट दिया कि लकड़ियां पकड़ी गयीं, कृपाण पकड़ी गयी। इस तरीके का प्रचार किया यह पोलीटीकल पार्टीज को मेलाइन करने के लिए किया गया है और किसी एक पार्टी को बदनाम करने के लिये इस तरह के मुकदमे बनाने का प्रयत्न करते हैं, सभापति महोदय, सबसे बड़ा चार्ज तो होम मिनिस्टर ने हमारे मूवमेन्ट पर लगाये। वह मूवमेन्ट हमने खुले तौर पर चलाया था लेकिन क्या आप चाहते हैं कि बेनामी तरह से जिन्होंने हजारों बीघा जमीन पर कब्जा किया हुआ है उनको आपकी पुलिस डिस्प्लेस नहीं कर सकती और वह जमीन उनके केलूजन से उनके कब्जे में है। आपके मिनिस्टर मनफूलसिंह जी और पार्टी उसके अन्दर मिली हुई है। बलवीरसिंह और बीरबलसिंह, यह सारा गिरोह खुला हुआ बना हुआ है। आप अपनी पार्टी के ही मेम्बर्स से पूछिये मनफूलसिंह जी को छोड़कर कि यह बात सही है या नहीं। यह जो हाई पावर कमेटी है उससे आप पूछिये। अगर इनके खिलाफ आप तत्वों को संरक्षण दें और उनका मुकाबला नहीं करें कि आपकी हाई पावर कमेटी को सहयोग दें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यह कह रहे थे, यह शोभारामजी बैठे हैं आप ही बतायें कौनसी पार्टी के लोग आये इन गुण्डों के खिलाफ कि इन्होंने जमीनें दबाई है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मैदान में आये। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने कहा कि हां हम जानते हैं हमें इस बात से कोई घबराहट नहीं है, हमें इस बात से कोई डर नहीं है। हम जानते हैं आप हमारी हिफाजत करने वाले नहीं हैं और हम आपके भरोसे पर जिन्दा भी नहीं हैं। हम खतम हो जायें तो वह आपके

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लिये सहूलियत का ही कारण होगा। इसलिए हम जिन्दा जनता कि मदद के भरोसे पर हैं और मरना जीना तो होता ही है यह हमारी अपनी हिम्मत है न हमको मनफूलसिंह से घबराहट है और न किसी और से घबराहट है। हम कैम्प अपनी ही बुनियाद पर लगायेंगे और हमारे वालन्टीयर्स रक्षा करेंगे और हम आर्गेनाइज करेंगे और लिजिटीमेट एक्टीविटी जो हमारे पार्टी की है उसके लिए आप प्रिवेन्टिव डिटेन्शन कानून लाने का ग्राउन्ड बनाना चाहते हैं तो फिर आप यह क्यों कहते हैं कि हमारा पॉलीटीकल मोटिव नहीं है। इससे ज्यादा और कमीनी हरकत क्या हो सकती है कि उस टीचर को दबाकर झूठी रिपोर्ट हमारे ऊपर लगायें। हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाएं कि कोयली उठा ले गये और उस पर ३८० का मुकदमा चलायें, क्या यह आपके लिये शर्म की बात नहीं है। आप नहीं जानते कि वास्तविकता क्या है। आप नहीं जानते कि हमने ओपिनली स्कूल लगाया। जिन्होंने नाजायज तौर पर कब्जे किये हुए थे, जिनकी जमीन अटेच की वहां पर लोगों से जबरदस्ती की जाती थी तब आपकी पुलिस नहीं गयी। तब आपने हमला नहीं किया। और जब वहां पर इन्कलाब के नारे हुए तो उनमें घबराहट नहीं हुई।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो बात हुई कैम्प की—जहां तक मूवमेन्ट का सवाल है मैं समझता कि कोई तरीका नहीं था। इस बात से मैंने भी उसको अवोइड किया था। आपने कहा कि एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं हुआ तो मैं पूछना चाहता हूं कि रायसिंह नगर में आपने उन पटवारियों को मोअत्तिल क्यों किया है कि तुमने उस जमीन के बारे में कब्जा होने के पहले इत्तला क्यों नहीं की। १०७ और १५१ में आज भी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, यह गिरफ्तारियां किस बात के लिये कर रहे हैं। मैं यह बता दूं कि फलां गांव में कब्जा है, फलां गांव में कब्जा है तो मैं इतना तो समझता हूं कि मैं बता दूं और आप वहां जाकर बेदखल कर दो। इस बात को वहां का कलेक्टर भी जानता है, एस० डी० ओ० भी जानता है और भी कई लोग जानते हैं और जनता भी जानती है। आपका कांग्रेस का प्रेसीडेन्ट है रायसिंहनगर का उसने अखबारों में बयान दिया है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने इतनी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब ये कब्जा किसने किया है। यह कब्जा उन्होंने किया है जो कि भूमि के हकदार हैं। हमने कहा है कि आप इनकी एप्लीकेशन ले लो, आप देख लो तो इनमें कोई भूमिहीन नहीं है तो उनको जमीन से हटा देंगे लेकिन जो जमीन के हकदार हैं उनको जमीन दीजिये। हकदारों को तो आप जमीन नहीं दे और नाजायज लोग कब्जा करलें तो यह नहीं चलेगा। इस लैण्ड मूवमेन्ट का हिन्दुस्तान के पैमाने पर बड़ा जबरदस्त असर हुआ है। आपके ऊपर असर नहीं हुआ हो तो यह बात दूसरी है। इसलिए आप कन्जरवेटिव हैं और लॉ एण्ड ऑर्डर को हर चीज का हल समझते हो। हम समझते हैं कि यह डंडा आपको दूसरी तरफ ले जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए इस बुनियाद पर मैं आपका उत्तर देना चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान निवारक निरोध ग्रध्यादेश, १९७० (ग्रध्यादेश सं० ६ १९७०), को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(विरोधी पक्ष से हां की ग्रावाजें)

(सरकारी पक्ष से ना की ग्रावाजें)

विरोधी दल के माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता ।

सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता ।

श्री सभापति : ना पक्ष जीता, संकल्प गिर गया ।

विरोधी दल के माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता ।

श्री सभापति : मैं फिर रख देता हूं ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान निवारक निरोध ग्रध्यादेश, १९७० (ग्रध्यादेश सं० ६, १९७०) को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में जो संकल्प श्री रामकिशन, सतीशचन्द्र अग्रवाल, मनोहरसिंह मेहता ग्रौर रामानन्द ग्रग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये ।

(विरोधी पक्ष से हां की ग्रावाजें)

(सरकारी पक्ष से ना की ग्रावाजें)

विरोधी दल के माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता ।

सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता ।

श्री सभापति : Do you claim division ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : Yes, we claim division.

श्री सभापति : Ring the bell.—

(मत विभाजन घन्टी)

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री सभापति : मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान निवारक निरोध ग्रध्यादेश, १९७० (ग्रध्यादेश संख्या ६, १९७०) को ग्रस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में जो संकल्प सर्वश्री रामकिशन, सतीशचन्द्र अग्रवाल, मनोहरसिंह मेहता, रामानन्द अग्रवाल, ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय । जो इसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें ग्रौर इसके विपक्ष में हों वे 'ना' कहें ।

(मत-स्वरों के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ।

विपक्ष के माननीय सदस्य : नहीं नहीं, 'हां' पक्ष जीता ।

श्री सभापति : क्या जो मैंने निर्णय दिया है उसको चैलेन्ज करते हैं या डिविजन क्लेम करते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिविजन प्लीज ।

श्री सभापति : मैं ऐसा निर्णय कैसे देता संकल्प मेरा भी था । खैर 'हां' पक्ष वाले 'हां' पक्ष की लाबी में जायं । गेट्स बन्द कर दिये जायं । ग्रब जो कोई ग्राये उसको घुसने नहीं दिया जाय ।

(विधायकगण 'हां' पक्ष ग्रौर 'ना' पक्ष को लाबीज में गये)

राजस्थान निवारक निरोध अध्यादेश, १९७० को अस्वीकार करने के संकल्प पर "हां" पक्ष की सूची

सदस्य का नाम		सदस्य का नाम	
१.	श्री माईदानसिंह	१८.	मेजर श्री फतहसिंह
२.	श्री आदित्येन्द्र	१९.	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
३.	श्री आलमअली खां	२०.	श्री बालसिंह सांदा
४.	श्री कन्हैयालाल पटेल (पिड़ावा)	२१.	श्री बृजवल्लभ बोहरा
५.	श्री कृष्णकुमार गोयल	२२.	श्री भैरोंसिंह शेखावत
६.	श्री केसरीसिंह हाड़ा	२३.	श्री मनोहरसिंह मेहता
७.	श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)	२४.	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
८.	श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)	२५.	श्री मेघराज
९.	श्री डूंगाराम राजोरिया	२६.	श्री रामकिशन
१०.	श्री दिग्विजयसिंह	२७.	श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)
११.	श्री दुर्गालाल बाढ़दार	२८.	श्री रामानन्द अग्रवाल
१२.	श्री देवीदत्त गाड़िया	२९.	श्री रूपसिंह राजवी
१३.	श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)	३०.	श्री लक्ष्मणसिंह
१४.	श्री नाथूदास	३१.	श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा
१५.	श्री परसराम गंगाराम	३२.	श्री श्रवणलाल
१६.	श्री पृथ्वीसिंह	३३.	श्री हरजीराम बुरड़क
१७.	श्री प्रेमसिंह सिंघवी		

राजस्थान निवारक निरोध अध्यादेश, १९७० को अस्वीकार करने के संकल्प पर "ना" पक्ष की सूची

सदस्य का नाम		सदस्य का नाम	
१.	श्री अमीनुद्दीन अहमद	९.	श्री गिरधारीलाल व्यास
२.	श्री अमृतलाल यादव	१०.	श्री गुलाबसिंह शक्तावत
३.	श्री कल्याणमल	११.	श्री गोकुलचन्द
४.	श्री कालूराम मेघवाल	१२.	श्रीमती गौरी पूनिया
५.	श्री कालूराम आर्य	१३.	श्री छुट्टनलाल
६.	श्री गंगाराम चौधरी	१४.	श्री जयकृष्ण शर्मा
७.	श्री गणेशलाल	१५.	श्री जयनारायण (लसाड़िया)
८.	श्री गामा फताजी	१६.	श्री जवाहरमल

सदस्य का नाम		सदस्य का नाम	
१७.	श्री विरदाराम	४६.	श्री मूलचन्द कटेवा
१८.	श्री सुरेन्द्रप्रसाद	४७.	श्री मोतीलाल
१९.	श्री दामोदरलाल व्यास	४८.	श्री मोहनलाल मोदी
२०.	श्री देवेन्द्रकुमार मीणा	४९	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
२१.	श्री दौलतराम (देसूरी)	५०.	श्री यशवन्तसिंह नाहर
२२.	श्री धीरसिंह	५१.	श्री रघुनाथ विश्नोई
२३.	श्री नथमल चोहला	५२.	श्री रामकिशोर व्यास
२४.	श्री नन्दलाल बेरवा (पाटन)	५३.	श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़)
२५.	श्री नारायणसिंह मसूदा	५४.	श्री रामचरण
२६.	श्री परसराम मदेरणा	५५.	श्री रामदेवसिंह
२७.	श्री पृथ्वीराज पटेल	५६.	श्री रामनारायण
२८.	श्री प्रद्युम्नसिंह	५७.	श्री रामप्रसाद लड्ढा
२९.	श्रीमती प्रभा मिश्रा	५८.	श्री रोशनलाल
३०.	श्री बलवन्त	५९.	श्री शंकरसिंह
३१.	श्री वृद्धिचन्द्र जैन	६०.	श्री विद्यासागर
३२.	श्री बीरबल	६१.	श्री शंकरलाल जाट (कपासन)
३३.	श्री बृजसुन्दर शर्मा	६२.	श्री शंकरलाल (जैतारण)
३४.	श्री भीखाभाई	६३.	श्री शिवनाथसिंह
३५.	श्री भीमसेन	६४.	श्री शीशराम पूनिया
३६.	श्री भूरालाल	६५.	श्री शोभाराम
३७.	श्री मथुरादास माथुर	६६.	श्री श्रीनिवास शारदा
३८.	श्रीमती मदनकौर	६७.	श्री श्रीराम रावत
३९.	श्री मदनसिंह (सिरोही)	६८.	मास्टर श्री समर्थलाल
४०.	श्री मनफूल राम	६९.	श्री सहदेव शर्मा
४१.	चौधरी श्री मनफूलसिंह	७०.	श्रीमती सुमित्रा
४२.	श्री महेन्द्रकुमार	७१.	श्री सूरजमल
४३.	श्री माधोसिंह	७२.	श्री हंसराज आर्य
४४.	श्री मुल्कराज	७३.	श्री हरलाल मीणा
४५.	श्री मूलचन्द डागा	७४.	श्री हीरालाल देवपुरा

श्री सभापति : All the House to order.

इस संकल्प के सम्बन्ध में जो विभाजन का परिणाम है वह निम्न प्रकार है:—

'हां' पक्ष ३३

'ना' पक्ष ७४

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया।

माननीय सदस्यों की अगर अनुमति हो तो इस पर विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत हो उससे पूर्व राजस्थान धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, १९७० को प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने के सम्बन्ध में राज्य मन्त्री का प्रस्ताव है, वह कमेटी को रैफर कर दें।

राजस्थान धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, १९७० प्रवर समिति के सुपुर्द करने सम्बन्धी

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, पुनर्वास): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, १९७० को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये, जो अपना प्रतिवेदन, आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

श्री सभापति : प्रवर समिति के नाम पढ़ दीजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं यह नाम आप को प्रस्तुत करूंगा, स्पीकर साहब मंजूरी कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : आप नाम बोल दीजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : श्री विश्वम्भरनाथ जोशी चेयरमैन।

श्री सभापति : चेयरमैन, अध्यक्ष महोदय नियुक्त करते हैं। आप नाम पढ़ दीजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा :

(१) श्री मूलचन्द डागा
(२) " गोकुलप्रसाद शर्मा
(३) " किशनलाल शर्मा
(४) " रघुनाथ विश्नोई
(५) " शीशराम ओला
(६) " गोकुलचन्द
(७) " बलवन्तराय
(८) " शंकरसिंह
(९) " भूरालाल
(१०) " श्रीराम रावत
(११) " गणेशलाल
(१२) " नथमल चौहला
(१३) " विद्यासागर
(१४) " सतीशचन्द्र अग्रवाल
(१५) " श्रवणलाल
(१६) " मेघराज
(१७) " हीराभाई
(१८) " पृथ्वीसिंह
(१९) " कन्हैयालाल (बस्सी)
(२०) " डूंगाराम राजोरिया

श्री रामकिशन : इनमें से कुछ तो धर्म का अर्थ ही नहीं समझते हैं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, १९७० को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह पंचायत मिनिस्टर का स्टेटमेन्ट भी करवा दीजिये

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाये।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न था ?

श्री सभापति : तो मिनिस्टर....

श्री रामचन्द्र आर्य : एक व्यवस्था का प्रश्न था।

श्री सभापति : आप इस सम्बन्ध में तुरन्त जानकारी चाहते हैं ? आसन से यह आश्वासन नहीं दिया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह झूठ है। ऐसी बात नहीं है। व्यवस्था दी जायेगी, यह कहा गया था। अंकित न किया गया हो, वह बात दूसरी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, इन शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप मुख्य मन्त्रीजी का स्टेटमेन्ट दिखा दें फिर आप सारा ही एक्सपंज करा दें।

श्री सभापति : आसन के लिए वह कुछ नहीं कहेंगे। वह मेरे मित्र हैं।

राजस्थान निवारक निरोध विधेयक, १९७० पर विचार

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान निवारक निरोध विधेयक, १९७० विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : इस विधेयक पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं:—

(१) श्री शिवनाथसिंह (वि. सं. १५८)
(२) ,, कृष्णकुमार गोयल (वि. सं. १६)
(३) श्री देवीदत्त गाड़िया (वि. सं. १२)
(४) ,, मूलचन्द डागा (वि. सं. १११)
(५) ,, लाभचन्द वेद (वि. सं. १४७)
(६) ,, भगवानदास शास्त्री (वि. सं. ९३)
(७) ,, वृद्धिचन्द्र जैन (वि. सं. ८६)
(८) ,, पृथ्वीसिंह चौहान (वि. सं. ७५)
(९) ,, रामचन्द्र आर्य (वि. सं. १३०)
(१०) ,, बालसिंह सोढा (वि. सं. ८५)
(११) ,, हरजीराम बुरड़क (वि. सं. १७४)
(१२) राजवी श्री रूपसिंह (वि. सं. १४०)

उपरोक्त सदस्यों ने क्रमशः प्रस्ताव किया कि:—

"राजस्थान निवारक निरोध विधेयक, १९७० को तीन माह/एक माह/तीन माह/छः माह/तीन माह/छः माह/तीन माह/छः माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

श्री यशवन्तसिंह नाहर (वि. सं. १२०) ने प्रस्ताव किया कि:—

"राजस्थान निवारक निरोध विधेयक, १९७० को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"

श्री सभापति : एक सूचना और देनी है, यह अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बिल आया था। इस सम्बन्ध में पता किया गया। अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की चार प्रतियां विधान सभा सचिवालय में हैं। जो भी माननीय सदस्य चाहें वह देख सकते हैं। तथा लाभ उठा सकते हैं।

श्री शिवनाथसिंह।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

Page No 128

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने भी जनमत जानने के लिये प्रस्ताव भेजा था।

श्री सभापति : ऐसी स्थिति है तो मैं जानकारी कर लूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके कारण अस्वीकार नहीं होना चाहिये क्योंकि संकल्प प्रस्तुत किया है। इसलिये जनमत जानने के लिये प्रस्ताव है। अस्वीकार करना ठीक नहीं है।

श्री रामकिशन : मेरा भी है।

श्री सभापति : वह पहले जो दिया है, वह मैं मंगा कर देख लूंगा। मेरी स्वयं की ऐसी मान्यता है कि संकल्प अलग है। That is a statutory resolution under Article 230.

यह जो नियम का अलग प्रश्न है? इसलिये वह अलग चीज है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव है, अगर हाउस डिसएप्रूव कर देता है और संकल्प स्वीकार हो जाता है तो अलग बात है। अगर वह नहीं किया गया है तो जानकारी करके उसके बीच नाम लगा दिया जायगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : व्यवस्था नहीं जानकारी चाहते हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं व्यवस्था चाहूंगा। पंचायतों के लिये पंचायत मिनिस्टर का स्टेटमेंट दिला दें।

श्री भैरोंसिंह : सभी भाग जायेंगे।

श्री शिवनाथसिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ?

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, सहूलियत का प्रश्न है। सम्भवतः आपको यहां पर बैठने में असुविधा हो रही है इसलिये वक्तव्य सुनकर आप जाना चाहते हैं। आप जाना चाहें तो जा सकते हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं तो आखिर तक बैठने वालों में से हूं। आखिर तक बैठने वाला हूं। आज, सभापति महोदय, आप यह सहयोग दे दें और उनसे स्टेटमेंट दिला दें।

श्री माधोसिंह : पार्टीमैन हैं।

श्री सभापति : सभापति तो यह चाहते हैं कि कल और बैठिये ताकि एक दिन का भत्ता और मिले।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : भत्ता तो ऐसा है कि एक दिन का और काट लीजिये, फिर भी कल बैठ जायं।

श्री सभापति : मैं विचार कर लूंगा।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। मेरी मान्यता है कि यह इस प्रकार का बिल है जो हमारे प्रान्त के लिये नया है और यह सब क्लॉसेज से सम्बन्धित है।

(५.५० म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री शिवनाथसिंह)

जहां तक इस बिल के प्रिन्सिपल का सवाल है, मैं मान्यता रखता हूं कि डिटेंशन के सम्बन्ध में कोई न कोई कानून होना चाहिये क्योंकि असामाजिक तत्व दिनों दिन देश के अन्दर बढ़ रहे हैं, इसलिये उन तत्वों पर कानून का नियन्त्रण रहे ताकि सामाजिक व्यवस्था ठीक रहे। लेकिन किन तत्वों को पकड़ना चाहिये, किन किन तत्वों के ऊपर नियन्त्रण रखना चाहिये यह देखने की बात है। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है — इस बिल में दो कारण दिये हैं जिनकी वजह से इसे लाया जा रहा है, वह है (१) सिक्योरिटी ऑफ दी स्टेट और मेन्टेनेन्स ऑफ द पब्लिक ऑर्डर और दूसरा है, मेन्टेनेन्स ऑफ सप्लाइज एण्ड सर्विसेज असेन्शियल टू द कम्यूनिटी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक स्टेट सिक्योरिटी का सवाल है, इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा जो इसका विरोध करे। हम सबके लिये राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है और इस हिसाब से मेरी मान्यता है कि जो भी देश की सिक्योरिटी को खतरा पैदा करने वाले हैं, जो भी देश की सिक्योरिटी को थ्रेटन करें, उसकी हरकत को प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के द्वारा या दूसरे एक्ट के द्वारा पाबन्द करें, उनकी हरकत को रोकें। यह समस्या हो सकती है कि बाकी के जो कानून हैं, सी. पी. सी., सी. आर. पी. सी. और दूसरे कानून — उनके अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं हो सकते, या ऐसे लोग पकड़ में नहीं आ सकते — ऐसा कोई उनके अन्दर लेकूना है कि जिसके कारण पूरी जो एवीडेन्स उनके खिलाफ इकट्ठी करना चाहते हैं वह पूरी नहीं हो; तो भी ऐसी जो एक्टीविटीज हैं जिनसे स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो सकता है उसको रोकने के लिए प्रावधान आपको कानून में रखना चाहिये ताकि ऐसी एक्टीविटीज को आप रोक सकें।

इसके अलावा मान लीजिये कि पब्लिक ऑर्डर का सवाल है, पब्लिक ऑर्डर को कोई खतरा पैदा करता है। ऐसा जो तत्व है जिसके कारण पब्लिक ऑर्डर सिक्योर्ड नहीं रह जाता है और उसके खिलाफ आप कानूनी कार्यवाही नहीं कर पाते हैं तो इस विधेयक की मन्शा पूरी नहीं होगी। जहां तक स्टेट की सिक्योरिटी का सवाल है, और उस पर आपने इसमें रोक लगाई है, लेकिन जो दूसरे ऐसे तत्व हैं; जो समाज के ठीक चलने में बाधा पहुंचाते हैं, समाज के सही अधिकारों की प्राप्ति करने में बाधक हैं, ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, उनकी एक्टीविटीज पर पाबन्दी नहीं लगायेंगे तब तक इस प्रिवेंटिव डिटेंशन की मन्शा पूरी नहीं होगी और आप समाज को पूरी तरह से न्याय नहीं दे सकेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि जब तक आज का विधायी कार्य समाप्त नहीं हो जाय, तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : यह नहीं होना चाहिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस प्रकार....

श्री रामचन्द्र आर्य : यह दिक्कत तलब है। आप कन्टीन्युसली बैठाना चाहते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप दस बजे तक रोज बैठायें।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन विधेयक के सम्बन्ध में जो संशोधन है, वह पहले माननीय सदस्यों के जनमत जानने के लिए है, वह विचार व्यक्त करेंगे और इस प्रकार का संशोधन प्रस्ताव तेरह माननीय सदस्यों का है। उसके बाद सामान्य वाद-विवाद होने पर खण्डशः यह विचारार्थ आने वाला है। आप कह रहे हैं कि विधायी कार्य जब तक समाप्त नहीं हो जाय तब तक के लिए सदन की कार्यवाही का समय बढ़ा दें यह ठीक है कि बहुमत के आधार पर, शक्ति के आधार पर आप इसको पास करवा सकते हैं, लेकिन जब तक विधायी कार्य समाप्त नहीं हो जाय तब तक सदन की अवधि बढ़ा दी जाय, मैं समझता हूं, यह अधिकारों के साथ बलात्कार होगा। इससे मैं समझता हूं कि यह राजस्थान की जनता का इससे हित नहीं कर पायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल पारित हो, इस बिल पर अन्तिम निर्णय हो तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : गोयल साहब, कहां समय काफी लगेगा। इसके बाद में बहुत इम्पोर्टेन्ट बिल और बाकी हैं, राजस्थान पंचायत विधियां वाला, उसको पास नहीं करते हैं तो पंचायत चुनाव में दिक्कत आयेगी। इसको पास करना जरूरी है क्योंकि चुनाव कराने हैं, दिसम्बर में।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह ले लें पहले।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पंचायतों के चुनाव कराने है तब तो इसे पारित करना है और तब ही चुनाव सम्पन्न हो सकेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : चुनाव आगे बढ़ा दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस प्रकार कई बार विरोधी दल की ओर से कहा गया कि चुनाव करायें...

श्री गिरधारीलाल व्यास : शक आप करते हैं और बिल आप पारित करना नहीं चाहते।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप स्वयं देख लें, क्या स्वाभाविक होगा। जो विधायी कार्य हैं, पंचायत विधियां वाला है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का बिल है। आप चाहते हैं; हां ना कह कर समाप्त कर दें। आप हमारे उस पर विचार नहीं सुनना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि यह विशेष कानून है जिन पर विचार करके पास करना है तो आप विधान सभा की अवधि एक्सटेंड करिये। हम कहां इन्कार करते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो बिजनेस रखा है उसे जब तक पूरा नहीं कर दें तब तक उठने का सवाल पैदा नहीं होता है। यह इम्पोर्टेन्ट बिल है, पंचायत विधियां वाला।

श्री रामचन्द्र आर्य : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने क्या किया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सब चिन्तित हैं पंचायत चुनाव के लिए, इसलिए इसको पारित करना अत्यन्त आवश्यक है। इसको आज पास नहीं करवाते हैं तो प्रोसिजर आगे नहीं

Page No 131

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

बढ़ सकता है इसलिए मैंने निवेदन किया है कि जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का है, वह इन्नोसेंट बिल है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह बहुत गम्भीर है, इन्नोसेंट मामला नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पांच आदमियों की जगह छः आदमी किये हैं, एक आदमी बढ़ाया है, वह शिड्यूल्ड कास्ट का है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी।

श्री पृथ्वीसिंह : सुबह चार बजे तक बैठने का इरादा है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जानते हैं कि माननीय सदस्यों को पूर्ण अवसर दिया जाता है कि जो भी विषय आयें इस सदन के सामने उन पर चर्चा में पूरा हिस्सा ले सकें और इस कारण आपने देखा होगा, बहुत से विधेयक तो बराबर आगे टालने पड़े। नतीजा यह हुआ कि आज तीन विधेयक और बचे हुए हैं जिनमें से दो विधेयक हैं उनमें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बहुत अधिक चर्चा हो ऐसा उनमें विषय नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : दोनों ही इस प्रकार के हैं, उपाध्यक्ष महोदय, दोनों इस प्रकार के हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा लम्बी हो सकती है, इसको इन्कार नहीं करता, फिर भी थोड़े में समाप्त किया जा सकता है। जहां तक विचाराधीन विधेयक का प्रश्न है, इस पर मैं समझता हूं, काफी चर्चा हो गई है।

कई माननीय सदस्य : नहीं साहब।

श्री रामचन्द्र आर्य : कहां हुई है, हम बोले नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। मैं माननीय सदस्यों का इसमें सहयोग चाहूंगा। संशोधन बहुत से माननीय सदस्यों ने दिये हैं, वह थोड़े में बात कह दें और यह विचाराधीन प्रस्ताव है, जो माननीय चीफ व्हिप ने रखा है इसे स्वीकार कर लें।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बिल पास हो इतनी देर तक बढ़ा दें, सारी नहीं रखें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फिलहाल एक घण्टा तक एक्सटेंड कर दें, फिर देख लें, किस प्रकार चलता है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी दो घण्टे के लिए बढ़ा दें ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आठ बजे तक होजाय। हम लोग सुबह दस बजे के आये हुए हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : रोज बैठते हैं, कल भी बैठे थे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। मेरी बात सुन लें।

श्री दौलतराम सारण : रात को भी दस बजे गये थे। हम भी इन्सान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है, इसलिए इस प्रस्ताव पर निर्णय नहीं हो सब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाता है। अब आप अपनी बात कहें।

श्री दौलतराम सारण : मैं यह कह रहा था....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : दस बजे आये थे, आप जानते हैं, दस बजे आये, इसका मतलब है साढ़े नौ बजे गवर्नमेन्ट होस्टल से चले, दस बजे यहां पहुँचे। कल रात को भी दस बज गये थे और साढ़े दस ग्यारह बजे घर पहुँचे थे। आप सोचिये, हम भी इन्सान हैं, पढ़ना भी पड़ता है, यहां बोलना भी पड़ता है। यह तो चले जाते हैं और घण्टी बजती है तो आ जाते हैं। ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन पर जल्दी-जल्दी विचार करवाना चाहते हैं, जिसके द्वारा आप सारे राजस्थान के अन्दर एक तरह का पुलिस राज्य कायम करना चाहते हैं और उसके अन्दर आप चाहते हैं कि हम हमारे विचार और सुझाव नहीं दें और आप जल्दी-जल्दी पास करदें। इसके बाद तीन विधेयक और हैं, वह महत्त्वपूर्ण विधेयक हैं, साधारण विधेयक नहीं हैं इसलिए इनमें समय लगने की सम्भावना है। आप इस बिल को भी पास नहीं कर पायेंगे। क्योंकि पक्ष विपक्ष में बोलने वाले लोग बोलेंगे, संशोधन तक मेहदूद नहीं रहेंगे। आप सदन का समय बढ़ायें यदि बिलों को पास कराना चाहते हैं।

इसलिए मेरा सुझाव है कि समय ज्यादा हो गया है चाहे घंटा या आधा घंटा हम बैठ जायं लेकिन....

श्री उपाध्यक्ष : दो घंटे।

श्री दौलतराम सारण : मुश्किल है। ८ बजे जायेंगे, ६।। बजे के आए हुए हैं। खाना है, पीना है। सिर्फ यहां गंदी चाय पर निर्भर रहें, आखिर हम भी इन्सान हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप भी तो कल्पना करें जब नियमों के खिलाफ एक-एक सदस्य डेढ़-डेढ़ घंटा बोलता है, कोई नियंत्रण नहीं उन पर....

श्री दौलतराम सारण : यह आसन पर रेफ्लेक्शन है। आसन की अनुमति से बोलते हैं।

(दोनों श्री दौलतराम सारण व श्री गिरधारीलाल व्यास साथ-साथ बोलने लगे)

(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी ; उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि उधर बैठने वालों को कैसी-कैसी फेसिलिटीज हैं। ३७ मंत्री हैं इन सब को एक हजार से ज्यादा तनख्वाह मिलती है। × × × × ×

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास: (शोरगुल) एक्सपंज किया जाय।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैंने कहा....

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज किया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज कर दिया है।

श्री रूपसिंह : हम ६।। बजे आए। कल १० बजे रात को गए। परसों भी यहीं हुआ। इसलिए हेल्प डिपेंड्स आन हेल्प। हमने कोई खाना नहीं खाया और यहां पर कोई खाता नहीं इसलिए बिठाकर रखते हैं।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गए।

(श्री रूपसिंह)
वो ठीक नहीं है लेकिन इट इस अगेन्सट आवर विशेज।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तीन दिन हो गए। सुबह को मैं खाना नहीं खाता। रात को खाना मिलता नहीं। रात भी १०॥ बजे गए....

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल व्यास : स्वास्थ्य सुधार कर रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मजदूरों को भी ओवरटाइम मिलता है। हमको तीन दिन हो गए। अगर आपको कानून बनवाना है तो सोमवार को रखलें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

यह विधेयक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने दो-तीन बार आया है और उस कमेटी में जैसे सभी माननीय सदस्य जानते हैं, सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं। उन्होंने इसमें कितना समय लग सकता है सब विचार करके दो-तीन विधेयकों को एक साथ रखा। समय कुछ ज्यादा लग गया क्योंकि महत्वपूर्ण विषय था और सभी दलों के नेता ने हिस्सा लिया तो समय जरूर लग गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज परित हो जाय और उसके बाद में दो छोटे-छोटे बिल रहते हैं, उनमें ज्यादा समय लगने की गुंजाइश नहीं है। मैं आशा लेकर चलता हूं कि अभी फिलहाल डेढ़ घंटे के लिए समय बढ़ाते हैं।

श्री दौलतराम सारण : फीजीबुल होता है तो इंकार नहीं करते ११-१२ बजे तक बैठते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं मानता हूं।

श्री दौलतराम सारण : लेकिन मानवीय शक्ति के बाहर है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप इसको पास कराकर जायं। पंचायतों के चुनाव लड़ाने हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप जोर जोर से क्यों कहते हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : बार बार कहते है कि चुनाव लड़ाने हैं, आपको मना किसने किया था ?

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : डेढ़ घंटे के लिए समय बढ़ाते हैं। ७॥ बजे तक के लिए विपक्ष के कई माननीय सदस्य नो ! नो।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(शोरगुल)

श्री केसरीसिंह हाड़ा : कार्य सलाहकार समिति के सामने जितने संशोधन तीनों बिलों पर थे, आ चुके। कम से कम ५ साल २० साल जिनको है उनको सोचना चाहिए कि कितना समय लगेगा, उसको देखकर समय का बटवारा होना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद सदन ने भी सहमति प्रकट की है।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

ऑर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम सारण : इससे पहले भी कार्य सलाहकार समिति ने अगर कोई बिजनेस तय किया हो और उसके बाद में आवश्यक महसूस हुआ हो तो समिति समय समय पर बुलाई जाती है, उसमें पुनः राय ली जा सकती है और इस बिजनेज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए समय रखा जा सकता है लेकिन इस समय फीजीबुल नहीं है। अगर साधारणतः फीजीबुल होता तो हम इन्कार नहीं करते। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि ओवर टाइम नहीं बैठते हैं। को-ऑपरेट करते हैं, लेकिन आखिर सीमा होती है।

श्री उपाध्यक्ष : हमारी तरफ से भी सहयोग रहता है। आप माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि कई बार नियमों के विरुद्ध भी माननीय सदस्य मुद्दे ले जाते हैं लेकिन हम इस बात को मान कर कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल नियमों का आश्रय लेकर टालना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमेशा समय इस कारण भी बढ़ाते हैं कि नियमों के अन्दर ढिलाई रहती है। महत्वपूर्ण विषय हो तो नियमों के विरुद्ध है तो भी कहने की इजाजत देते हैं। अब आपके सामने यह सवाल रख रहे हैं आसन की तरफ से कि डेढ घन्टा बढ़ाया जाय, उसके बाद जैसी स्थिति....

श्री दौलतराम सारण : एक घंटा बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री देवीदत्त गाड़िया से) आप बहुत समय लेते हैं।

(शोरगुल)

डेढ़ घन्टे का सुझाव मेरा स्वीकार कर लेंलें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सदन की भावना जाननी चाहिए। जितने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य हैं उनको भावनाओं का ट्रेजरी बेन्चेज को आदर करना चाहिए। इस तरह से बहुमत के आधार पर कोई चीज थोपना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। इस प्रकार का महत्वपूर्ण बिल सदन में लाया जा रहा है और जब तक दोनों पक्षों की भावनायें अनुकूल इस पर नहीं होंगी तब तक इसको लेना उचित नहीं रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि ६-६, १०-१० बजे तक जबरदस्ती ये लोग थोपना चाहते हैं, यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। डेढ़ घंटे के लिए समय बढा देते हैं?

श्री देवीदत्त गाड़िया : आसन को, विरोधी दल के जो माननीय सदस्य कहते हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : हमेशा ध्यान देते हैं।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : हमेशा विरोधी पक्ष की ओर से आसन का ध्यान रखते हुए हर बात को लेकर आसन का जो सहयोग मिलता रहा है और अब भी ऐसा मानकर चलते हैं कि आपका सदन के प्रति बराबर व्यवहार है। आज सुबह साढे नौ से आये हुए हैं और इस समय ६ बज कर कुछ मिनिट हुए हैं और बिल पर बहस चली तो रात के १२ बजेंगे। तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि जो ८ बजे घर से निकले और वापस १२ बजे रात को पहुँचे, एक दिन की बात हो तो मान सकते हैं। रोजाना इस प्रकार का कार्यक्रम बन गया है कि रात को १२ बजे घर पहुँचना। इसलिये ट्रेजरी बेन्चेज से आपके द्वारा आशा करूंगा

(श्री श्रवणलाल)-

कि इस बिल को पारित न करें। नेक्स्ट कभी ले लें तो हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

श्री आदित्येन्द्र : मेरा निवेदन है कि समय बहुत हो गया है। आज १० बजे से असेम्बली प्रारम्भ हुई है। अभी डेढ़ घन्टा ज्यादा हो गया है। दो दिन से अधिक समय तक असेम्बली बैठ रही है। इतने महत्वपूर्ण विधेयक को इतनी जल्दी में पास नहीं करना चाहिये। इसका असर हम पर ही नहीं होता है बल्कि सारी जनता पर पड़ता है। ऐसा प्रस्ताव आया है इसलिये इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। आज यह बिल पारित न करके परसों के लिये रख लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : आज ही पास करना है।

कई माननीय सदस्य : परसों।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर ज्यादा चर्चा न हो तो अच्छा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बड़ा अन्याय होगा। माननीय माथुर साहब। अब आप पर जिम्मेदारी आने वाली है। आपको इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया : क्या १॥ घंटे में सारा कार्य पूरा हो जावेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस प्रकार का बिल नहीं हो सकता है।

श्री विजयसिंह : इस कार्य सलाहकार समिति ने तो दस बजे का टाइम रखा था और न हो रात्रि को दस बजे तक विधान सभा चले यह तय किया था।

श्री उपाध्यक्ष : दिन मुकर्रर कर दिया।

श्री विजयसिंह : इस प्रकार का बिल पास करवाना है तो हाउस को अधिक दिन तक चलवाना चाहिये और पास करना चाहिये। यह मामूली मसला नहीं है। ठीक है, आपके पास मेजोरिटी है। उसके आधार पर आप डिक्टेट करना चाहें यह कहां तक ठीक है। आपको इसको रखना है तो विधान सभा को एक्सटेन्ड कीजिये या प्रवर समिति को सौंप दीजिये, कार्य सलाहकार समिति में बैठ कर इस पर विचार कीजिये। आपकी मनमानी करके प्रेस्टीज पोइन्ट नहीं बनाना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर गौर फरमायें। डेमोक्रेसी के अन्दर इस प्रकार की धांधली नहीं चलनी चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर थे। आपकी राय से इसको रखा था।

श्री विजयसिंह : मेरी राय नहीं थी कि आप १२ घंटे तक इस प्रकार बिजीनेस को चलायें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हमारे धैर्य और सहनशीलता की सीमा है।

कई माननीय सदस्य : (आपस में बोलते रहने के कारण (अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह संसदीय परम्परा नहीं है। आप इस तरह से लोकतन्त्र की मर्यादा को स्वस्थ नहीं बनायेंगे। बहुमत कहीं भी हो लेकिन इस तरह नहीं

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

देखा है। अन्य विधान सभायें भी चलती हैं लेकिन उनमें भी इस प्रकार नहीं होता है। यहां के चीफ व्हिप हैं उनकी तो यह हालत है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : पहले तय कर लिया था....।

(शोर-गुल) (व्यवधान)

श्री कृष्णकुमार गोयल : समय को लेकर जब प्रश्न खड़ा हुआ है तो आखिर कितना समय रहना चाहिये। ट्रेजरी बेंचेज से वित्त मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी जवाब दे सकते हैं, वे सोच सकते हैं। क्या उनको भी यही स्थिति है कि किसी भी तरह से रात के १२ बजे तक भी बैठकर पास कर लें ? आखिर कितना टोर्चर होता होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है इसके विषय में कोई दो राय नहीं है। बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी ने सोच-समझ कर यह चाहा है कि आज के दिन इसको पास कराया जाय। बिजिनेस एड-वाइजरी कमेटी में वेरियस ग्रुप्स हैं, हाउस में उनके लीडर्स बैठते हैं। मुझे खेद है कि वे लोग अपनी राय न देते होंगे और बैक बेंचर्स को इस प्रकार की हिदायत देते होंगे....

श्री देवीदत्त गाड़िया : बिलकुल गलत कह रहे हैं। हमको वे ही अधिकार हैं जो आपको हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिये इन मामलों में कन्वेन्शन रहा है कि कोई बात की जाती है तो लीडर्स ऑफ ग्रुप्स मिल कर काम करते हैं। आपको बैठने में कठिनाई होती है और तकलीफ होती है तो बहुमत में बैठने वालों को भी तकलीफ होती है।

श्री रामचन्द्र आर्य : हम तो विरोध करते हैं। आप जल्दी पास करवा कर लागू करना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : ट्रेजरी बेन्चेज की ओर से मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप हमको सहयोग दें। अब आगे सदन नहीं मिलेगा इसलिए भी तो सहयोग दीजिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप सदन को स्थगित कर दीजिये और कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुला लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको जाने की जल्दी है और जल्दी ही इसको पास करवाना चाहते हैं। हम इसको जल्दी पास करना नहीं चाहते क्योंकि हमें अपने विचार रखने हैं। १५ घंटे यदि बिठाया जाय यहां पर तो हम इन्सान हैं कोई हैवान थोड़े ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर!

श्री ओमदत्त भाटी : बिजिनेस एडवाइ-जरी कमेटी में तय हुआ लेकिन सदन सर्वो-परि है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन स्वीकार करता है बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को।

श्री विजयसिंह : वी कान्ट सिट अपटू १२ इन दी नाइट।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं। आसन अपने पैरों पर है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सदन को थोड़ी देर स्थगित करके कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुलायी जाय।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जिद्द का सवाल नहीं है। हमेशा रूलिंग पार्टी को हमारा सहयोग रहा है और विपक्ष की भावनाओं का आदर किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपस में बात न करें माननीय सदस्य।

मेरा निवेदन सुन लीजिये। जब बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी कोई दिन नियत कर देती है और हाउस सहमति प्रकट कर देता है तो उस कार्य को उसी रोज निपटाया जाना चाहिये। उसको निपटाने में बाधा इस कारण उपस्थित होती है कि माननीय सदस्य पूरी चर्चा करना चाहते हैं। हम आम तौर पर यह नहीं चाहते हैं कि उनको ओर से बात न की जाय और कोई उन पर बंधन लगाया जाय। डिबेट को रेगूलेट करने का कोई तरीका तो होता है। भाषण को सीमित किया जाता है और समय पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आसन ने कभी उसको उपयोग करना उचित नहीं समझा क्योंकि सदन के सब ही माननीय सदस्य अपनी भावना को रख सकें यही मंशा आसन की रही है।

मै एक दफा अपील कर देता हूं ट्रेजरी बेन्चेज को कि क्या किसी तरीके से इस बात के लिये सहमति आगे किसी दिन रख दी जाय।...

कई माननीय सदस्य : बिलकुल नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : तो समय इसके पारण तक का बढ़ाया जाय एक ही यह विकल्प रहता है हालांकि इस प्रस्ताव को मतदान के लिये नहीं रखा गया है। और तो कोई जरिया नहीं बचता है।

श्री देवीदत गाड़िया : इस प्रकार के प्रस्ताव नहीं आने देने चाहियें और नयी परम्परा नहीं डाली जानी चाहिये।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन अपने पैरों पर है। आसन बड़ा आभारी है....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय..

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सदन के नेता को बुलाया जाय या उप-निवेशन मंत्री इस बारे में व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : आसन के पास ऐसा कोई चारा नहीं बचता इसके सिवाय कि इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखा जाय।

श्री विजयसिंह : यह गलत परम्परा नहीं डालनी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या के हल के लिये मैं एक सुझाव पेश करता हूं। यू० आई० टी० के बिल के बारे में कई माननीय सदस्यों से बातचीत हुई थी। उसके अनुसार केवल शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य को मनोनीत करने का सवाल है, उसके लिये सभी एग्री हैं। बाकी और जितने संशोधन हैं उनको पेश नहीं करना

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

चाहते। इस तरह का प्रोवीजन हो जाने से यू० आई० टी० का बिल है वह एक ही मिनिट में पास हो सकता है। इस तरह से यह बिल अन कन्ट्रोवर्सियल बिल बन जाता है।

दूसरा पंचायतों से संबंधित जो बिल है अभी जितनी देर तक सदन में बहस चलती है उस दरमियान सभी पार्टी के लीडर्स मिल कर तय कर लेते हैं कि इस बारे में क्या किया जाना चाहिये ?

हर सूरत में तीसरा आर्डिनेन्स है, पी० डी० एक्ट से संबन्धित है उसको तो हर हालत में पास करना है। इस संबंध में जो कार्यवाही चल रही है उसको चलने दी जाय। इस तरह से समस्या का हल भी निकल आता है और सदन का निर्धारित कार्यक्रम भी पूरा हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि इस विधेयक को पारित करने तक के लिये समय बढ़ाया जाय ?

कई माननीय सदस्य : आप एक घंटा समय बढ़ा दीजिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जैसा मैंने सुझाव दिया है इस समय इस बिल पर तो बहस चल रही है, एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय ७॥ बजे तक इस बीच में बात-चीत करली जाय।

श्री उपाध्यक्ष : फिलहाल एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

श्री शिवनाथसिंह : आप समय कुछ कम लें तो अच्छा रहेगा।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का पालन होगा। हमारे प्रान्त में हम असामाजिक तत्वों को अराजकता को पनपने न दें इस पर जितना भी चैक लगा सकें वह लगाना चाहिये। इस तरह की हरकतों को कोई भी आदमी बरदाश्त नहीं कर सकता। नक्सेलाइट प्रवृत्ति हमारे देश के लिये, हमारे प्रान्त के लिये घातक हो सकती है इस प्रकार की एण्टी नेशनल एक्टिविटीज हो रही हैं, उन पर हमें चैक लगाना चाहिये। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं आज हमारे यहां असामाजिक तत्वों पर कोई चैक नहीं है उस पर हमें चैक लगाना होगा। आज आप देखते हैं कि सरकारी सर्विसेज में कर्मचारियों का क्या हाल है ? पुलिस के ऑफिसर और दूसरे कर्मचारी आज किस प्रकार से रिश्वतें ले ले कर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं आप उसको चैक नहीं कर सकते ? आप जनता पर तो इस प्रकार का चैक ला रहे हैं लेकिन जो जनता से पैसा लेते हैं और भ्रष्टाचार फैलाते हैं उनकी रोक के लिये आप क्या कर रहे हैं ? आज पब्लिक के सामने कोई रास्ता नहीं जो इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में वे विरोध प्रदर्शन करना चाहें उन अधिकारियों के खिलाफ जो भ्रष्ट हैं तो आपके इस विधेयक के पास होने के बाद नागरिक ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ प्रदर्शन भी नहीं कर पायेंगे।

आज देश में किस प्रकार का काला बाजार चल रहा है, एसेन्शियल चीजों के किस कदर भाव बढ़ते जा रहे हैं, ब्लैक मार्केटियर्स किस प्रकार से चीजों का स्टॉक करते जा रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ आपको इस प्रकार के कानून का उपयोग

(श्री शिवनाथसिंह)

करना चाहिये। जो देश में ब्लैक मार्केटियर्स हैं, जिनके पास काला धन पड़ा हुआ है उनके खिलाफ इसका प्रयोग होना चाहिये। आप इस तरह के लोगों के खिलाफ यदि प्रदर्शन होता है तो आप इस कानून के तहत उन लोगों को दबाओगे। लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं इस तरह यह दबेगा नहीं और अधिक तेजी से उभरेगा। जनता की सही भावना को दबाने के लिये अगर आप कानून का प्रयोग करते हैं तो उससे जनता में रोष फैलेगा और उनका आन्दोलन और अधिक उभरेगा। इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं जो समाज में असमानता पैदा करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, दुराचार करते हैं अपना कर्तव्य पालन करने के लिये सरकार ने जिनको नौकरी दे रखी है वे लोग यदि भ्रष्टाचार करते हैं उनके लिये आप इस बिल में प्रोवीजन करते, उनके विरुद्ध कानून का उपयोग करते तो कुछ समझ में आ सकता था।

मान लीजिये किसी ने इस बात की शिकायत की कि फलां ऑफिसर रिश्वतखोर है, रिश्वत लेता है, यह तो सब मानकर चलेंगे कि रिश्वत देने और लेने का कोई सबूत नहीं दिलवा सकता। ऐसी हालत में जनता जब कहती है कि यह रिश्वतखोर और भ्रष्ट हैं तो सरकार को चाहिये कि जनता की बातों पर भरोसा करके कि वास्तव में इस अधिकारी ने दुराचार किया होगा, रिश्वत ली होगी, यह समाज के लिये अहितकर है, ऐसे अधिकारी के लिये एक्शन लेने का प्रोवीजन होना चाहिये। वह जब तक नहीं लाते हैं, तब तक जनता के लिये हितकर कानून नहीं हो सकता। आप इस कानून का उपयोग राजनैतिक क्षेत्र में करना चाहते हैं, कीजिये, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में भी जो इस प्रकार की दुष्ट प्रवृत्तियां हैं उन पर भी रोक लगनी चाहिये।

इसके अलावा, इसमें धारा ३ में जो व्यवस्था की गई है इसके अनुसार ए० डी० एम० को यह शक हो जाय कि एण्टी-नेशनल एक्टिविटीज में भाग ले रहा है तो, उसको गिरफ्तार कर सकेगा। एलीगेशन्स उसको उसके पांच दिन बाद मिलेंगे। इस तरह से उसको बिना एलीगेशन के ही पांच रोज तक हवालात में बन्द रखा जायगा। मेरा इसमें निवेदन यह है कि जब वह किसी न किसी एन्टी-नेशनल एक्टिविटिज के बारे में उसको गिरफ्तार करता है तो उसको फिर पांच दिन की मोहलत एलीगेशन्स लगाने के लिये दे रहे हैं इसकी क्या जरूरत है? ज्योंही अरेस्ट करने का हुक्म दिया उसके साथ-साथ किस किस एलीगेशन्स में उसको अरेस्ट किया गया उसकी कोपी मिल जानी चाहिये। पांच रोज की छूट रखी है उससे तो एलीगेशन्स बनाये जाने के लिये मौका देना चाहते हैं। ज्योंही अरेस्ट किया जाता है इमीजियेटली उस को आरोपों की कापी मिलनी चाहिये।

जेल में किसी आदमी को अरेस्ट कर लिया उसके बाद सरकार को इण्टीमेट करेंगे। १२ घंटे तक तो वह कम से कम हिरासत में रह सकेगा। इसके बाद एलीगेशन्स जो आयेंगे उसके अनुसार गवर्नमेण्ट को अपना माइण्ड मेक अप करना होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह १२ घटे का पीरियड रखा है, वह अननेसेसरी है। इसके लिये मेरा यह निवेदन है एक दिन का टाइम काफी होता है उसी में सरकार को इत्तला कर सकता है और इमीजियेटली सरकार को इत्तला दे सकता है। इसलिये मैं

(श्री शिवनाथसिंह)

निवेदन करना चाहता हूं यह प्रोवीजन उचित नहीं है इसलिये इसको डिलीट करना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपने जो यह रखा कि डिटेन्शन का ऑर्डर इनवेलिड नहीं होगा, यह बड़ा वेग है। आप किसी को अरेस्ट करलें लेकिन फिर भी आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं बताते हैं और उसका ऑर्डर भी इनवेलिड नहीं करते हैं। इस तरह का आपका जो क्लॉज है :

"No detention order would be invalid or inoperative merely by the reason—

(a) that one or more of the grounds on which the order is made is or are vague or irrelevant.

उपाध्यक्षजी वेग और इर्रेलेवेन्ट इन दो के आधार पर उसके डिटेन्शन को वाइड मानते हैं उसके बाद उस डिटेन्शन ऑर्डर को भी स्टेण्ड नहीं करना चाहिये। आपके प्रोवीजन्स में लेकूना है इसलिये मैंने निवेदन किया कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित करें। आज राजस्थान की जनता पीड़ित है। आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता इन सब चीजों के लिये जनता परेशान है। इन चीजों से जनता छुटकारा पाना चाहती है, इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री रामकिशन : अब ये कुमार कहां रहे साहब। ६ बच्चों के बाप हो गये। अब तो इनको कृष्णदास गोयल कहना चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान निवारक निरोध अध्यादेश, १९७० को जनमत जानने पर विचार हो रहा है जैसा कि मुझ से पूर्व वाले माननीय सदस्यों ने निवेदन किया अगर इस विधेयक की भिन्न-भिन्न धाराओं को देखा जाए तो स्पष्ट रूप से इस बिल की एक मंशा है कि एक व्यक्ति के फन्डामेन्टल राइट्स हैं, उनको भी छीना जा रहा है। अगर अब किसी आदमी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तार होने के कारण मालूम होने चाहियें कि किन कारणों से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार होने के पश्चात् तुरन्त उसे अदालत में पेश किया जायगा और अदालत में पेश होने के बाद अगर कोई कारण नहीं है तो एक सेकिन्ड भी उसे गिरफ्तार नहीं रखा जायगा, ऐसा संवैधानिक अधिकार है। मगर जो विधेयक लाया जा रहा है श्रीमान् अगर इसका अध्ययन करें और जिस प्रकार की भाषा यूज की गई है :

"The State Government may, if satisfied, with respect to any person that with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to—

(i) the security of the State..."

यह अपने आप में बड़ा वेग है। गृहमंत्री ने आर्डिनेन्स को लाने के लिये विचार रखे हैं–सीमा पर स्मगलिंग होता है, जासूस को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद तुरन्त सबूत नहीं ले सकते हैं यह बोर्डर स्टेट होता है तो

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

ठीक है। इसके अतिरिक्त जहां सिक्योरिटी ऑफ दी स्टेट वहां अगर "border security of the State" होता तो समझ में आ सकता है। फिर "Maintenance of public order" यूज किया गया है। इस शब्द का मायना क्या है ? तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत १०७ और १०१ की कार्यवाही हो तो, क्या वह पर्याप्त नहीं होती है ? वह अपने आप में पर्याप्त है। लॉ एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करने के लिये तो हमारे यहां पहले ही पर्याप्त कानून हैं। आज राजस्थान में सब जगह इस काले कानून को जिसकी हर जगह और हर समय भर्त्सना की गई है लाने के क्या कारण हैं ? जो शंका प्रकट की जा रही है इस विधेयक को कानून बनाने की जो मंशा है वह तो यह है कि प्रदेश के अन्दर विरोधी दल के नेता चुनावों में गिरफ्तार करके उनके अधिकारों से वंचित कर दें। मैं पूछना चाहता हूं क्या वह दुर्गन्ध इस धारा में नहीं आती है और उपाध्यक्षजी, इसके बाद यहां तक अधिकार है कि ५ दिन तो कलेक्टर को अधिकार दिया गया है वह स्वयं बिना बताये हुये उसको रख सकता है। पांच दिन तक उस व्यक्ति को यह मालूम नहीं है क्यों गिरफ्तार किया गया है। पांच दिन तक कोई पूछने वाला नहीं है और पांच दिन के बाद १२ दिन तक सरकार की अनुमति आये बिना कलेक्टर जेल में रख सकता है। तीन महीने बाद फिर उसको जेल में रख सकता है और तदुपरांत जिसमें उस व्यक्ति को ही, दुबारा जो व्यक्ति तीन महीने समाप्त हो जाने के बाद अगर मुक्त कर दिया जाये तो वहां कलेक्टर उसको दुबारा अरेस्ट कर सकता है। ऐसा काला कानून लेकर क्या यह सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा देना चाहती है ? तस्कर व्यापारियों और चीन तथा रूस के दलालों के लिये सरकार यह अधिकार ले सकती है लेकिन शान्ति काल में जनता के लिये इस अधिकार को लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई ? आज यह सरकार अपने हाथ में, जो आने वाला समय है, आने वाला समय चुनौती का समय है, परिवर्तन का समय है, क्रान्ति का समय है, इन बातों को ध्यान में रखकर सरकार इस काले कानून का सहारा लेना चाहती है। केवल गृह मंत्रीजी का इन सब बातों का जवाब होगा पाक जासूसों को पकड़ने का है। ये सब आंकड़े हम जानते हैं। जब हमने चार्ज लगाया राजस्थान-पाकिस्तान की सीमाओं पर गतिविधियां हो रही हैं तो उसका कोई जवाब नहीं। इस विधान सभा में, दुःख है एक व्यक्ति अगर पकड़ना है तो पकड़ लिया और अगर वह विधान सभा का सदस्य है, और कांग्रेस में शामिल हो गया है, या फिर कांग्रेस का सदस्य बन गया तो इस सरकार ने अपनी पार्टी के लिये किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। यह हमने देखा है। क्या मैं राज्य सरकार से पूछ सकता हूं ६५ में पाकिस्तान का अग्रेसन हुआ उस समय राजस्थान की सीमाओं से लगी हुई जो पाकिस्तान की सीमा है, कांग्रेस के कुछ निहित स्वार्थियों ने पाकिस्तान के साथ मिल कर नेतृत्व किया, उनको रास्ता दिखाया, उनको पानी दिया, अन्न दिया और फिर राजस्थान को छोड़कर पाकिस्तान चले गये। आज धीरे-धीरे षड्यन्त्र से और सरकार के सहयोग से राजस्थान की सीमाओं में वापस नहीं लाया जा रहा है। क्या ये सब बातें हम नहीं जानते हैं ? नक्सलवादी एक्टिविटीज बढ़ रही है, नक्सलवादियों को

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

रोकना चाहिये, देश के लिये खतरनाक है। लोक सभा में राज्य मंत्री ने वक्तव्य दिया था कि कुछ विदेशी लोग इस बात के इच्छुक हैं कि यहां गड़बड़ियां हों, यहां पर इस प्रकार की खून खराबी हो। क्या आपने उन लोगों की कार्यवाहियों की ओर कोई कदम उठाया, नहीं उठाया क्योंकि उन पर कार्यवाही करने की आप में हिम्मत कहां है। इस सरकार को हमने खूब देखा है, इस इन्दिरा सरकार को देखा है। आज शेख अब्दुल्ला की जो गतिविधियां हैं क्या वे पाकिस्तान को शह देने वाली कार्यवाही नहीं है? .

यह कानून वहां मौजूद है लेकिन फिर भी कुछ नहीं करना चाहते हैं यह आपका भ्रम है राजस्थान को सुरक्षा के लिए या जो सूचना आपको मिल रही है उसके लिए राजनैतिक दलों पर कोई निगाह नहीं है, आप तो केवल इस अधिकार को लेना चाहते हैं और यह सरासर फरेब है। कौन नहीं जानता कि राजस्थान में समस्यायें मुंह बाये खड़ी हैं। एक ओर राजस्थान अकाल से पीड़ित है, जनता में भयंकर असन्तोष है और अकाल के नाम पर जिस प्रकार से राजस्थान में राजनैतिक सौदेबाजी की है और जिस प्रकार से अकाल के नाम पर घर भरे जा रहे हैं यह राजस्थान को जनता से छिपा नहीं है। एक ओर भूखे आदमी तड़प रहे हैं और दूसरी तरफ घर भरे जाते हैं। तो आज जनता के अन्दर आग भड़क रही है। तकावी के सवाल को ले लें, ऋण के सवाल को ले लें चाहे नहर से पानी के देने का सवाल हो सब में भेदभाव किया जाता है और राजनैतिक आधार पर निर्णय किये जाते हैं। क्या वहां इन सब बातों से असन्तोष नहीं है। मैं तो आज राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के किसानों के सवाल को लेकर एक ओर गंगानगर खड़ा हुआ था तो दूसरी ओर कोटा खड़ा हुआ था। अगर सारा राजस्थान इसके लिए खड़ा हो जाता तो क्या आज राजस्थान सरकार के सामने चुनौती नहीं आती? हम जानते हैं कि इन प्रश्नों को लेकर चाहे लगान के सवाल को लेकर, मिल्कियत के सवाल को लेकर, सरचार्ज के सवाल को लेकर राजस्थान का किसान खड़ा हो गया तो क्या यह हथियार उनका दमन करने के काम में नहीं लाया जायेगा? क्या गारन्टी है इसकी? आप कह सकते हैं कि यह कानून भैरोंसिंहजी के खिलाफ नहीं लाया जायेगा, रामानंदजी के खिलाफ नहीं लाया जायेगा लेकिन इतना कह देना पर्याप्त नहीं होगा। आज एक-एक व्यक्ति चाहे किसान हो, मजदूर हो अपनी समस्याओं को लेकर कोई आता है तो आप दमन करेंगे। आज मजदूरों के साथ जिस तरह से शोषण हो रहा है आप एक तरफ समाजवादी सरकार का नाम लेते हैं और दूसरी ओर मजदूर जब अपनी मांगों को लेकर खड़ा होता है चाहे वे मजदूर कोटा के जे. के. इण्डस्ट्रीज के हों, चाहे सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्टरी के हों, चाहे चित्तौड़ को सीमेन्ट फैक्टरी के हों जब मजदूर अपनी मांगों को लेकर खड़े होते हैं तो इस सरकार का श्रम विभाग, इस सरकार का गृह-विभाग पूंजीपतियों का पक्ष लेकर उनके दमन के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या इस कानून को लेकर उनका दमन आप नहीं करेंगे?

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस कानून को ईश्वर के लिए जनता पर नहीं थोपें। आपको पहले ही काफी अधिकार हैं। आपके पास आई. पी. सी. में अधिकार

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

हैं, सी. आर. पी. सी. में अधिकार है, फारिन एक्ट में भी अधिकार है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न के ऊपर जनमत जानने के लिए इस विधेयक को राजस्थान के अन्दर प्रसारित किया जाये ताकि राजस्थान की जनता अपनी ओपीनियन इस बारे में दे सके और समझ सके कि राजस्थान की सरकार आज हमारे अधिकारों के साथ किसी प्रकार से खिलवाड़ कर रही है। एक ओर यह पब्लिक ओपीनियन के लिए राजस्थान में जनता के बीच रहे और बजट सेशन में हम फिर बैठने वाले हैं और जब इतने महीने निकल गए और इतने साल निकल गए और जब आपने इसको लागू नहीं किया तो मेरे ख्याल से चन्द दिन और इन्तजार कर लें। पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं और जनता अपने मत का प्रयोग करेगी और उसी बीच इस विधेयक को भी भेजिये जनमत जानने के लिए और आप कहें हिम्मत के साथ कि यह कांग्रेस दल करेगा। आप कहते यह हैं कि हम चुनाव में दलीय आधार पर नहीं लड़ते लेकिन इस राजस्थान की जनता ने देखा है कि आपने सफेद झूठ बोला है। हम जानते हैं कि इस घोषणा के बाद पंचायतों के चुनावों में कांग्रेस पार्टी भाग नहीं लेगी। लेकिन आप जायेंगे और आपका कानून पड़ा रहेगा। इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिए प्रसारित किया जाता है और आने वाला जो बजट सत्र है उस समय पब्लिक ओपीनियन के बाद विधान सभा में इसको पास करा के आइये तब मालूम हो जायेगा कि राजस्थान की जनता इस प्रश्न पर कहां खड़ी है। लेकिन आप यह साहस नहीं कर सकते, आज आप बहुमत की ताकत को लेकर इस कानून पर मोहर लगा देना चाहते हैं। लोकतंत्र की दुहाई से काम नहीं चलेगा, नारे देने से काम नहीं चलेगा। अगर लोगों की निष्ठा उठ गयी तो लोकतंत्र अपने आप गिर जायेगा।

आप नक्सेलाइट्स को गालियां देते हैं लेकिन आपको पता होगा कि लोगों के अन्दर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा जा रहा है। आप विधान सभा में बोलते हुए बहुमत के आधार पर चाहे जो पास करा लेते हैं। आज आप कालेज में चले जायें, स्कूलों में चले जाइये, लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है और शासन के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, लोकतंत्र की आस्था लोगों में डगमगा रही है। तो केवल शक्ति के आधार पर, संख्या के आधार पर नीतियों के प्रश्न पर आप निर्णायक नहीं बनें। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस कानून को लेकर शक्ति के आधार पर आप कानून बनाना चाहते हैं इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि नारे मत दो और जनता को गुमराह करने की कोशिश मत करो। हम देश के अन्दर लोकतंत्र जीवित रखना चाहते हैं। आज सारे विश्व को देखिये विश्व के अन्दर लोकतंत्र की किस प्रकार की धज्जियां उड़ती जा रही हैं। क्या आप भी अगुआ होना चाहते हैं? हम देश के अन्दर लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं तो आवश्यकता इस बात की है कि जन-जन में, व्यक्ति-व्यक्ति के अन्दर इसके प्रति आस्था पैदा करें और आस्था जब होगी जब हम उन लोगों को बता देंगे कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शक्ति के आधार पर नहीं, संख्या के आधार पर नहीं बल्कि सत्य और असत्य के आधार पर, उचित और अनुचित के आधार पर हर एक बात का निर्णय लेना चाहते हैं और इसके लिये

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

आवश्यक है कि हम लोगों की जन भावनाओं से नहीं खेलकर उनकी भावनाओं का आदर करना सीखें, इतना ही निवेदन है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार इसको पास नहीं कराये बल्कि पंचायतों के चुनावों में इसको बेसिक बनाकर पब्लिक ओपीनियन के लिए प्रसारित करे और उसके बाद बजट सेशन में इसके ऊपर मोहर लगाये तब जानेंगे कि हमारे पास बहुमत है।

श्री सभापति : श्री देवीदत्त गाड़ियां।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया उसके ऊपर माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए और राजस्थान के हित की दृष्टि को ध्यान में रख कर ही इसका उपयोग करेंगे। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान के गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस समय राजस्थान के अन्दर और सारे देश के अन्दर डी. आई. आर. लागू था उस समय भी राजस्थान की सरकार ने यह कहा था कि यह डी. आई. आर. का कानून हम राजनैतिक पार्टियों के ऊपर लागू नहीं करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने डी० आई० आर० के अन्दर राजनैतिक पार्टियों को चाहे वह जनसंघ के कार्यकर्ता थे, या अन्य विरोधी दल के कार्यकर्ता थे क्या आपने डी० आई० आर० का जो शस्त्र था उसका उपयोग नहीं किया ? उदयपुर के अन्दर जनसंघ के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, आपने भास्कर जी को गिरफ्तार किया और किसी को जयपुर में ऐसा कर बन्द किया और किसी को कोटा में बन्द किया। राजस्थान की जनता और यह सदन कैसे विश्वास करे कि आप इस विधेयक का मनमाना उपयोग नहीं करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ही नहीं सारे राजस्थान की, जनता की यह निश्चित मान्यता है कि ज्यों ज्यों ग्राम चुनाव निकट आते जा रहे हैं और ज्यो ज्यों ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के चुनाव निकट आते जा रहे हैं यह सरकार निश्चित रूप से इसका कानून बना कर उपयोग करेगी और एक तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय से माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको इस बात का ध्यान है कि नहीं कि आज सारे देश की जनता में एक लहर पैदा हो रही है कि अंग्रेजों के जमाने में जो पुलिस को अधिकार दिये हुं, जो पुलिस के कानून बने है उनके अन्दर ऐसे भयंकर अधिकार हैं पुलिस के अधिकारियों के हाथ में चाहे वह थानेदार हो चाहे हैड-कान्स्टेबल हो, चाहे ऊपर का अधिकारी हो उसको इतने अधिक अधिकार दे दिये हैं कि जिनका वे उपयोग कर रहे हैं और आज सारे देश की जनता ने और तमाम राजनैतिक पार्टियों के नेताओं ने यह मांग की है कि अंग्रेजों के जमाने के जितने कानून बने हुए हैं उनमें सुधार किये जायें और केन्द्रीय सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं और माननीय गृह मंत्रीजी आपको तो मालूम होगा कि केन्द्रीय सरकार भी आज विचार कर रही है कि जितने भी पुलिस के कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं आज के लोकतांत्रिक शासन में वह कानून उपयुक्त नहीं होते हैं। इसलिए उनमें सुधार किये जायेंगे और ऐसा केन्द्रीय सरकार, आज की जनता और राजनैतिक पार्टियों के दबाव में आकर और उचित मांगों को लेकर ध्यान दे

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

रही है लेकिन हमारे राजस्थान के गृह मंत्री जी उन कानूनों में संशोधन करना तो दूर रहा, उनके अन्दर आर्डिनेन्स जारी करना तो दूर रहा लेकिन राजस्थान की निकम्मी पुलिस को, उसके भ्रष्ट अधिकारियों को इस प्रकार का अधिकार और देना चाहते हैं। इस कानून की धाराएं और उप-धाराएं इतनी खतरनाक हैं कि जब क्लाज बाई क्लाज इस पर बहस होगी तब मैं उस समय रखूंगा, लेकिन माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप बात करते हैं कि इससे हम सीमा सुरक्षा करेंगे और राष्ट्रविरोधी तत्वों को समूल नष्ट करेंगे लेकिन जब राजस्थान की पुलिस इतनी लायक है और उसका गुप्तचर विभाग इतना लायक है तो इतने आदमी, पाकिस्तानी नागरिक, जो पासपोर्ट लेकर आये थे उनको आज तक भी अवधि समाप्त होने के बाद तक क्यों नहीं पकड़ सकी ? उसको राजस्थान के बाहर क्यों नहीं खदेड़ सकी ? पासपोर्ट लेकर आने वाले नागरिकों की सूची आपके पास में है लेकिन क्या आप निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि बिना पासपोर्ट के अवैध रूप से कितने पाक नागरिक यहां पर आये हुए हैं ? आपकी पुलिस उसमें सक्षम नहीं है, लेकिन आपकी पुलिस सक्षम है किस में कि विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को जो आन्दोलन करते हैं उनको कुचला जाय। आज भी राजस्थान में माननीय गृह मंत्रीजी, क्या आप बता सकते हैं कि कितने राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर फर्जी धाराएं (चार्जेज) लगा कर मुकदमे बना रखे हैं, दो-दो, तीन-तीन साल से मुकदमे चल रहे हैं, तारीखें बदलती रहती हैं, और एक भी एविडेन्स नहीं आता है तो आप विथड्रा क्यों नहीं करते हैं ? इसलिए नहीं करते हैं कि वे राजनैतिक कार्यकर्ता परेशान हो जायं। आपकी जो अन्तरंग नीति है वह इस बात का स्पष्ट संकेत करती है कि आप विरोधी दलों को कुचलना चाहते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां भी ऐसा होता है चाहे गंगानगर हो, कोटा हो, अलवर हो या भरतपुर हो, इस सरकार की यह नीति रही है कि राजनैतिक पार्टियों को कुचला जाय। क्या आप बता सकते हैं कि कितने राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं ? अदालतों के अन्दर दो-दो, तीन-तीन साल से चल रहे हैं। हर बार तारीख बदलती रही है, लेकिन आज तक तारीख पेशी पर नहीं जाते हैं, पुलिस तारीख पेशी पर गवाहों को नहीं पेश करती है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि बारां उप-जिले के अन्दर केस चल रहा है, जनसंघ के कार्यकर्ताओं पर, ढाई साल से लगातार मुकदमा चल रहा है और एक दिन भी गवाह पेश नहीं होते हैं और हर बार पुलिस तारीख बदलवाती रहती है, पुलिस के पैरोकार तारीखें बदलवाते रहते हैं। क्या कार्यकर्ताओं को कुचलने की नीति आपकी नहीं है ? यह स्पष्ट बात है।

मैं पूछना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष, आपके माध्यम से कि गृहमंत्री जी, आपने डी० आई० आर० का उपयोग किया विरोधी दलों के सदस्यों और कार्यकर्ताओं को कुचलने में, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के समर्थक सैंकड़ों रुपया खा गये, सोना हजम कर गये, इस सदन में प्रश्नों के द्वारा पूछा गया और आपने स्वयं ने स्वीकार किया कि सुरक्षा कोष के अन्दर गोलमाल हुआ है, देश की सुरक्षा के लिए जो सोना इकट्ठा किया गया था उसमें घोटाले हुए हैं, क्या आपने उनके खिलाफ

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

डी० आई० आर० के केस बनाये हैं ? उनका आज तक अदालतों के अन्दर प्रोसीक्यूशन नहीं किया गया, क्योंकि वे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, मंत्रियों के चाटुकार थे। वहा पर डी० आई० आर० का प्रयोग होना चाहिए था लेकिन वहां पर उसका उपयोग नहीं किया गया, लेकिन राजनैतिक पार्टियों और अपने विरोधियों को कुचलने के लिए आपने किया है।

आप इस प्रकार का बिल लाते हैं तो, माननीय उपाध्यक्ष, मैं माननीय गृहमंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि आपकी पुलिस सक्षम है, बड़ी योग्य है, बड़ी सतर्क रहती है और सीमा पर तैनात रहती है, तो क्या आपको यह जानकारी है कि अक्टूबर के महीने के अन्दर कोटा जिले में तहसील शाहबाद है और उसके गांव कस्बा थाने के अन्दर और तहसील सांगोद में ग्राम कनवास के पास ७ मील के अन्दर वहां पर किस के हवाई जहाज ने इस प्रकार की एक मशीन बैल पेक्ड, तारों से गुंथी हुई दोनों स्थानों पर गिराई थी। वहां के नागरिकों को उसमें से आवाज आ रही थी। किसानों ने पुलिस को सूचना दी। थानेदार आया और उसने उस मशीन को जब्त करवाया। वह मशीन किस की थी ? क्या उसमें ट्रान्समीटर नहीं था ? कौन से देश की थी ? आया वह पाकिस्तान की थी या चीन की थी ? आपने इसकी जानकारी करवाई ? आपने जानकारी नहीं करवाई क्योंकि राजस्थान सरकार उसकी जानकारी करने में सक्षम नहीं थी और उसको दिल्ली भेजा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो ये दो ट्रान्समीटर पाये गये उनकी आपने जांच करवाई कि किस हवाई जहाज से गिराई गई ? वह हमारी सीमा में कैसे आया ? आपकी पुलिस अकर्मण्य है। वहां के किसानों ने सूचना दी। वहां पर एन्टी डेकाइटी पुलिस उस एरिया में पड़ी हुई है, लेकिन कोई जानकारी नहीं लेती पर निशान थे लेकिन किसी ने तफतीश नहीं की। कर्तव्य तो आपका यह था कि वहां पर आई० जी० पी० को जाना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था, होम कमिश्नर को जाना चाहिए था। ऐसी गम्भीर घटनाएं तहसील शाहबाद और तहसील सांगोद में घट जायें और आपकी पुलिस सोती रहे और विश्राम करती रहे और राजस्थान के गृहमंत्रीजी यह कहें कि इस प्रकार की सीमा-सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, इस प्रकार के राष्ट्र-विरोधी तत्वों को कुचलने के लिए मैं यह विधेयक ला रहा हूं, तो मेरी यह निश्चित मान्यता है कि राजस्थान सरकार का गृह विभाग अकर्मण्य और निकम्मा है। यह कोई सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकता है।

मैं गृहमंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप यह कहते हैं कि हम सीमा-सुरक्षा करना चाहते हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि आज से कुछ महीने पहले आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा कि जैसलमेर के हवाई अड्डे के पास में पाकिस्तानी हवाई जहाज आये, वहां के लोगों का तो यहां तक कहना था कि नीचे उतरे थे, तो आपने क्या कभी मालूम किया कि किस तरह से आये थे ? केन्द्रीय सरकार और आपने क्या कदम उठाये ? क्या एक्शन सरकार के द्वारा लिया गया, और उसकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये ? मेरी जानकारी के अनुसार मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार ने कोई गम्भीर

Page No 147

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

मनन नहीं किया इस बात पर, और जो माननीय गृहमंत्रीजी यह कहते हैं कि कई चीजें ऐसी हैं कि जो इस प्रकार से सदन के अन्दर प्रस्तुत नहीं की जा सकती हैं और उनका प्रस्तुत करना राजस्थान के हित के लिए और देश के हित के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन माननीय गृहमंत्रीजी आपको यह जानकारी नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बारां उप-जिले के क्षेत्र के अन्दर मांगरोल एक कस्बा है, वहां पर कुछ छुटपुट कार्यवाही साम्प्रदायिकता के आधार पर हुई थी जो कि लोगों ने रंग दी थी। क्या आपको जानकारी है कि उसी रोज शाम को पाकिस्तान का रेडियो बोल गया। यह समाचार कैसे गया ? पाकिस्तान रेडियो से उसी रोज कैसे बोल गया ? आपने कभी इसकी जांच की ? इसका स्पष्ट संकेत है कि कोटा नगर के आसपास पाकिस्तान को समाचार भेजने वाला, ट्रान्समीटर है, और मेरी जानकारी के अनुसार ऐसे पाकिस्तानी तत्व कोटा के अन्दर हैं, और राजस्थान के जो बड़े-बड़े शहर हैं, जैसे जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर, और धौलपुर इन क्षेत्रों के अन्दर पाकिस्तान को समाचार देने वाले ट्रान्समीटर हैं। क्या आपने कभी उनको पकड़ा ?

मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार से राजस्थान के अन्दर दो कर्त्तव्य-परायण सी० आई० डी० के अन्दर जासूस थे उन्होंने गृह विभाग को समाचार दिये थे। यह बात कुछ समय पुरानी है, और उन्होंने कहा था कि आगे कार्यवाही की जाय। वे सेवाभावी थे और देशभक्त थे उनके विरुद्ध तो कार्यवाही की गई लेकिन अजमेर में पाकिस्तानी तत्वों ने ट्रान्समीटर लगा रखा था उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। इतना ही नहीं ....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : संक्षेप में ही कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा दिखता है, काफी लम्बे नोट्स साथ लाये हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं, नहीं। थोड़े ही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्रीजी कहते हैं कि राजस्थान पुलिस फर्जी कार्यवाही नहीं करती है। आज राजस्थान का जितना पुलिस विभाग है, चाहे वह भ्रष्टाचार विभाग हो, एस० पी० या डी० आई० जी० हो, यदि वह पुलिस में ईमानदारी से काम करना चाहे तो उसका तुरन्त ट्रांसफर करवा दिया जाता है। बदनौर में, उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के नेता जो आज सदन में भी पहुँच गये, उन्होंने अपना राज बनाने के लिए पुलिस की मदद से फर्जी मुकदमे बनाये हैं। मकराल क्षेत्र में काम करने वाले थे, उनको शराब पिलाकर जनसंघ के कार्यकर्ताओं पर हमला करवाया। मंत्रीजी के पास जाओ तो मंत्रीजी फाइल को मंगवाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बदनौर के बारे में पत्र लिखा आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जितनी विरोधी दल की पार्टियां है, उनके खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के कहने के अनुसार, पुलिस कार्यवाही करती है। पुलिस एस० पी०, कोटा है वहां भी लोगों पर फर्जी कार्यवाही की गई। औरतों को नंगा किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी सूचनायें नाम से सदन में नहीं लायेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय पक्षपात हो रहा है। पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है। उसकी कोई रोक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र को जिन्दा रखना है, स्वस्थ परम्परा रखनी है तो कम से कम कानून बनाना चाहिए। जनता के चरित्र को, मोरल को बनाना होगा। राजस्थान के नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ानी होगी। आज इस सदन में माननीय रामानन्दजी भाषण दे रहे थे। बार बार वह जनसंघ का उदाहरण देते हैं। मैं विशेष नहीं कहना चाहता हूं, जनसंघ एक प्रगतिशील पार्टी है। चाहे आप कितना ही दकियानूसी कहें।

श्री रामकिशन : आप जो कह रहे हैं, वह हम मान लेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय जिस समय रूस ने पाकिस्तान को हथियार दिये थे, उस समय यह पार्टी कहां गई थी? लेकिन भारतीय जनसंघ ने अपना नैतिक कर्त्तव्य समझते हुये, देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हुये, रूसी दूतावास पर प्रदर्शन किया था।

श्री उपाध्यक्ष : आप पधारे थे या नहीं?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरी पार्टी ने किया था।

हिन्दुस्तान के एक ओर अमेरिका और दूसरी ओर रूस। अमेरिका ने जब पाकिस्तान को हथियार दिये तो उस समय भी भारतीय जनसंघ ने विरोध किया। यहां की कम्युनिस्ट पार्टी दो मुंह की पार्टी है। चीन ने आक्रमण किया....

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय से हट रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसलिए मैं कह रहा हूं यह जो कम्युनिस्ट पार्टी जो विशेष बढ़ रही है तो उसके पाप का भागी कोई हो सकता है तो यह कांग्रेस पार्टी है। आज २३ साल से जनता के ऊपर, चाहे वह मजदूर विरोधी हो, चाहे वह किसान विरोधी हो, चाहे जनहित की विरोधी हो, ऐसे कानून बनाकर आज जनता के ऊपर थोप दिये हैं। आज ऐसे तत्व देश में छा गये हैं जिनसे देश को खतरा है। चीन और पाकिस्तान एक साथ भारत पर हमला करना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनसंघ का एक एक आदमी, उनके नापाक इरादों को कभी सफल नहीं होने देंगे। (हियर, हियर)

इसी तरह से माननीय गृह मन्त्रीजी को कहूंगा अगर निवारक नजरबन्दी कानून ला रहे हैं, यह देश के लिए उपयुक्त नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं, जनता में बड़ी शान्ति है। अमन चैन है। राजस्थान की जनता शान्ति प्रिय है। फिर यह कानून लाने की आवश्यकता क्या है? जब एक ओर शान्ति और अमन चैन है तो इस कानून की क्या जरूरत है? अगर नक्सलाइट हैं तो जनसंघ और बी० के० डी० का सहयोग लीजिये। यह काम कानून से नहीं होगा। हम उनको कुचलेंगे।

श्री रामकिशन : आप इनको तो कुचल मत देना। (किसी की ओर संकेत) (हंसी)

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरी भी जानकारी है। कोटा में एक नक्सलाइट हैं। वह बंगाल गये और वहां से प्रशिक्षण लेकर आये हैं। कुछ भी हो जनसंघ अपना कर्तव्य

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

पालन करेगा। आज राजस्थान में पढ़े लिखे नौजवान नौकरी मांगते हैं। उन को आज नौकरी नहीं दे सकते हैं। यदि उनको नौकरी नहीं दी तो उनके दिमाग में क्या प्रतिक्रिया होगी? वह अपनी आंखों के सामने बच्चों को तड़पता हुआ नहीं देख सकता है। इस लिए यह समस्या पैदा न हो। इसके लिए बेरोजगारी और महंगाई को मिटाना होगा।

एक बात की ओर मैं और गृह मन्त्रीजी को, उपाध्यक्ष महोदय, संकेत करना चाहता हूं। राज्य के ढाई लाख राज्य कर्मचारी हैं। जो कानून आपने बनाया है, उसके बारे में उनको भयानक प्रतिक्रिया हुई है। उनके परिवारों को लें तो शायद २० लाख हो जाते हैं, तो यह आग भड़केगी। इसलिये उनकी जो भी समस्यायें हैं, अन्तरिम राहत की समस्या है, या बारह वर्ष की सेवा की अवधि जिस कर्मचारी की समाप्त होने वाली है, उनको अग्रिम इन्क्रीमेंट देने की है—इन सारी समस्याओं पर राजस्थान की सुरक्षा की दृष्टि से, राजस्थान में अमन-शान्ति की दृष्टि से राज्य सरकार को विचार करना होगा। आपने विचार नहीं किया और यह भूखे मरते इन्सान को कहा कि वह भगवान की माला जपे—तो क्या यह संभव है? कोई आदमी है जिसके पेट के अन्दर भूखें होगी वह पहले अपनी भूख मिटायेगा। भूखों मरता इन्सान कुछ भी कर सकता है। इसलिये कांग्रेस के नेताओं और मंत्री महोदय को मैं कहना चाहता हूं, मेरी मांग है, आपके बड़े बड़े महलों में आपको रोज हलुवा पूड़ी खाने को मिलता है, आपके कुत्ते तक को दूध पीने को मिलता है, लेकिन राजस्थान के गरीब किसानों को सूखी रोटी और मासूम बच्चों को दूध के दर्शन नहीं होते हैं। कांग्रेस की इतनी बड़ी संस्था है, यह समाजवाद का नारा लगाने वाली है, यह फिर समाजवाद का नारा लगायेगी तो आप यह मानकर चलियेगा कि लोगों के अन्दर एक क्रांति की भावना पैदा होगी। उस क्रांति का, देश के हित का और राष्ट्रीयता का ध्यान रखते हुए आप पहले से ही इतना भी कर लें तो मैं समझूंगा कि अच्छा है।

अब मैं अंत में यह कहते हुए कि यह जो आप दूसरा काला कानून आज इस सदन में ला रहे हैं, यह राजनैतिक पार्टियों को कुचलने के लिये है। आने वाले आम चुनाव में आपकी हालत खस्ता होने वाली है, यह आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कंस को अपना अंत दिखाई दे रहा था, जब कृष्ण ने जन्म लिया था और उसने सोचा था, मेरी मौत आ गई उसी तरह से कांग्रेस वालों को आने वाले आम चुनाव में अपनी मौत दिखाई दे रही है, इसलिये इस काले कानून को लाकर....

श्री मूलचन्द डागा : ऐसी कोई भावना नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : विरोधी दल के नेताओं को कुचलने के लिये इसका दुरुपयोग करने का षड्यन्त्र कर रहे हैं। मैं इसकी निन्दा करता हूं और मांग करता हूं...

श्री जगन्नाथ : मैं निवेदन करूं कि मोहनलाल सुखाड़िया जो यह बिल ला रहे हैं, इसमें मेरा छोटा सा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अवसर दे दिया जायगा।

श्री जगन्नाथ : इसको पढ़कर मेरे को घबराहट हो गई है । गाड़िया साहब इजाजत दे दें तो मैं निवेदन कर दूं कि यह किसानों के लिये खतरनाक है । आपके द्वारा मैं माननीय गृह मन्त्रीजी को निवेदन करूंगा कि यह ··

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा भाषण समाप्त करना है ।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री जगन्नाथ से) आपको इनके बाद अवसर दे देंगे ।

श्री जगन्नाथ : सीमा की सुरक्षा के लिये यह बिल ला रहे हैं और इसमें जो माननीय गृह मन्त्रीजी पुलिस को अधिकार दे रहे हैं, पुलिस से तो जनता पहले ही परेशान है । जितने पुलिस के कारनामे हैं, उनके कारण काश्तकार घबराये हुए हैं । इस बिल में और जो अधिकार दिये हैं····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ! माननीय सदस्य ।

श्री जगन्नाथ : इस पर मैं नहीं मानूंगा । यह बिल बहुत खतरनाक है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मौका दे दिया जायगा इस पर बोलने के लिए ।

श्री जगन्नाथ : पुलिस को सीमा सुरक्षा के लिये जो अधिकार दे रहे हैं, यह शब्द इस्तेमाल किये हैं—उनको आप हटा दें ! |

श्री उपाध्यक्ष : आपको बाद में अवसर दे देंगे ।

श्री जगन्नाथ : मुझे बोलने की इजाजत दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : गाड़ियाजी के बाद ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : इनको बोलने का टाइम देना चाहिये । कल भी व्यवस्था दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष : गाड़ियाजी के बाद । गाड़ियाजी अब समाप्त कर दीजिये ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं····

श्री उपाध्यक्ष : दो तीन बार अन्त में कह चुके हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दिनांक १३-१२-६८ को बाड़मेर रेलवे स्टेशन के मुसाफिरखाने में पुलिस ने एक पाकिस्तानी सिपाही को गिरफ्तार किया था, उस वक्त उसके पास से उतरलाई हवाई स्टेशन, पेट्रोल पम्प और ट्यूब वैल्स के नक्शे, और भारतीय करेन्सी के तेरह सौ रुपये बरामद किये थे । उसका गृह मन्त्रीजी, क्या हुआ ? क्या उसका प्रासीक्यूशन कर दिया ? क्या उसको सजा मिल गई ?

इसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीमा की सुरक्षा के लिए जो चौकियां हैं, उनमें से पाकिस्तानी अवैध रूप से हमारी सीमा में आ रहे थे, उनको फौज के लोगों ने पकड़ा और पुलिस अधिकारियों को, चाहे जैसलमेर के हों, बाड़मेर के हों, सुपुर्द किया था । मुझे भी एक सीमा चौकी पर जाने का मौका मिला था, जब मैं एस्टीमेट कमेटी का मेम्बर था, तब हम दौरे पर गये थे सीमा चौकियों को देखने को गये थे, तब हमें बताया था कि हम पाकिस्तानियों को पकड़ते हैं

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

और पुलिस को वह आदमी सुपुर्द करते हैं लेकिन पुलिस के आदमी उनसे सौदा सुलह करके छोड़ देते हैं। यह है आपकी व्यवस्था। हमारी सीमा पर तैनात जवान भारी, भयंकर रेगिस्तान के इलाके में खड़े रहते हैं, वह अवैध रूप से हमारी सीमा में घुसने वाले पाकिस्तानियों को पकड़ते हैं और बाद में पुलिस के अधिकारियों को सौंप देते हैं, लेकिन वह सांठ-गांठ करके उनको छोड़ देते हैं। इसी कारण से आज अवैध रूप से सीमा के द्वारा चीजें आ रही हैं, बादाम आ रहा है और दूसरी चीजें आ रही हैं, किसमिस आ रही है, इसी प्रकार से काली मिर्च आ रही है, सोना आ रहा है—क्या इसको रोका गया है ?

अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी पुलिस को अधिक से अधिक सक्षम बनाइये, अधिक से अधिक उसको नैतिक बनाइये, लेकिन यह काला कानून आप मत लगाइये, वरना इसके भयंकर परिणाम होंगे। मुझे कहना है कि गृह मंत्रीजी, कांग्रेस वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कम्युनिस्टों से सांठ-गांठ कर रही है इसलिए ही बंगाल में यह कानून लागू नहीं कर सकी है। केरल में भी इनके सहारे पर ही, इनके समर्थन पर ही जिन्दा है। जब वहां ऐसी खस्ता हालत है कि बंगाल में रोजना कत्ल होते हैं, लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति समाप्त हो गई है, लेकिन प्रधान मंत्री की हिम्मत नहीं है वहां इस कानून को लागू करने की क्योंकि कम्युनिस्टों ने चुनौती दी है कि ऐसे कानून को लागू करोगे तो हम लोकसभा में समर्थन नहीं देंगे, तुम्हारी सरकार हमारे बल पर चल रही है। इसलिए उनमें हिम्मत नहीं है इस कानून को वहां लागू करने को। इसके विपरीत राजस्थान में अमन शांति है, यहां पर आप इस कानून को लागू करना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जनमत जानने के लिए इसको आप प्रसारित करें और जनता की भावनाओं को जानने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगन्नाथ !

श्री गिरधारीलाल व्यास : जगन्नाथजी, अभी नहीं, समय बढ़ाना है।

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जब तक आज का बिजिनेस समाप्त नहीं हो जाय तब तक के लिए समय बढ़ाया जाय।

श्री रामकिशन : इसकी सीमा होगी ?

श्री रामचन्द्र आर्य : इस विधेयक के पास होने तक समय बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष : इस सदन का समय, जब तक समय का प्रश्न तय नहीं हो जाय, तब तक के लिए आपकी अनुमति से बढ़ा देता हूं।

एक तो लॉ मिनिस्टर महोदय ने कुछ सुझाव दिये थे। आज राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट (अमेंडमेंट) बिल, १६७० है; इसमें सम्बन्धित मंत्री महोदय ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, चूंकि उपरोक्त विधेयक के खण्ड ३७ तक खण्डों को विधेयक का अंग नहीं बनाना चाहते, इसलिए जब इस विधेयक पर खण्डशः विचार हो तब इनको विलोपित कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : विचार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! नया संशोधन प्रस्तुत किया है खण्ड दो के बारे में: The words hereinafter refered to as Principal Act

(श्री उपाध्यक्ष)

occurring after the expression 'Rajasthan Act 35 of 1960' be deleted. (यानी यह इतना ही रहता है। एक खण्ड आठ के बारे में है....

श्री रामकिशन : और कोई बात नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिपील करने का सवाल है।

श्री रामकिशन : वही है, और घपला मत कर लेना, हम पास कर देंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी, जैसी माननीय सदस्यों से बात हुई थी, खण्ड ३, ४, ५, ६, ७ इन्हें डिलीट करने के लिये प्रस्ताव है और इस प्रकार इसमें एक क्लॉज रह जाता है, जहां यह वर्ड्स हैं हियर इन शेल बी रेफर्ड टू इन प्रिन्सिपल। यह वर्ड्स उचित नहीं है'; इसलिये इनको डिलीट करने की बात की है। जो बात हुई थी उसको कानूनी स्वरूप दे दिया है। इसको पास करना है।

श्री रामकिशन : इसको पास कर दिया जाय, एकदम पास कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : पहले समय बढ़ा दिया जाय, आज का बिजिनेस पूर्ण होने तक....

श्री रामकिशन : ऐसा नहीं करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसी बात हुई थी, जो यू० आई० टी० के बिल के बारे में बात हुई थी उसके अनुसार कार्यवाही करने के लिए यह निर्णय लिया है।

श्री रामकिशन : इसे पास कर दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पंचायत विधियां विधेयक के बारे में अभी बैठ कर बात करनी है इसलिये दस-बीस मिनिट के अन्दर उधर पधार जाइये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यू० आई० टी० बिल के लिये प्रस्ताव कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : रेफर कर दीजिये। बिजिनेस सुलटे तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : उसी के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ऐसा लगता है, यह बारह बजे तक पास नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों का सहयोग हो तो पास हो सकता है। विस्तृत चर्चा तो हो चुकी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय सदस्य दो-तीन दिन से दस-ग्यारह बजे तक बैठे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जनता की सेवा करनी है अपने को तो।

मैं समझता हूं कि समय बढ़ा दिया जाय ताकि बार-बार पांच-दस मिनिट के लिए नहीं बढ़ाना पड़े।

श्री मनोहरसिंह मेहता : पारित होने तक के लिये समय बढ़ा दिया जाय।

Page No 153

श्री उपाध्यक्ष : आज का बिजिनेस पूरा हो उस समय तक के लिये समय बढ़ा दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : हम इसका विरोध करते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : हम विरोध करते हैं।

श्री विजयसिंह : हम भी इसका विरोध करते हैं, मेरी पार्टी भी विरोध करती है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह : नो सर, हमारी पार्टी इसका विरोध करती है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्यों कर रहे हैं ?

श्री विजयसिंह : नहीं, विरोध करेंगे । आपसे अकेले में बात कर ली, इसका मतलब क्या है ? हमारी पार्टी से पूछा तक नहीं गया, न सहयोग लिया गया।

श्री दिग्विजयसिंह : हमारी पार्टी से पूछा तक नहीं गया है दो-चार माननीय सदस्यों ने बात कर ली होगी।

श्री विजयसिंह : घर जाकर बात करली होगी । वी डू नॉट एग्री टू इट। वी हाइली ऑब्जेक्ट टू इट।

श्री रामकिशन : विधेयक पास हो तब तक के लिए कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपसे पूछ कर किया है। ऐसा नहीं है कि आपको बाध्य करें।

(विराम)

श्री रामचन्द्र आर्य क्या कह रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरे ख्याल से कल १० बजे तक समय बढ़ा दें तो २४ घंटे हो जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्षः इतना कष्ट नहीं देना चाहते।

श्री पृथ्वीसिंह : तो आज सारे का सारा बिजिनेस पास किया जाय बिना डिबेट किए प्रस्ताव वह रखें, मतदान पर रखें, अगर आपकी ऐसी मन्शा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पहले ही कहा है कि इस डिबेट को छोटा किया जा सकता था। यह महत्वपूर्ण बिल था इसलिए पूरी छूट रखी गई।

श्री पृथ्वीसिंह : इट विल टेक टाईम।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट काफी हो गई है। वैसे डिबेट का अंत भी नहीं होता है लेकिन इसमें जितने पहलू हो सकते हैं, उन पर माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए। अभी और कुछ कहना चाहें तो पूर्ण छूट होगी। मैंने जो कहा, आपकी तरफ से उसको मानकर इस बात को निभाया। इसको प्रस्ताव के रूप में लायें, ऐसी परम्परा सदन की नहीं रहती, आपका हमेशा सहयोग रहा है, इन मामलों में। इस बात को यहीं समाप्त किया जाय। मैं जानता हूं कि आपको कष्ट तो होगा...

श्री दिग्विजयसिंह : हमारी स्वतंत्र पार्टी बड़ी पार्टी है। सरकार ने हमसे पूछा ही नहीं, बात ही नहीं की ..

(श्री विजयसिंह व श्री दिग्विजयसिंह साथ साथ बोलने लगे)

Page No 154

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । स्थिति स्पष्ट कर दी । उन्होंने कहा है, जिस संबंध में बात करनी थी, वह १०-१५ मिनिट में करेंगे । बाद वाली बात नहीं हुई है यह अपनी तरफ से उन्होंने डिबेट करने के कुछ क्लाजेज के बारे में अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा है । बात करने का प्रश्न अवशेष है ।

श्री पृथ्वीसिंह : बात करने के बाद मामला सदन के सामने लेकर उसको निपटाया जायगा ।

(स्वतंत्र पार्टी के कुछ माननीय सदस्य साथ-साथ बोलने लगे ।)

श्री उपाध्यक्ष : विधि मंत्री महोदय ने यह बात कही थी । इस पर सदन के सामने प्रश्न रखा था, मैं समझता हूं, बात की जायगी....

(स्वतंत्र पार्टी के कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री पृथ्वीसिंह : जब तक विरोधियों से बात करें, इस मामले....

श्री उपाध्यक्ष : आप समझते हैं क्यों कि समय बढ़ा दिया इसलिए विरोधियों से किसी तरह से बात करने की जरूरत नहीं । यह तो इरादा नहीं हो सकता ।

श्री दिग्विजयसिंह : यह तो प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : चूंकि बात करने के समय आपने एतराज नहीं किया, इसलिए बात नहीं की जायगी....

श्री दिग्विजयसिंह : अभी जो मंत्री महोदय ने डिलीशन के क्लाज के बारे में कहा वह बात कैसे आई ?

श्री उपाध्यक्ष : आप शायद उपस्थित नहीं थे । इस संबंध में मंत्री महोदय ने शुरू में ही सदन में कहा था कि उसमें तो एक ही क्लॉज रखेंगे । यह बात मंत्री महोदय ने पहले ही कह दी थी । दूसरा पंचायतों का विधेयक आया था, उस संबंध में तय किया गया था कि मीटिंग हो लेकिन उस समय सदन के नेता और कार्य में व्यस्त थे । वह बात नहीं हो सकी । आप समझ गए हैं कि मीटिंग होकर डिलीट हुआ है, यह गलतफहमी हुई है ।

श्री पृथ्वीसिंह : ७॥ बजे तक के लिए समय बढ़ाया गया तो सारा बिजिनेस तय हो जाना चाहिए था ।

श्री उपाध्यक्ष : एक बिल के बारे में प्रस्ताव किया था । दूसरे बिल के बारे में १५ मिनट का समय वह चाहते हैं ।

श्री विजयसिंह : यह कोई आसन का सवाल नहीं है । यह सरकार से हमारा सवाल है । हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप बीच में न पड़ें । सरकार को चाहिये कि अगर इसको पास करवाना हो तो विधान सभा को १० दिन के बाद बुलायें, रेफर करें जिस प्रकार भी मर्जी हो लेकिन इस प्रकार समय बढ़ाकर सदन को चलाना उचित नहीं है । विधान सभा में तो लंच टाइम होता है न टी टाइम होता है, मंत्री लोग तो लंच के टाइम पधार जाते हैं, ये कभी बिराजते नहीं, सुनते नहीं केवल सुबह क्वेश्चन ऑवर में बिराजते हैं और जवाब के समय बिराजते हैं, केवल मात्र नंबर

Page No 155

(श्री विजयसिंह)

उपस्थित करने के लिये विराजते रहते हैं, हम लोगों को मौका नहीं मिलता। सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। इसके लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दो दिन से हम रात को ठीक १० बजे तक बैठे रहें। कृपया आज आगे न बढ़ायें।

श्री उपाध्यक्ष : उस बीच में बात हुई थी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपने आज्ञा दी है वह इस स्टेज पर स्वीकार कर लेनी चाहिये। परन्तु जैसे हम उधर बात कर रहे हैं, इस बिजिनेस और बिल के बारे में कि क्या व्यवस्था रखें? उसमें जैसे हम आपस में तय कर लें आया यह बिजिनेस आज सलटाना है या एक दो दिन के लिए बढ़ाना है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस बिजिनेस के लिए जो प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट है, इसको तो आज ही पारित करने के लिए निवेदन किया था और पंचायत समिति वाले विधेयक के लिए कहा था कि अंदर चलकर बात करते हैं....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अगर बात जब हम कर रहे हैं तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किस तरह से बिजिनेस को सलटाया जाय, तब तक यह कार्यवाही चलती रहेगी और जैसा सभी लोगों का निर्णय होगा....

श्री उपाध्यक्ष : सभी लोगों का निर्णय होने के बाद आसन को बीच में आने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। कृपया मिल लीजिए। उसके बाद में....

श्री दिग्विजयसिंह : हमको बुलायेंगे तो हम हाजिर हैं, बुलायें भी तो।

श्री विजयसिंह : बुलायेंगे तो बात करेंगे नहीं बुलायेंगे तो....

श्री गिरधारीलाल व्यास : १० बार बुलायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : बुलाने से अभी क्या फायदा? ७॥ बजे का समय था....

(स्वतंत्र पार्टी के कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री गिरधारीलाल व्यास : समय उपाध्यक्ष ने बढ़ा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : जहां से आपने वार्ता शुरू की थी, वहीं पर समाप्त कर रहे हैं।

(शोर-गुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : आज तक इस प्रकार नहीं हुआ। स्वतंत्र पार्टी के माननीय सदस्य इस प्रकार की आपत्ति नहीं उठायें।

श्री उपाध्यक्ष : गलतफहमी हो गई मुझसे।

श्री दिग्विजयसिंह : इसमें किसी प्रकार का प्रेस्टीज का सवाल नहीं है। माननीय सिंचाई मंत्री ने फरमाया था कि एक क्लॉज हम रख लेते हैं, बाकी निकाल लेंगे। और पंचायतों के बारे में बात कर लेंगे। तो मैं पूछता हूं कि कब बात तय हुई?

श्री उपाध्यक्ष : अभी मैंने निवेदन किया कि अभी बात होने वाली है।

Page No 156

श्री दिग्विजयसिंह : यू. आई॰ टी॰ का रेफरेन्स के आधार पर कहा कि ऐसा प्रस्ताव रखा है, दोनों बात कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें उन्होंने कहा, स्वीकार ही कर लिया। आपकी तरफ से संशोधन सब मान लिए और प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो एक स्टेज पूरा हो गया।

दूसरा प्रश्न था दूसरे विधेयक के बारे में, उस समय उन लोगों से बात नहीं हो सकी क्योंकि उस समय सदन के नेता महोदय और कमेटी में व्यस्त थे। इसलिए गलतफहमी हो गई। दोनों के बारे में चर्चा होनी थी। केवल एक के बारे में हो गई। उसमें स्वतंत्र पार्टी को शामिल नहीं किया गया। पहला विधयक अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के प्रस्ताव के लिए उन्होंने कहा था और प्रस्तुत कर दिया। दूसरे के लिए मीटिंग अब होने जा रही है। उस समय मैंने सदन की अनुमति से समय बढ़ाया है। इसलिए कृपया....

श्री दिग्विजयसिंह : अर्बन इम्प्रूवमेंट विधेयक वाले के लिए माननीय श्री दौलतराम सारण ३ बजे वाली मीटिंग में थे और हमने कहा था कि डिलीशन वाला मामला जचता नहीं। सारे बिल को कर लिया जाय, दो ही मेम्बर्स को आपने नॉमीनेट किया, अगली बार इनको निकाल देना। हम स्वयम् उस मिटिंग में मौजूदा थे।

श्री उपाध्यक्ष : उस कमेटी में आप इसको उठा सकते थे। मैं तो उस समय था नहीं। इस बिजिनेस को निपटा लें।

श्री दिग्विजयसिंह : हम किससे मिल लें ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी आपको निमन्त्रण दे देंगे।

श्री मूलचन्द डागा !

श्री मूलचन्द डागा : मैं, बोलना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लाभचन्द वैद।

(अनुपस्थित)

श्री डूंगाराम राजोरिया : टाइम की सीमा क्या रही ?

श्री उपाध्यक्ष : समय बढ़ा दिया।

श्री पृथ्वीसिंह चौहान !

श्री पृथ्वीसिंह : मैं बोलना नहीं चहता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) **:** उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान निवारक निरोध विधेयक पर जनमत जानने के लिये मेरा प्रस्ताव है। इस बिल के बारे में जो कुछ सदन में चर्चा हुई है उससे ऐसा लगता है कि····

श्री दिग्विजयसिंह : मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो आपने समय बढ़ाने की व्यवस्था दी है और बीच में कार्यवाही हुई है हमारी पार्टी निर्दोष है। हमारी पार्टी से सलाह तक नहीं ली गयी है। अतः इस बहस में हिस्सा हम नहीं ले सकते इसलिये मैं अपनी पार्टी के साथ सदन से इस के प्रोटेस्ट में बहिर्गमन करता हूं। अब आप खूब आराम से इसको पास करिये।

(स्वतन्त्र पार्टी द्वारा बहिर्गमन)

श्री रामचन्द्र आर्य : इस विधेयक को पारित किया जा कर तमाम विरोधी दलों को दबाने की चेष्टा की जा रही है। किसी प्रकार कानून बना कर लोगों को गिरफ्तार किया जाय। यह महज विरोधी पार्टियों को दबाने के लिये और अपना राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिये यह कानून लाया जा रहा है। मुझे अनूपगढ़ में गिरफ्तार किया मुख्य अभियुक्त सरदार सेवासिंह थे। हम बार-बार तारीखों पर जाते थे। सेवासिंह कलेक्टर और एस. पी. के पास रोजाना रहता था उसको गिरफ्तार नहीं किया। महज रामचन्द्र आर्य को परेशान करने के लिये उसको जेल में रखने के लिये ऐसा किया। इस प्रकार का दुरुपयोग करने के लिये ही यह बिल लाया जा रहा है।

गंगानगर जिले में किसान आन्दोलन के बारे में मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा की गयी थी उसके बारे में आज तक कोई अमल नहीं हुआ। अभी भी किसान परेशान हैं और गृह मंत्री और मुख्य मंत्री इस कानून के द्वारा वापिस काश्तकारों को दबा देंगे, जो भी आन्दोलन उठेगा उसको कुचल देंगे। जैसा गृह मंत्रीजी ने फरवरी में स्टेटमेन्ट दिया था कि गंगानगर में नक्सलवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं इसलिये मिलिट्री को तैनात कर दिया गया है। जब सारी स्थिति का अवलोकन किया गया तो उनकी हवा खिसक गयी। और कलेक्टर को कहा कि रिपोर्ट दो। वह झूठी रिपोर्ट देने से इनकार हो गया तो इन्होंने बहाना बना कर टाला कि कुछ हथियार पकड़े गये। मिलिट्री को फिर हटाया। उस आन्दोलन को कुचलने के लिये इसका उपयोग किया जायगा। आप कहते हैं कि राजनैतिक पार्टियों के लिये ऐसा नहीं करेंगे। आपने पहले ऐसा काम किया था इसलिये हमें ऐसा भरोसा हो गया है कि आप हम लोगों पर पाबन्दी लगाने के लिये इस प्रकार का काला कानून लाना चाहते हैं। आप अपनी पुलिस और निकम्मे भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में यह ताकत दे देना चाहते हैं। बिल में यह लिखा है कि जिला मजिस्ट्रेट या जिसको भी सरकार तैनात करेगी उसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही की जायगी। हम कैसे समझ लें कि आपके भ्रष्ट अधिकारी हमारे खिलाफ रिपोर्ट नहीं करेंगे? हम कैसे मान लें कि इस कानून के द्वारा हमें गिरफ्तार नहीं किया जावेगा? आपका कोई भरोसा नहीं है। आप पर कोई विश्वास नहीं रहा है। क्योंकि चार साल के काल में आपने जितने भी घृणित कार्य किये हैं वे जनता के सामने हैं और मैं प्रमाण सहित व्यासजी आपको कह देना चाहता हूं कि आपको मनुष्यता से दूर नहीं जाना चाहिये और आगे आने वाले जमाने में गृह मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन आज के किये हुए भ्रष्ट काम हमेशा समाज में कायम रहेंगे। इसलिये आपको और मुख्य मंत्रीजी को यह कह देना चाहता हूं कि इस काले कानून को आप वापिस ले लें या जनमत जानने के लिये इसको प्रसारित करें और इस बिल को अगले सेशन में लावें। जनता क्या कहती है यह आपको मालूम हो जावेगा। बारह तेरह घंटे बहस करके इसको पास करवाने पर तुले हुए हैं। क्या राजस्थान पर कहीं से हमला हो रहा है? जबरदस्ती ऐसा कानून पास करवाना चाहते हैं। इस कानून को आप उन गुंडों के खिलाफ काम में नहीं लेंगे जो दिन दहाड़े गंगानगर में गुन्डागर्दी करते हुए फिरते हैं। आपने आज तक उनको गिरफ्तार नहीं

(श्री रामचन्द्र आर्य)

किया। आज तक भी वे गंगानगर में बैठे हुए हैं।

(७.४० म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

हम कैसे मान सकते हैं कि आप इस काले कानून के द्वारा भी सही तरीके से नीति लागू करेंगे। आज गंगानगर में गुण्डागर्दी अपनी चरम सीमा पर है। गंगानगर में आठ माह में ८४ कत्ल हुए हैं। एक साल में ९०० आदमी आपकी महरबानी से राजस्थान में कत्ल हुए हैं। कातिल जिस मुकदमे में फंसता है उसका पैसा खाकर पुलिस से मुकदमा रिजेक्ट कर दिया जाके मुल्जिम को छोड़ दिया जाता है। इस कानून के द्वारा जहां आप राजस्थान में शांति स्थापित करने की आशा करतें हैं वह कभी भी आशा पूरी होने वाली नहीं है। यह सब आपकी भावनाओं पर निर्भर है। आपकी भावना सही नहीं है। भावना सही नहीं होने के कारण कानून के पास होने के बाद में भी सन्देह है, शान्ति स्थापित भी हो सकेगी या नहीं। आप इस कानून का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वन्दियों को कुचलने के लिये इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की धारायें आपने इस कानून में रखी हैं मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है; पांच दिन तक उसको अकारण बन्द रखा जायेगा, किसी अधिकारी के रिपोर्ट करने पर उसको पकड़ा जायगा। इससे अधिक लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है। आज की सरकार का प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रहा है। आपने जनतन्त्री तरीके से सरकार को हांसिल नहीं किया है। आपने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर यह सत्ता हांसिल की है, और स्वार्थी लोगों को चन्द चांदी के टुकड़ों में खरीद कर आपने नकली बहुमत बनाया है। यह आपका बहुमत नकली है। इसके बल पर आप प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं, यह कोई मानने वाला नहीं है। आपके कारनामों से ही प्रजातंत्र डूबेगा और उसके साथ-साथ आप भी डूबेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि हमारा बहुमत है। क्या जनता ने यह बहुमत आपको दिया है? वह सही मायने में तब माना जाता जब आम चुनाव में आपको बहुमत में जनता चुनती। आपने अल्पमत में होते हुए भी बहुमत बनाया है। आप उन्हीं विधायकों के जरिये जिनको आपने खरीदा है उनके द्वारा हां या ना बुलाकर इसको पास कर रहे हैं। चान्दी के टुकड़ों में खरीदे हुए भी लोगों के बल पर आपने बहुमत बनाया है। इन लोगों के इलाके की जनता को पूछो। आज उनके मन में उनके प्रति क्या भावनायें हैं। आज आप लोगों की कथनी और करनी में बहुत अन्तर हो गया है। आप सत्ता के बल पर आने वाला चुनाव जीतने की आशा करते हो। आपको मालूम होना चाहिये कि देश में पहले कितनी रियासतें थीं आज उनके राजा कहां हैं और अंग्रेज कहां हैं? आप जैसे कई आये और चले गये। फर्जी कार्यवाही करने वाले लोग ज्यादा दिन रहा नहीं करते हैं। आप इस तरह की फर्जी कार्यवाही नहीं करें, बहुमत के बल पर घृणित कार्य नहीं करें। इस तरह के काले कानून को जनता पसन्द नहीं करती। आपके पास जो खरीदे हुए लोग हैं उनके बलबूते पर आप बहुमत बनाये

Page No 159

(श्री रामचन्द्र आर्य) बैठे हैं, जिन्होंने वोट की कीमत उठायी है उनकी राय का कोई महत्त्व नहीं है। इसके लिये आप इस विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रसारित करें, आपको पता चल जायगा कि जनमत इसके अनुकूल है या नहीं। वोट खरीदकर बहुमत बनाकर आप इसे पास करने जा रहे हैं यह जनतन्त्री परम्परा नहीं है। आपने दो दिन पहले कर्मचारियों के खिलाफ काला कानून पास किया था। उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया। आज आप आम लोगों को इस कानून को गिरफ्त में ले रहे हैं। आपके जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, रिश्वतखोर हैं जिनकी सांठ-गांठ आप से रहती है। उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते, उनके लिये आप ऐसा कानून लाइये। उनके खिलाफ तो आप कानून लायेंगे नहीं। आप लोगों की नीतियों का जो लोग विरोध करते हैं उन लोगों के लिये आप यह कह कर कि ये लोग प्रान्त में अशान्ति फैला रहे हैं इनको गिरफ्तार किया जाय। इसीलिये कानून पास करवा रहे हैं। आप इस तरह के कानून पास करवाने की आप चेष्टा न करें। यह तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप और किसी को पकड़ें या न पकड़ें रामचन्द्र आर्य को तो जरूर पकड़ने वाले हैं।

एक माननीय सदस्य : आपको नहीं पकड़ेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको यह बता दूं कि इस बारे में जो आपकी धारणा है कि इसको व्यक्तिगत तौर पर प्रयोग किया जायगा, कदापि नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपकी जो दोरंगी नीति है उसी के कारण हम लोगों को यह भ्रम पैदा होता है। गंगानगर के लोग आपकी नीतियों के बारे में समझते हैं। जब हम विधान सभा से निवृत्त होकर वहां जायेंगे और उनको बतायेंगे कि इस प्रकार का काला कानून पास किया गया है तो उनकी जो प्रतिक्रिया होगी वह क्या होगी? यह आपको पता चल जायगा। आज पाकिस्तान को हमारे हक का पानी जा रहा है। हमारे यहां के लोग पानी बिना प्यासे मर रहे हैं। बीकानेर डिविजन को पानी नहीं मिलता है। ये सब बातें मैं स्टेज पर कहूंगा तो आप मेरे खिलाफ वारन्ट जारी करेंगे ही। मैं तो यह समझता हूं मुझे आप जाने के बाद गिरफ्तार करें अच्छा तो यह होगा आप यहीं पर ही मुझे गिरफ्तार कर लें। आपकी मन्शा है गंगानगर जिले के लोगों को दबाने के लिये, आप इस कानून का प्रयोग करेंगे। आज तक वहां के काश्तकारों को जो ३३ मांगें हैं वे मन्जूर नहीं हुई हैं। मुख्य मंत्री की घोषणा पर अमल नहीं हुआ है। इससे वहां के काश्तकारों में असन्तोष है। वे आज सरकार के खिलाफ लड़े हैं। या तो आप उनकी मांगें मन्जूर करें नहीं तो वे लोग राजस्थान से पृथक् होने की मांग करेंगे। आपको इस कानून को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं। सरकार के विरोध के कारण मैं जेल में रहा हूं और आज भी इसके लिये तैयार हूं। मैं आपका व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं, आपकी नीतियों का विरोधी हूं। मुझे इस बात की चिन्ता नहीं आप मुझे पकड़ कर जेल में डाल देंगे कम से कम प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले लोग सरकार में बैठ कर इस प्रकार के कानून बनाकर उसका उपयोग जनता पर करना चाहे यह प्रजातंत्र का गला घोंटने के समान

(श्री रामचन्द्र आर्य)

है। आपको पता होना चाहिये यह प्रजातंत्र आसानी से नहीं मिला था। आप लोग ज्यादातर ५०-५२ के मॉडल यहां नजर आ रहे हैं। आजादी किस तरह से मिलती है यह आपको पता नहीं है। आजादी के लिये लोगों ने किस प्रकार से कष्ट उठाये ? किस प्रकार हंसते-हंसते फांसी पर लटक गये। तब जाकर हिन्दुस्तान आजाद हुआ है। आप इस तरह से कानून लाकर जनता का शोषण करना चाहते हैं और आप उनको दबा पायेंगे यह आपका भ्रम है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें अब।

श्री रामचन्द्र आर्य : समय तो २४ घंटा रखा हुआ है।

एक माननीय सदस्य : थोड़ी रियायत दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : दे दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं फिर कह देना चाहता हूं इस शासन के भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट अधिकारी गंगानगर के लोगों के साथ में ज्यादतियां कर रहे हैं उनको आप गिरफ्तार करें। आज गंगानगर में गुण्डागर्दी चरम सीमा पर है। आमने-सामने गोलियां चलती हैं। मैंने इस बारे में स्थगन प्रस्ताव भी रखा था...

(७.४८ म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामचन्द्र आर्य : भैंरूसर, खैरासरी जाडेडावाली में गोलियां चलीं। आज वहां पर आप देखें वहां पर पचास आदमी राइफल लिये हुए घूम रहे हैं। अनूपगढ़ तहसील में राज्य मंत्री के जो पक्ष वाले लोग हैं वे सरे आम लूट कर रहे हैं। जबरदस्ती लोगों की फसल काट लेते हैं। पुलिस आई० जी० के सुपुत्र वहां सरे आम चक्कर लगा रहे हैं जमीनों पर कब्जा कर रखा है। गरीबों की कत्ल की जाती है। उन पर आपका किसी प्रकार भी कानून लागू होने वाला नहीं। आप यदि इन लोगों को गिरफ्तार कर इस कानून के तहत उनको सजा दिलाने की बात करें तो हम इसको समझ सकते हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आई० जी० पी० के लड़के को तो वहां दो मुरब्बा जमीन एलॉट हुई है।

श्री रामचन्द्र आर्य : वहां पर तो इन्होंने अपना राज्य कायम कर रखा है आई०जी०पी० का लड़का और मनफूलसिंह के आदमियों का एक इनका गेंग बना हुआ है। जीपें खड़ी हुई हैं, ट्रेक्टर खड़े हैं जमीन किसी के नाम की है और अनधिकृत तौर से उन जमीनों पर वे फसलें पैदा करते हैं। मैं सुनी सुनाई बातों पर आपको भरोसा करने के लिये नहीं कहता। मैं जो सत्य बात देखता हूं वही कहता हूं। अनूपगढ़ तहसील के कडसाणा में आपकी प्रजातंत्री हकूमत का कोई असर नहीं है। हो भी कैसे सकता है ? फरजी सरकार, फरजी काम करने वाले मंत्रीगण जनता पर गोलियां चलाकर अपना राज कायम करने वाले प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं यह सरकार घोर अप्रजातन्त्री और पूंजीपतियों की समर्थक है इनसे इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल के बारे में पब्लिक को जानकारी देने का जो प्रस्ताव

(श्री रामचन्द्र आर्य)

रखा है उसको पेश करता हूं राजस्थान की सवा दो करोड़ जनता में जब यह बिल प्रकाशित होगा तब पता चलेगा। तब यह महसूस करेंगे कि राजस्थान की सरकार क्या करने जा रही है और किस प्रकार के काले कानून बनाकर जनता की हत्या करने पर तुली हुई है। यह मैं जानता हूं कि आपके खरीदे हुये वोट आपको मिल जायेंगे और यह बिल पास हो जायगा चाहे हम कितना ही विरोध करें। यह हाउस में पास हो जायगा लेकिन मैं इसको पास हुआ नहीं मानता, क्योंकि यह जनतन्त्र की सरकार का पास किया हुआ नहीं है। मैं इस बिल को चैलेन्ज करता हूं। जिस तरह गंगानगर में एक अध्यादेश के जरिये एक साल की सजा और एक हजार रुपया जुर्माना, बिना वारन्ट गिरफ्तारी वह कानून कितने दिन चला। मैं जानता हूं कि इस सरकार की कितनी ताकत है? एक जिले की ताकत सहन नहीं कर सकी। यदि राजस्थान की दो करोड़ जनता ने इस काले कानून के पीछे आन्दोलन छेड़ दिया तो आप एक दिन नहीं टिक सकेंगे। आप गंगानगर जिले को मिलट्री द्वारा नहीं दबा सके। एक जिले के बन्दियों के लिये आपके पास जेलें नहीं थी। कभी गिरफ्तार लोगों को जोधपुर की जेल में भेजते हैं, तो कभी उदयपुर की जेल में भेजते हैं—कभी कौनसी जेल में कभी कौनसी जेल में, आपके राजस्थान की सारी जेलें भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, धौलपुर आदि सत्याग्रहियों से भर गई थीं। जेलों के भरने के बाद आप सत्याग्रहियों को लेकर फिरते हैं और आपको कोई स्थान नहीं मिला।

आज कोई भी सरकार जुल्म करने वाले को गिरफ्तार न करे इस सरकार ने यह व्यवस्था कायम की कि गिरफ्तारी न की जाय चाहे कुछ भी करें लेकिन गिरफ्तार न करें। यह तो आपकी हालत हो गई थी। लोग बसों में फिरते फिरे, जयपुर आये धरणा दिया, सारा काम ठप्प हो गया, पटवारी रेकार्ड छोड़कर भाग गये। कोई प्रशासन जैसी चीज नहीं रही और गिरफ्तारी न करने से इनका पिन्डा छूटा। तो क्या इस कानून के द्वारा गिरफ्तार कर सकेंगे? आपकी ताकत है? मुझे आपने अनूपगढ़ में गिरफ्तार किया और क्या हालत हुई? आप इस कानून के तहत गिरफ्तार करेंगे तो मैं कहता हूं कि १५ दिन के भीतर भीतर राजस्थान में आग लग जायगी। अगर आप में जरा भी ईमानदारी है तो इस बिल को वापस ले लेना चाहिये और जो इस बिल में व्यवस्था दी है पांच दिन तक बिना कारण रखा जायगा....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : १२ दिन रखा है, पांच दिन नहीं है...

(विराम)

श्री रामचन्द्र आर्य : १२ सही अब मैं अन्त में एक बात कह देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो यहां बैठे हैं और जो सरकारी पक्ष में हैं उनको इस बिल की गंभीरता पर विचार करना चाहिये। एक साल का और समय है, आप लोग खरीद कर गये हैं उनको वापिस नहीं आना है। उनको पाबन्दी लूप लगा देने वाली है। आप अपराध के भागीदार मत बनो। आप लोगों का जो वोट की कीमत है वह वसूल हो गई है, जनता के साथ जो गद्दारों की वह काफी है। अब इस बिल के पक्ष में वोट देकर जनता के गले पर छुरी न फेरें, यह मैं कहना चाहता हूं। अभी कांग्रेसी जीतकर आये हैं अपनी

(श्री रामचन्द्र आर्य)

जजबात और ईमानदारी का पट्टा रखते हैं आज उनको भी सोचने की जरूरत है। कभी इधर आकर बैठना पड़ जाय, कोई भी सरकार आयेगी तो आप पर भी लागू हो सकता है इसलिए इस काले कानून का विरोध होना चाहिये यह पास नहीं होना चाहिये और यही मेरा निवेदन है। मेरा प्रस्ताव पेश करते हुए इसको जनमत जानने हेतु प्रचलित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालसिंह सोढ़ा।

(अनुपस्थित)

श्री हरजीराम बुरड़क।

(अनुपस्थित)

श्री रूपसिंह।

श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान निवारक निरोध विधेयक, १९७० पेश किया गया है। इसके लिये मुझे यह अर्ज करना है इस एक्ट की धारा (३) इस प्रकार है—

"(i) the security of the State or the maintenance of the public order, or

(ii) the maintenance of supplies and services essential to the community."

यदि यह बिल सिक्योरिटी ऑफ दी स्टेट के लिये ही लाया जाता तो मुझे कहने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि हमारे स्टेट की सिक्योरिटी रखना तमाम भारतवासियों का फर्ज हो जाता है। इससे मैं सहमत हूं लेकिन जहां तक "the maintenance of supplies and services essential to the community" सवाल है इससे सहमत नहीं हूं। यह पब्लिक से सम्बन्ध रखने वाला है। क्योंकि इससे जो इफैक्ट होगा वह पब्लिक के आदमियों पर होगा। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिये यह बिल लाये लेकिन यह पब्लिक के आदमियों के लिये भी लाना माना जायगा। सरकारी मुलाजिमान के लिए कोड ऑफ कण्डक्ट रूल्स है उससे डिसीप्लिन मेन्टेन किया जा सकता है। यदि इससे सरकारी मुलाजिमान कन्ट्रोल न हों तो दूसरे एक्ट है उनको लागू किया जा सकता है लेकिन इस एक्ट को लाकर दूसरों को दमन करने की नीति अपनायी जायगी. इसलिए we should reject it outright. ब्लेक मार्केटिंग है, स्मगलिंग या दूसरे ऐसे काम करने वाले हैं, इनको गिरफ्तार करने के लिए ऐसा बिल लाया जा सकता है न कि सरकारी मुलाजिमान को गिरफ्तार करने के लिए। इसलिए लाजमी है कि इस बिल को पास करने से पहले जनमत जानने हेतु प्रचलित किया जाय। इस बिल की धारा तीन के अन्दर गवर्नमेंट को राइट दिया गया है वह राइट कलक्टर व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सप्लाई कर सकते हैं। वे सेटिसफाई हो जायं तो उसे गिरफ्तार करके १२ दिन तक रख सकते हैं, यह समय बहुत ज्यादा है इसके लिये पब्लिक का जनमत जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा दफा (७) के अन्दर जिस आदमी को गिरफ्तार करते हैं उसको नोटिस देना पड़ता है कि पर्टिक्यूलर ऐलीगेशन होने से गिरफ्तार किया गया है लेकिन इस एक्ट के अनुसार पांच दिन तो बिना फेक्ट्स बताये रख सकते हैं और १२ दिन तक गवर्नमेंट की सेंक्शन आये तब तक रख सकते हैं। इसके अलावा पनिशमेंट की धारा में वह तीन माह का समय रखा गया है। लेकिन

(श्री रूपसिंह)

सजा कैसी व कितनी होनी चाहिये इसके लिए यह कहना पड़ेगा कि यह सजा जो रखी है वह बहुत ज्यादा है उसके लिये जब तक जनमत नहीं जान लिया जाय तब तक इस एक्ट को पारित नहीं किया जाना चाहिये। हम तो पब्लिक के रिप्रजन्टेटिव हैं, सो हमारा फर्ज है कि हम फेक्ट्स पब्लिक के सामने रखें इसलिये पब्लिक ओपीनियन जानने के लिये इस बिल को पब्लिक के पास भेजें। अगर यह बिल डिफेन्स ऑफ बोर्डर से महज संबन्ध रखता है तो आप ला सकते हैं लेकिन पब्लिक से जो सम्बन्ध रखने वाला है उसमें पब्लिक ओपीनियन का होना जरूरी है। यह बिल राजनैतिक बदला लेने की भावना से लाया गया है, इसलिये मेरा निवेदन है इस बिल को पारित करने से पहले जनमत जानने के लिये भेजा जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ कि इस बिल में जो आरग्यूमेन्ट्स एडवान्स किये गये। मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा पब्लिक आर्डर और एसेन्शल सप्लाईज के संबंध में कि ये तो मामूली बातें हैं और उन्होंने सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को तो सही माना लेकिन पब्लिक ऑर्डर और एसेन्शल सप्लाईज को मामूली बात माना है। उपाध्यक्ष महोदय, सन् ५० से लेकर ६८ तक सुप्रीम कोर्ट और अन्य हिन्दुस्तान को जो हाईकोर्ट्स हैं उनकी जितनी भी नजीरें हैं वह एक बात की और इशारा करती हैं कि पब्लिक ऑर्डर और मेन्टीनेन्स ऑफ एसेन्शल सप्लाईज एण्ड मेन्टीनेन्स ऑफ एसेन्शल सर्विसेस कोई साधारण बात नहीं है। When they affect the security of the State, तब जाकर प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट लागू होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की नम्बर ग्राफ नजीरें हैं, उन पर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि समय काफी हो चुका है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि यहां जनतंत्र का डायलेमा हो रहा है, हम कान्स्टीट्यूशन के प्राणी हैं और हमारा जीवन कान्स्टीट्यूशन के ऊपर आधारित है...

श्री रामचन्द्र आर्य : कितने हैं आप ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हम कान्स्टीट्यूशन के ही आधार पर चुनकर यहां विधान सभा में आकर बैठे हैं। पालियामेन्टरी डेमोक्रेसी को हमने अपनाया है लेकिन ताज्जुब की बात है कि हमारे यहां जनतंत्र और समाजवाद का संघर्ष कैसे आ रहा है। फण्डामेन्टल राइट्स का नाम लेते हैं और कान्स्टीट्यूशन को फ़ेंकने की बातें करते हैं और इसके लिए तैयार बैठे हैं। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं यहां देखता हूं कि जब इस तरह का लॉ आता है कि जहां सिक्योरिटी ग्राफ स्टेट का क्वेश्चन आता है और दूसरे जो अलाइड मैटर्स हैं इसके लिए जब लॉ आता है तो विरोधी दल के माननीय सदस्य उसकी खिलाफत करने खड़े हो जाते हैं। अभी यह प्यूनेटिव एक्ट नहीं है बल्कि प्रिवेन्टिव एक्ट है। इसके पीछे भावना यह है कि आप ऐसा काम न करो जो देश को खतरे में डाल दे, ऐसा काम न करो जो कि एसेन्शल सप्लाईज को खतरे में डाल दे, ऐसा काम न करो जो पब्लिक ऑर्डर का सत्यानाश कर दे। इसलिए आपको प्रिवेन्ट करने के लिए लेजिस्लेशन किया जाता है।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

दूसरी तरफ से आवाज आ रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए कानून है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इतने वर्षों से यह कानून रहा है किसी एक को भी गिरफ्तार किया है ? मुझे मालूम होता है कि समाजवाद की स्थापना के संबंध में जो हमने कान्स्टीट्यूशन ५० में बनाया उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है लेकिन आज जिस अवस्था में हम बैठे हैं, जो आज देश की हालत है–चारों तरफ हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं और देश में ऐसे तत्व हैं....

श्री रामचन्द्र आर्य : इस राजस्थान के आप ही दुश्मन हो।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : देश में ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनके लिए बहुत साफ तौर से यह कहा जा सकता है कि जो सिक्योरिटी आफ स्टेट है, वह बहुत बड़ी खतरे में है। और मैं यह बताना चाहता हूं कि जो आप हमारे सामने कहना चाहते हैं कि जनतंत्र में विश्वास नहीं करते, पालियामेन्टरी डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते और इस कान्स्टीट्यूशन की शपथ खाकर इस सदन में बैठे हैं मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य होता है जब कि माननीय सदस्य इस प्रकार की बातें यहां कहते हैं।

मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा कि यह प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट इस लेजिस्लेचर या पार्लियामेन्ट की देन नहीं है, हमारी कान्स्टीट्यूऐंट असैम्बली जो सन् २२ में आई थी उस समय आया था और यह हमारा फण्डामेन्टल राइट है कि बिना नोटिस दिये कोई गिरफ्तार करके नहीं रखे लेकिन प्रिवेन्टिव डिटेन्शन होगा तो उसमें ३ महीने के लिए है सिक्योरिटी आॅफ स्टेट हमें रखने का इस कान्स्टीट्यूशन में आर्टीकल २२ में अधिकार दिया है। मगर हम यह अनुभव करते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी इतनी आगे बढ़ गयी है और हमारा जनतंत्र इतना आगे बढ़ गया है और हमारी पर्सनल लिबर्टी इतनी आगे बढ़ गयी है कि वह हमारी आजादी का हनन है और हम फील करते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पहले कि हम कान्स्टीट्यूशन को अमेन्ड करें और कान्स्टीट्यूशन को अमेण्ड करके उसके तहत वह चीज पैदा करें जिससे हमारे सब अधिकार वहां पर रहें सबसे पहले मैं नजीर कोट करना चाहता हूं, मैं और समय नहीं लेता हुआ सन् ५० में जब प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट बनाया गया, किस के लिए बनाया गया, कैसी अवस्था थी, देश के विभाजन के बाद वह उनके लिए बनाया गया था कि जो देश में ऐसे तत्व थे जो कि देश के लिए खतरा बन सकते थे। देश में हम अनुभव करते जा रहे थे कि अगर जनतंत्र की रक्षा करनी है तो प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्य यह फील न करें कि प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट से उनकी आजादी के ऊपर आघात होगा। सुप्रीम कोर्ट जो कि देश की सबसे बड़ी पावर है उसको अब तक की नजरें सामने हैं। इसलिए मैं एक शब्द जो इसके प्रारम्भिक कान्स्टीट्यूशन का है उसको कोट करके सदन से आशा करूंगा कि राजस्थान सरकार यह प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट लाये और यह बहुत आवश्यक है और हमारा अधिकार

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

है इसको बनाने का। मैं अपना स्टेटमेन्ट अधिक समय नहीं लेकर समाप्त करूंगा :

"There cannot be any such thing as absolute and uncontrolled liberty, as it will lead to anarchy."

आपकी इन्डिविजुअल लिबर्टी इक्सेसिव है अगर वह सारे समाज को तेशनेस करने पर उतारू हो जाये तो आप समाज की लिबर्टी को रखने का प्रयत्न करेंगे या इन्डिविजुअल लिबर्टी को ? समाज की लिबर्टी को कायम रखने के लिए कभी-कभी इन्डिविजुअल लिबर्टी को भी दबाना पड़ता है, इन्डिविजुअल लिबर्टी के भी चेक करना पड़ता है। जो लोकतंत्र में और संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करते हैं उनके लिए आवश्यक है कि समाज के हितों की रक्षा हो और इन्डिविजुअल लिबर्टी खतरे में पड़ती है तो उस लिबर्टी को राष्ट्र के लिए हमें छोड़ना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही निवेदन करते हुए स्थान ग्रहण करूंगा हमें इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि इसके द्वारा समाजवाद अमल में आ सकेगा। लेकिन समाजवाद और इसके बीच में संघर्ष....

श्री रामचन्द्र आर्य : समाजवाद के मायने भी जानते हैं, क्या है ? आपने इसका समर्थन तो कर दिया लेकिन समाजवाद है क्या ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मुझे नहीं मालूम कि समाजवाद क्या है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवाद की स्थापना के लिए प्रजातन्त्र हमारे यहां है और प्रजातन्त्र में एब्सोल्यूट लिबर्टी किसी सिटीजन को नहीं होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा कान्स्टीट्यूशन जो बनाया गया है वह एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है और धीरे-धीरे एमेंडमेंट के द्वारा उसमें खिड़कियां रखी जा रही हैं, किसी जगह पर दरवाजे लगाये जा रहे हैं और किसी जगह पर वेन्टीलेशन और इन्सीडेंटली एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। इसका हमें अभिमान है और हर कान्स्टीट्यूशन एमेंडमेंट के बाद हमारे कान्स्टीट्यूशन की एक स्थिति बनती चली गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक दिन का काम नहीं है। हमारे एक समाजवादी भाई साहब ने बहुत बड़े-बड़े सिद्धान्त रखे थे कि समाज को यह कर देना चाहिए वह कर देना चाहिये। २० वर्ष की आजादी के बाद जब कठिन संघर्षों से हमारा आजाद देश गुजर रहा है उसको देखते हुए हमारा कर्तव्य है कि हमें समाज को जब इन्डिविजुअल लिबर्टी पर खतरा होता है तो हमें जबरदस्त उसके खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : जब आसन खड़ा हो तो व्यवस्था का प्रश्न खड़ा नहीं होता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपकी और मौजूदगी में मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि सुबह उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे आश्वासन दिया था कि उन १७ हरिजन परिवारों के बारे में सरकार की ओर

(श्री रामचन्द्र आर्य)

से कोई वक्तव्य दिया जायगा, लेकिन सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है और यह कहा गया है कि उपाध्यक्ष महोदय, ने कोई ऐसी बात नहीं कही थी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं स्पष्टीकरण कर देता हूं। सुबह जब आपने यह प्रश्न पूछा था तो मैंने उस स्थगन-प्रस्ताव को तो अस्वीकार कर दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि राज्य सरकार के मंत्रीगण कुछ कहना चाहते हैं इसलिए मैंने निवेदन किया था। लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं कहा था कि स्टेटमेंट दिलाया जायगा। जब आपने सायं काल के समय इस प्रश्न को उठाया उस समय आपने यह प्रश्न पूछा था कि ऐसा आश्वासन दिया गया था।

श्री रामचन्द्र आर्य : (एक बिल्ली के सदन में फिरने पर) यह बिल्ली इस सदन में किसकी इजाजत से आई है? इसको रोकते नहीं हैं कोई? (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

इस तरह का मैंने इसलिए निवेदन किया था। वक्तव्य दिलाने के लिए निवेदन नहीं किया था। मुझे संकेत मिला था कि उस सम्बन्ध में मंत्रीगण कुछ कहना चाहते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : भूल हुई। मैं उस समय नहीं बैठता तो कहना पड़ता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी भी ये निवेदन कर रहे हैं। गवर्नमेंट उस बारे में अभी भी किसी तरह का स्टेटमेंट दे दे।

श्री उपाध्यक्ष : जो यह विषय हाथ में है यह निकल जाय तो उसके बारे में मैं पूछ लूंगा कि क्या कहना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : फिर तो भाग जायेंगे और आप किस से पूछेंगे?

श्री श्रवणलाल : यह हरिजनों के सम्बन्ध का प्रश्न है और १७ परिवारों का प्रश्न है और सदन समाप्त होने जा रहा है और उसके बाद में अगला सेशन न जाने कब जाकर मीट करेगा तो मैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया है। मैंने निवेदन किया है कि यदि सरकार चाहे तो मैं अवसर दे दूंगा जो हाथ में बिजनेस है उसके बाद में कि वे कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं। यह काफी होना चाहिए इसके लिए।
(कुछ माननीय सदस्यों के उठने पर)
आर्डर प्लीज!

जिन माननीय सदस्यों के प्रस्ताव थे जनमत जानने हेतु और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने हेतु, वे सब माननीय सदस्य चर्चा में हिस्सा ले चुके हैं। काफी समय हो गया है इसलिये माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अगर कुछ बोलना चाहें तो समय-सीमा निर्धारित कर लें....

श्री दौलतराम सारण : (बिल्ली के उनकी तरफ जाने पर) यदि यह बिल्ली हड़की हुई तो खतरा हो जायगा। इसलिए मिनिस्टर फार पालियामेंट्री अफेयर्स को....

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए कुछ माननीय सदस्य बोलने की इच्छा रखते हैं तो समय सीमा ५-१० मिनिट तक है इस प्रस्ताव पर।

श्री शंकरसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : पारण का प्रस्ताव आये उस समय बोल लेना। इस वक्त इस पर काफी चर्चा हो गई है। मैं समझता हूं कि जब पारण का प्रस्ताव आयेगा उस समय भी एक और अवसर आयेगा। मैं समझता हूं कि उस समय आप बोलें तो ठीक रहेगा। मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी अवसर दिया जायेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं इसकी आत्मा के बारे में बोल दूं फिर क्लॉज बाई क्लाज प्वाइंट ऑफ व्यू रखने में सुविधा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप उस वक्त बोल सकते हैं। रेलेवेन्सी डाइरेक्टल नहीं चलेगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी फिलीबस्टरिंग की आदत नहीं है इसमें जो शेड्यूल दिये हैं उनमें फिली-बस्टरिंग चला है। परन्तु अपना दृष्टिकोण और तमाम चीजें....

श्री उपाध्यक्ष : तो मैंने निवेदन किया है कि आपको अवसर दिया जायेगा। यह स्टेज निकल जाय तब मैं अवसर दे दूंगा जब आप चाहें तब। सिद्धान्तों पर चर्चा हो चुकी है। काफी इसका समय विस्तृत होता जा रहा है यह माननीय सदस्य की जानकारी में है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : १० मिनिट के लिए रख दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप उस वक्त १५ मिनिट ले लें ऐसा है कि सभी माननीय सदस्य हिस्सा लेना चाहेंगे। मैं समझता हूं कि उस समय आप बोल लें। तब आपको भी यह सन्तोष हो जायगा कि काम आगे बढ़ रहा है।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित करने के लिए माननीय श्री शिवनाथसिंह, श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री रूपसिंह राजवी ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, यह सिलेक्ट कमेटी के पश्चात् मैं अपनी चीजें रख दूं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कोई अन्तर नहीं पड़ेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं १० मिनिट से ज्यादा समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्षजी, इस वक्त एक ऐसा काला कानून इस सदन के प्रांगण में विचाराधीन है जिसके बारे में हिन्दुस्तान के और खास तौर से राजस्थान की हिस्ट्री में कोई स्थान रखा जायगा। मैं निहायत नम्रता के साथ निवेदन करूं ज्यादा लम्बे-चौड़े में न जाकर मैं आपका ध्यान १९३५ के कान्स्टीट्यूशनल प्रोवीजन्स की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। उसके अन्तर्गत ब्लेक मार्केटियर्स और दूसरे जो लोग थे उनके खिलाफ

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

प्रिवेन्टिव डिटेन्शन की कार्यवाही नहीं की जा सकती थी, परन्तु इस एक्ट के जो प्रोवीजन्स हैं उनको अगर गौर से देखा जाय तो खास तौर से जो शब्द हैं वे शब्द ये हैं उपाध्यक्ष महोदय—

"Maintenance of public order and maintenance of supplies and services essential to the community."

इस तरह से इन दोनों के लिए प्रोवीजन्स हैं। इन दोनों प्रोवीजन्स में दो अलग-अलग चीजें हैं–एक तो सेफ्टी ऑफ दी स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ दी स्टेट और दूसरा पब्लिक ऑर्डर। ये तो एक केटेगरी में आते हैं और दूसरी केटेगरी में ब्लैक मार्केटियर्स और रिश्वतखोर हैं जो कि समाज में अनैतिकता फैलाना चाहते हैं इस प्रकार के लोग हैं। मैंने माननीय गृह मंत्रीजी ने जो रीजन्स स्टेट किये थे उनको बड़े गौर से सुना। मैं नम्रता के साथ निवेदन करूं कि अगर गृह मंत्रीजी की इस एक्ट को लाने की मन्शा केवल यह है कि हिन्दुस्तान में जो पाक नेशनल्स और एन्टी नेशनल एक्टिविटीज करना चाहते हैं उनसे सेफगार्ड करना चाहते हैं तो मैं निहायत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि इस एक्ट को लाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे तरीके से कहें और आयें और हम सहयोग देने को तैयार हैं। मैं यह बात कहकर चलता हूं कि यह जो १४ क्लॉज एक्ट की हैं या दूसरे इसके प्रोवीजन्स हैं, वे इसको कवर नहीं करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि जो इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्डल्ज होते हैं, एस्पाई के रूप में इन्डल्ज होते हैं जिनको आप इस प्रकार से करना चाहते हैं उनके लिए स्पेसिफिक लेजिस्लेशन लाइये। इस सदन को कान्फीडेन्स में लीजिये मेरी ऐसी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे इधर बैठने वाला हो चाहे उधर बैठने वाला हो जहां पर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का सवाल है, उसके लिए एतराज करने के लिए तैयार नहीं होगा। परन्तु इसके अलावा मेन्टीनेन्स ऑफ ऑर्डर और पब्लिक पीस का सवाल है यह बात समझ में नहीं आती है। मेन्टीनेन्स ऑफ आर्डर और पब्लिक पीस का मतलब क्या है? क्या डेफिनिशन आप लाना चाहते हैं इस एक्ट के अन्दर उसको किसी भी तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है। मेरी यह मान्यता है कानूनी नुक्ते नजरिये से कि पब्लिक ऑर्डर के मेन्टीनेन्स से आपका क्या मतलब है? इस प्रकार का जुडिशियरी का द्रष्टान्त ज्यादातर देखने पर भी नहीं मिला....

मैं अत्यन्त नम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं, आर्टिकल २२ कान्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया, १६३५, ऐसी धारा है कि कोई व्यक्ति डिटेन नहीं किया जायगा। अरेस्ट करने के २४ घण्टे के बाद मजिस्ट्रेट को पेश करना होगा। फिर जो प्रोसीजर है, वह किया जायगा। यह आर्टिकिल २२ पढ़िये। वह जो प्रावीजो है, हमारी जो लिबर्टी है उस पर तो इन्क्रोचमेण्ट है। सेक्शन २२ इसके अन्दर है। इस एक्ट और प्रोवीजन को मिलाकर देखेंगे तो इसमें यह समझ में आ जाएगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा टू दी प्वाइण्ट आखिर में नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा। मैं एक और आर्टिकल आप की जानकारी में लाना चाहता हूं Article 22 (4):—

"No law providing for prevent-ive detention shall authorise the

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

detention of a person for a longer period than three months unless—

(a) an Advisory Board consisting of persons who are, or have been, or are qualified to be appointed as, Judges of a High Court, has reported before the expiration of the said period of three months that there is in its opinion sufficient cause for such detention;"

यानी हाईकोर्ट का जज जस्टीफाई करार नहीं कर दें तब तक कोई भी आदमी तीन महीने से ज्यादा डिटेन्शन में नहीं रखा जाएगा, इस कानून का मतलब जो कान्स्टीट्यूशन के फण्डामेण्टल राइट्स हैं उसमें। मैं अत्यन्त नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा। आपने इसमें क्या एक क्लॉज छोड़ दिया? नये सिरे से अगर दुबारा गिरफ्तार करना पड़े तो दुबारा गिरफ्तार कर सकेंगे। इसके लिए क्लॉज ९ छोड़ दिया। ९ क्लॉज में कर दिया है....

श्री दामोदरलाल व्यास : On fresh grounds, not on previous grounds.

इसमें यह स्थिति दी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह मैं पढ़कर सुनाता हूं—

"The revocation or expiry of a detention order shall not bar the making of a fresh detention order under section 3 against the same person in any case where fresh facts have arisen..."

तो सब्मीशन यह है मेरा निवेदन यह है उपाध्यक्ष महोदय, ५-४ ग्राउन्ड कर लिये जायें, उसमें यह बातें कर ली जायें। जो यह सम्भावना है उसे छोड़ देंगे तो यह ऐसा जरूर हो जाएगा। फ्रेश ग्राउण्ड हो जायेंगे। अगर लेना ही चाहते हैं तो क्लीयर तरीके से आयें। आप जो अधिकार लेना चाहें वह लीजिये। आप विद् इन दी कान्स्टीट्यूशन लीजिये। आप, तीन महीने से ज्यादा डिटेन करने को पावर है तो हाईकोर्ट के जजेज की कैपिसिटी का बोर्ड बनाइये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मिस्टर नाहर का अमेण्डमेण्ट है। आप सभी सहमत हों और मंजूर करते हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा अमेण्डमेन्ट है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप इसमें इस प्रकार लाते तो इसका नक्शा ही दूसरा होता। जो अमेण्डमेण्ट आएगा, प्रस्ताव करने वाले करें या न करें, आप स्वीकार करें या न करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप अपनी तरफ से तैयार कीजिये लोगों को। मैं तैयार हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह सोच होना चाहिए। एक चीज और बड़ी मजेदार रख दी है। यह आर्टिकल २२ के अन्तर्गत यह क्लॉज है। यह प्रोवीजन है कि कोई व्यक्ति अरेस्ट है या डिटेन है, उसे अपना फण्डामेण्टल राइट होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी क्या जरूरत है?

Page No 170

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसकी मंशा यह है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो बिल में है—That need not be repeated in any Bill or Act. That is a simple matter.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : There is nothing like that in the Constitution.

श्री उपाध्यक्ष : उनको अपना १० मिनट का समय समाप्त कर लेने दीजिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक चीज और है। कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने के लिए, पार्टीज के सामने रिप्रेजेन्ट करने के लिए अवसर मिलेगा —

He can make a representation before the State Government.

यहां पर प्रोवाइड कर दिया। वह आदमी जिसको नजरबन्द किया गया, उस व्यक्ति को रिप्रेजेण्ट करने की इजाजत है। मतलब वह अभियोग करता है और जो अभियोग लगायेगा, हम रिप्रेजेण्ट करें तो उसके सामने करें। यह बहुत ही असंगत बात है। मैं नम्रता से निवेदन करूं, इन प्रोवीजनों को देखते हुये तो ये चीजें पैदा हुईं। वे यह हैं कि इस प्रोवीजन के अन्दर ये दो प्रोवीजन हैं। आप इंग्लैण्ड और अमेरिका की बात करते हैं। आज तक आप ऐसा कोई कानून नहीं बता सकते हैं, जिसमें ऐसा किया गया हो। परन्तु इन दो कान्स्टीट्यूशन एमरजेन्सी अगर आप की हैं, कान्स्टीट्यूशनल एमरजेन्सी अगर आप को, है कान्स्टीट्यूशनल एमरजेन्सी पैदा हो गई है, तो आप यू० एस० ए० में जैसा प्रोवीजन है, इंगलैण्ड में जैसा प्राविजन है, उस प्रकार के अधिकार ले सकते हैं। परन्तु इसमें उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, ऐसे लोग हैं जो चारों तरफ मिले हुये हैं। डकैती में मिले हुये है। डकैतियां करवा रहे हैं। तस्कर व्यापारी हैं, औरतों के व्यापारी हैं, जुआ चलाते हैं। पुलिस का महीना बंधा हुआ है, पब्लिक जीवन को करप्ट करने पर तुले हुये हैं। तो इस कानून से आप उपयोग करना चाहते हैं। अगर कोई मजबूत से मजबूत अधिकार आप लेना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन आप तो घिसी-पिटी दलीलें लेकर आये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो कि आपने दलीलें दी हैं, कारण स्टेट किये हैं, इस प्रकार की कोई कन्डीशन्स प्रिवेल नहीं करती। अगर किया है तो इस एक्ट की मन्शा नहीं है। मूल सवाल देश में यह है कि आज देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है। इन तमाम समस्याओं को केवल बेरोजगारी के कोढ़े के मारफत, डिटेन्शन के मारफत हल करें तो यह नहीं कर सकते। आप समझते हैं कि हम नक्सलवाद को रोकना चाहते हैं, डिसऑर्डर को रोकना चाहते हैं। आप कदापि नहीं रोक सकते। अराजकता व नक्सलपंथ कहां पनपते हैं? आप इनकी जड़ पर कुठाराघात करें, हम आपका सहयोग करेंगे। हमें विश्वास में लें। हम आपके साथ, आप हमारे साथ मिलकर गरीबी को उखाड़ फेंकें, बेरोजगारी को उखाड़ फेंकें। टैक्स के इवेजन को रोकें और समाज को जो बुराइयां हैं जो उसमें कोड़ा लगा हुआ है, जो समाज को ध्वस्त कर रहा है, उन बातों पर चोट करें। जब तक भूख के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जब तक पोइन्टेड लड़ाई नहीं लड़ेंगे, खाली बैंक

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

नेशनलाइजेशन कर दिया, प्रिवीपर्सेज बंद कर दिये, थोथी तारेबाजी से नक्सलवाद नहीं रुकेगा। रोजगार के सवाल, रोटी के सवाल, केवल इन बुनियादी सवालों से हल हो सकते हैं। लाठी और नजरबन्द कानून से हजारों आदमियों को जेल में रख सकते हैं लेकिन भूख की समस्या हल नहीं कर सकते। नक्सलपंथ गरीबों को पनपाता है।

एक नुस्खा है। अगर वास्तव में चाहे देश के शासक हों, चाहे राजस्थान के शासक हों अगर इस प्रकार की अराजकता को, नक्सल-पंथ को, कम्युनिज्म को आप रोकना चाहते हैं तो बुराई जो समाज के दूषित वातावरण में, शोषण में पनपती है, अन्याय में पनपती है, तो पहले आप गरीबी को मिटा दें तो इसका बाप अपने आप मर जायगा....

श्री उपाध्यक्ष : पर्याप्त हो गया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह कानून बिल्कुल बेजा है....

श्री रामचन्द्र आर्य : इनकी गरीबी खुद की मिटे, दूसरों की क्या मिटायेंगे ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : केवल इसलिए कि केन्द्रीय सरकार ने एडवाइज किया, १९५० में केन्द्रीय सरकार ने कानून पास किया, वह कानून १९६९ तक चलता रहा। इसके बाद केन्द्रीय सरकार की स्थिति बदल गई जिसकी वजह से एक्सटेन्शन नहीं मिला उस कानून को और राज्य सरकार को लिख दिया एक तरफ मुख्य मंत्री घोषणा करते हैं कि राजस्थान में इस एक्ट की आवश्यकता नहीं, फिर गृह मंत्री महोदय विधान सभा में यह बिल ले आये, इस कानून के अन्तर्गत राजस्थान में लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन नहीं कर सकते, सुचारुरूप से शासन नहीं दे सकते। इस एक्ट से यह समझ में नहीं आता, आप क्या करना चाहते हैं। आप खुलकर कहिए कि ब्लेक मार्केटियर्स के खिलाफ, डकैतों के खिलाफ, औरत बिक्री के काम के खिलाफ, समाज के जो दूषित अंग हैं, उन पर लागू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आप लागू करिये और फिर तस्वीर दूसरी होगी। मौजूदा तस्वीर में एक्ट का टाइटल बदलें "सुखाड़िया राज्य चलाओ या बचाओ बिल" । इस कानून का नाम बदल दें। राजस्थान निवारक निरोध काट दें। "सुखाड़िया कांग्रेस राज्य बचाओ विधेयक १९७०" है...

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक प्रस्तुत करना पर्याप्त है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप लिख दें कि विधान सभा में जो बोलेगा उसको फांसी लगा दी जायगी तो यह वह एक्ट है कि किसी तरह से गद्दी बचाओ एक्ट है। कम से कम इस कानून में जो खामियां हैं उनमें इन संशोधनों को स्वीकार कर लें। इससे काम नहीं चलेगा। आप प्रवर समिति में जिसमें आप स्वयं होंगे, लॉ डिपार्टमेन्ट का सहयोग मिलेगा, आप उस समिति को रेफर करें, फिर प्राइन्टेड तरीके से बहस हो जाय और फिर आप सदन में इस बिल को ले आयें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं अपना प्रस्ताव विथड्रॉ करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री यशवन्तसिंह नाहर को अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

Page No 172

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री यशवंतसिंह नाहर : मैं अपना प्रस्ताव विथ्ड्रॉ करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

राजस्थान निवारक निरोध विधेयक, १९७० पर खंडश: विचार

श्री उपाध्यक्ष : खंड दो में कोई संशोधन नहीं है। इसलिये प्रश्न यह है कि खंड दो को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड दो स्वीकार किया गया।

खण्ड ३—श्री भैरोंसिंह !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इस खण्ड में मेरे ४ संशोधन हैं जो इस प्रकार हैं: —

(१) उप-खण्ड १

(i) इस के भाग (१) में प्रयुक्त शब्द "या लोक व्यवस्था बनाये रखने" विलोपित किये जायं; तथा

(ii) इसके भाग (२) में प्रयुक्त शब्द "और सेवायें बनाये रखने" विलोपित किये जायं।

(२) उप-खण्ड २

इसका भाग ख) विलोपित किया जाय।

(३) उप-खण्ड ३

इसकी तृतीय तथा पांचवीं पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द "राज्य सरकार" तथा "राज्य सरकार" क्रमशः "ऐसे न्यायाधिकरण को जिसके अध्यक्ष राजस्थान उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश होंगे" तथा "न्यायाधिकरण" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब तक की बहस सुनने के बाद यह तो परिणाम स्वभावत: निकलता है कि राज्य सरकार इस विधेयक को पारित कराने में पूरी तरह अपनी बात पर डटी हुई है और इस कारण यह तो अनुभव करके नहीं चलते कि राज्य सरकार इस विधेयक को वापस लेगी। लेकिन इस विधेयक के रहते हुए इसमें किस प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं, इस दृष्टि से मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। गृह मन्त्री के भाषण से एक बात स्पष्ट रूप से लगती थी कि राज्य की सुरक्षा की चिन्ता उन्हें बहुत अधिक सता रही है और उस पीड़ा के कारण इस प्रकार का विधेयक इस सदन में लाए हैं। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी का उल्लेख भी किया। कुछ अराष्ट्रीय गतिविधियों के बारे में इस सदन में संकेत के रूप में कुछ बातें बताई। उन सब बातों का आधार यह निकलता था कि गृह मन्त्री के समक्ष राज्य की सुरक्षा के सम्बन्ध में कुछ इस प्रकार के विचारणीय प्रश्न हैं जिनके आधार पर इस विधेयक को वे प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि यह कानून सेन्टर में सन् १९५० से लागू है। यह दलील दुर्भाग्यपूर्ण है। १९५० में जिस प्रकार की स्थिति थी उस स्थिति का मुकाबला आज हम यदि किसी रूप में कर

(श्री भैरोंसिंह)

सकते हैं तो केवल एक ही आधार पर करते हैं कि १९५० में जिस प्रकार की लोकतान्त्रिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था से २० वर्ष के बाद कोई अच्छा परिवर्तन आया होगा। उस समय ट्रांजिशनल पीरियड था। भारत का बंटवारा हुआ था। भारत के अन्दर स्टेट्स के इन्टेग्रेशन का क्वेश्चन था, सर्विसेज के इन्टेग्रेशन का क्वेश्चन था। नई हुकूमत सत्ता में आई थी। ये सब प्रकार की परिस्थितियां थीं। उन परिस्थितियों के कारण उस समय प्रिवेन्टिव डिटेन्शन भारत सरकार ने लागू किया। माननीय गृह मन्त्रीजी ने सरदार पटेल के भाषण पढ़े हैं, उन भाषणों के आधार पर वे शायद काफी ताकत और प्रेरणा ले कर आये हैं। उन भाषणों का, लेकिन अपने मतलब की बात छोड़कर पूरे का ज्ञान होगा तो एक बात उन्होंने निश्चित रूप से कही है, उनके पास भाषण पड़े हैं, उनमें उल्लेख मिलेगा, यह कानून स्थाई नहीं है। उन्होंने सब बातों का उल्लेख किया है—यह इस प्रकार का *ट्रांजिशनल पीरियड है जिसके अन्दर हमारे* सामने कई समस्यायें खड़ी हुई हैं और कानून के अन्तर्गत, जो बने हुए हैं, हम कार्यवाही नहीं कर सकते। इस प्रकार का संकेत सदन के अन्दर दिया था कि सख्ती के साथ कानून को उपयोग में लाना चाहिये वह उपयोग नहीं हो सकता यदि यह मेजर नहीं रखा जाता है। इसलिये उसको बहुत कम समय के लिये लागू किया गया। उसके बाद में माननीय गृह मन्त्रीजी स्वीकार करेंगे, कभी छः महीने के लिये, कभी तीन महीने के लिये, कभी दो महीने के लिये लोकसभा में मियाद बढ़ाने के लिये संशोधन प्रस्तुत होते रहे और भारत सरकार से आश्वासन मिलते रहे कि अगले वर्ष समाप्त हो जायगा उसके बाद में अवधि में वृद्धि नहीं की जायगी। इससे इस सदन के सदस्यों की यह मान्यता होगी कि यह एक प्रकार का टेम्परेरी लेजिस्लेशन है। उसके बाद यह महसूस करके चलना चाहिये कि पिछले बीस वर्ष में कांग्रेस के शासन के कारण लोगों में लोकतन्त्र के प्रति आस्था पैदा हुई होगी, लोकतन्त्र के प्रति विश्वास बना होगा, कानून के राज्य में लोगों की कानून के प्रति आस्था बनी होगी। लेकिन सरकारी प्रवक्ता के मुंह से सुन कर आश्चर्य हुआ कि पचास के पहले की स्थिति और आज की स्थिति में अन्तर नहीं है, और उसके अन्दर गिरावट ही आई है। तो उन्होंने अपने शब्दों से, अपने विचारों से अपने प्रशासन को नंगा किया है। उन्होंने सही बात को स्वीकार किया है, इसमें आपत्ति नहीं है लेकिन राज्य सरकार की तरफ से इस प्रकार का लेजिस्लेशन, जो टेम्परेरी लेजिस्लेशन था, जो पर्टीक्युलर ऑब्जेक्ट के लिए था, कुछ समय के लिये लागू किये जाने के लिये था, शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये था, उसको परमानेन्ट स्टेट्यूट बुक पर लाना मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के लिए किसी प्रकार भी उचित नहीं होगा। उस आधार पर माननीय गृह मन्त्रीजी ने जिस प्रकार के कारण बताये, उन कारणों में राज्य की सुरक्षा का प्रश्न अलग कर दिया जाय और इसके अन्तर्गत किसी को गिरफ्तार करने का उदाहरण रखे जायें तो इस ऑर्डिनेन्स के अन्तर्गत सिवाय सम्पतसिंह को गिरफ्तार करने के और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं इसके

Page No 174

(श्री भैरोंसिंह)

विवरण में नहीं जाना चाहता हूं, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सम्पतसिंह की गिरफ्तारी, यदि लड्ढा साहब का काण्ड न हुआ होता, तो इस एक्ट में नहीं होती। उस पर नाराजी इस कारण है, और जो मन्त्री के साथ दुर्घटना हुई है उसके लिए उस व्यक्ति को इसलिये जिम्मेदार ठहराया है, यद्यपि वह पूर्णतया निर्दोष है, गृह मन्त्रीजी स्वीकार करेंगे, इस काण्ड के सम्बन्ध में सारे राजनैतिक कार्यकर्ताओं को, जो निर्दोष थे घर से बुला कर गिरफ्तार किया गया। गृह मन्त्रीजी को यह भी जानकारी है कि उनको पीटा गया, विद्यार्थियों के साथ मारपीट की गई, सम्पतसिंह के साथ मार-पीट की गई। सम्पतसिंह राजनैतिक विरोधी वर्ग का है, वह वर्षो से विरोध करता आ रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेमोरेन्डम राज्य सरकार को दे रखे हैं, उसके द्वारा विधायकों को सामग्री मिलती है, जिनके पढ़ने से मालूम होता है, प्रकार के काम में किस प्रकार के गड़बड़ घोटाले चलते हैं, सिंचाई के कामों में किस प्रकार के गड़बड़ घोटाले चलते हैं, पंचायतों में किस प्रकार के गड़बड़ घोटाले चलते हैं, कोपरेटिव्स में किस प्रकार के गड़बड़ घोटाले चलते हैं। वह आदमी आदतन इन सारी बातों के बारे में शिकायत करता रहता है। इसके कारण सरकार के विरोध में उसका होना स्वाभाविक है, विरोध में होने के कारण मन्त्री जी के साथ दुर्घटना के बाद सरकार की नजर उस पर पड़ गई। वह व्यक्ति कोई लॉ एण्ड आॅर्डर के लिये प्राब्लम हो ऐसी स्थिति नहीं है। मैं समझता हूं गृह मन्त्रीजी अपनी ईमानदारी से, कान्शस को सामने रख कर बात करें कि सम्पतसिंह जैसे व्यक्ति को इस कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार क्यों किया गया है। जब ऐसे व्यक्ति को इस कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है तो यह मुंह बोलता उदाहरण है कि कोई नेता सरकार के विरोध में आया तो सरकार उसके बारे में किसी प्रकार का समझदारी का काम करके चले ऐसी बात नहीं है बल्कि भविष्य में इस कानून को हथियार बना कर उसको गिरफ्तार किया जायगा और भविष्य में इससे सरकार को रोकने वाला कोई नहीं है। इस स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लॉ एण्ड आॅर्डर के नाम पर प्रिवेन्टिव डिटेन्शन की यह पावर लेना चाहते हैं तो यह मान कर चलते हैं कि आज की व्यवस्था है वह पूर्णतया अपर्याप्त है। इस स्थिति में, जैसा कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मुख्य मन्त्रीजी कोटा जाते हैं तो वहां भाषण देते हैं — मेरे शासन की देन है कि राजस्थान में नक्सलवादी नहीं हैं, मेरे शासन की देन है कि राजस्थान में लॉ एण्ड आॅर्डर की सिचुएशन खराब नहीं हुई है। यह मेरे शासन की देन है कि राजस्थान में पूर्णतया शांति के साथ काम चल रहा है। और जब गृह मन्त्री जाते हैं तो क्योंकि उनको आंकड़े याद होते हैं, इसलिये वह बताते हैं, यू. पी. में इतने अपराध हुए, राजस्थान में इतने हुए, बिहार में इतनी चोरियां हुई, राजस्थान में कम हुई, वहां इतने लोगों की मृत्यु हुई, यहां एक भी नहीं। तो पब्लिक में जाकर आंकड़े देख कर अपनी तारीफ करके यह दिखाना चाहते हैं मैं गृह मन्त्री हूं, इसलिये राज्य में शांति है मुख्य मन्त्री यह दिखाना चाहते हैं कि मैं मुख्य मन्त्री हूं, मेरी नीतियां इतनी प्रगतिशील और लोक कल्याणकारी हैं जिनके कारण

(श्री भैरोंसिंह)

राज्य में अमन और चैन है। लेकिन इस कानून को बनाने के लिए यह कहा कि राजस्थान में फिजा खराब हो रही है, नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, और शिकायतें इस प्रकार की लोगों से आ रही हैं। मेरा निवेदन है कि इन दोनों बातों में तालमेल नहीं बैठता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पाकिस्तान के स्पाई, चाहे वह पाकिस्तान को खबर पहुंचाने वाले हों, या जासूसी करने वाले हों, उनके लिए कानून बना हुआ है, उसके अन्तर्गत आप उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। सी. आर. पी. सी. की धारायें हैं, वे ला एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन को मीट करने के लिए उपयोग में ली जाती रही हैं। जब ये कानून उपयोग में लिये जाते रहे हैं और जैसा आप स्वयं कहते हैं कि पिछले तीन वर्षों में अठारह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, तो क्या यह मान कर चलें कि केवल अठारह व्यक्तियों के कारण इस प्रकार का कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी? आप स्वयं मानकर चलते हैं कि केवल अठारह व्यक्ति कानून की गिरफ्त में आये हैं बाकी राजस्थान में पूर्णतया शांति थी और अठारह व्यक्तियों को दूसरे कानून में गिरफ्तार करके सब प्रकार की कार्यवाही कर सके। इस आधार पर मैंने निवेदन किया है इस अमेंडमेंट के द्वारा "लोक व्यवस्था बनाये रखने" इन शब्दों को हटायें। राज्य की सुरक्षा के सम्बन्ध में आपको जो अधिकार लेने हैं, इच्छा के विपरीत आप लेंगे, लेकिन कम से कम यह आधार बनेगा कि राज्य सरकार का दृष्टिकोण राज्य की सुरक्षा का दृष्टिकोण है, व्यक्तिगत दुश्मनी, राजनैतिक दुश्मनी से किसी राजनैतिक कार्यकर्ता को फंसाने का नहीं है। मैं समझता हूं, सरकार को इससे सम्बल मिलेगा और सरकार के अधिकार में किसी रूप में कमी नहीं होगी।

इसी आधार पर दूसरा अमेंडमेंट मूव किया था, उसमें मजिस्ट्रेट के स्थान पर एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पॉवर दी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्री जी, एक बात स्वीकार करके चलेंगे, राजस्थान में जिस प्रकार का प्रशासनिक ढांचा है, उसमें एक-एक सब-इन्सपेक्टर के ट्रान्सफर आई. जी. को पूछे बिना नहीं होते हैं, सर्किल इन्सपेक्टर का ट्रान्सफर, डी. वाई. एस. पी. का ट्रान्सफर सरकार के मंत्री महोदय को पूछे बिना नहीं होते हैं। इस प्रकार की स्थिति है कि छोटे से छोटा काम भी गृह मंत्री की नॉलेज में आये बिना नहीं हो सकता है। छोटे से छोटा ट्रान्सफर मुख्य मंत्री की नोलेज में आये बगैर नहीं हो सकता है। तो क्या कोई मान कर चल सकता है कि राजस्थान में कोई मजिस्ट्रेट ऐसा है जो अपने आप एक्शन ले सकता हो। अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाय, मैं समझता हूं; आज का कोई अधिकारी इंडिपेंडेंटली ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता है। ऐसी स्थिति नहीं है। वह डिसीजन लेने की प्रेरणा उसको ऊपर से मिलेगी। इस प्रकार का डिसीजन लेने की प्रेरणा गृह मंत्री के टेलीफोन के आदेश से मिलेगी। यह हो सकता है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को न कहें, तो वह बाकी के अधिकारियों के मार्फत कहलवायेंगे कि इस आदमी को प्रिवेंटिव डिटेन्शन एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया जाय। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कागज तैयार करवाये गये हुए या नहीं। पिछली बार डी. आई. आर. में जिन लोगों को पकड़ा गया है, उनके

(श्री भैरोंसिंह)

सम्बन्ध में ऊपर से जो आदेश मिले हैं उनकी प्रतिलिपियां मेरे पास हैं, उनसे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार सरकार ऊपर से इन्स्ट्रक्ट करती है कि नीचे के लोगों से कागज बनवा कर फलां व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी कारण आज प्रशासन में किसी का विश्वास नहीं है। इस बात का विश्वास नहीं है कि कोई अधिकारी इंडिपेंडेंटली और वाजिब रूप से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही कर सके। आज ऊपर के इशारे पर इस प्रकार के कागज बनाये जाते हैं। हो सकता है, आपका इशारा नहीं हो तो आपकी नॉलेज से यह कार्यवाही होती है। मिसाल के तौर पर भैरोंसिंह, या मुकुटजी को गिरफ्तार करना है इसका आदेश ऊपर से होता है। कानून नहीं है तो भी ऊपर से हुक्म भेजा जाता है कि मुकुटजी को गिरफ्तार करना है। अब अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नौकरी करनी होगी तो आपके आदेश की तामील करने के लिए उसे कागज बनाने पड़ेंगे, पुलिस अधिकारियों को कागज बनाने पड़ेंगे। इसके साथ ही आप आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस के बीच में जो लिंक है, उसके आधार पर कहना चाहता हूं कि न आपका डिसीजन जुड़िशियस हो सकता है, न कलेक्टर का डिसीजन जुड़िशियस हो सकता है और पुलिस का हो सकता है। कानून के कारण एक ने फैसला कर लिया, किसी को गिरफ्तार कर लिया तो राज्य सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आपके कहने से गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद में सरकार के पास अपील जायगी, उसका रिवीजन होगा तो उसका फैसला भी उसी आधार पर हो सकता है कि वह व्यक्ति सरकार के सामने राजनैतिक रूप से घुटने टेक दे, या अन्डर हैन्ड टेक्टिक्स को अपनाये। ऐसी हालत में जो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ जजमेंट दे देंगे लेकिन वैसे यह सम्भव है नहीं। इस लिंक को तोड़ना सम्भव नहीं है इस आधार पर मैंने संशोधन मूव किया है। ज्युडिशियल आदमी आना चाहिये, जो राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करे। वह ज्युडिशियल ट्रिब्युनल को रिपोर्ट दे। वह ज्युडिशियल ट्रिब्युनल डिटेन्शन में रखना चाहे तो रखे।

बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने राय प्रकट की। गृह मन्त्रीजी यह समझ कर चलें कि राज्य सरकार के ऊपर रखा हुआ है कि तीन महीने तक किसी ट्रिब्युनल को नहीं कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं, तीन महीने के बाद तो उस प्रक्रिया में से निकल कर चलना पड़ेगा। उससे पहले कोई बाधा उपस्थित नहीं करता है। न्याय की दृष्टि से यह उचित होगा कि ऐसे केसेज को तीन महीने के लिये भी आप चाहें डिटेन करें किसी व्यक्ति को, आप उन केसेज को फिर भी न्यायाधिकरण के सिपुर्द करें, न्यायाधिकरण चाहे तो डिटेन्यू को बुलायें। लोगों को कम से कम तसल्ली तो होगी कि जिस लिबर्टी पर एन्क्रोचमेंट किया है, उसको ज्युडिशियल कोर्ट के सामने मूव करने के लिये रखा है। इस आधार पर, मैं समझता हूं, गृह मंत्रीजी तीन महीने का कोन्स्टिटट्यूशन में अधिकार दे रखा है, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे।

गृह मंत्रीजी से बयाना से आये माननीय सदस्य ने जब कहा तो कहा कि उसके लिये फ्रेश फेक्ट्स की आवश्यकता होगी।

Page No 177

(श्री भैरोंसिंह)

गृह मंत्रीजी को मालूम है सन् १६६५ में डी० आई० आर० लागू था। किस प्रकार पोलिटिकल एक्स्प्लोईटेशन होता है, किस प्रकार फैक्ट्स इकट्ठे किये जाते हैं। हुकमसिंहजी का यहां नहीं बैठा मामला तो उनके पिताजी को गिरफ्तार किया और यह कहा कि पाकिस्तान से मिले हुए हैं। डाकू आकर ठहरते हैं। विधान सभा में स्थगन प्रस्ताव रखा कि बड़े आदमी को गिरफ्तार कर रखा है। ज्यादा देर तक डिटेन्शन नहीं रखा लेकिन श्यामसिंहजी ने उनके सामने आकर घुटने टेक दिये और सरकारी पार्टी में शामिल हो गये तो उस आदेश को वापस ले लिया वरना आप वापस लेने वाले थे नहीं। संपतसिंहजी को आपने गिरफ्तार किया। पांच चार्जेज आपने लगा दिये। छटा चार्ज जो पहले गिरफ्तारी में शामिल करना चाहिये था उसको न करके जब आप दुबारा अरेस्ट करेंगे तो लगायेंगे। फ्रेश चार्ज का मतलब यह होगा कि आपके अनुसार कि चार महीने पहले, तीन महीने पहले का कोई काम किया हो तो उस आधार पर पुलिस कह सकती है कि पहले जब गिरफ्तारी की गई थी तो उस समय यह नालेज में नहीं आया और अब आया है कि अमुक आदमी एन्टी सोशल है, अमुक आदमी एन्टी नेशनल है इसलिये यदि इसको छोड़ दिया गया तो एन्टी नेशनल एक्टीविटीज बढ़ेंगी। यह कानून की भाषा जिस प्रकार रखी है वह एम्बीगुअस है, इसको साफ करलें। ६५ का अनुभव हमारे सामने है। केवल श्यामसिंहजी की ही नजीर मैंने बतायी। कई नजीरें हैं कि किस प्रकार डिटेन्शन आर्डर में बार-बार परिवर्तन किया गया है। जब जेल से छुट्टी दी गई जब कि आपके सामने आकर घुटने टेक दिये। राज्य की सुरक्षा की जितनी आपको चिन्ता है उतनी प्रत्येक सदस्य को है। सुरक्षा के लिये सब ही माननीय सदस्य सक्रिय रहते हैं। पाकिस्तान का हमला हुआ। आज सीमाओं का प्रश्न है, असेन्शियल सर्विसेज के मामले में, सेवाओं के सम्बन्ध में भी जो वर्ड्स जोड़े हैं वे हैं "सेवायें बनाये रखने के लिये" इसमें वे ही चीजें आती हैं जो असेन्शियल सर्विसेज में आती हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनके ऊपर भी लागू है।

श्री भैरोंसिंह : उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं। तबीयत खराब होने से मैं कल नहीं बोल सका था। सरकारी पक्ष से भी कन्डेम किया गया। हिन्दुस्तान में जिस समय भी संकट खड़ा हुआ, कौनसा फैक्ट्री का मजदूर था, कौनसा सरकारी कर्मचारी था जिसने सुविधा की परवाह किये बिना देश के ऊपर आये संकट का मुकाबला नहीं किया? सरकारी कर्मचारियों ने चन्दा दिया, माहवारी वेतन दिया, बिजली और पानी के मजदूरों और कर्मचारियों ने २४ घंटे खम्भों के पास बैठे रह कर जनता की सेवा की। उन सब को आज आप इस प्रकार के विधेयकों से कन्डेम कर रहे हो।

श्री दामोदरलाल व्यास : कन्डेम किसने किया है?

श्री भैरोंसिंह : सभी ने किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने तारीफ की है। सरकारी सेवाओं का देश की प्रगति में बड़ा हिस्सा है।

श्री भैरोंसिंह : कल गृह मंत्रीजी ने कहा था वह आज उनके मुंह से कहलवाना चाहता

(श्री भैरोंसिंह)

था। अब सर्विसेज पर इतना कान्फिडेन्स है तो "सेवायें बनाये रखने" का संदेह सरकारी कर्मचारियों के प्रति कैसे पैदा हुआ? आज भी कह दिया और कल भी कह दिया। कभी किसी को एप्रिशियेट कर दिया। उसके बाद बाकी सब को कन्डेम कर दिया। सरकारी कर्मचारियों के लिये कल तारीफ कर गये थे, एक तरफ तो वे बड़ी दयानतदारी से काम करते हैं और दूसरी तरफ कह गये कि कोई काम ही नहीं है। आपको यह सन्देह कैसे पैदा हो गया कि एक्ट पास नहीं हुआ तो इलेक्ट्रीसिटी बन्द हो जावेगी, स्टेट ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी और बाकी की गवर्नमेन्ट सर्विसेज काम नहीं करेंगी? यह एक दिन में इहलाम कहां से हो गया? कल जिस सर्विसेज की तारीफ की गई उसी सर्विसेज पर सन्देह व्यक्त किया जा रहा है। इसका एक्स्प्लेनेशन लेना चाहिये कि सर्विसेज को कन्डेम करने का इसमें क्यों लिखा है? यह प्रश्न मोटा है। गृह मंत्रीजी इसके कारणों पर प्रकाश डालेंगे। सेवाओं को इन्क्ल्यूड करने में उनका परपज क्या है? इसी आधार पर सेवाओं को असेन्शियल सर्विसेज के नाम पर कुचलने की कोशिश की है। आपके पास जो पावर्स हैं उनसे भी आपको संतोष नहीं है। कर्मचारी वर्ग को दूसरे ढंग से दबाने के लिये आपने ये पावर्स लिये हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिये डुप्लिकेट चीज लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब सर्विसेज में अपने कथनानुसार पूर्ण विश्वास है तो आपको फिर कानून बनाना नहीं चाहिये था। सरकारी कर्मचारियों के लिये इस प्रकार की व्यवस्था की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं, गृहमंत्रीजी इस पर विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ए. डी. एम. को यह अधिकार देने का सवाल है हमारे यहां राजस्थान में ए० डी० एम० की पोस्ट पर आई. ए. एस. अधिकारी नहीं होता है। आर. ए. एस. अधिकारी होता है। वह आपका कहा हुआ टाल नहीं सकेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कोई भी, किसी भी सर्विस वाला हो, राज्य सरकार तो प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के अन्तर्गत ही गिरफ्तार करेगी।

श्री भैरोंसिंह : आज तक किया नहीं और आगे भी करने का नहीं, धारा जरूर रखी है।

वकील तो हूं नहीं मैं। लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि विधेयक में अनावश्यक धारा नहीं रखनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में डी. एम. तो सभी आई. ए. एस. अधिकारी होते हैं और ए. डी. एम. आर. ए. एस. का होता है। कुछ आई. ए. एस. भी हो सकते हैं। सिलेक्शन लिस्ट से आते हैं वे आई. ए. एस. ही आते हैं। कई दफा आसानी से आई. ए. एस. अधिकारी ऊपर के दबाव में नहीं आता है। वह अपना इण्डिपेण्डेण्ट डिस्क्रीशन यूज करता है। ज्यादातर सरकारी हुक्म को ही मानता है लेकिन उसमें भी अपना डिस्क्रीशन जरूर यूज करता है। ए. डी. एम. जो आर. ए. एस. से आते हैं और जो देखते हैं कि हमारा आई. ए. एस. में प्रमोशन होने वाला है तो उनसे सरकार चाहेगी जिस तरह से करवा सकती है क्योंकि उनको आगे बढ़ने का एल्योरमेन्ट रहेगा। आपने किसी भी ए. डी. एम. को कह दिया कि फलां आदमी को गिरफ्तार करना है, वह कभी उसको टालेगा नहीं। वह उस आदमी के खिलाफ उलटी-सीधी

Page No 179

(श्री भैरोंसिंह)
बातें बनाकर गिरफ्तारी करने की व्यवस्था कर सकता है। ऐसी स्थिति में मेरा यह निवेदन है कि ए. डी. एम. का जो प्रावधान किया है वह ठीक नहीं है। गृह मंत्री महोदय, मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं। इस कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्था की है उसे आधार पर निश्चित रूप से निवेदन कर सकता हूं। आज राजस्थान सरकार यह कह कर कि सीमा सुरक्षा का सवाल है केवल इसी प्रकार कहने से काम नहीं चलने वाला है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने सिर्फ सीमा सुरक्षा के ही कारण नहीं बताये हैं जो क्लॉज 'सी' के अन्दर प्रोवीजन हैं उसमें ऐसे आदमी भी आ जाते हैं जो स्मगलर हैं, नक्सेलाइट आते हैं, अनलाफुल एक्टीविटीज में ये सब आते हैं। सिर्फ सीमा सुरक्षा का ही सवाल नहीं है।

एक माननीय सदस्य : हमारी मन्शा यह है कि राज्य की सुरक्षा बिलकुल रहे।

श्री मूलचन्द डागा : हमारी सीमा लगी हुई है ६०० मील पाकिस्तान से। यहां डेन्जर है, वहां से आसानी से आदमी आ सकते हैं एण्टी नेशनल एक्टीविटीज के लिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : एण्टी नेशनल एक्टीविटीज में कोम्युनिस्ट, कम्युनलिस्ट एण्टी नेशनल एक्टीविटीज का खतरा है, पाक नेशनल्स भी इसमें आते हैं।

श्री दौलतराम सारण : आफिसर्स की ट्रान्सफर में जो रिश्वत लेते हैं, क्या वे भी आते हैं क्या ?

श्री श्रवणलाल : वह तो खानदानी धन्धा है।

श्री भैरोंसिंह : जैसा कि आपने बताया प्रमुख मन्शा इस बिल को लाने की यह थी एण्टी नेशनल एक्टीविटीज को रोका जा सके। एण्टी नेशनल यह वाइड सब्जेक्ट है। इसमें सब आ जाता है नेशन के खिलाफ जितनी भी एक्टीविटीज हैं, स्मगलर भी हैं सिक्योरिटी को डेन्जर करने वाले भी पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाले सर्विसेज वाले सभी आ सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या चोरी करने वालों को आप एण्टी नेशनल मानते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एण्टी सोशल है।

श्री भैरोंसिंह : तो इस तरह से फर्क है ना। एण्टी सोशल और एण्टी नेशनल इनमें दोनों में अन्तर करना पड़ेगा। मैं आपसे यही जानकारी कर रहा था। आप इस कानून में एण्टी-नेशनल एक्टीविटीज को करने वाले को प्राथमिकता दे रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : एण्टी नेशनल एलीमेन्ट्स में एण्टी सोशल को शामिल करना आवश्यक नहीं। ऐसी हरकतें जो एण्टी नेशनल करते हैं वे ही इसमें शामिल होंगी, केवल सीमा सुरक्षा के लिये ही यह नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जैसा गृह मंत्री महोदय ने कहा एण्टी नेशनल सुरक्षा के मामले भी आते हैं जो व्यक्ति सुरक्षा के लिये खतरनाक हैं, वे एण्टी नेशनल हैं। इस प्रकार के जितने तत्व हैं उन लोगों को डील करने के लिये कानून बनाया जा रहा है। इसकी मन्शा मुख्य रूप से एण्टी नेशनल जो लोग हैं उनको

(श्री भैरोंसिंह)

इस आर्डिनेन्स द्वारा कवर किया जायगा, इसमें आप बाकी के लोगों को भी कवर करेंगे जैसा आपने बताया। आज जिस प्रकार की परिभाषा समाज में बन गई है एण्टी नेशनल की, आज आप किसी आदमी को किसी मामले में डी. आई. आर. की तहत गिरफ्तार करते हैं, तस्कर व्यापार के सिलसिले में उसको आप छोड़ दीजिये लेकिन जो ब्लेक मार्केट करता है उसको आप इसके तहत लेंगे ? तो उसकी जो रेपूटेशन फैलेगी, जो हवा समाज में उसके लिये बनेगी कि यह व्यक्ति डी० आई० आर० के अन्तर्गत पकड़ा गया है, इसने कोई एण्टी नेशनल एक्टीविटीज की हैं, इस व्यक्ति ने देश के साथ किसी न किसी प्रकार की गद्दारी की है। चूंकि आज समाज में जिस प्रकार की एन्टी नेशनल की परिभाषा बन गई है उसके हिसाब से उसको इस अपराध में पकड़ना एण्टी नेशनल में नहीं आ सकता। एक स्मगलर है, ब्लेक मार्केटियर है, हालांकि उसके एक्शन भी देश की आर्थिक स्थिति को डावांडोल करना है इसको एण्टी नेशनल में नहीं एण्टी सोशल में शामिल किया जा सकता है। किसी के पास बन्दूक मिल गई केवल बन्दूक मिलने से वह एण्टी नेशनल नहीं। वह एक्ट का वॉयोलेशन अवश्य है लेकिन चूंकि उसके पास बन्दूक मिल गई डी० आई० आर० में रख दिया। किसी के मकान में डाकूओं के पनाह का सुराग मिल गया है, उठा कर उसको डी० आई० आर० में रख दिया। पिछले दिनों में जो डी० आई० आर० में लोग पकड़े गये हैं उनको देखा जाय तो उनको हम एण्टी नेशनल एक्टीविटीज में ले नहीं सकते। अगर आपको कानून बनाना ही है तो एन्टी नेशनल एक्टीविटीज को आप स्पष्ट रूप से डिफाइन कीजिये। इसके लिये आप स्पष्ट रूप से अलग कानून बनाकर चलिये ताकि उस कानून में गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति समाज से परिचित हो जायं। यह जो गिरफ्तार हुए हैं, एण्टी नेशनल एक्टीविटी के कारण हुए हैं। लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुऐशन के कारण जो आदमी गिरफ्तार होता है और एण्टी-नेशनल एक्टीविटीज में गिरफ्तार होता है उसमें समाज में अन्तर करने की आवश्यकता है। यह अन्तर नहीं किया तो नेशनेलिटी की जो निष्ठा है, वह खत्म होगी। मैं उदाहरण के रूप में कह रहा हूं—१९६२-६३ में खादी बोर्ड का मामला डिसकस हो रहा था हमने विरोध किया तो, उपाध्यक्ष महोदय, ५७ और ६२ के बीच खादी बोर्ड का विरोध करने वालों को कहा यह एण्टी नेशनल हैं। यह खादी पहिनना या न पहिनना उससे तो एण्टी-नेशनल नहीं हो सकता है और खादी के प्रति निष्ठा नहीं रखने वाला लॉ एण्ड ऑर्डर को तोड़ सकता है लेकिन नेशनेलिटी भंग का आरोप उस व्यक्ति पर नहीं आता है इसलिये आपको परिभाषा में चेन्ज लाना होगा। दुनियां की निगाह में दो तरह का व्यक्ति दिखे इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। उसको डिलीट करने की मांग है। मैं गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं इन क्लॉजेज को इस प्रकार अमेन्ड करेंगे कि जिसके कारण इस प्रकार की दुर्भावनाएं न हों। राज्य सरकार के पास ताकत है उसका दुरुपयोग न हो सके और जो—

(३.१२ म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

वाजिब तौर से गिरफ्तार किया गया है उसको उस केटेगरी से भिन्न रखेंगे तब तो

(श्री भैरोंसिंह)—

ठीक रहेगा नहीं तो प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट का कोई आधार नहीं होगा। आज एण्टी-नेशनल एक्टीविटी और एण्टी सोशल एक्टीविटी बन रही। इस प्रकार की स्थिति में निवेदन करना चाहूंगा आप सारे प्रश्न पर गंभीरता से विचार करते हुए मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (वि. सं. १३७) ने प्रस्ताव किया है कि:—

खण्ड ३

उप-खण्ड (१) :

(अ.)

भाग [१] : इस भाग में से शब्द 'या लोक व्यवस्था बनाये रखने' विलोपित किये जायं।

भाग [२] : वर्तमान भाग [२] विलोपित किया जाकर निम्नांकित रूप से प्रतिस्थापित किया जाय:—

'[२] समुदाय के लिये तस्कर व्यापार, चोरबाजारी, मुनाफाखोरी से सुरक्षित करने एवं आवश्यक प्रदाय बनाये रखने,'।

(आ.)

उप-खण्ड (१) की अंतिम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द 'आदेश दे सकेगी', शब्द 'राज्य सरकार को सिफारिश कर सकेगी' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायं।

उप-खण्ड (३) :

[१] इसकी प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द 'किसी अफसर', शब्द 'राज्य सरकार' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायं;

[२] इसकी तृतीय एवं पांचवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "राज्य सरकार", शब्द 'राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायं।

सभापति महोदय, मेरे इस क्लॉज (३) में जो संशोधन हैं वह भाग (ए) इस भाग में शब्द "जो लोक व्यवस्था" को बनाये रखने के लिये है, वह जो माननीय सदस्य श्री मनोहरसिंहजी ने रखा है वही मेरा है। "दूसरा संशोधन है क्लॉज पार्ट (२) में 'समुदाय की आवश्यक सेवायें बनाये रखना' इसके बजाय मेरा संशोधन है 'समुदाय के लिये तस्कर व्यापार, चोरबाजारी, मुनाफाखोरी से सुरक्षित करने एवं आवश्यक सेवाएं बनाए रखने वाला" मैंने निकाल दिया है। उप-खण्ड (१) में अन्तिम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द 'आदेश दे सकेगी' शब्द 'उसको राज्य सरकार को सिफारिश कर सकेगी' यह इनसर्ट करता है। उप-खण्ड (३) में प्रथम पंक्ति में "किसी ऑफिसर" शब्द है उसके बजाय "राज्य सरकार" इनसर्ट किया है। इसकी तीसरी एवं पांचवी पंक्ति में शब्द "राज्य सरकार" उसमें शब्द 'राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश' इनसर्ट किया है। सभापति महोदय, मेरे इन संशोधनों का उद्देश्य इस प्रकार है। मैं उन दलीलों को नहीं दोहराऊंगा जो मेरे से बोलने वाले पूर्व वक्ताओं ने कही हैं जिनका मैं केवल उल्लेख मात्र करूंगा। मैं भी इस बात से सहमत हूं बुनियादी तौर से आने को विरोधी नहीं हूं लेकिन अगर आप ला ही रहे हैं तो जिस हद तक संशोधन हो सके, दुरुस्ती की जा सके इस दृष्टि से मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें सबसे पहले यह बात महत्वपूर्ण है कि आपका मकसद राष्ट्र विरोधी जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक्टीविटीज हैं उनको प्रिवेन्ट करने का है, उन राष्ट्र विरोधी एक्टीविटीज को आपको डिस्टिंग्विश करना चाहिये— जो समाज में सोशल चेन्ज की एक्टीविटीज हैं उनसे। आपका जो दूसरा हिस्सा है लोक व्यवस्था बनाये रखना इसका साफ उद्देश्य समाज में, समाज व्यवस्था में तब्दीली करने के लिये जो आन्दोलन है उसके लिये कार्यक्रम जनता और मुख्तलिफ पार्टियों द्वारा चलाया जाता है इसका सीधा प्रहार उन एक्टीविटीज पर होगा। आप इन एक्टीविटीज को इनके साथ रखकर चलें, यह बात किसी प्रकार समझ में नहीं आ सकती है। आज समाज के अन्दर जिस रूप में आपने इस कानून को एक बहुत कम्प्रीहेन्सिव वेग तरीके से इन शब्दों को रखा है मैं कहूंगा यह उस तरह की जिसमें सारे प्रकार की एक्टीविटीज को, हर प्रकार के आदमी की कार्यवाही को आप अपने नजरिये से देखेंगे और अपने किन्हीं आधारों पर किसी को भी इन क्लॉजेज में फंसा कर इस पी. डी. एक्ट में गिरफ्तार कर सकेंगे। सवाल तो यह है कि राष्ट्र विरोधी एक्टीविटीज क्या हैं ? लोक सुरक्षा बनाये रखने के लिये कौनसी बात समझते हैं कि लोक सुरक्षा टूट रही है; और यह लोक सुरक्षा बनाये रखने के लिये जरूरी है।

अभी अलवर में पिछली ४ तारीख को राज ऋषि कॉलेज का एक लड़का आसूसिंह नामक, उसके पास एक पर्चा मिला कि नक्सलवाद क्या है–व्हाट इज नक्सलिज्म, इस प्रकार का पर्चा मिला। काफी २००–३०० पर्चे मिले हैं। उसने बांटे नहीं, रेवाड़ी और अलवर में बांटे हैं। उसके खिलाफ जो एफ० आई० आर० दर्ज की वह मैंने पढ़ी है उसमें ऐलीगेशन यही था कि यह शख्स पर्चे बांटता है। यह शख्स अमीर और गरीब का भेद बताकर भावना फैलाता है। यह शख्स लोगों में गरीबी बढ़ती जा रही है और अमीरी बढ़ती जा रही है—इस भावना को भड़काता रहा है और जिससे व्यवस्था बिगड़ जाने का खतरा है। इस एफ० आई० आर० की बुनियाद पर उस लड़के को गिरफ्तार किया है और उस पर प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट तो नहीं लेकिन दफा १५३ और कई धारायें इस तरह की सम्बन्धित उस पर लगाई हैं। मैं समझता हूं कि आज इस बात के बारे में समाज के अन्दर परिवर्तन के सिलसिले को लेकर आज मुख्तलिफ विचारों से, मुख्तलिफ तरीके से अपने विचार देश के सामने रख रहा है—केवल विचारों को रखना और विचारों की जब तक कोई स्पेसिफिक एक्टीविटी इस प्रकार की नहीं हो जो कि वायोलेन्स की एक्टीविटी हो या उस प्रकार की एक्टीविटी नहीं हो जिसमें समाज में वर्ग संघर्ष की आशंका बन रही हो या किसी प्रकार की कोई कान्सप्रेसी हो रही हो या निकट भविष्य में करने वाला हो तब तो ठीक है अन्यथा केवल विचारों का प्रचार करना, समाज का परिवर्तन गरीब और अमीर का भेद बता कर करना, उसके बारे में समाज के विचार जाग्रत करना, गरीबों की भावनाओं को भड़काना कि अमीरी को उलट दो—इस बात को; इस बुनियाद को असामाजिक कहें, अराष्ट्रीय कहें और आप उसे ही लोक व्यवस्था बनाये रखने का खतरा बतायें तो किसी हालत में ठीक नहीं है और इस तरह से गिरफ्तारी करने लगे तो मैं निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने पर्चे को पढ़ा है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : पढ़ा तो नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ज्यादा अच्छा होता पढ़ लेते तो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनके पास अवेलेबल नहीं था इसलिए वह पर्चा मैंने नहीं पढ़ा लेकिन मैं समझता हूं कि वह पर्चा आम तौर पर जो अखबारों में आता है, जो उनकी थीसेस है कि रेवोल्यूशन बेरल आफ दी गन से निकलता है-यह नारा दीवारों पर भी लिखा हुआ देखा है और वह कहते हैं कि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम से कुछ नहीं होगा। इस तरह की बातें कि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम से कुछ नहीं होगा और बेरल आफ दी गन से रेवोल्यूशन होगा यह नक्सलवादियों के नारे हैं जिनको कि वह अपने पर्चों के द्वारा देते हैं। लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं। परन्तु सोचना यह है कि उसकी बुनियाद क्या है ? क्या उसकी बुनियाद में पाकिस्तान को मदद करने की है ? क्या उसकी बुनियाद किसी विदेशी कन्ट्री को मदद करने की है या कुछ सामाजिक परिवर्तन करने की है ? मेरा ख्याल है कि न तो उनकी मन्शा पाकिस्तान को मदद करने की है और न किसी विदेशी कन्ट्री को मदद करने की है बल्कि समाज में वे कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। उसका जो लक्ष्य है, समाज के अन्दर जिस प्रकार की व्यवस्थायें हमारे सामने हैं उसको बदल कर ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे शोषण न रहे। इस तरह की वह कुछ व्यवस्था करना चाहते हैं। उसके तरीके से हमारा मतभेद हो सकता है लेकिन जो लक्ष्य है सामने, आज समाजवाद को मानने वाले सभी लोग इस प्रकार के समाज को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। तो केवल मात्र मैंने एक मिसाल दी। मैंने उस लड़के से भी बातें कीं। सामने सभी लोग बैठे थे। शायद सेकिण्ड ईयर टी० डी० सी० का लड़का, शेखावाटी का रहने वाला और बहुत ही सामान्य जानकारी वाला वह लड़का था। और उसकी एक्टीविटी के बारे में मैंने पूछा कि और कोई एक्टीविटीज हैं क्या तो मालूम हुआ कि कुछ नहीं थीं। इस बुनियाद पर केवल विचारों के कारण, केवल अपने विचार लोगों के सामने रखने के कारण आप लोगों को गिरफ्तार करने लगे, आप लोगों को प्रिवेंटिव डिटेन्शन एक्ट में रोकने लगे तो मैं कहूंगा कि यह हिन्दुस्तान में जो डेमोक्रेटिक फ्रांइट डेमोक्रेसी के लिए रखी गयी है, हिन्दुस्तान में जो मेरठ कॉन्सप्रेसी केस चला, अंग्रेजों के जमाने में कम्युनिस्ट नेताओं के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत के प्रति बगावत करने का मुकदमा चलाया गया—मैं समझता हूं उस समय देश की तमाम राष्ट्रीय नेताओं ने कम्युनिस्टों से मतभेद होते हुए भी यह कहा कि उनका अपना अधिकार है अपने विचारों को रखने का और प्रोपेगण्डा करने का—इस हद तक सब राष्ट्रीय नेताओं ने समर्थन किया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो राष्ट्र की सुरक्षा है उससे किसी को एतराज नहीं हो सकता। अपने राष्ट्र की सुरक्षा होनी चाहिये; यह दुरुस्त है लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कौन खतरा है ? यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप उसका इस्तेमाल किस तरीके से करें ? आया कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पोलिटिकलों जो देश के अन्दर अन्दरूनी तरीकों से समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं उनको आप देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं या जो मजदूरों के आन्दोलन हैं या

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किसानों के आन्दोलन हैं उनको आर्गेनाइज करने वाले, उनको दिशा देने वाले हैं उन लोगों को खतरा मानेंगे ? उनको प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के अन्दर रख दो तो यह बात बहुत गम्भीरता से विचारने की है। और मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कई एक्टीविटीज हैं जिनको आप क्राइम भी मानते हो लेकिन उन एक्टीविटीज के बारे में सोसायटी में अलग अलग समझ है। पाकिस्तान को या दूसरे देश को हमारी सीक्रेट्स पहुँचाती हैं, खुफियागिरि करते हैं— मैं समझता हूं कि किसी भी देश के अन्दर कोई भी राजनैतिक पार्टी इस बात को पसन्द नहीं कर सकती। मैं इसका विरोधी हूं और सीधे-सीधे मैं इसको राष्ट्र-विरोधी कार्यवाही समझता हूं। उसको आप मिक्स-अप कर दें आॅइडोलाॅजी के साथ और उनको भी इसी धारा के तहत रखें और जिनकी पाॅलीटिकल आॅइडोलाॅजी गलत है और जिससे गवर्नमेन्ट सहमत नहीं है उनको एन्टी-नेशनल नहीं कहा जा सकता। उनके तरीकों से सहमत नहीं हों, पाॅलीटिकल डिफरेन्सेज हो सकते हैं, यह गलत बात है और मैं इस तरीके को नक्सलाइट्स के बारे में कह सकता हूं। आज यदि उनकी देशभक्ति के ऊपर सन्देह करेंगे तो दुरुस्त नहीं होगा। अगर आज उन लोगों को देखा जाय वह नौजवान हमारे आपके ही भाई भतीजे हैं। समाज के अन्दर अच्छे से अच्छा परिवर्तन हो और उच्च भावनाओं से प्रेरित होकर बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने के लिये वह जाते हैं....

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह जानना चाहूंगा कि जो नक्सलाइट्स के पास हथियार हैं उनका निर्माण और उनकी जो ट्रेनिंग है और जो समाचार आते हैं क्या उनके ऊपर विश्वास नहीं है और अगर है तो यह कहां से आते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : नक्सलाइट्स के पास हथियार हैं, वह हथियार में विश्वास रखते हैं। यह मैं मानता हूं लेकिन मेरी जानकारी में कि वह बाहर से आ रहे हैं, यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : टाइम बाम्ब हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह खुद बनाना चाहते हैं। बंगाल का हर एक स्टुडेन्ट चाहे वह किसी भी पार्टी में हो बाम्ब बनाना जानता है। यह लोगों का वहां का अनुभव है।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य ने पढ़ा होगा कि जो हथियार बरामद हुए हैं वह फाॅरिन कन्ट्री के हैं। चाइना मार्क के हैं, यह आपने पढ़ा होगा। अखबार तो रोज पढ़ते हैं आप ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसा गवर्नमेन्ट की तरफ से कहा गया है। लेकिन हथियार भी मान लें कि किसी के पास हैं लेकिन इस तरीके का तो एलीगेशन न गवर्नमेन्ट की तरफ से आया न यह एक्टीविटी गवर्नमेन्ट के सामने आई है। मारकाट की घटनायें होती हैं, लूटखसोट की घटनायें होती हैं वह कुछ भी अपने देश में परिवर्तन करने की बात कहते हैं जिसको कि मैं दुरुस्त नहीं समझता लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि यह सारा काम किसी दूसरे देश के हित में कर रहे हैं क्या ? चाइना के हित में कर रहे हैं क्या ? पाकिस्तान के हित में कर रहे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं क्या ? या वर्ग के हित में कर रहे हैं क्या ? ऐसा मुझे विश्वास नहीं है। बावजूद मेरे तीव्र मतभेद के और मैं यह विश्वास नहीं करता कि वह इस समाज के अन्दर या हिन्दुस्तान के अन्दर परिवर्तन नहीं हो रहा था इसलिए उन्होंने इस पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के अन्दर विश्वास खो दिया और इसलिए वह यह समझते हैं कि यह सब धोखा है, समाजवाद नहीं आयेगा और समाजवाद आयेगा तो आम स्ट्रगल के जरिये आयगा इसलिए वह इस रास्ते को अपना रहे हैं जो कि मैं उपयुक्त नहीं मानता। हम यह मानते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जरिये चैन्जेज की जो सम्भावनायें हैं वह विलुप्त नहीं हुई हैं।

आज इन्टरनेशनली जो बैलेन्स ऑफ फोर्सेज में फर्क आया है उसमें ये सम्भावनाएं आज ज्यादा मजबूत पैदा हुई हैं कि आज जो देश का पूंजीपति वर्ग है वे वह आज वहां के मजदूर वर्ग का मुकाबला नहीं कर सके तो इन्टरनेशनल केपिटेलिज्म आज इन्टरवीन नहीं कर सकता है। आज हिन्दुस्तान के मजदूर वर्ग के रिवोल्यूशन के अन्दर अमेरिका से सहायता लेना चाहे पूंजीपति वर्ग कि अमेरिका की मदद लेकर उनको दबा सकें तो वह मदद नहीं ले सकता है। इजिप्ट में बरतानिया और फ्रान्स ने इन्टरवेन्शन किया तो इजिप्ट की मदद के लिए रूस और दूसरे समाजवादी देश पहुँच गये। तो आज यह सम्भव नहीं है कि यदि हिन्दुस्तान में....

श्री कृष्णकुमार गोयल : कृपया एक बात और बता दें कि वे माओत्सेतुंग का नारा लगाते हैं और अपने राष्ट्र के झण्डे को फाड़कर फेंकते हैं और जलाते हैं, और नेशनल लीडर्स की मूर्तियों को तोड़फोड़ देते हैं तो इसको आप एन्टी–नेशनल मानते हैं कि नहीं मानते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इनको बहुत ही निन्दनीय घटनाएं और उनकी कार्यवाही समझता हूं। मैं यह नहीं मानता हूं कि वे किसी चीनी को हिन्दुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं....

श्री कृष्णकुमार गोयल : ये एक्टीविटीज एन्टी-नेशनल हैं कि नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये निन्दनीय घटनायें हैं। जो देश का झण्डा है उसका अपमान करते हैं, उसको फाड़ते हैं तो मैं इनको निन्दनीय घटनाएं मानता हूं और आप चाहें तो एन्टी-नेशनल तक कह दूं, लेकिन वे चीन या दूसरे देश को इसको सौंप देना चाहते हों इसको मैं नहीं मानता हूं। इसका मतलब यह हो सकता है कि उनका अपने झण्डे का कन्सेप्शन और हो कि देश का या राष्ट्र का झंडा प्रमुक बनायेंगे, देश के विधान में परिवर्तन करेंगे और देश के विधान में कई बार परिवर्तन हुए हैं....

श्री लाभचन्द वैद : "माओ जिन्दाबाद," को क्या मानते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरीके से उनका किन्हीं नेताओं में विश्वास हो। "लेनिन जिन्दाबाद" के नारे मैं समझता हूं कि आपमें सभी कई लोग लगाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है ...

श्री मूलचन्द डागा : कोई नहीं लगाता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप नहीं लगाते होंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : "माग्रो जिन्दाबाद" कहें और गांधीजी की मूर्तियां तोड़ें ?

श्री लाभचन्द वंब : "प्रेसीडेण्ट माम्रो जिन्दाबाद" कहना कौनसी कार्यवाही है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह अपने अपने विचार हैं। मैं साफ कहता हूं कि आज उन लोगों की यह प्रवृत्ति है कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं का अपमान करें वह चाहे सही न हों। मैं गांधीजी की बहुत सी बातों को सही नहीं मानता हूं लेकिन उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उनकी राष्ट्रपिता के रूप में इज्जत करता हूं। जवाहरलालजी की बहुत सी बातों से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन उनकी इज्जत करता हूं। मतभेद रखते हुए भी उन लोगों का जिस तरह का व्यवहार है वह दुरुस्त नहीं है और जिस तरीके को रख कर वे चलते हैं वह बिलकुल गलत, मैं मानता हूं। लेकिन मेरी यह मान्यता नहीं है कि इसका कोई मकसद चीन को लाकर हिन्दुस्तान में बिठाना हो या वहां के रेजीम को लाकर यहां पर बिठाना है। ऐसी मेरी मान्यता नहीं है यह मैं मानता हूं कि अपने समाज के अन्दर वे परिवर्तन करना चाहते हैं इस तरीके से जो तरीका मैं समझता हूं दुरुस्त नहीं है, गलत है और उस लक्ष्य तक वे वास्तव में पहुचेंगे नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मुझे माफ करें उन्होंने चीन की सेना को क्रान्ति सेना बताई है तो यह क्रान्ति सेना कहां तक ठीक है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह गलत है मैंने खुद ने कहा है। चीन ने आक्रमण किया था १९६२ में, हमने उसको बुरा बताया था और इस बात पर हमारी पार्टी में मतभेद हुआ और वे और हम अलग अलग हुए और आज भी हम इस बात से सहमत नहीं हैं। कुछ लोग अलग हो गये। यह भी एक ओपीनियन की बात है। आज भी कुछ लोग दूसरी ओपीनियन रख सकते हैं और उनको अपनी ओपीनियन रखने का अधिकार है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इस रूप में इस प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट से हम राष्ट्र की सुरक्षा, लोक-व्यवस्था बनाये रखना, एसेन्शियल सप्लाइज को मेन्टेन करना और सेवाएं बनाये रखना, ये चार चीजें करना चाहते हैं। इनको आपने इकट्ठा करने की कोशिश की है इस एक्ट में। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की एक्टीविटीज हैं कि जिनके बारे में कोई मतभेद नहीं है। जिस प्रकार की एण्टी नेशनल एक्टीविटीज हैं जैसे खुफिया-गिरी करना, दूसरे देश के लिए सप्लाई पहुंचना और सुरक्षा को तोड़ना ये इस प्रकार की एक्टीविटीज हैं और खास तौर से राजस्थान में यह कहा गया है कि पाकिस्तान स्पाईज भी हैं और कहीं इस तरीके के लोग हैं तो उस एरिया में जस्टिफिकेशन हो सकता है, लेकिन वह एक्टीविटीज इस तरह से डिमार्केट होनी चाहिए। जो लोक-व्यवस्था बनाये रखने की बात इसके अन्दर जोड़ी है उसके लिए आप और कोई दूसरा कानून बना सकते हैं लेकिन वहां पर इसके लिए और डिमार्केशन होना चाहिए। यह लोक-व्यवस्था बनाये रखने की बात मैं समझता हूं कि जो सोशल चेन्जेज के लिए आन्दोलन हो रहे हैं उनके विरोध में यह पड़ेगा और इसका यह मकसद नहीं होना चाहिए, और इसलिए इसको डिलीट करने का मैंने सुझाव दिया है और अमेंडमेंट रखा है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सभापति महोदय, मुझे खेद है कि इस समाज और सरकार का दृष्टिकोण तस्कर व्यापार, चोरबाजारी, मुनाफाखोरी और इस तरह के तबके की जो इस तरह की एक्टीविटीज हैं, चाहे ऊपर से फॉरमल रूप से इनको एण्टी सोशल एक्टीविटीज माननीय गृह मंत्रीजी कह दें, लेकिन एक सीरियस बात समाज के लिए है इसको जबरदस्त ऑफेन्स बना देना चाहिए कानून के जरिये। जो मौजूदा कानून बने हुए हैं उनके तहत मुकदमें चलाकर इनके ऊपर सीरियस कार्यवाही करनी चाहिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह चीज करने का सरकार का दृष्टिकोण नहीं है। उनके ऊपर मुकदमे चलायेंगे नहीं, बल्कि उनकी एक्टीविटीज के ऊपर परदा डाला जा रहा है, उनको सहयोग दिया जा रहा है, उनको इन्साइट किया जाता है। उनके साथ कान्सपायर करके कालेबोरेशन किया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाहियों के अन्दर चाहे वे गंगानगर में हों, चाहे बाड़मेर में हों, चाहे वह जैसलमेर में हों। आज इस प्रकार का यह तस्कर व्यापार—वहां से माल लेना सस्ता और यहां पर बेचना, इधर से ले जाना और उधर से बेचना, यह मैं समझता हूं कि सरकार के नेताओं से छिपा हुआ नहीं है लेकिन खुले तौर से इन शब्दों को इसके अन्दर आपने जोड़ने की अपनी तैयारी नहीं दिखाई है। आज तो सप्लाई को मेन्टेन करना केवल इतनी बात कहकर चुप रह गये। इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली इन शब्दों का इसके अन्दर उल्लेख किया है और स्पेसिफिकली इन चीजों को जोड़ा है।

दरअसल आज कानून भी है जिसके तहत इस प्रकार की एक्टीविटीज के खिलाफ आप सख्ती से कानून के तहत कार्यवाही भी कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं। आपके नोटिस में आजाने के बाद भी नहीं करते हैं। इस तरह के जिनके खिलाफ सबूत हैं उसके बावजूद भी आप इन एक्टीविटीज को बन्द नहीं करते हैं। मैंने जनरल बहस पर बोलते हुए गंगानगर के कितने ही मामले और भी रखे थे और यहां सदन में रात दिन ही मामले इस प्रकार के आते हैं चोरबाजारी के, तस्कर के, उन पर कितनी कार्यवाही होती है, मैं समझता हूं इस सदन से वह छिपी हुई नहीं है। अगर किसी प्रकार की कार्यवाही की जरूरत है तो इन तत्वों के खिलाफ है। यदि आप चाहें और आपकी नियत हो तो मौजूदा कानून के तहत भी कार्यवाही कर सकते हैं और सख्त एक्शन ले सकते हैं। लेकिन वह जिस तरह की शब्दावली आपने यूज की है उसी से आपकी नियत का पता चल जाता है।

सभापति महोदय, मैंने अपने अमेंडमेंट में यह सजेस्ट किया है कि लोक-व्यवस्था और सेवाओं के सम्बन्ध में जो शब्द हैं इनको इसमें से निकाल दिया जाय।

सेवाओं के सम्बन्ध में जो कहते हैं, मेरी दलील वही है जो मेरे से पहले वाले माननीय सदस्य ने कही है। जितनी भी गवर्नमेण्ट सर्विसेज है, या जो एम्प्लायमेण्ट में लगे हैं, चाहे किसी प्रकार के हों, इनमें आप ने एक एक्ट बना दिया है। एक पहले ही प्रिवेण्टिव एक्शन लेने के लिए बना दिया है। यह दूसरा बना रहे है। इधर आप कह रहे हैं, यह बात। जो काम कर रहे हैं, उनको यह दो इनाम दे रहे हैं। यह तो अच्छा काम करने का इनाम है। आज आप शायद इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं। आप एक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जबरदस्त चिनगारी छोड़ रहे हैं। एक जबरदस्त प्रवोकेशन की चिनगारी छोड़ रहे हैं। बड़े बड़े नेता लोग जब जोधपुर में बम पड़ा तो छोड़ छोड़ कर भाग आये। लेकिन बिजली घर के कर्मचारी, जब वहां तार टूट गये तो वह वहां लगाकर आये। पोस्ट आॅफिस के चपरासी तक काम पर जुटे रहे। आज आप उन पर एसेंशियल सर्विस एक्ट और प्रिवेण्टिव डिटेंशन एक्ट लागू करें यह कहां तक शोभा देता है?

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैंने इसमें संशोधन, अरेस्ट करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को दे रखा है। इमीजिएटली जो अधिकार हैं, जो गवर्नमेंट को है, वह मैंने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दिया है। हाइकोर्ट से ही प्रिवेल होना चाहिए। ये मैंने अमेन्डमेन्ट अपने संशोधन के जरिये से रखा है।

श्री सभापति : श्री गृह मंत्रीजी।

श्री दामोदरलाल व्यास गृह मंत्री : सभापति महोदय, जो दो माननीय सदस्यों ने अपने अमेन्डमेन्ट पेश किये हैं, मुझे खेद है कि मैं उनको स्वीकार करने के योग्य नहीं समझता हूं। मैं इसकी वजह पेश करना चाहता हूं। आप का कहना है कि सर्विसेज को डिलीट कर दिया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सेवाओं का क्लॉज।

श्री दामोदरलाल व्यास : सेवाओं का और दूसरी बात एडीशनल कलेक्टर के लिए है, उसको डिलीट कर दिया जाये। Additional Collector को जो पॉवर्स दिये गये है वे सभी Additional Collectors को नहीं हैं "Additional District Magistrates specially empowered in this behalf by the State Government." फिर अमेण्डमेण्ट आप का यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसको गिरफ्तार करने के पावर्स नहीं होने चाहिए। मेरा निवेदन है, he has to report the fact to the State Government and it has to be approved within 12 days. और स्टेट गवर्नमेंट की नॉलेज से उसको होना चाहिये। यह अमेण्डमेण्ट आप का क्लीयर है। मतलब वह, यह होना चाहिए या नहीं, लेकिन जैसा कि रामानन्दजी ने वह तकरीर की थी जो कि आर्डिनेंस के बारे में थी कि वह लोग समाज में तब्दीली करने वाले लोग है। उनका जो वॉयलेंस का तरीका है। जो वह माओ जिन्दाबाद के नारे लगाते हैं। चीन से हथियार मंगायें। वह यह नहीं कहते हैं। वह कहते है। देश के चन्द नौजवान लोग हैं जो हमारे ही भाई भतीजे है। वह कहते हैं कि इस समाज की धारा को बदल कर, गवर्नमेंट को बदल कर नये मूल्यों की स्थापना की जाये। उनके लिए कहते हैं। उनके लिए वह कहते हैं कि यह प्रिवेण्टिव डिटेन्शन एक्ट नहीं होना चाहिए। उनके लीडर नक्सलाइट है। मामला क्या है, रामानन्दजी हम भी समझते हैं।

खूब परदा है, कि चिलमन से लगे बैठे हैं।
साफ छिपते भी नहीं, और सामने आते नहीं।।

अगर आप सोशल स्ट्रक्चर चैंज करने की बात करें तो आप को यह समझना चाहिए कि हम मानने वाले नहीं हैं। देश की गवर्नमेण्ट को उखाड़ कर चायना से मदद लेते हैं। चीन इतना बेवकूफ नहीं है कि जो मुफ्त में हथियार दे देगा। आप के कहने

(श्री दामोदरलाल व्यास)

से हम यह मान लें कि वह हमारे भाई भतीजे हैं और वह समाज की तब्दीली का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : (अश्रव्य)

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आप को यह बता दिया है। यह आप नक्सलाइट एडवोकेसी करते हैं। उनका वही नक्शा है जो मैंने शुरू में कहा है। अब रहा सवाल एडीशनल कलेक्टर को पावर्स नहीं होनी चाहिए। मगर ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब कलेक्टर नहीं हो, छुट्टी पर हो। इसलिए यह पावर रखी गई है। इसलिए नहीं है कि स्पेशल पावर दिये हैं। स्पेशल पावर तो स्पेशल परिस्थितियों में ही देना चाहिए। "Additional District Magistrates specially empowered in this behalf by the State Government" और अगर कलेक्टर न हो तो हम वैक्यूम में नहीं छोड़ सकते हैं। रहा पावर का सवाल माननीय सदस्य कहते हैं, कलेक्टर रिकमेण्ड करके स्टेट गवर्नमेंट को भेजे। मेरा कहना यह है कि इमीजिएट डेंजर होता है तो यह होता है। स्टेट गवर्नमेंट कोई ऑर्डर भेजे। कन्सेण्ट ले। लेकिन यह तो डेंजर इमीजिएट है। तभी तो पी. डी. एक्ट में एक्शन लिया जाता है। स्टेट गवर्नमेण्ट के रिकमेण्ड करने का सवाल नहीं है। जहां तक जुडिशियरी की बात है वहां कान्स्टीट्यूशन ने खुद ने ३ महीने की पावर दी है।

For this purpose even Advisory Board is not necessary.

यह ठीक है। रहा एडवाइजरी बोर्ड का उसमें रेफर करें तो वह तीन महीने में में बैठता है। आप कहें तो यह अलग मुकर्रर कर दिया जाये।

श्री भैरोंसिह : एक जज लगा दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक ही जज है। जहां कान्स्टीट्यूशनल प्राविजन नहीं है। तो हम तो यह मानने के लिए तैयार हैं माननीय नाहर साहब को आप मना लें, मैं तीन जज की मान लूंगा। आप यह स्वीकार करते हैं तो हमारा आप का फैसला हो जाये। मंजूर है आप को ?

श्री भैरोंसिह : आप कृपा ही करो।

बाकी रहा सवाल इस बात का, पब्लिक ऑर्डर की बात है, पब्लिक ऑर्डर को डेस्ट्रॉय करने की बात होती है, तो यह पब्लिक ऑर्डर को समझने की बात है After all what is Public Order ? पब्लिक ऑर्डर ऐसी चीज है जिससे कन्ट्री की सिक्योरिटी को डेंजर पैदा हो जाता है, देश की इन्टरनल सिक्योरिटी को डेंजर हो जाता है, पब्लिक ऑर्डर डेस्ट्रॉय करा जाता है उसको रोकना चाहते हैं। ऐसी स्थिति आ जाय तब इसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यह होता है। आप पब्लिक ऑर्डर को समझने की कोशिश करें। आप समझें कि किसी ने किसी के थप्पड़ मार दिया तो वह पब्लिक ऑर्डर डेस्ट्रॉय हो गया। आप समझिये आज बंगाल में क्या हो रहा है। What is going on in Bengal ? बंगाल में पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है, डिसरप्शन हो रहा है। इसलिये पब्लिक ऑर्डर को डेस्ट्रॉय करने की बात सही मायने में समझें। आप जो कह रहे हैं वह सही नहीं है। इसमें मेन्टेनेन्स ऑफ सप्लाइज एण्ड सर्विसेज एसेंसियल टू द कम्युनिटी के बारे में सवाल है। रामानन्दजी ने अलग इन्टरप्रिटेशन किया कि मेन्टेनेन्स ऑफ सप्लाइज एण्ड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी इसके अन्दर ब्लेक मार्केटिंग और स्मगलिंग नहीं आता है।

Page No 190

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्पेसिफिक करने में क्या दिक्कत है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर देता हूं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिये कि लीगल टर्मिनोलोजी लिखी जाती है कानून में। आपने कहा, वह कानून में नहीं लिखा जाता है। यह असेंसियल सर्विसेज....

श्री भैरोंसिह : लाल किताब कहां से लाये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लाल किताब वही है। मैंने कल कहा था, लाल किताब वहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह पटवारी की किताब है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। पटवारी की किताब तुम्हारे पास है। मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं, यह Supreme Court का decision है।

"The words 'supplies and services essential to the community' which have been used in section 3 (a) were intended to provide for preventive detention for persons connected with the maintenance of supplies essential to the community or maintenance of services essential to the community, or both, and include also supply of essential commodites "

"An act of black marketing or hoarding will directly affect the maintenance of supplies and services essential to the community."

इसलिए जो आप बता रहे हैं, ब्लेक मार्केटिंग, होर्डिंग वगैरह-दिस इज ऑल कवर्ड बाई इट। यह मैं आपको हाई कोर्ट की रूलिंग बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की इन्टर प्रिटेशन बता रहा हूं। यह आप कहें कि मेन्टेनेन्स ऑफ सप्लाइज एण्ड सर्विसेज असेंसियल टू दी कम्युनिटी में वह नहीं आता है ब्लेक मार्केटिंग में नहीं आता है। यह दोनों बातें करने के साथ आप कहें कि जैसे हम ब्लेक मार्केटियर्स और होर्डर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए बैठे हैं। और जो आपने एक्शन लेने की बात कही तो वक्त जरूरत एक्शन भी होता है। आप उत्सुक हैं तो आपसे ही सलाह लेता हूं....

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकार उनको प्रोटेक्शन देने के लिए है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ब्लेक मार्केटिंग और होर्डिंग कौन करता है—इसमें आपका सहयोग चाहते हैं। मेरा अर्ज करना यह है कि जितने संशोधन हैं इनको मैं स्वीकार करने के योग्य नहीं मानता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमें उम्मीद थी आपसे कोई खास उम्मीद नहीं थी।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड तीन में जो संशोधन का प्रस्ताव श्री भैरोंसिह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड तीन में जो संशोधन प्रस्ताव श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गये।

Page No 191

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड तीन स्वीकार किया किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड तीन स्वीकार किया गया।

खण्ड चार। कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है, कि खण्ड चार स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड चार स्वीकार किया गया।

खण्ड पांच। श्री रामानन्द अग्रवाल!

श्री रामानन्द अग्रवाल : खण्ड ५ पर मेरा संशोधन है:

"इस भाग के अन्त में प्रयुक्त विराम चिन्ह व शब्द ';' और विराम चिन्ह ':' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय एवं इस भाग के अन्त में निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाय:—

श्री सभापति : यह इम्पार्टेन्ट है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन है कि परन्तुक जोड़ा जाय।

श्री सभापति : परन्तुक को छोड़ दें। यह इम्पार्टेन्ट है क्या?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह है:

'परन्तु यदि वह व्यक्ति ऐसा है जिसके परिवार का भरण पोषण उसके व्यक्तिगत श्रम पर निर्भर है तो राज्य सरकार उसके परिवार के भरण-पोषण के लिए समुचित प्रबन्ध करेगी।'

श्री सभापति : It is a question of maintenance of a man who has been detained.

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी हां। सवाल यह है....

श्री सभापति : It is a question of maintenance of a man who has been detained.

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस आदमी को आप डिटेन करें—यह साधन सम्पन्न आदमी पर लागू नहीं होगा—मैंने कहा है, वह आदमी ऐसा हो जिसके श्रम से उसके घर का गुजारा होता हो, तो आप उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में उसको डिटेन कर रहे है उसके बाल बच्चों को कन्डम नहीं करना चाहते, न आपका मकसद है....

श्री सभापति : will this maintenance not lead to repetition of offences? दुबारा करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी? सोचेगा, घर का भरण पोषण तो हो रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Let the Government reply.

श्री सभापति : यह भी ग्रास्पेक्ट है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उसे ही नहीं और को भी मिलेगी प्रेरणा। राज्य के ऊपर भार पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह उन लोगों का दृष्टिकोण है। मेरा दृष्टिकोण यह है आपका आधार जो है वह है कि जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता हो, उस पर शक हो उसको आप डिटेन करें, लेकिन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह उसके बीबी बच्चों को प्रभावित करता है। यह आदमी कैसा भी हो लेकिन उसके बीबी बच्चे जुर्म के लिए जिम्मेदार हैं क्या ? मैं ऐसा समझता हूं कि नहीं हैं। इसलिए यह अन्याय करने की बात होगी कि कमाने वाला तो जेल में चला जाय और बीबी बच्चे बाहर भूखे मरें, और उनको आप जबर्दस्ती कन्डम करें। मैं नही कहता कि जितनी कमाई थी उतनी ही आप कमाई दें। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने एतराज किया, एक आदमी पांच सो कमा सकता है, उसके जेल में जाने से उसके परिवार को आप पांच सो रुपये दें—ऐसा प्रपोजल नहीं है। मेरा कहना है कि मिनिमम मेन्टेनेन्स के लिए होना चाहिए ताकि घर पर बाल बच्चों का गुजारा हो सके। वह जरूर मिलना चाहिए। यह न्याय की दृष्टि से उचित है। यह मेरा संशोधन है।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, इस कानून में परन्तुक या कोई प्राविजो लगाना चाहते हैं इसकी जरूरत नहीं है। आगे गवर्नमेंट इसके ऊपर विचार करके जब नियम बनायेगी तब इस प्रकार का प्राविजन होगा और जिनको मेन्टेनेन्स देने की आवश्यकता है उस पर जरूर विचार करेगी।

श्री रामकिशन : कानून में भी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कहां है ? मैंने पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया था····

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा, न कानून में है और न रहने की जरूरत है। नियम बना कर करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें रखने को तैयार नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। बिलकुल नहीं। कतई नहीं।

श्री सभापति : आप प्रेस करते हैं या इसको विथड्रॉ करते हैं ?

प्रश्न यह है कि खण्ड पांच में जो संशोधन प्रस्ताव श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड पांच स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड पांच स्वीकार किया गया।

खण्ड ६ श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके भाग (ख) और (ग) विलोपित किये जायं।

श्री सभापति : खण्ड छः में ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : खण्ड छः के भाग (ख) और (ग)।

श्री सभापति : इसमें विलोपित करने का है केवल ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : विलोपित किये जायं खण्ड ऐसा है :

"कोई भी निरोध आदेश केवल इस आधार पर अवैध या प्रवर्तनहीन नहीं होगा—(ख) कि तदधीन निरुद्ध किये जाने वाला व्यक्ति राज्य के भीतर होते हुए भी आदेश देने वाले ऑफिसर को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रादेशिक अधिकारिता की सीमाओं से बाहर है, या

(ग) कि ऐसे व्यक्ति का निरोध स्थान राज्य के भीतर होते हुए भी, उक्त सीमाओं से बाहर है।"

मेरे कहने का मतलब यह है, जो आदमी जिस जगह पर नार्मली रहता है वहीं का मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है— उसकी रिपोर्ट पर होना चाहिए। एक आदमी गंगानगर का रहने वाला है, और चित्तौड़गढ़ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके बारे में रिपोर्ट करे, उसके आधार पर अरेस्ट हो। इसका मकसद इस तरह का है जो मैं समझता हूं उचित नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझता हूं, इसके डिलीशन की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य ने इसको समझा नहीं है। एक आदमी रहता कहां है और उसकी एक्टीविटीज किसी दूसरे जिले में हो सकती है। अगर इसको डिलीट कर देंगे तो दूसरी जगह एन्टी नेशनल एक्टीविटी करने की उसको छूट दे देंगे। वहा जहां रहे वहां तो शांति से रहे और दूसरे जिले में बदमाशी करने दी जाय। यह सम्भव नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह प्रेक्टिकली सम्भव है कि वह दूसरी जगह जाकर करेगा?

श्री सभापति : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवंतसिंह नाहर : आई डू नोट प्रेस माई अमेंडमेंट!

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि ६ में जो संशोधन प्रस्ताव श्री रामानंदजी ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया

प्रश्न यह है कि खंड ६ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ६ स्वीकार किया गया

खंड ७ श्री भैरोंसिंह।

श्री दामोदरलाल व्यास : नाहर साहब ने अपना संशोधन मूव नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, इसमें मेरे दो संशोधन हैं। जो इस प्रकार हैं "खण्ड ७ इसका उप-खण्ड (२) विलोपित किया जाय। पहला संशोधन मैं नहीं प्रस्तुत करना चाहता हूं। वह कान्सी-क्वेन्शल था। जब पहले वाला संशोधन स्वीकार नहीं हुआ तो दूसरे का सेन्स नहीं रहा। उसका उप-खंड (२) है। उप-धारा में है.... उन तथ्यों को प्रकट करने की अपेक्षा नहीं करेगी जिनका प्रकट किया जाना वह लोकहित के विरुद्ध समझता है। मैंने मांग की है कि इस उप-खंड को विलोपित किया जाय। इसके पीछे मेरा निवेदन इतना है कि हमने संसदीय प्रणाली में सरकार के कुछ विशेषाधिकार स्वीकार किए हैं। उसका उपयोग राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार कई बार विधान सभा में व लोक सभा में अवश्य करती है और कई ऐसी सूचनायें जो आम तौर पर जनता को नहीं दी जा सकतीं, कई ऐसी सूचनायें जो विधान सभा में या लोक सभा के सदस्यों को नहीं दी जा सकती लेकिन यहां पर उस परम्परा के विपरीत दूसरी स्थिति है। यहां उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है, उनकी आजादी पर अतिक्रमण कर रहे है,

Page No 194

(श्री भैरोंसिंह)

उनको जेल में बिना कोर्ट में गये डिटेन कर रहे हैं। ऐसी हालत में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसको गिरफ्तारी के कारण नहीं बताना, मैं समझता हूं किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं होगा। अगर कोई आदमी पाकिस्तान की गुप्तचरी का काम करता है और हम उसको यह भी नहीं कहे तुम पाकिस्तान के गुप्तचर हो और केवल यह कह दें कि जिन कारणों के लिए तुझे गिरफ्तार किया गया है, वह हम नहीं बताना चाहते, यह उचित नहीं है। उन कारणों को बताने से और गड़बड़ी हो सकती है, हम इस प्रकार की स्थिति क्यों लाना चाहते हैं? आपने जिस-जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, उसको बतायें कि अमुक कारण से तुमको गिरफ्तार किया गया है। अगर वह आदमी, जैसे आप कह रहे हैं कि कानून में व्यवस्था कर रहे हैं, राज्य सरकार के पास निवेदन कर सकता है, कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है तो जिस आदमी को आपने गिरफ्तार किया है उसको यह भी पता नहीं रहेगा कि मेरे पर किस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी वह आपके पास किस बिना पर उसके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, उनकी सफाई देगा? सरकार के सामने कैसे प्लीड करेगा? तो आप इस क्लाज को हटा दें। आपको गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया, किन्तु आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया है, कलेक्टर उनको बताएगा लेकिन आपने बीच में इस तरह की बात लगादी कि कलेक्टर यदि चाहे तो कहेंगे कि सीरियस आफेन्सेज हैं तो जनता में बलवा हो सकता है लेकिन किसी आदमी को गिरफ्तार करने के लिए कोई कारण नहीं दें इसके लिए आप कह सकते हैं कि कलक्टर यह प्रिविलेज क्लेम करता है। वह कारण नहीं बताना चाहता तो इस प्रकार की धारा रखना आवश्यक नहीं है। जिसे गिरफ्तार किया गया है, ईमानदारी से जिन कारणों से गिरफ्तार किया है, उसके कारणों की जानकारी दी जाय ताकि उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो सके।

मैं समझता हूं कि गृहमंत्री इस संशोधन को स्वीकार करके अपनी हठधर्मी को छोड़ने का एक उदाहरण तो देंगे।

श्री सभापति : गृहमंत्री।

श्री रामानंद अग्रवाल : एक तो यही है जो ....

श्री सभापति : सब-क्लाज २ को डिलीट करने के लिए है न?

श्री रामानंद अग्रवाल : जी हां, मेरा संशोधन निम्न प्रकार है—

उप-खण्ड (१) :

इस उप-खण्ड की द्वितीय व तृतीय पंक्ति में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'आदेशकर्त्ता अधिकारी यथासंभव शीघ्र, परन्तु निरोध की तारीख से पांच दिन बाद नहीं,' अभिव्यक्ति 'गिरफ्तार करने वाला अधिकारी गिरफ्तार करने से पूर्व वारन्ट गिरफ्तारी के साथ' द्वारा प्रतिस्थापित की जाय।

उप-खण्ड (२) :

विलोपित किया जाय।

मेरा जो संशोधन है, उसकी भावना यह है कि जो अधिकारी उसको गिरफ्तार करे तो वारंट गिरफ्तारी के साथ ही कि किन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कारणों से गिरफ्तार किया जाता है, साथ ही साथ दे दिया जाय क्योंकि इसमें जो प्रावधान है; वह ५ दिन के बाद देने का है। किन कारणों से गिरफ्तार किया जाता है, पहले से ही मालूम हो कि उनके बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। इसलिए वह तैयार करने में देरी लगेगी, वह बात नहीं है। उस आदमी को जैसे वारंट दिया जाय, उसके साथ चार्जशीट भी मिल जानी चाहिए ताकि वह अपना उत्तर दे सके।

सेकंड क्लाज है, उसमें आपने उसको कारण न बताने पर अगर थोड़ा सा भी प्रिविलेज अधिकारी को दे दिया तो सारे मामलों में बतायेंगे नहीं आम तौर पर और एक्सेप्शन्स में बतायेंगे। यह किसी के साथ जुरिस्प्रूडेन्स के नियमों के विरुद्ध होगा। न केवल आप उनको बगैर मुकदमे के गिरफ्तार कर रहे हो; बल्कि कारण भी नहीं बता रहे हैं। इसलिए मैंने ये संशोधन रखे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक सब-क्लाज (२) को डिलीट करने का सवाल है, मैं समझता हूं कि हरगिज नहीं होना चाहिए और उसका कारण यह है कि संविधान की धारा २२ में प्रोवाइड किया गया है कि ऐसे कारण जो जनहित में डिस्क्लोज करने लायक नहीं हो तो न बताये जायं।

श्री रामकिशन : २२ (५) है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस क्लाज के रखने की आवश्यकता है। जरा बहुत बारीकी से आप विचार करें। खाली यह नहीं कि बलवा हो जायेगा या वह हो जायेगा। ऐसे केसेज आ सकते हैं; ऐसे कारण हो सकते हैं कि जिस आदमी को गिरफ्तार किया जाय, आखिर वह रीजन्स आदमी को बताये जायं दैट विकम्स पब्लिक प्रोपर्टी एण्ड अवलेबल टु एवरी बोडी। ऐसे कारण हो सकते हैं कि पब्लिक इन्टरेस्ट्स डिमांड करते हों कि वह कारण जनता के सामने न बताए जायं। फर्ज कीजिए वह आदमी फोरेन कन्ट्रीज का सिपाही है, तो आप भी कहेंगे कि जरूरी है कि पब्लिक इन्टरेस्ट में उनको रीजन्स न दें। इसलिए हर मामले में यह बात नहीं होगी कि कारण नहीं देंगे। आपके पास हाबियस कार्पस की पिटीशन का प्रोवीजन है संविधान में। हाईकोर्ट में हमें बताना होगा, हाईकोर्ट को हमने बता दिया। पब्लिक इन्टरेस्ट में रीजन्स नहीं देंगे तो हाई कोर्ट को सैटिसफाई करना होगा बट दैट विल नाट बी शोन टु दी डिटेन्यू आर हिज काउंसल।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उसको तुरन्त ग्राउंड्स दिया जाय। इसमें यह प्रावधान नहीं है कि तुरन्त नहीं दिए जायं। इसमें प्रावधान है कि "एज सून एज पासीबुल बट नाट लेटर दैन फाइव डेज"। इसलिए यह नहीं है कि ५ दिन के बाद दिये जायं। "एज सून एज पासीबुल" तुरन्त भी है, एक घंटे के बाद भी है बट विदिन फाइव डेज, इतना रहना जरूरी है। इसलिए दोनों संशोधनों को अस्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : अमेंडमेंट्स। श्री नाहर ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आइ डू नाट वांट टु प्रेस माई अमेंडमेंट्स।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड ७ में जो संशोधन का प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि खंड ७ में जो संशोधन प्रस्ताव श्री रामानन्दजी ने रखे हैं उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि खंड ७ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ७ स्वीकार किया गया।

श्री भैरोंसिंह : जाने दो साहब ये मानते नहीं हैं।

श्री सभापति : क्यों ज्यादा बढ़ाया जाये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल।

खण्ड ८

श्री रामानन्द अग्रवाल : "इसकी द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द 'तीन', शब्द 'एक' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय।"

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड ८ में जो संशोधन का प्रस्ताव श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड ८ को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड ८ स्वीकार किया गया।

खण्ड ९

श्री भैरोंसिंह।

खण्ड ९

श्री भैरोंसिंह : मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

इसका उप-खण्ड (२) विलोपित किया जाय। गृह मंत्रीजी मानेंगे तो नहीं लेकिन उन्होंने कहा था उसके आधार पर यह एश्योरेन्स चाहूंगा। दुबारा गिरफ्तारी के समय फ्रेश ऑर्डर इश्यू किया जावेगा तो उसमें वे बातें नहीं होंगी जो कि गिरफ्तारी से पहले की बातें होंगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसको पढ़ लीजिये। यह बिलकुल साफ है और ठीक है :

"(2) The revocation or expiry of a detention order shall not bar the making of a fresh detention order under Section 3 against the same person in any case where fresh facts have arisen after the date of revocation or expiry..."

क्या एश्योरेन्स दूं ? यह बिलकुल साफ है। दरअसल डिटेन्शन ऑर्डर में एक साल का था। रिवोक कर सकते हैं। पर्टिकुलर केस का उदाहरण दिया। वह मैं जानता नहीं। ३ महीने का हुआ हो और ६ महीने का कर दिया हो और छोड़ दिया हो। दुबारा लिया जावेगा। तीन महीने का ही तो है। बहुत से हैं।

Page No 197

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप रहोगे जब पता लगेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका तजुर्बा से लेंगे।

श्री सभापति : डर तो है?

श्री दामोदरलाल व्यास : रिलीज ऑर्डर के बाद में फैक्ट्स होंगे तब ही डिटेन करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : पुराने हो सकते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जरा इसको पढ़िये तो सही, it is very clear.

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यही है पहले के ऑर्डर के तहत उसकी गिरफतारी हुई उसके पूर्व के जितने भी कारनामे हैं उनको लेकर दुबारा गिरफ्तारी के आर्डर्स इश्यू नहीं किये जायेंगे?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिन कारणों से गिरफतार किया गया है उस ऑर्डर का रिवोकेशन, एक्सपायरी के बाद गवर्नमेंट दुबारा कर सकती है "if fresh facts have arisen after the date of revocation or expiry.

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि गृह मंत्रीजी इसको समझ कर भी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। आप हम पुराने मित्र हैं और एक दूसरे की नीयत पर शक नहीं करना चाहिये।

श्री सभापति : पुराने मित्र हैं जो अच्छी तरह जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक तारीख को आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जितने भी कारण थे उनके कारण आदेश गिरफ्तारी के दिये। तीसरे महीने में वह छूटता है। फ्रेश ऑर्डर इश्यू करेंगे। उसके अन्दर १ तारीख के पहले की घटनाओं का उल्लेख तो नहीं होगा ना? रिलीज होने के बाद जो कारनामे किये जायें तो दुबारा फिर गिरफ्तार करते हैं तो समझ में आता है। यदि इसको पहले के कारणों के कारण दुबारा गिरफ्तार करते हैं तो फिर तो यह मेलाफाइड है।

श्री दामोदरलाल व्यास : "...where fresh facts have arisen after the date of revocation or expiry..."

फिर झगड़ा ही क्या है? यह तो आप बेकार बहस कर रहे हैं। वहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं थी।

श्री सभापति : आपने संशोधन नहीं रखा है।

श्री भैरोंसिंह : खण्ड को ही डिलीट करना है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड ६ में जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ को स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड ६ स्वीकार किया गया।

खण्ड १०। मेटीरियल अमेंडमेंट?

खण्ड १०

श्री रामानन्द अग्रवाल : और मत मानो आखिर में मान लेना। मेरा इस क्लाज में निम्न संशोधन है—

उप-खण्ड (४) :

"इसकी तृतीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द 'दो वर्ष', शब्द 'छः माह' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायं।"

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड १० में जो संशोधन श्री रामानन्दजी अग्रवाल ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १० को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड १० स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड ११ व १२ कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड ११ व १२ स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड ११ व १२ स्वीकार किये गये।

खण्ड १

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब तक तो माना नहीं। १ वाले को ही मान लें तो संतोष कर लेंगे।

श्री सभापति : काम की बात तो मानी नहीं। नाम से क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा संशोधन का प्रस्ताव इस प्रकार है—

उप-खण्ड (२) :

"इस खण्ड का उप-खण्ड (२) विलोपित किया जाकर निम्नांकित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेः—

"(२) इसका विस्तार राजस्थान के उन जिलों तक सीमित रहेगा जिन जिलों की सीमाएं पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा के साथ लगती हैं।"

नया उप-खण्ड (३) :

उप-खण्ड (२) के पश्चात् निम्नांकित उप-खण्ड (३) जोड़ा जाय—.

"(३) यह उसी समय प्रभावशाली होगा जबकि समूचे देश में अथवा राज्य में कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी द्वारा आपत्कालीन स्थिति घोषित हो जाय।"

गवर्नमेंट की ओर से ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये हैं उसमें भी बॉर्डर स्टेट है हमारी ओर एक्सयोनेज वगैरा का जिक्र है उसको समझ कर ही मैंने यह रखा है। प्रभावशील इसको तब ही बनाया जाय जब कि आपत्कालीन स्थिति घोषित हो जाय।

श्री सभापति : माननीय गृह मंत्रीजी।

(विराम)

इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

(विराम)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड १ में जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १ स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड १ स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अधिनियामक सूत्र प्रस्तावना आदि स्वीकार किये जायें ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुकुटबिहारी का टाइटल में संशोधन है।

श्री भैरोंसिंह : टाइटल बदल कर इसका नाम "सुखाड़िया बचाओ" विधेयक रखा है।

श्री सभापति : अच्छा है काफी समय हो गया थोड़ी मजाक भी हो जाय।

प्रश्न यह है कि अधिनियामक सूत्र, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

सूत्र प्रस्तावना आदि स्वीकार किये गये।

माननीय श्री गृह मंत्रीजी।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान निवारक निरोध विधेयक, १९७० को पारित किया जाय।

श्री दौलतराम सारण : सभापति महोदय, इसका हम घोर विरोध करते हैं।

श्री सभापति : बहिर्गमन मत करना। समय मांगा तो मैं दे दूंगा। आप विरोध कर सकते हैं मेटिरियल चीज है तो। १० बजने का समय आया है –

(विराम)

आप चाहे तो टोकन बाहर जा सकते हैं इतने में वेट कर लूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ज्यादा समय नहीं लूंगा। दो मिनिट लूंगा।

सभापति महोदय, सरकार की ओर से यह पता लग गया कि वह पास करवाना चाहती है हमारा कटु अनुभव है और प्रेक्टिकल अनुभव है। हमारे मोहम्मद इब्राहीम मरहूम, राष्ट्रीय आन्दोलन में साथ थे, मरे थे तब कॉंग्रेस में थे। इनको पहले पाकिस्तान का एजेन्ट बताकर, चूंकि कांग्रेस से अलग हो गये थे, उनके खिलाफ इस प्रकार का केस बनाया गया। इस तरीके से इस एक्ट का दुरुपयोग हुआ है यह पहले से अनुभव रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि यह सरकार अपनी जिद से इसको पास कर लें लेकिन आने वाली पोस्टेरिटी इसका विरोध करेगी और मैं घोर विरोध करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, सरकार की तरफ से जिस उत्तरदायित्व के साथ इस प्रकार की स्थिति के सम्बन्ध में

(श्री भैरोंसिंह)

जिस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये उस सम्बन्धी उत्तरदायित्व सरकार नहीं निभा पायी है और न राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति है जिस प्रकार का संकेत गृह मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में दिया है। इस प्रकार के अनावश्यक कानून लाकर लोकतान्त्रिक शक्तियों को कुचला जायेगा इसका सब माननीय सदस्यों ने विरोध किया है। इसके बावजूद, सरकार कानून को पारित करना चाह रही है और अपने बहुमत के आधार पर अपनी जिद पर अड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में विरोधी दल के सामने घोर विरोध प्रगट करने के अलावा कोई चारा नहीं हैं। मैं इस काले कानून के पास करने के बारे में घोर विरोध प्रकट करता हूं। इस प्रकार का काला कानून इस प्रकार का जघन्य अपराध इस लोकतन्त्र के पवित्र मंदिर में कर रहे हैं इस पवित्र मंदिर के सम्मान के लिये ऐसे जघन्य अपराध में भागीदार हम नहीं बनना चाहते इसलिए मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(जनसंघ दल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस काले कानून के विरोध में मैं सदन से वाक आॅउट करता हूं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा बहिर्गमन)

श्री रामकिशन : यह कानून लोकतन्त्रीय नहीं है सरकार को लोकतन्त्र की चिन्ता नहीं उसको केवल अपने दल की चिन्ता है। गृह मंत्री महोदय ने इस बिल के औचित्य के संबन्ध में जो कुछ कहा है उससे हम सन्तुष्ट नहीं हैं। इस बारे में सरकार का जो रुख है वह अन्याय पूर्ण है इसके प्रतिकार स्वरूप मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं। मेरा दल तो पहले से ही चला गया है। मैं भी जा रहा हूं।

(श्री रामकिशन द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री रामचन्द्र आर्य : आज जिस कानून को लाकर सरकार दो करोड़ ५० लाख जनता से आशा करती है कि वह उसका साथ देगी यह कभी नहीं होगा। दो करोड़ जनता के लिये जो यह कानून लाये हैं यही कानून इस सरकार का पतन का कारण बनेगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं इस कानून का घोर विरोध करता हूं और सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री मनोहरसिंह मेहता द्वारा बहिर्गमन)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान निवारक निरोध विधेयक, १९७० को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १९७०

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १९७० को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १९७० को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का समय निरन्तर बढ़ाया जाता है आज सदन चलते हुए १३ घन्टे हो गये हैं। एक ही दिन में सारा बिजनेस निकालना चाहती है यह सरकार। इसके लिये मुझे घोर आपत्ति है।

श्री सभापति : क्लॉज २

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभापति महोदय, In clause 2, the words "hereinafter referred to as the principal Act" occurring after the expression "(Rajasthan Act, 35 of 1969)" be deleted.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ में माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री सभापति : क्लॉज ३, ४, ५, ६ और ७ जिनके सम्बन्ध में विरोध किया गया था उन क्लॉजेज को विलोपित करने का प्रस्ताव है। मैं स्पष्टीकरण कर दूं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के व्यक्ति को अपॉइण्ट करने का प्रोवीजन है; उसी को रखा है बाकी के जो प्रोवीजन्स थे स्कीम्स को एप्रूव कराना आदि जिन चीजों का विरोध हुआ था राजस्थान सरकार की तरफ से उनको डिलीट करने का प्रस्ताव रखा है। मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्य इसके लिये एग्री होंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३, ४, ५, ६ और ७ क्लॉज को डिलीट कर दिया जाय।

श्री सभापति : मैं, इनको हाउस से अस्वीकार करा देता हूं। प्रश्न यह है कि क्लॉज ३, ४, ५, ६ और ७ को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

३, ४, ५, ६ और ७ क्लॉज अस्वीकार किये गये।

खण्ड ८

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड ८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ८ स्वीकार किया गया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है, कि खण्ड १ प्रीएम्बल, शोर्ट टाइटल आदि को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १ प्रस्तावना, सूत्र, नियमादि स्वीकार किये गये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १९७० को पारित किया जाय।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १९७० यथा संशोधित पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधित विधेयक पारित किया गया।

पंचायतों के चुनाव के संबंध में शासकीय वक्तव्य

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री) : सदन के माननीय सदस्यों की व्यग्रता को देखते हुए उनको जो शक पैदा हुआ है उसको दृष्टिगत रखते हुए, मेरा निवेदन है, सदन के माननीय सदस्य भली प्रकार परिचित हैं कि गत वर्ष राज्य में सूखे की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को स्थगित कर दिया था। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों के आम चुनाव हेतु १०, १३ एवं १६ दिसम्बर, १९७० की तिथियां निश्चित हो चुकी हैं व इसके पश्चात् पंचायत समितियां व जिला परिषदों के चुनाव कराने का कार्यक्रम है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापतिजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं वैसे ही पंचायतों के चुनावों में काफी देर हो चुकी है, अब कुछ देर और हो तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन आप विचार और करिये–एक साल देर और हो तो कोई बात नहीं है लेकिन जो छोटी-छोटी पंचायतें हैं २३२ सफेद हाथी हैं उनको बंद करिये, पंचायत समिति और जिला परिषद् के बीच में कुछ नहीं रखिये। आपका पंचायत राज तभी सफल होगा। आपकी आलोचना करेंगे लेकिन इसको एक साल और स्थगित कर दें तो बहुत अच्छा होगा। इसके ऊपर एक कमेटी बैठाकर निर्णय करें। आज आपका पंचायत राज असफल हो रहा है, पंचायत राज की बुराइयां हो रही हैं और जिस रूप में आज हो रहा है उसी रूप में करेंगे तो आपको नुकसान होगा....

श्री रामचन्द्र आर्य : पंचायत राजस्थान समाप्त कर दें तो सारा ही मामला खतम हो जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हिन्दुस्तान भर में पंचायत राज का प्रदर्शन हो सके यह तभी सम्भव है जब पंचायतों को तोड़ें, पंचायतों को बड़ी करें, पंचायतें ऐसी बनायें जो खड़ी हो सकें। इसलिये मेरी प्रार्थना है हिम्मत करके, आलोचना की परवाह न करके एक साल और देर सही—कमेटी बिठाकर आप कुछ इस पर निर्णय ले लें तभी भारत में सच्चा आदर्श बापू का कायम हो सकेगा और मेरा तो निवेदन है कि इन पंचायत समितियों को खतम ही कर दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सभापति महोदय मेरा यह निवेदन है पंचायतों को बड़ी न करके एक एक ग्राम की पंचायत बने। आज पंचायतों के इलेक्शन बहुत मंहगे हो गये हैं। एक गांव की पंचायत हो तो वहां निर्विरोध चुनाव हो सकते है। आज चुनाव बहुत मंहगे है। इसके अलावा मेरा यह भी सुझाव है कि पंचायत समितियां समाप्त करदी जायं तो करोड़ों रुपयों का राजस्थान के बजट में प्रावधान रहता है वह बच सकता है यह फिजूल का खर्च है। करोड़ों रुपयों के घोटाले हुये हैं। आज भी लोगों में पंचायत समिति के कार्यों में रुचि नहीं है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि पंचायत समितियों को तोड़ दी जायं।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : माननीय सभापतिजी, मैं माननीय मंत्री महोदय ने जो घोषणा की है उस सम्बन्ध में एक जानकारी चाहूंगा। जिस प्रकार मंत्री महोदय ने

Page No 203

(श्री श्रवणलाल)
पिछले सैशन में घोषणा की थी क्या यह घोषणा भी उसी तक सीमित रहेगी या वास्तविक रूप में कार्यवाही होगी।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री) : माननीय चेयरमैन, भारत सरकार द्वारा गठित सामुदायिक विकास व पंचायत राज से सम्बन्धित दो केन्द्रीय सलाहकार परिषदों की हुई बैठकों में पंचायत राज संस्थाओं के कार्य सम्पादन, गठन, शक्तियों, अधिकारों का हस्तान्तरण व अन्य सभी पहलुओं पर सर्वांगीण रूप से विचार किये जाने की अब आवश्यकता महसूस की गई है। इधर भारत सरकार द्वारा भी सामुदायिक विकास व पंचायती राज पर एक हाई पावर कमीशन नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही पंचायत समितियों व तहसीलों से सम-सीमांकन करने का राज्य सरकार का पूर्व निर्णय, मार्च, १९७१ में जनगणना समाप्त होने तक स्थगित कर दिया है। इस सम्बन्ध में भी प्रशासनिक दृष्टि से निर्णय किया जाना शेष है। इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संदर्भ में पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव का प्रश्न भी राज्य मंत्रिमन्डल की आगामी बैठक में पुनः विचार हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मंत्रिमण्डल में विचार होना चाहिये पंचायत राज को मजबूत बनाने के लिये यह जरूरी है कि एक-एक गांव की पंचायत होनी चाहिये।

श्री सभापति : और किसी माननीय सदस्य को कुछ कहना है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : माननीय मुख्य मंत्री महोदय क्यों नहीं यह घोषणा कर दें कि पंचायतों के चुनाव कब हो रहे हैं ताकि माननीय सदस्यों का जो भ्रम बना हुआ है वह भी निश्चित हो जाय और जो संदिग्ध वातावरण है, वह समाप्त हो जाय। आप पंचायतों को तोड़ने की घोषणा कर दें तो आज ही कई माननीय सदस्य मिठाई खा लें। हम इस निर्णय का स्वागत करेंगे। कमेटी बनायेंगे और ऐसा फैसला करेंगे जिससे सच्चे मायने में पंचायत राज सफल हो सके। इसकी आज ही घोषणा कर दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, एक प्रश्न रह गया आज सुबह १७ हरिजनों के लिये....

श्री सभापति : मैं यही समझ रहा हूं आप भूल कैसे गये ?

श्री रामचन्द्र आर्य : १७ हरिजन परिवारों के लिये...

श्री सभापति : मैं तो चला कर पूछ रहा हूं। मैं चाहता हूं कोई माननीय सदस्य आज सन्तुष्ट हुये बिना न जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बात सही है उपाध्यक्ष महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि माननीय सदस्य श्री रामचन्द्रजी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य मैं स्वयं बड़ी उदारता से समय दे रहा हूं। यह बैठक कल तक चलने वाली है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस मामले में रिश्वत खाई है। पटवारी ने हरिजनों की जमीनों का नाजायज कब्जा दिया है। इसकी जांच होनी चाहिये नहीं तो....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : चेयरमैन महोदय मैं इतना निवेदन कर दूं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
उसके सम्बन्ध में राजस्व मंत्री जी से बात करेंगे कि वे पूरे मामले में विस्तार से जायं और इसको देखें। हरिजनों के हकों पर कुठाराघात न हो, उस चीज को देखने के लिये कहा है। वे इसको देखेंगे और मैं यह भी निवेदन कर दूं....

श्री रामचन्द्र आर्य : इसके लिये धन्यवाद है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कि पंचायत के चुनावों के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने अभी कहा है। वैसे मैं आपके दिमाग में कोई भ्रम नहीं रखना चाहता हूं और भ्रम रहना भी नहीं चाहिये। तारीख २५ को मंत्रिमण्डल की बैठक होगी उसमें अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। आप लोग किसी परेशानी में न पड़ें।

श्री रामचन्द्र आर्य : हमारी कोई परेशानी नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में जो सहयोग प्रदान किया है उसके लिये धन्यवाद। सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १०-३७ रात्रि में अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई)।

परिशिष्ट-१

(तारांकित प्रश्न-संख्या २३७ की सूची)

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड जयपुर-५।

आयातित ट्रैक्टरों के आवंटन के नियम

(१) जो कृषक राजस्थान निवासी हैं अथवा जिसकी राजस्थान प्रदेश में खेती योग्य भूमि है, उन्हें ही ट्रैक्टर का आवंटन किया जावेगा।

(२) प्रार्थी के पास कम से कम १५ एकड़ जमीन स्वयं की खातेदारी में अथवा संयुक्त रूप से होना आवश्यक है। संयुक्त खातेदारी की दशा में समस्त खातेदारों को संयुक्त आवेदन-पत्र देना होगा।

(३) प्रार्थी के पास ट्रैक्टर मिलने की तिथि से ३ साल पूर्व की अवधि में प्रत्यक्ष रूप से खरीदा हुआ कोई ट्रैक्टर नहीं होना चाहिये।

(४) ट्रैक्टर के आवंटन हेतु आवेदन-पत्र उचित प्रचार द्वारा मांगे जायेंगे।

(५) ट्रैक्टर का आवंटन जिलेवार "जिस कृषक का पंजीकरण पहले होगा, उसे पहले दिया जायेगा"।

(६) ट्रैक्टर प्राप्त करने के निर्धारित आवेदन-पत्र राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर कार्यालय से अथवा निगम के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों से प्राप्त हो सकेंगे। प्रार्थी सादे कागज पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में पूर्ण विवरण सहित, जैसा कि निर्धारित प्रार्थना-पत्र में चाहा गया है, आवेदन-पत्र दे सकता है। आवेदन-पत्र निम्न पते पर भिजवाने होंगे:—

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड,
विराट भवन, पृथ्वीराज मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर, ५.

(७) कृषि निदेशक द्वारा अनुमोदित जिलेवार कृषि उत्पादन के आंकड़ों के अनुपात के आधार पर प्रत्येक जिले में ट्रैक्टरों का आवंटन किया जायेगा।

(८) अलग-अलग प्रकार के ट्रैक्टरों हेतु आये आवेदन-पत्रों को अलग-अलग रजिस्टरों में जिलेवार क्रमानुसार दर्ज किया जायेगा। प्रत्येक ट्रैक्टर के पंजीकरण का अलग-अलग रजिस्टर होगा। प्रत्येक जिले के कोटे में से १०% जिले के कृषि स्नातकों के लिये सुरक्षित रखा जायेगा।

(९) आवेदन-पत्र के साथ १००—रुपये नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट या मनीआर्डर द्वारा जो कि केवल राजस्थान स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के नाम होना चाहिए, भेजा जाना आवश्यक है, अन्यथा ऐसे आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(१०) प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों को उचित जांच निगम के कार्यालय में होगी। पूर्ण आवेदन-पत्रों को अध्यक्ष द्वारा गठित समिति के समक्ष आवंटन हेतु प्रस्तुत किए जायेंगे।

(११) (क) निगम के द्वारा प्राप्त ट्रेक्टरो में से ५ प्रतिशत ट्रेक्टर सैनिक अथवा सेवानिवृत्त सैनिकों को आवंटन हेतु सुरक्षित रखे जायेंगे। इनका आवंटन डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटिलमेन्ट, सुरक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार होगा।

नोटः-उक्त सुरक्षित कोटा भारत सरकार के आदेशानुसार फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सेवानिवृत्त सैनिकों को फिलहाल ट्रेक्टर का आवंटन सुरक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीधा होगा।

(ख) ५ प्रतिशत ट्रेक्टरों का आवंटन राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा स्वेच्छिक कोटा के तहत किया जायेगा।

(ग) ५ प्रतिशत ट्रेक्टरों का आवंटन राजस्थान कृषि उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा स्वेच्छिक कोटा के तहत किया जायेगा।

(घ) ५ प्रतिशत ट्रेक्टर शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी विभागों, सहकारी समितियों तथा स्थानीय निकाय (लोकल बोडी) के लिए कृषि तथा कृषि सम्बन्धी कार्यों हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।

(ङ) १० प्रतिशत ट्रेक्टर किराए पर चलाए जाने हेतु सुरक्षित रखे जायेंगे। इस सम्बन्ध में इन्जीनियरों या उनके द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जायगी।

(१२) निगम ११ के उप-नियम 'घ' व 'ङ' के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र आवश्यक मात्रा में न आने के कारण एवं आवंटन तारीख से ३ महीने तक ट्रेक्टर नहीं उठाने पर जो भी ट्रेक्टर शेष बचे वे ५०:५० के आधार सरकार और निगम के स्वेच्छिक कोटा में हस्तान्तरित कर दिये जायेंगे।

(१३) अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त शर्तों की वजह से आवंटन नहीं होता है, उस स्थिति में अध्यक्ष, राजस्थान कृषि उद्योग निगम को विशेष रूप से अपने निर्णयानुसार आवंटन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(१४) (क) ट्रेक्टर की डिलीवरी लेने का अधिकतम समय ३० दिन आवंटन पत्र के प्रेषित होने की तिथि से होगा। अगर कोई प्रार्थी इस अवधि में अपने ट्रेक्टर की डिलीवरी नहीं लेता है तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जायेगा तथा अगले व्यक्ति को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन कर दिया जायेगा।

ट्रेक्टर तथा ट्रेक्टर के साथ राजस्थान कृषि उद्योग निगम द्वारा निर्मित किए जाने वाले यंत्रों का पूरा मूल्य बैंक ड्राफ्ट अथवा नगद, ट्रेक्टर आवंटन पत्र के प्रेषित होने की तिथि से एक माह की अवधि में देना आवश्यक है अन्यथा आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

(ख) अगर कोई व्यक्ति बैंक से ऋण प्राप्त होने में देरी की वजह से अथवा अन्य विशेष कारणों की वजह से अवधि बढ़वाने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसकी अवधि इस शर्त पर बढ़ाई जा सकती है कि उसे इस बढ़ाई हुए अवधि का ब्याज १० प्रतिशत के हिसाब से देना होगा।

(१५) अगर कोई व्यक्ति अपने ट्रेक्टर की डिलेवरी निश्चित अवधि में नहीं लेता है तो उसके द्वारा जमा कराए गए १०० रुपये जप्त कर लिए जायेंगे तथा उसके उसी प्रार्थना-पत्र को पुन: आवंटन हेतु विचार में नहीं लिया जायेगा।

(१६) जिस कृषक को ट्रेक्टर का आवंटन किया जायेगा उसे आवश्यक रूप से निम्न दो कृषि-यन्त्र, राजस्थान कृषि उद्योग द्वारा निर्मित, लेने आवश्यक होंगे:—

(१) तवे वाला हल	२ या ३ तवा वाले
(२) कल्टीवेटर	१४, ११, ९० या ७ टाइन्स
(३) तवे वाला हेरो	१६, १४, १२, १० या ८ तवे वाले
(४) ब्लेड टेरसर यालेव्लर	७, ६ या ५ फीट

(५) अन्य-कृषि यन्त्र जो निगम द्वारा समय-समय पर बनाए जायेंगे।

(१७) (अ) प्रार्थी एक आवेदन-पत्र में एक प्रकार के ही ट्रेक्टर के लिए आवेदन करें।

(ब) प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र में मांगे गये ट्रेक्टर को पुनः दूसरे प्रकार के ट्रेक्टर में बदलने की स्वीकृति नहीं दी जावेगी।

(१८) कृषि अभियान्त्रिक मण्डल द्वारा ३० नवम्बर, १९६९ तक प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों को आवंटन हेतु विचार में लिया जायेगा तथा उन्हें इस तरह समझा जावेगा जैसे कि आवेदन-पत्र कृषि उद्योग निगम के कार्यालय में ही प्राप्त हुए हैं।

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक २१ नवम्बर, १९७०)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
८	१	वह	कहा
३६	अन्तिम से ११	मोहन	मोहन
५७	२	था	या
६३	शीर्ष	सोठा	सोढा
८७	अन्तिम से १२	पहला	पहले
८७	,, ६	ओर	और
९२	१४	चुहि ा	चुहिया
९८	१३	स्यना	स्यान
९९	४	श्रा	श्री
१०१	अन्तिम से १०	जबाब	जवाब न
१०३	,, १२	तार ख	तारीख
१०४	३	सत	सन्त
१०४	अन्तिम से १	अकाली	—
१०६	,, ७	जिले	जिले के
१११	,, ५	में	मैं
११२	,, १	ग्रोर	ग्रोर
११४	१८	ग्रोर	ग्रोर
११४	२३	है	है कि
१२३	८	मैं	में
१२७	अन्तिम से ९	वस	वह
१२८	१	जनत	जनता
१२८	२	उसके	उसके
२६१-२६२	शीर्षक	१९७१	१९७०

१	२	३	४
२८५	अन्तिम से १	एला	बुला
२९५	,, २ व ३	की	को
२९९	,, ९	रोज ना	रोजाना
३०७	,, ८	अंडरस्टेंडि	अन्डरस्टेंडिग
३१२	,, २	गंगानर	गंगानगर
३२०	,, १३	दना	देना
३३१	,, १६	डाइरेक्टल	डाइरेक्टली
३४१	,, ९	जुडिशियस	जुडिशियल
३७४	,, १७	क	के
३८५	शीर्ष	श्रो भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह